भारत के अन्तिम सम्राट

बहादुरशाह का मुक़दमा

लेखक—

बेगमात के आँसू, मोहासराय-देहली के ख़ुतूत, ग़दर-देहली के अख़बार, देहली की जाँकनी, ग़ालिब का रोज़नामचा-ग़दर, ग़दर-देहली की सुबह-शाम, देहली का आख़िरी शमआ आदि आदि ग़दर सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के रचयिता—

ख़्वाजा हसन निज़ामी साहब

अनुवादक—

श्री० गोपीनाथ सिंह, बी० ए० (ऑनर्स)

प्रकाशक—

नरेन्द्र पब्लिशिङ्ग हाउस

रैन बसेरा :: देहरादून

पहला संस्करण] मार्च, १९३४ [मूल्य १॥) रु०

प्रकाशक—

नरेन्द्र पब्लिशिङ्ग हाऊस

रैन बसेरा—देहरादून

मुद्रक—

शारदा प्रसाद खरे,

हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग

भारत के अन्तिम सम्राट

स्वर्गीय बहादुरशाह

बहादुरशाह का मुक़दमा

इस मुकदमे की सुनवाई दिल्ली में २७ जनवरी, सन् १८५८ ई० को एक फौजी कमीशन के सामने आरम्भ हुई जिसकी नियुक्ति पञ्जाब के चीफ कमिश्नर सर जॉन लॉरेन्स के आदेशानुसार और मेजर जनरल पेनी, सी० बी०, कमाण्डिग डिवीजन की आज्ञानुसार हुई थी।

कमीशन के अध्यक्ष

लेफ़्टिनेण्ट-कर्नल डॉस, अफ़्सर तोपख़ाना

कमीशन के सदस्यगण

(१) मेजर पामर, रिसाला नम्बर ६० ;

(२) मेजर रेडमाण्ड, रिसाला नम्बर ६१ ;

(३) मेजर साईरेस, कम्पनी नम्बर ६ ;

(४) कप्तान रॉथन, कप्तान, सिक्ख-पैदल, नम्बर ४ ;

कमीशन के दुभाषिया

मिस्टर जेम्स मर्फ़ी

सरकारी वकील

मेजर एफ़० जे० हेरियट, डिप्टी जज, एडवोकेट जनरल

पहले दिन की कार्यवाही

दिल्ली के क़िले के दीवाने-खास मे कमीशन की पहली बैठक २७ जनवरी, सन् १८५८ ई० को सवेरे आरम्भ हुई।

अध्यक्ष, सदस्यगण, दुभाषिया और सरकारी वकील उपस्थित थे।

दिल्ली के भूतपूर्व सम्राट् मुहम्मद बहादुरशाह को अभियुक्त के रूप मे लाकर उपस्थित किया गया।

लेफ्टिनेण्ट-कर्नल डॉस की अध्यक्षता मे कमीशन को सङ्गठित करने की सरकारी आज्ञाएं पेश हुई और पढ़ी गईं। नियुक्त अधिकारियों के नाम अभियुक्त के सम्मुख पढ़े गए।

अदालत ने अभियुक्त से प्रश्न किया—"आपको उपस्थित जूरी के सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा मुकदमे की सुनवाई करने मे कोई आपत्ति है?"

उत्तर—"मुझे कुछ आपत्ति नही है।"

जूरी के सदस्यों और अध्यक्ष से हलफ ली गई।

गवाहो को अदालत से चले जाने की आज्ञा दी गई।

अभियोगों की सूची

निम्न लिखित अभियोग लगाए गए :—

(१) यह कि इन्होने (अभियुक्त) भारत सरकार का पेन्शन-भोगी होने पर भी, १० मई सन् १८५७ ई० और १ ली अक्टूबर

सन् १८५७ के बीच विभिन्न अवसरो पर तोपखाना-रेजिमेण्ट के सूबेदार मुहम्मद बख्त खाँ और बहुतेरे व्यक्तियो और देसी अफसरो और सिपाहियो को, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की फौज मे नौकर थे, विद्रोह और विप्लव करने के लिए उत्तेजित किया और सहायता दी;

(२) यह कि इन्होंने (अभियुक्त) १० मई और १ ली अक्टूबर के बीच भारत सरकार की प्रजा अपने पुत्र मिर्जा मुग़ल, और दिल्ली के तथा उत्तरी पश्चिमी प्रदेश के अनेकों अज्ञात नागरिकों को, जो भारत सरकार की प्रजा थे, सरकार के विरुद्ध हथियार उठाने मे सहायता दी और इसके लिए उनके साथ षड्यन्त्र किया,

(३) यह कि इन्होंने (अभियुक्त) बृटिश राज्य की प्रजा होने पर भी, स्वयम् राज्य-भक्ति के कर्तव्य का पालन नहीं किया और दिल्ली में ११ मई अथवा उसके लगभग अपने को भारत सम्राट् घोषित किया और दिल्ली नगर पर अनुचित अधिकार कर लिया, और दस मई और १ ली अक्टूबर सन् १८५७ के बीच इन्होंने अपने पुत्र मिर्जा मुग़ल तथा तोपखाना के सूबेदार मुहम्मद बख्त खाँ के साथ षड्यन्त्र करके विद्रोह का झण्डा उठाया। यह ग्रेट बृटेन के विरुद्ध युद्ध करने को तत्पर हुए और बृटिश शासन का तख्ता उलट देने के अभिप्राय से इन्होंने सशस्त्र सिपाहियों को विद्रोही दिल्ली मे एकत्र करके उन्हे उक्त सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए उद्यत किया;

(४) १६ मई, सन् १८५७ ई० को या उसके आस-पास दिल्ली

के क़िले के भीतर ४९ अङ्गरेजो का, जिनमे स्त्री और बच्चे भी थे, अभियुक्त ने वध कराया या वध कराने मे भाग लिया और १० मई और १ली अक्टूबर के बीच अङ्गरेज अफ़्सरो और बृटिश प्रजा की, जिनमे स्त्री और बच्चे भी सम्मिलित थे, हत्या कराने में सहायता दी और हत्याकारियो को नौकरी, वेतन-वृद्धि और पद देने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त इन्होने विभिन्न देशी नरेशो के नाम आज्ञा-पत्र निकाले कि वह अपने राज्य मे, जहाँ कही ईसाईयों को पावे, वध करा दें।

सन् १८५७ ई० के १६ वे ऐक्ट के अनुसार इस प्रकार का व्यवहार भीषण अपराध है।

दिल्ली, जनवरी, सन् १८५७ ई०	(ह०) फ्रेड जे० हेरियट, मेजर, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल, सरकारी वकील

अदालत का प्रश्न—मुहम्मद बहादुरशाह, आप उपरोक्त कथन के अनुसार अपराधी हैं या नहीं?

उत्तर—मै अपराधी नहीं हूँ।

सब साक्षियों को पेश किया गया।

पैरवी

सरकारी वकील ने अदालत को सम्बोधित करके कहा—

महाशयो! कोई कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व यह पूछ लेना आवश्यक है कि आया आप लोगो के सामने वे गवाह पेश किए जाएँ जो अभियोगों के प्रमाण की गवाही देगे? इस बात पर

पर्याप्त विचार किया जा चुका है कि पिछले विद्रोह से सम्बन्धित घटनाएँ, यद्यपि वे अभियोगों की सूची में न भी सम्मिलित हो, तो भी वे यहाँ लिख ली जाएँ। पहले किसी तारीख को यह निश्चय किया जा चुका है, कि चूँकि बादशाह का जीवन जमानत किया हुआ सुरक्षित होता है, इसलिए, यह जाँच अभियोगों की सूची के साथ सम्मिलित न होनी चाहिए; वरन् ऐसे सभी मामलों और तत्सम्बन्धी कागज व पत्र इत्यादि की मिसिलें अलग अलग पेश करना ही उचित है।

मै नहीं जानता कि अदालत को, इस दशा मे जब कि तत्सम्बन्धी कोई विशेष अभियोग उपस्थित नहीं है, इन काग़ज़-पत्रो को स्वीकार करने का कोई अधिकार है भी अथवा नहीं; परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक जाँच तभी सन्तोष-प्रद हो सकती है जब कि अभियुक्त को भी किसी गवाह या पत्र द्वारा अपने ऊपर लगाए हुए अभियोगो को निर्मूल सिद्ध करने का अवसर दिया जाय। मै सलाह देता हूँ कि यह अच्छा होगा कि इन अभियोगों को किसी विशेष रूप मे क्रमवद्ध कर लिया जाए जिससे दोष अथवा निर्दोषिता स्पष्टतया प्रमाणित हो सके। मेरी यह सम्मति उचित समझी जा चुकी है; अतएव अभियोगों की जो सूची अभी मैंने पढ़ी है अदालत मे पेश करता हूँ। परन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जाँच की परिधि परिमित नहीं है; अर्थात् यह जाँच उन लगाए हुए अभियोगो पर ही, जो

अदालत मे नियमानुसार उपस्थित किए जा चुके है, सीमित नहीं होगी।

वह पत्र जो मैने अपने दफ़्तर से मेजर जनरल पेनी सी० बी०, कमाण्डिग डिवीज़न को भेजा था, जिसमे अभियुक्त के विरुद्ध अभियोगो के जाँच का वर्णन था और जिसे जनरल साहब ने बहुत पसन्द किया था, मैं अब अदालत मे पेश करता हूँ।

संख्या ५९

दिल्ली, जनवरी ९, सन १८५८ ई०

महाशय,

मै सूचनार्थ निवेदन करता हूँ कि राजा बल्लभगढ़ के मुकदमे की तजवीज़ समाप्त कर चुकने पर मै मुहम्मद बहादुरशाह, दिल्ली के भूतपूर्व सम्राट्, के सम्बन्ध में यह जाँच करने के लिए तैयार हूँ कि वह भी विद्रोह मे सम्मिलित थे अथवा नहीं। ऐसी जाँच को विश्वस्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे मुकदमे का रूप दिया जाए; अर्थात बादशाह पर अभियोग लगाए जाएँ और उन्हें पैरवी करने के लिए कहा जाए। मेरे विचार मे किसी दूसरे उपाय से बादशाह का दोप अथवा उनकी निर्दोषिता सिद्ध नहीं हो सकती। अन्यथा, प्रत्येक दूसरे उपाय से किया हुआ निर्णय अन्याय और पक्षपात के अभियोगों से मुक्त न होगा। यदि किसी घटना पर, जो जाँच करते हुए प्रकट हो, निर्णय किया जाए, तो अति उचित होगा कि उस मामले के दोनो पक्ष सुने और समझे जाएँ। ऐसा निर्णय चाहे दण्ड दे अथवा मुक्ति,

अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, मान्य और अकाट्य समझा जायगा। अतः मै यह सलाह देता हूँ कि इसी ढङ्ग से काम किया जाए, क्योकि यही एक मात्र उपाय है जिससे अदालत, अभियुक्त और जनता किसी संतोष-प्रद निर्णय पर पहुँच सकती है। अगर आपने मेरी सम्मति का समर्थन किया, तो मै तुरन्त अभियोगों की सूची तैयार करूँगा, जिसके आधार पर दिल्ली के भूतपूर्व सम्राट् अदालत मे बुलाए जा सकते है। इसकी क्रमपूर्ति के लिये मैं उसी रीति से काम लूँगा जो साधारणतया ऐसी दशा मे व्यवहृत है।

सलाह के लिए इच्छुक,

भवदीय

(ह०) फ्रेड जे० हेरियट,
मेजर, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल

इस पर यह हुक्म लिखा गया—"मै डिप्टी जज एडवोकेट जनरल के मत से सहमत हूँ।

(ह०) एन० पेनी, मेजर जनरल, कमांडिंग दिल्ली फ़ील्ड फ़ोर्स

यह पत्र दिल्ली के अस्थायी कमिश्नर, मिस्टर सॉण्डर्स की सेवा मे भेज दिया गया और यह निश्चय हुआ कि इस मत को कार्य रूप मे परिणत किया जाय। अभियोगो की सूची तैयार की गई और मुक़दमा नियमानुसार आरम्भ हो गया। परन्तु फिर भी वह पहला विचार, कि विद्रोह से सम्बन्ध रखने वाली तमाम बातो की जॉच पूरी तरह की जाए, छोड़ा नहीं गया। मेरे इस बात के वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि इन घटनाओ को भी सम्मिलित कर

लिया जाए जो प्रगट रूप से असम्बद्ध प्रतीत होंगे। इस भूमिका के उपरान्त मैं इस मुक़दमे के सम्बन्ध मे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ जो कि निश्चित रूप से स्वयम् अभियोगों के प्रमाण हैं।

अभियुक्त के पद और राजनैतिक दृष्टि-कोण से उनकी उन्नति और अवनति पर देखते हुए, यह मुकद्मा साधारण मुक़द्मा नही कहा जा सकता। वरन् सदा के लिए इतिहास के पृष्ठो पर सुरक्षित रहने वाला मामला है। वस्तुतः यह मुकद्मा बहुत ही महत्व-पूर्ण और असाधारण है। यद्यपि इसका अन्त एक निर्णय पर होगा तथापि उस निर्णय पर सहस्रो मनुष्यो की दृष्टि पड़ेगी और लोग उसे ऐसे भावो से देखेंगे जिनसे फौजदारी का कोई और मुक़द्मा न देखा गया होगा।

आगे चल कर २६ नवम्बर, सन १८५७ के पत्र नम्बर १९ से उद्धरण किया गया है जो दिल्ली के अस्थायी कमिश्नर मिस्टर सॉण्डर्स ने मेजर जनरल पेनी, सी० बी०, कमाण्डिग दिल्ली फील्ड फ़ोर्स, को लिखा था। यह इस बात का पता देता है कि अदालत के अधिकार केवल फैसले तक ही परिमित क्यो रक्खे गए हैं। वास्तविक बात यह है कि मेजर जनरल विल्सन ने अभियुक्त को बचन दिया था कि तुमको मृत्यु का दण्ड न दिया जायगा। मिस्टर सॉण्डर्स का पत्र सर जान लॉरेन्स के आदेशानुसार लिखा गया है और उसका उद्धरण इस प्रकार है :—

"मै साथ ही साथ आप को सूचित करता हूँ कि भूतपूर्व बादशाह के जीवन का कमान हडसन ने जिम्मा ले लिया है और

यह मेजर जनरल विल्सन के आदेशानुसार किया गया है। अतः फौजी कमीशन को यह अधिकार न होगा कि उन पर कोई दण्ड नियत करे अथवा अपनी जाँच के आधार पर अपराध निश्चित करे।"

इस मुकदमे के सम्बन्ध मे जो काग़ज़-पत्र मिल सके है, उन्हे मै पेश करता हूँ और हर समय अपनी शक्ति भर सहायता देने और साक्षियो को एकत्र करने के लिए तैयार हूँ।

मेरे पास देशी भाषाओ की लिखित गवाही है, जिसका मिस्टर जेम्स मर्फी, डिप्टी कलक्टर महसूल सरकारी, दिल्ली ने बड़ी सावधानी से अनुवाद किया है। मिस्टर मर्फी भाषा के उच्च कोटि के विशेषज्ञ है और अगर आप आज्ञा दे तो वह अनुवादक के रूप मे आपकी इच्छानुसार इन पत्रो को स्वयम् पेश कर सकते है।

लिखित गवाही बहुत लम्बी-चौड़ी है और उसे यथा सम्भव सक्षिप्त करने के लिए मैने उन्हे पॉच भागो मे विभक्त कर दिया है। (१) जिसमे कर्ज के सम्बन्ध की बाते है (२) जिसमे सिपाहियो को तनख्वाह देने का हाल है (३) जिसमे सैनिक-वेतन की चर्चा है (४) जिसमे हत्याकाण्डो का वर्णन है और यह विशेषतः तीसरे से भी सम्बन्ध रखता है। (५) जिसमे अन्य काग़ज़ात है।

इन काग़ज़ी सबूतो के अधिकांश के सम्बन्ध मे ऐसा ख्याल किया जाता है कि यह अभियुक्त के हस्तलिखित आज्ञापत्र है और वह कैसे हमारे हाथ आये, इस सम्बन्ध की गवाहियो भी पेश होंगी। दूसरे कागजों के लिए भी इसी ढङ्ग से क्रम बनाया जाएगा अथवा जैसा उचित होगा, किया जावेगा। किन्तु मुझे

भय है कि कुछ कागज़ात ऐसे भी आप के सामने आवेंगे जिनके लिए कोई ज़बानी सबूत न होगा कि वह कहाँ से आये और उन लोगों के लिए वह लिखे गये है वह कौन है ? ऐसी दशा मे अदालत को ख्याल हो सकता है कि उनकी पूरी जाँच आवश्यक है और वह कभी पूरी न होगी, यदि वह स्वयम् विश्वसनीय है पर किसी एकाध नियम के अनुसार ही न होने से अस्वीकृत कर दी जाय। आप से इस सिलसिले मे यही प्रार्थना है कि आप तमाम कठिनाइयो का ध्यान रक्खे जो कि लिखित सबूत के विषय मे उपस्थित हो सकती है। और जब कि वह व्यक्ति, जिसके लिए पत्र लिखे गये है, इस बात के काफी प्रमाण रखता है, कि वे इसके लिए नहीं लिखे गये और उसका अभियुक्त से कोई सम्बन्ध नही है। ज़बानी गवाहियों के सम्बन्ध मे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नही है क्योंकि उन्हे विश्वसनीय उपायों द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। किन्तु यह ध्यान मे रखना चाहिए कि जो हिन्दुस्तानी गवाह के तौर पर पेश होंगे वे अवश्य ही अपने बयानो मे अपने हितार्थ कुछ न कुछ तबदीली करेंगे और उनका उन ग़दर की प्रमाणित घटनाओ से सम्बन्ध न मिलेगा, जिनकी हमे पहिले ही से जानकारी है। अब मै लिखित गवाहियों से आरम्भ करता हूँ और पहिली लिखित गवाही अभियुक्त तथा दूसरे शख्सों की, जो ग़दर में सम्मिलित थे, मुद्दई के सबूत के लिये पेश करता हूँ।

(ह०) एफ़. जे. हेरियट

मेजर, डिप्टी जज, एडवोकेट जनरल व सरकारी

[इसके उपरान्त वकील के बहुत से मनोरञ्जक कागज-पत्र, जिनमे बहुत से देश के विभिन्न रईसों और सैनिक अफ्सरों की ओर से बादशाह बहादुरशाह के नाम और बहुत से बादशाह की ओर से उनकी मोहर अथवा दस्तख़ती रिआया और सैनिकों के नाम लिखे गये बताये गये हैं और जिन्हें मैंने पुस्तक का रूप अधिक बढ़ जाने के भय से अलग छपवाया है, पेश किये—

—ख़्वाजा हसन निज़ामी]

पहिले गवाह एहसन उल्ला ख़ॉ

जो कि भूतपूर्व बादशाह के राज्य-हकीम थे, गवाही के लिए बुलाए गए। उन्होंने बयान दिया। सरकारी वकील के प्रश्न करने पर गवाह ने मिसिल मे नत्थी किये गये काग़ज़ो मे २,३,४,१३,१४, २०,२१,२२,२४, २७,३०,३३,३९,४०,४१,४२,४४,४८ ,५०,५२,५३ १९, और ५४ नम्बरो के काग़ज़ों पर हुक्म स्वयम् अभियुक्त के हाथ के लिखे हुए बताये।

[ये सब नम्बर उन्हीं पत्रों के है जो इस मुक़दमे की गवाही में उपस्थित किये गये। मैंने इनको अलग पुस्तकाकार छपवाया है—

—हसन निज़ामी]

नम्बर २६,१५,१८,२५,२६,३१,३२,३५,३६,४५ को देखकर गवाह ने बताया कि वह अभियुक्त के दस्तख़तो को पहिचानता है और इन पर किये हुए दस्तख़त अभियुक्त के ही हैं।

नम्बर ५,१६,२९,३४,३८ के काग़ज़ों के दिखाये जाने पर गवाह ने बताया कि ये बादशाह के प्राइवेट सेक्रेट्री मुकुन्दलाल

के हाथ के लिखे हैं। इनसे तीन बाकी नम्बर ५,१६ और,३४ में बादशाही मोहर लगी है।

नम्बर १२, २३,२८,३७,४२,४६,४७,५१, ५५ के काग़ज़ों को देखकर गवाह ने कहा कि ये किसके हाथ के लिखे हैं वह नहीं पहचानता। किन्तु नम्बर २३ व ४६ पर बादशाही सेना के अध्यक्ष मिरज़ा मुग़ल की मोहर लगी है। नम्बर ३७ पर चीफ़ पुलिस अफ़सर और देहली चीफ़ कोर्ट की मोहर है। नम्बर ४२ पर बदरपुर के थाने और बादशाह के ख़ास सेक्रेट्री की और ४६ पर मिर्ज़ा मुग़ल की मोहर है। इसके अतिरिक्त गवाह कुछ नहीं पहिचान सकता।

नम्बर १,७,८,९,१०,११,१७ और ४९ नम्बर के काग़ज़ों की मोहरों की पहिचान के लिए गवाह ने कहा कि नम्बर १० की मोहर देख कर वह कह सकता है कि इन आठो काग़ज़ों मे बादशाह के दस्तख़त हैं और अभियुक्त के प्राइवेट सेक्रेट्री मुकुन्दलाल की मोहर है। नम्बर ५६ को मुकुन्दलाल के हाथ का लिखा बताया और कहा कि उस पर बादशाह की ख़ास शाही मोहर है।

सरकारी वकील ने नम्बर ३६ तक के काग़ज़ों का अनुवाद सुनाया।

इतने मे २॥ बज गये और अभियुक्त की प्रार्थना पर मुकदमा दूसरे दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

दूसरे दिन की कार्यवाही

गुरुवार, २८ जनवरी, सन् १८५८ ई०

आज फिर ११ बजे दिन को देहली किले के दीवाने-ख़ास में अदालत बैठी। कमीशन के प्रधान, सदस्य, दुभाषिया, सरकारी वकील उपस्थित थे। अभियुक्त को बुलाया गया। गवाह हकीम एहसन उल्ला खाँ पेश किये गए। पिछले दिन की गवाही की याद दिलाई गई। अभियुक्त ने प्रार्थना की कि ग़ुलाम अब्बास नाम के कानूनी सलाहकार अदालत में बुला दिये जाएँ जिससे मुझे सहायता मिल सके। प्रार्थना स्वीकृत हुई और वह बुलाये गए। दुभाषिये ने सरकारी वकील द्वारा पिछले दिन के पढ़े हुए नम्बर ३६ तक के फारसी काग़ज़ात और उनके अङ्गरेज़ी अनुवाद अभियुक्त के वकील को समझाए। इसके बाद सरकारी वकील ने नम्बर ५६ तक के काग़ज़ात का अङ्गरेज़ी अनुवाद सुनाया। अभियुक्त अदालत में बेहोश हो गया। इस कारण २ बजकर २० मिनट पर कार्यवाही समाप्त हुई और मुकदमा दूसरे दिन ११ बजे पेश होने का हुक्म हुआ।

तीसरे दिन की कार्यवाही

शुक्रवार, २६ जनवरी, सन् १८५८ ई०

अदालत ११ बजे देहली क़िले के दीवाने-खास मे बैठी। अध्यक्ष, सदस्य, अनुवादक, सरकारी वकील सब मौजूद थे। अभियुक्त अदालत मे लाया गया और उसके साथ ही मुख्तार गुलाम अब्बास भी मौजूद थे। अनुवादक ने नम्बर ५६ तक के असली फारसी काग़ज़ात पढ़ कर सुनाये जिनका पिछले दिन अङ्गरेज़ी अनुवाद सुनाया गया था। मुख्तार गुलाम अब्बास गवाह के रूप में बयान देने लगे। सरकारी वकील ने सवाल किया—१० मई, सन् १८५७ को जब बाग़ी सेना मेरठ से आई थी, तब तुम कहाँ थे?

उत्तर—इसी दीवाने-ख़ास मे था।

प्रश्न—तुम ने उस समय जो कुछ देखा हो, उसको ब्योरेवार सुनाओ।

उत्तर—सवेरे ८ बजे ५-६ सवारो के आने की बात सुनी गई। वे बादशाह की बैठक के बाहर थे। पहले उन्होंने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाहट सुन कर बादशाह ने अपने गुलामो को देखने के लिए भेजा कि पता लगावें कि यह शोर कैसा है। एक ग़ुलाम ने आकर सिपाहियो से बात-चीत की। उसने

लौट कर बादशाह से क्या जा कर कहा, यह मुझे नहीं मालूम। इसके बाद बादशाह अपनी बैठक से मिले हुए कमरे में आए और मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि यह सवार मेरठ मे विद्रोह फैला कर आए हैं और अब चाहते है कि धर्म का पक्ष लेकर अङ्गरेज़ो से लड़े और उनका वध करे। इतना कहने के बाद बादशाह ने मुझे तुरन्त ही कप्तान डगलस के पास जाने और उनसे पूरा विवरण बता देने की आज्ञा दी और कहा कि इस सम्बन्ध मे सारा प्रबन्ध करने के लिए भी कह देना। मुझसे यह कहने के बाद एक ग़ुलाम से दरवाज़ा बन्द करा लिया। बादशाह की आज्ञानुसार मै कप्तान डगलस के पास गया और समाचार सुनाया। कप्तान डगलस यह सुनते ही मेरे साथ हुए और कहा—'मामला क्या है? ख़ैर, मै समझ लूँगा'। वह दीवाने-ख़ास मे आये और बादशाह भी मिलने के लिए वहाँ उपस्थित हुए, उस समय बादशाह के शरीर मे पर्याप्त बल था और वह स्वयम् ही अपनी लकड़ी टेकते हुए बिना किसी के सहारे आ सके थे। फिर उन्होंने कप्तान डगलस से पूछा—'आप को मालूम है कि क्या मामला है? ये फौजी सवार आए हैं और अपनी इच्छानुसार कार्यवाही बहुत जल्द प्रारम्भ करना चाहते है।' उस समय हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ और मैं मौजूद थे। कप्तान डगलस ने बादशाह की बाते सुन कर कहा—'आप बैठक का दरवाज़ा खुलवा दें जिसमे मैं सवारों से आमने-सामने कुछ बात-चीत कर सकूँ।'

बादशाह ने उत्तर दिया—'परिस्थिति प्रतिकूल है, वे लोग

भड़के हुए हैं,कही आप पर हमला न कर दे इस लिए मैं दरवाज़ा न खोलने दूँगा।'

कप्तान ने ज़िद की, किन्तु बादशाह ने उनका हाथ पकड़ कर कहा—'मै तुम्हे जाने न दूँगा।'

हकीम एहसन उल्ला खाँ ने दूसरा हाथ पकड़ लिया और कहा—अगर आप को बात-चीत करना ही है तो बरामदे से कर लीजिए। तब कप्तान डगलस दीवाने-ख़ास और शाही कमरे के बीच वाले कठघरे में आए। वहाँ से उन्होंने उस स्थान को देखा, जहाँ तमाम सवार इकट्ठे हो रहे थे। मै भी कप्तान साहब के साथ कठघरे में आया था। मैंने वहाँ ३०-४० सवार नीचे खड़े देखे जिनमे कुछ के हाथो में खुली तलवारें थीं, कुछ पिस्तौल और कारतूस लिये हुए थे। कई सवार एक पुल की ओर से चले आ रहे थे। उनके साथ कुछ पैदल भी थे जो कि शायद साईस थे। उनके सरों पर गठरियाँ थी। कप्तान डगलस ने सवारों को ललकार कर कहा—उधर न जाना ये बादशाही बेगमो के कमरे हैं। तुम उनके पास खड़े हो कर बादशाह की बेइज्ज़ती कर रहे हो।

यह सुन कर एक-एक कर के वे सभी राजघाट के फाटक से चले गये। उनके जाने के बाद कप्तान डगलस फिर बादशाह के पास गये। बादशाह ने नगर और क़िले के दरवाज़े बन्द करने के लिए कहा जिसमें विद्रोही अन्दर न आ सके। कप्तान डगलस ने बादशाह को विश्वास दिलाया कि डर की कोई बात नहीं है।

उचित प्रबन्ध करना ही उनका कर्तव्य है। यह कह कर कप्तान साहब तो चले गए और बादशाह अपने कमरे मे आए। मै और हकीम एहसन उल्ला खॉ, दोनो यहॉ दीवान-ख़ास मे आकर बैठ गए। लगभग एक घण्टा के बाद कप्तान डगलस का नौकर एक चिट्ठी लेकर दौड़ता आया। कप्तान साहब ने हकीम एहसन उल्ला खाँ को बुलाया था। उनकी ज़िद से मै भी उनके साथ हो लिया। उस नौकर के द्वारा मालूम हुआ था कि कप्तान साहब कुलीदख़ाना मे है किन्तु वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि वह अपने कैम्प को चले गए है। इस समय मैने शहर के दरयागञ्ज मुहल्ले मे धुआँ उठते देखा और राहगीरों से सुना कि सवार बँगलो पर गोली चला रहे है। फिर हम लोग घूमते-घामते कप्तान साहब के कैम्प, किले के लाहौरी दरवाज़ा पर गए तो मालूम हुआ कि मिस्टर डगलस तीसरे कमरे मे है। बीच के कमरे मे मिस्टर सीमैन फ्रेज़र मिले। उनके कहने से मै तो उनके साथ वापस लौट आया और हकीम एहसन उल्ला खॉ कप्तान साहब से मिलने चले गए। मि० फ्रेज़र ने बादशाह से कप्तान साहब के कैम्प की रक्षा के लिए दो तोपे और कुछ पैदल मॉगे थे। मै और मि० फ्रेज़र सीढ़ियो से उतर आए। उनके साथ एक सज्जन और थे जिनका नाम मुझे मालूम नही है। मि० फ्रेज़र के हाथ मे एक तलवार थी और उनके साथी के एक हाथ मे पिस्तौल और दूसरे मे एक बन्दूक़ थी। मिस्टर फ्रेज़र ने मेरे जल्द पहुँचने की इच्छा प्रगट की। अतः यद्यपि वे स्वयं आ रहे थे और मै उनसे पहले पहुँच गया।

बादशाह के कमरे मे पहुँच कर मैंने उन्हे सूचना भिजवा दी। जब वे बाहर आए तो मैंने उन्हे मि० फ़्रेजर की प्रार्थना सुना दी। बादशाह ने फ़ौरन ही तमाम सेना को, जो उस समय मौजूद थी, मय तमाम अफ़्सरों के जो उपलब्ध हो सके दो तोपें लेकर कप्तान साहब के निवास-स्थान पर पहुँचने की आज्ञा दी। इसी समय हकीम एहसन उल्ला खाँ आगए और उन्होने कहा कि मि० डगलस ने दो पाल्कियाँ भी मँगाई है जिनमें बैठा कर दो लेडियो को, जो उनके यहाँ है, बादशाही रनवास में छिपाने के लिए भेज दी जावें। बादशाह ने हकीम साहब को इसके प्रबन्ध करने की आज्ञा दी और निकटवर्ती ग़ुलामो को दो पाल्कियाँ और उनके उठाने के लिए विश्वासपात्र कहारो को भेजने के लिए हुक्म दिया। उन्हे सचेत किया कि उन लेडियो को, सीधे न लाकर, महल के किनारे किनारे वाले बाग़ (पाईं बाग़) से लावे जिससे जो विद्रोही सिपाही किले मे घुस आये है, उनको यह मालूम न होने पावे।

बादशाह अन्दर खड़े हुए जल्दी प्रबन्ध करने की ताकीद कर रहे थे, हकीम साहब उनके पास खड़े थे। एक नौकर ने, जो पाल्कियाँ लेने गया था, थोड़ी देर बाद आकर कहा कि पाल्कियाँ भेज दी गईं। लगभग एक घण्टे बाद पाल्की वाले लौट कर आए। उन्होंने कहा—मि० फ़्रेज़र मार डाले गए।

यह घटना दस बजे के पूर्व की है। हकीम एहसन उल्ला खाँ ने एक दूसरा आदमी सच्चा विवरण लाने को भेजा और यह पता लगाने के लिए भी कि कप्तान डगलस कहाँ हैं। उन्होने भी लौटकर

सूचना दी, कि केवल मि० फ्रेजर ही नहीं, बल्कि कप्तान डगलस और दोनो लेडियॉ भी मार डाली गई है। बादशाह तो यह सुन कर अन्दर चले गये किन्तु मै और हकीम साहब दोनो भयभीत और दुखित होकर दीवान-ख़ास मे आए। इसके कुछ ही क्षण पश्चात् पैदल सिपाहियों के दोनों दल, जो क़िले की रक्षा के लिए नियत थे, मेरठ के सिपाहियो के साथ दीवान-खास मे आये और बन्दूक और पिस्तौलो से हवाई फायर करने लगे। प्रलयकाण्ड उपस्थित हो गया। बादशाह यह समाचार सुन कर अन्दर से निकल आये और दीवान-ख़ास के दरवाजे पर खडे होकर अपने नौकरो से कहा—लोगो को शोर करने से रोको और सिपाहियो को सामने आने के लिए कहो।

शोर बन्द हो गया और सवार अफ़सर घोड़ो पर चढ़े हुए ही बादशाह के सामने आए। उन्होने आकर कहा कि कारतूसों का प्रयोग बिल्कुल बन्द होना चाहिए, क्योंकि वह हिन्दू और मुसलमान, दोनो के धर्म के विरुद्ध है। इनमे गाय और सूअर की चरबी है। उन्होने हाल ही में मेरठ के तमाम अङ्गरेजों को मार डाला है और अब बादशाह की सहायता चाहते हैं। बादशाह ने उन लोगो से कहा कि हमने तुम्हे बुलाया नहीं है फिर भी तुम लोग यहॉ आ गए। यह कार्य बहुत बुरा है। इस पर लगभग २०० पैदल, जो वहाँ पर मौजूद थे, दीवान-ख़ास में घुस आए और कहा—जब तक हुजूर बादशाह की सहायता हम लोगों को नहीं मिलती तब तक हम लोग मुरदा से है।

बादशाह कुरसी पर बैठ गए और क्रमशः पैदल, सवार आ-आकर फर्शी सलाम करके बादशाह से अपने सिरो पर हाथ रखने की प्रार्थना करने लगे। बादशाह ने ऐसा ही किया। वह लोग भी, जो मन मे आया, कहते रहे। जब वहाँ बहुत भीड़ हो गई तो मै वहाँ से चला गया। उस समय बड़ा शोर हो रहा था। सब लोग मिल कर गगन व्यापी ध्वनियाँ कर रहे थे। तत्पश्चात् बादशाह अपने ख़ास कमरे मे चले गए और विद्रोही सैनिको ने दीवान-आम मे अपने बिस्तर लगाए। किले के चारो तरफ़ पहरा लगा दिया गया और मै जाकर हकीम साहब के कमरे मे लेट रहा। शाम को ४ बजे के बाद बहुत शोर सुनाई दिया। कमरे के बाहर निकल कर देखा तो मेगज़ीन की ओर से बहुत सी धूल उड़ती दिखाई दी। इसी समय पता लगा कि विद्रोही सेना ने मेगज़ीन पर धावा बोल दिया है। लेकिन बाद को कहा गया कि अङ्गरेज़ी सेना ने मेगज़ीन को उड़ा दिया है। क़रीब ५ बजे मालूम हुआ कि विद्रोहियों ने ७-८ अङ्गरेज़ स्त्री-पुरुष और बच्चे पकड़े हैं और उन्हे मार डालने के लिए बादशाह से आज्ञा माँग रहे है। किन्तु बादशाह ने कहा कि इन क़ैदियों को मुझे दे दो मैं इन्हे सुरक्षित रक्खूँगा। विद्रोहियों ने बादशाह की यह बात मान ली किन्तु यह कहा कि गारद के सिपाही विद्रोही सैनिको मे से रहेंगे। बादशाह ने उन्हे कमरे में बन्द करा दिया और आज्ञा दी कि इनके लिए अच्छा भोजन हो और उसका खर्च बादशाह के ख़र्च से किया जावे। सूर्यास्त के समय जब मैं घर जा रहा था

तो दीवान-आम मे देहली रेजिमेण्ट के बहुत से सिपाही देखे। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा अपने मकान (शहर) को चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मै किले मे आया तो मुझे ज्ञात हुआ कि तोपों की आवाज़, जो कि मैंने १०–११ बजे रात को सुनी थी, वह हिन्दुस्तानी तोपख़ाने वालों ने दिल्ली के बादशाह की सलामी मे दाग़ी थी। किन्तु मै यह नहीं कह सकता कि इसका कारण यह था, कि बादशाह ने देश की बाग़ दुबारा अपने हाथ मे ली थी अथवा और कोई बात थी। तब मैं दीवान-ख़ास मे आया और हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ से मिल कर पूछा कि बादशाह ने विद्रोह दबाने की कोई चेष्टा की है अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि बादशाह ने एक ऊँट-सवार दूत के द्वारा आगरा के लेफ्टिनेण्ट के पास तमाम समाचार भेज दिया है। पन्द्रह दिन बाद मैंने हकीम साहब से पूछा कि उस पत्र का कोई उत्तर मिला ? तो उन्होंने बताया कि सवार तो लौट आया है किन्तु न तो वह जवाब ही लाया है और न रसीद ही। कहता है कि पत्र मैंने पहुँचा दिया है और जवाब पन्द्रह दिन बाद आवेगा। पहले दिन की घटना के बाद मैंने किले जाना छोड़ दिया। चौथे या पाँचवें दिन कभी चला जाता था और बादशाह को सलाम करके लौट आता था। बाद की घटनाओं के सम्बन्ध मे मै कुछ नहीं जानता।

प्रश्न—तुमने यह भी सुना कि मि० फ्रेज़र का किसने वध किया। बादशाह के नौकरों ने या और किसी ने ?

उत्तर—उस समय तो यह कहा गया था कि सिपाहियो ने विद्रोह किया और मि० फ्रेज़र उस विद्रोह मे ही मारे गये। किन्तु बाद को सुना कि उन्हे एक लोहार ने मारा, जो कि कप्तान डगलस के मकान के नीचे की दूकान मे रहता था। लेकिन मै नही बता सकता कि उस लोहार का क्या नाम है और अब वह कहां है?

प्रश्न—देशी अफ़सरो के सर पर हाथ रखने के क्या अर्थ हैं? क्या इसके अर्थ यह नहीं हो सकते कि बादशाह ने उनकी सेवाये स्वीकार कर लीं?

उत्तर—लगभग ऐसा ही था। लेकिन मै नहीं कह सकता कि उस समय बादशाह के क्या विचार थे।

प्रश्न—बादशाह का राज्याभिषेक अथवा राज्य-प्रबन्ध अपने हाथ मे लेना कब सर्वसाधारण मे घोषित किया गया?

उत्तर—मुझे मालूम नहीं कि नियमित रूप से इस प्रकार की कोई घोषणा की गई अथवा नही। सम्भव है कि ऐसा हुआ हो और मैंने न सुना हो, किन्तु बादशाह की शक्ति ग़दर के पहले ही दिन से स्थापित हो गई थी।

प्रश्न—क्या इसी कारण से तोपो की सलामी दी गई थी?

उत्तर—मै यह नहीं जानता। मैंने तोपों की आवाज़ सुनी जो सलामी के रूप मे दागी गई थी कि वह लोग बादशाह के आज्ञा-पालक हो गये हैं।

प्रश्न—तुम्हे याद है कि कितनी तोपे सलामी मे दागी गई थीं?

उत्तर—साधारण रीति से २१ तोपे राज्य सलामी मे दागी जाती हैं। मेरा अनुमान है कि कदाचित् इतनी ही दागी गई होंगी।

प्रश्न—बादशाह ने सब से पहिला आम दरबार किस दिन किया था ?

उत्तर—उन्होंने ग़दर के पहिले ही दिन से दरबार करना आरम्भ किया था और फौजी सवारो के आने के दिन को ही दरबार का पहिला दिन कह सकते हैं।

प्रश्न—विद्रोह के पूर्व तुम बादशाह और उनके परिवार से मिलते-जुलते थे ?

उत्तर—मै रोज़ ही किले जाता था। लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के एजण्ट से जो पत्रव्यवहार होता, वह मेरे ही द्वारा होता था। मै बादशाह का नौकर था और मेरी वह नौकरी सर थ्यूफिल्स मेटकॉफ के प्रभाव तथा उन्ही के द्वारा हुई थी।

प्रश्न—क्या तुम्हे यह जानने का अवसर मिलता था कि किले में गदर के पहिले क्या हुआ करता था और किस प्रकार की बाते हुआ करती थीं ?

उत्तर—मुझे किले की तमाम बातें जानने की पूरी सुविधा थी किन्तु मैंने कोई बात नहीं सुनी।

प्रश्न—क्या तुम्हारे ऊपर बादशाह और उनके सलाहकारों का इतना विश्वास था कि वह इन रहस्य की बातों को, तथा उन बातो को, जो बाते वह अङ्गरेजी सरकार से छिपाना चाहते थे, तुम पर प्रगट करें ?

उत्तर—मेरी गणना ऐसे लोगो मे नही थी जिनसे इस प्रकार की बातो पर सलाह ली जाती अथवा सूचना दी जाती। हाँ, हकीम एहसन उल्ला खाॅ तथा महबूब अली खाॅ अधिक विश्वासपात्र समझे जाते थे।

४ बजने पर अदालत दूसरे दिन ११ बजे के लिए स्थगित हो गई।

चौथे दिन की कार्यवाही

शनिवार, ३० जनवरी, सन् १८५८ ई०

आज ११ बजे अदालत बैठी। अध्यक्ष, सदस्य, सरकारी वकील, अनुवादक सब मौजूद थे। अभियुक्त अदालत मे लाए गए। गवाह ग़ुलाम अब्बास लाए गये और पिछले बयान के सिलसिले से गवाही आरम्भ हुई। सरकारी वकील ने बयान लिया।

प्रश्न—क्या तुम्हें ग़दर से पहिले अभियुक्त के पत्र देखने का अवसर मिला है ?

उत्तर—जी हाँ, मैंने अनेको बार देखे हैं और अब भी इनके हाथ के अक्षर पहिचान सकता हूँ।

प्रश्न—जो काग़ज़ात अदालत मे पेश है और अभियुक्त के हाथ के लिखे है अथवा उन पर शाही मुहर लगी हुई है, क्या तुम्हे उनके असली होने मे सन्देह है ?

उत्तर—कदाचित दो कागज़ों पर सन्देह है और प्रायः सभी बादशाह के स्वहस्त लिखित है।

प्रश्न—जब अङ्गरेज़ स्त्री और बच्चे मारे गए क्या उस समय तुम किले मे मौजूद थे ?

उत्तर—नहीं, उस समय मै किले में नहीं था किन्तु बाद को सुना कुछ लोग मारे गये है।

प्रश्न—तुम्हे मालूम है कि उन्हे किसने वध किया ? विद्रोहियो ने या बादशाह के ख़ास नौकरो ने ?

उत्तर—मै निश्चित रूप से कुछ नही कह सकता। दो-तीन दिन बाद जब मै किले मे आया तो मै ने हकीम एहसन उल्ला खॉ से पूछा कि तुम ने लोगो को हत्या करने से क्यो नही रोका तो उन्होने बताया कि मैने अपनी शक्ति भर विद्रोहियो को रोका, किन्तु उन्हो ने मेरी बात नहीं मानी।

प्रश्न—क्या हकीम एहसन उल्ला खाँ ने तुम्हे बताया था कि वह घटनास्थल पर मौजूद थे ?

उत्तर—नहीं, उन्हो ने स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट किया कि वह उस समय मौजूद थे या नहीं।

प्रश्न—उस दिन कितने अङ्गरेज मारे गए थे ?

उत्तर—पहिले मुझे संख्या नहीं मालूम थी अथवा सम्भव है कि मालूम हो और मै भूल गया होऊँ। अभी १०-१२ दिन हुए तब मालूम हुआ कि कुल स्त्री-बच्चे मिला कर लगभग ५० थे।

प्रश्न—क्या अभियुक्त की जानकारी में यह हत्याएँ हुई थी ?

उत्तर—मै इस सम्बन्ध मे अधिक नहीं जानता। हकीम एहसन उल्ला से मालूम हुआ कि बादशाह ने रोका था किन्तु लोग माने नहीं।

प्रश्न—तुम्हें मालूम है कि ग़दर के दिनों में नौकर रोजनामचा लिखता था, तुम कह सकते हो वह कौन शख़्स था ?

उत्तर—मुझे गदर के दिनो में रोजनामचा लिखे जाने का पता नहीं। उसके पहिले जरूर रोजनामचा लिखा जाता था।

प्रश्न—क्या मिरज़ा मुग़ल विद्रोही सेना के अध्यक्ष बनाए गए थे? अगर बनाए गए थे तो कब और किस ने बनाया था?

उत्तर—हाँ, मिरज़ा मुग़ल निस्सन्देह सेनापति बनाए गए थे और आम तौर से यह ख़बर है कि बादशाह ने सेनाओ के कहने से उनकी नियुक्ति की थी।

प्रश्न—ग़दर के पहले हिन्दुस्तानी सेना की नाराज़गी की बात तुमने कुछ सुनी थी?

उत्तर—हाँ मैंने सुना था कि चरबी के कारतूसो के कारण कलकत्ते की दो रेजिमेण्टो ने विद्रोह किया था जो कि बाद मे दबा दिया गया।

प्रश्न—ग़दर के पहले तुम ने सुना कि देहली की रेजिमेण्टो को किसी प्रकार बहकाया गया था?

उत्तर—नहीं।

अदालत के प्रश्न

प्रश्न—अङ्गरेज़ों की हत्या के बाद उनकी लाश, ख़ून या ऐसे कोई चिन्ह देखे, जिनसे मालूम हो कि वह मारे गए हैं?

उत्तर—मैंने कुछ नहीं देखा।

प्रश्न—क्या तुम्हे वह स्थान मालूम है जहाँ ये औरते-बच्चे आदि मारे गए थे?

उत्तर—मैंने सुना है कि लाहौरी दरवाज़े से हो कर किले मे जाने से जो सहन (आँगन) पड़ता है वही यह मारे गए थे। किन्तु मै कोई निश्चित स्थान नही जानता।

प्रश्न—तुम्हे मालूम है कि लाशे क्या की गई ?

उत्तर—मुझे नही मालूम। इतना सुना था कि गाड़ियो मे डाल कर ले गए थे।

जज एडवोकेट फिर बयान लेता है।

प्रश्न—तुम्हे मालूम है कि वध के पहले यह अङ्गरेज़ औरते और बच्चे कैद किये गये थे ? यदि ये क़ैद थे, तो कहाँ ?

प्रश्न—मैंने सुना है वह सब पहिले ही से कैद थे। वह सब बादशाह के रसोई खाना या उसी से सम्बन्धित कमरे मे क़ैद थे।

प्रश्न—उन्हे कितने रोज क़ैद रक्खा गया था ?

उत्तर—आठ या दस रोज।

प्रश्न—विद्रोह के दिनो मे अभियुक्त की शाही मुहर किस के पास रहती थी ?

उत्तर—वह अभियुक्त के ख़ास कमरे मे रहती थी।

प्रश्न—मुहर का प्रयोग क्या बादशाह ही स्वयम करते थे ?

उत्तर—बादशाह की आज्ञा के बिना कभी मुहर नही लगाई जाती थी।

अभियुक्त ने जिरह करने से इनकार किया और गवाह फिर अभियुक्त के सहायक के स्थान पर बैठ गया। नम्बर ५७ से लेकर ७८ तक के फारसी काग़ज़ात, जो राजा बल्लभगढ़ के मुकदमे में

ठीक मान लिए गए थे, बिना किसी गवाही के वह ठीक मान लिए गए, उनका अनुवाद पढ़ा गया। हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ फिर बुलाए गए और पिछले बयान को दर्ज कराया गया। काग़ज़ात नम्बर ४, ५, ६, ७, ८ व ९ गवाह को दिखाए गए, जिन में क़र्ज़ के सम्बन्ध की बातें थीं जिन्हें उसने बताया, कि इस पर बादशाह की ख़ास मुहर है और नम्बर ६ के कागज़ को छोड़ कर, बाकी सेक्रेट्री मुकुन्द लाल के लिखे हैं। काग़ज़ात नम्बरी १, २, ३, १०, ११, १२, १४, १५, १६, गवाह को दिखाए गए। गवाह ने कहा कि वह नम्बर २, ३ और १२ को बिल्कुल नहीं जानता। बाकी मे से नम्बर १ मुकुन्द लाल के हाथ का लिखा है और शाही मुहर लगी है। नम्बर ११ किस के हाथ का लिखा है यह नहीं जानता लेकिन शाही मुहर है। नम्बर १०, ११, १५, १६ पर आज्ञाएँ स्वयम् बादशाह के हाथ की लिखी है, लेकिन काग़ज़ किसके लिखे हैं, यह नहीं पहिचान सकता।

इन कर्ज़ सम्बन्धी १६ काग़ज़ों का अनुवाद पढ़ कर सुनाया गया। बाद को अदालत १ फरवरी, सन् १८५८ ई० के ११ बजे तक के लिए बर्ख़ास्त कर दी गई।

पाँचवें दिन की कार्यवाही

सोमवार, ता० १ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

किले के दीवान-खास मे अदालत बैठी। सदस्य, अध्यक्ष, दुभाषिया, सरकारी वकील आदि सभी मौजूद थे। अभियुक्त को बुलाया गया। अनुवादक ने कर्ज़ सम्बन्धी सब कागज़ों को फारसी मे पढ़ा, जिनका अनुवाद ३० जनवरी को सुनाया जा चुका था। हकीम एहसन उल्ला खाँ फिर बुलाये गये और तनख्वाह सम्बन्धी ८ कागज़ क्रमशः उन्हें दिखाये गये।

जज एडवोकेट का बयान लेना

सरकारी वकील ने प्रश्न किया—तुम्हें इन कागज़ों की लिखावट और मुहर के सम्बन्ध मे क्या मालूम है?

उत्तर—छः कागज़ अर्थात् नम्बर १, ४, ५, ६, ७, व ८ अभियुक्त के हाथ के लिखे है। नम्बर २ सेक्रेट्री मुकुन्द लाल के हाथ का है और उस पर शाही मुहर लगी है। नम्बर ३ का कागज़ मिरज़ा मुग़ल के लड़के की अर्ज़ी है जो कि उनके मुन्शी ज्वालानाथ के हाथ की लिखी है और उस पर सरकारी 'कमाण्डर-इन-चीफ' की मुहर लगी है।

इसके बाद इन काग़ज़ात का अनुवाद और असली फारसी में भी अभियुक्त के समझने के लिए पढ़े गए। सेना सम्बन्धी ५१ काग़ज़ात क्रमशः गवाह को दिखाये गए।

प्रश्न—इन काग़ज़ों की मुहर अथवा लिखावट के सम्बन्ध में कुछ जानते हो ?

उत्तर—काग़ज़ नम्बर १, २, ३, ५, ६, १५, १६, १८, २०, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३१, ३३, ३७, ३८, ४१, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९ और ५० के और सभी आज्ञाएँ बादशाह के हाथ की लिखी हैं। नम्बर २१ पर कुछ चिन्ह है किन्तु वह अभियुक्त के हाथ का लिखा नहीं है। नम्बर १७ भी बादशाह का लिखा है। नम्बर ८,९,१०,१२,१४ पर अभियुक्त की खास मुहर है। नम्बर ४,११,३०, ४२ और ५१ अभियुक्त के सेक्रेट्री मुकुन्द लाल के लिखे हैं और शाही मुहर लगी है। नम्बर ७,३२,३६, ३९ व ४० के सम्बन्ध मे कुछ मालूम नही है। नम्बर ३४ पर ख़ास गवर्नर-जनरल के नाम की मुहर है। नम्बर १३ मे अभियुक्त के दफ़्तर की मुहर है और बदरपुर के पुलिस-अफ़सर का लिखा हुआ है कि आज्ञा का पालन किया गया।

फिर काग़ज़ात पढ़े गए। ४ बजने पर अदालत दूसरे दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

छठे दिन की कार्यवाही

मङ्गलवार, २ फ़रवरी, सन १८५८ ई०

अदालत किले के दीवान-ख़ास मे फिर बैठी। अध्यक्ष, सदस्य, दुभाषिया, सरकारी वकील सभी मौजूद थे। अभियुक्त अदालत मे लाये गए। उनके सलाहकार ग़ुलाम अब्बास भी आए। दुभाषिया ने फारसी मे लिखे गए असली काग़ज़ात पढ़कर सुनाए, जिनका कल अनुवाद पढ़ा गया था। हकीम एहसन उल्ला खॉ अदालत मे बुलाए गए और उनका बयान लिया जाने लगा।

डिप्टी जज एडवोकेट ने बयान लिया—

प्रश्न—इन छः काग़ज़ो को देखकर बता सकते हो कि यह किसके लिखे हैं ?

गवाह को हत्या सम्बन्धी छः कागज़ क्रमशः दिखाये गए।

उत्तर—नम्बर १ व ६ पर अभियुक्त के लिखे हुए आज्ञापत्र हैं। नम्बर २,३,४ बख्त खाँ गवर्नर-जनरल के मुहर्रिर ख़ैरात अली के हाथ के लिखे हैं। इसकी आदत यह थी, कि काग़ज़ात पहिले से ही लिख कर और शाही मुहर लगा कर तैयार कर रखता था। बाद को बादशाह की मञ्जूरी लेता और काग़ज़ात को रवाना करता था।

प्रश्न—काग़ज़ नम्बर ५ की बाबत कुछ जानते हो ?

उत्तर—जी नहीं, वह किसके हाथ का लिखा है, मैं नहीं पहिचान सकता।

प्रश्न—क्या यह सम्भव है कि यह दफ़्र मे रखने के लिए नक़ल हो और किसी नये मुहर्रिर के हाथ का लिखा हो, जिसकी लिपि तुम न पहिचानते हो ?

उत्तर—जी हाँ, मुझे मुहम्मद बख़्त ख़ाँ के दफ़्र के किसी मुहर्रिर की लिपि मालूम होती है। छहो काग़ज़ पुनः क्रमपूर्ण रक्खे गए, अनुवादक ने फारसी में और सरकारी वकील ने अनुवाद सुनाया। काग़ज़ जिस पर 'अ' का चिन्ह था, असली लिफाफा सहित जिस पर दिल्ली के डाकख़ाने की मुहर है, लाया गया। इससे सिद्ध होता है कि वह २५ मार्च, सन १८५७ ई० को दिल्ली के डाकख़ाने में डाला गया था और २७ मार्च, सन् १८५७ की मुहर प्रकट करती है, कि यह उस दिन आगरे पहुँचा।

सरकारी वकील ने कहा कि यह ज़रूरी काग़ज़ आगरा प्रान्त के भूतपूर्व गवर्नर मि० कॉल्विन के काग़ज़ात मे पाया गया। फिर इसका अनुवाद पढ़ा गया।

जज एडवोकेट ने गवाह के बयान लिए—

प्रश्न—क्या तुम देहली के मुहम्मद हसन अस्करी सज्जादा नशीन को जानते हो ?

उत्तर—जी हाँ, मै जानता हूँ। वह देहली दरवाज़े के समीप रहते थे और प्रायः बादशाह के पास आते जाते थे।

प्रश्न—कितने दिन हुए जब तुम ने उन्हे देखा था ?

उत्तर—अङ्गरेज़ी सरकार के दूसरी बार देहली पर अधिकार पाने के करीब २० दिन पहले देखा था।

प्रश्न—तुम जानते हो कि वह कहाँ गये और उनका क्या परिणाम हुआ ?

उत्तर—नहीं, मै यह नही जानता।

प्रश्न—वह सब से पहले बादशाह से कब मिले थे और किस ज़माने मे बादशाह के पास आते जाते थे ?

उत्तर—प्रायः चार साल पूर्व बादशाह की एक लड़की हसन अस्करी की चेली हो गई थी। उसने बादशाह से अस्करी की बड़ी तारीफ की थी। बादशाह ने बीमारी के दिनो मे उन्हे गण्डा-तावीज़ के लिए बुलाया। इधर दो साल से उनका आना जाना बहुत बढ़ गया था। वह देहली दरवाज़े मे उनके मकान के क़रीब रहती थी। यह भी कहा जाता है कि वह उनकी बीबी बन गई।

प्रश्न—हसन अस्करी क्या सचमुच भविष्य की बात बता देता था ? या उसका यह ढोग था ?

उत्तर—वह स्वप्न-विचार करने मे और भविष्य बताने मे निपुण और सिद्ध माने जाते थे।

प्रश्न—जब अङ्गरेजों और ईरान के बादशाह मे युद्धारम्भ हुआ तो उसने क्या कहा था ?

उत्तर—जब युद्ध आरम्भ हुआ तभी नहीं, बल्कि दो साल पूर्व ही उन्होने बादशाह से ४००) लिए थे कि वह मक्का जाने वाले एक व्यक्ति को दिये जाएँगे। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि

शेदी क़ब्ज़ नाम का एक हब्शी (जो कि शायद हब्श से ही आया होगा) हज के बहाने ईरान के बादशाह के पास भेजा गया है।

प्रश्न—जब वह शख्स शाह-ईरान के पास जा रहा था, तो यह क्यो कहा गया कि वह मक्का जा रहा है ?

उत्तर—मै इस धोखेबाज़ी के सम्बन्ध मे कुछ नहीं कह सकता। मुझे जट्टो (जाटमल) जासूस ने ख़बर दी थी कि शेदी कब्ज़ हज करने नहीं, बल्कि ईरान जा रहा है। दूसरे जासूसो से भी यही मालूम हुआ।

प्रश्न—तुमने कभी सुना कि वह शाह-ईरान के पास किस काम के लिए भेजा गया था ?

उत्तर—नहीं। लेकिन कुली ख़ाँ और बसन्त—जो कि बदशाह के विश्वस्त नौकर थे—से मालूम हुआ कि हसन अस्करी ने शेदी कब्ज़ को शाही मुहर लगे हुए कुछ काग़ज़ रात को दिए। फिर उसको ईरान भेज दिया गया।

प्रश्न—क्या क़िले मे ईरान के युद्ध की प्रायः चर्चा होती थी और बादशाह उसमे दिलचस्पी लेते थे ?

उत्तर—महल में विशेष कर इस विषय पर बहस नहीं होती थी। किले मे कुछ ऐसे हिन्दुस्तानी अख़बार ज़रूर आते थे, जिनमे इसकी चर्चा होती थी। लेकिन बादशाह को मैने दिलचस्पी लेते कभी नहीं देखा।

प्रश्न—क्या देहली के मुसलमानो को इस युद्ध से संतोष था ? इसे धार्मिक युद्ध समझते थे ?

उत्तर—कोई नोटिस वगैरः चपकाया गया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता।

प्रश्न—क्या कभी देहली के हिन्दुस्तानी अख़बारो मे ग़दर से पहिले अङ्गरेजों के विरुद्ध, जिहाद करने की जरूरत बताई थी।

उत्तर—नहीं, कभी ऐसा नही हुआ। यदि ऐसा करते तो हाकिम लोग स्वयं अनुभव कर सकते थे।

अभियुक्त ने जिरह करने से इनकार किया। काग़ज़ नम्बर 'अ' असली फारसी मे पढ़ कर सुनाया गया। अदालत दूसरे दिन ११ बजे तक के लिए बर्ख़ास्त कर दी गई।

सातवें दिन की कार्यवाही

बुद्धवार, ता० ३ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

अध्यक्ष, सदस्य, अनुवादक, डिप्टी जज, एडवोकेट सब मौजूद थे। अभियुक्त और उनके सहायक गुलाम अब्बास बुलाये गए। हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ गवाही देने आये। जज एडवोकेट ने प्रश्न किया—तुमने मुहम्मद दरवेश की अर्ज़ी सुन ली। क्या तुम जानते हो कि बादशाह ने हसन अस्करी को 'वज़ीफा' पढ़ने या 'अमल' करने के लिए कोई तैल कपड़े, ताँबे के सिक्के या खाने के 'ख़्वान' भेजे थे?

उत्तर—हाँ, प्राय: तमाम चीज़े भेजी जाती थीं; किन्तु मैं नहीं जानता था कि किसी विशेष प्रयोजन से, जैसा कि अर्ज़ी मे लिखा है, भेजी जाती थीं।

प्रश्न—तुमने कहा कि जाटमल दरबार का जासूस था, क्या जासूसी के बदले बादशाह उसे कुछ देते थे?

उत्तर—नहीं, वह बादशाह का नौकर नहीं था, बल्कि अङ्गरेज़ी सरकार का अख़बार-नवीस था।

प्रश्न—फिर उसे इस भेद की कैसे ख़बर हुई? यह कैसे सम्भव है कि अङ्गरेज़ी नौकर को ऐसे रहस्य की बात मालूम हो?

उत्तर—जाटमल महल के आस-पास ख़बरे जमा करने

जाया करता था। उसने इस मामले को सुन कर मुझसे कहा, मै इस भेद को जानता हूँ, उस समय तक मुझे कुछ मालूम नहीं था किन्तु बाद को दूसरे लोगो से भी यही बात सुनी तो विश्वास हो गया। गवाह के जाने पर आगरा के लेफटेनेण्ट गवर्नर के अख़बार-नवीस जाटमल को बुलाया गया और जज एडवोकेट ने उसका बयान लिया।

प्रश्न—क्या हसन अस्करी नाम के किसी व्यक्ति को तुम जानते हो ?

उत्तर—जानता हूँ।

प्रश्न—क्या वह प्रायः अभियुक्त के पास आया जाया करता था ?

उत्तर—जी हाँ।

प्रश्न—बादशाह और उसके बीच किस प्रकार का सम्बन्ध था, तुम्हे मालूम है ?

उत्तर—वह बादशाह के पास आते और कुछ मन्त्र पढ़ा करते। वह अपने को भविष्य-वक्ता बताया करते और स्वप्नो के विचार बताते, (अभियुक्त ने स्वय बताया, कि निस्सन्देह हसन अस्करी मे यह सभी विशेषताये है) हसन अस्करी का कहना था कि प्रायः उन्हे अदृश्य की ओर से (ईश्वरीय) आज्ञायें आती हैं। जब बादशाह उन्हे बुलाते तो वह तुरन्त उनके पास जाते। प्रायः बिना बुलाए भी जाते। विशेष कर रात्रि के समय जब बादशाह से सलाह लेनी होती।

प्रश्न—तुमने कभी सुना कि बादशाह के किसी स्वप्न का उसने विचार किया है ?

उत्तर—जी हाँ, जब ईरानी सेना हिरात मे आई उस समय अस्करी ने अपने स्वयं का देखा स्वप्न बादशाह को सुनाया कि पश्चिम से एक बवण्डर उठा जिसके पीछे एक बड़ी बाढ़ आई और बवण्डर का पीछा करते हुए मुल्क के बाहर निकल गई। इस बाढ़ से बादशाह को बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, वल्कि वह आराम से तख्त पर बैठे रहे। हसन अस्करी ने इस स्वप्न का विचार-फल इस प्रकार बताया कि ईरान का बादशाह पूर्व की अङ्ग्रेजी शक्ति को नष्ट करके बादशाह को पुनः सिंहासन पर बिठा देगा और काफिर (विदेशी-अङ्ग्रेज) मार डाले जायँगे।

प्रश्न—क्या तुम्हे मालूम है कि हसन अस्करी के द्वारा शाह-ईरान के पास समाचार या पत्र आदि भेजे गये ?

उत्तर—जी हाँ, मुझे मालूम है कि पत्र भेजे जाते थे। डेढ़ दो साल हुए एक गिरोह मक्का जा रहा था, शीरी कब्ज़ नाम के एक हब्शी ने, जो कि महल के हब्शियो का सरदार था, गिरोह के साथ जाने की आज्ञा माँगी। उसे आज्ञा मिल गई और उस समय के रिवाज के मुताबिक एक साल की तनख्वाह पेशगी दे दी गई। कहा जाता है कि उस के द्वारा एक दरख्वास्त खुदावन्द-ताला के लिए लिखी गई और उस से कहा गया कि वह उसे काबा मे चपका दे। १०-१२ दिन बाद मुझे ख़बर मिली कि शीरीं के मक्का जाने की बात झूठ है वस्तुतः वह बादशाह का ख़त लेकर

ईरान के शाह के पास गया है। मैंने यह बात बादशाह के दूत ख्वाजा बख्श तथा एक और विश्वस्त नौकर, जिसका नाम याद नहीं है, के द्वारा सुनी थी। मैंने उसी समय कप्तान डगलस को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि यह बात साधारण नहीं है और उसकी विशेष खोज करने की ताकीद की। क्योंकि बादशाह को शाह-ईरान से इस प्रकार के पत्र-व्यवहार करने की रोक थी। मैंने हकीम एहसनउल्ला ख़ाँ से इस सम्बन्ध में पूछा क्योंकि महत्वपूर्ण और गुप्त लिखा-पढ़ी की उन्हे ख़बर रहती थी। हकीम जी ने इनकार किया कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मैंने कप्तान डगलस को सूचना दे दी और अपनी जाँच पूर्ववत् जारी रक्खी। करीब २० दिन बाद उस ख़बर की असलियत मालूम हुई। किससे मुझे सूचना मिली थी, यह मैं भूल गया हूँ। किन्तु मुझे मालूम यह हुआ कि हैदर हुसेन कमाण्डर तोपख़ाना, अभियुक्त और हसन अस्करी ने मिल कर कुछ पत्र शाह-ईरान के पास शीरीं कब्ज़ के द्वारा भेजे हैं। मैंने यह सूचना कप्तान डगलस को दे दी और यह भी कह दिया कि लोगों को इसकी ख़बर मिल गई है कि मुझे यह समाचार खुल गया है। अतः आगे से मैं कोई भेद का पता नहीं लगा सकता, लोग चौकन्ने हो गये है। साथ ही मैंने कप्तान साहब से यह भी कहा कि लाहौर के पास शीरीं को गिरफ़ार करने का प्रबन्ध किया जावे। उन्होंने कहा कि वह किस रास्ते से गया है इसका कोई ठीक नहीं, अतः मामला बढ़ाना व्यर्थ है।

प्रश्न—क्या ईरान के युद्ध के सम्बन्ध मे किले वालों और बादशाह मे प्रायः चर्चा होती थी ?

उत्तर—जी हाँ, महल, क़िले और नगर मे रोज़ यही बातें छिड़ा करती थीं।

प्रश्न—क्या तुम यह जानते हो कि उस लड़ाई को धर्म का रूप दिया जाता था ?

उत्तर—जी हाँ, देश के प्रत्येक भाग मे उसे धर्म-युद्ध ही कहा जाता था और लोगों का विचार था, कि शाह-ईरान ही विजयी होंगे। किन्तु जो लोग वस्तुस्थिति से जानकार थे वह इस पर विश्वास न करते थे कि अङ्गरेज़ हार जाँयगे।

प्रश्न—क्या तुम्हे पता है कि भारत की देशी सेना और उसके अफ़सरों को अभियुक्त अथवा उसके किसी विश्वसनीय ने भड़काया हो या भड़काने का प्रयत्न किया हो ?

उत्तर—भड़काने के विषय मे जिसका कि अभियुक्त अथवा उसके एजण्टों का प्रत्यत्त सम्बन्ध हो, मैंने कोई बात नहीं सुनी। हाँ, लगभग ३॥ वर्ष पहिले १०-१२ मुसलमान सैनिकों ने और दूसरी बार ६-७ सैनिकों ने बादशाह का साथ देने की प्रार्थना की थी और जिसे अभियुक्त ने स्वीकार भी कर लिया था। इस मामले को सर जॉन थ्यूफिल्स मेटकॉफ ने सुना और उसकी जाँच कर के डाँट-डपट कर ठीक कर दिया था।

प्रश्न—जब कम्पनी ने अवध ले लिया तब भी क्या क़िले वालों में कुछ बहस हुई थी और यदि हुई थी तो किस दृष्टिकोण से ?

उत्तर—नहीं, अवध की ज़ब्ती पर केवल दो बार अभियुक्त को बाते करते सुना। जिसमे एक बार, जब कि फौजे कानपुर जा रही थीं, तो अभियुक्त ने मि० फ्रेज़र और कप्तान डगलस से पूछा था कि क्या कम्पनी ने अवध ले लिया ? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे मालूम नहीं।

प्रश्न—क्या हसन अस्करी ने बादशाह की आयु तथा अङ्गरेज़ो पर विजय की भविष्यवाणी की थी ?

उत्तर—जी हाँ, उसने कहा था कि मैंने अपनी आयु के २० वर्ष बादशाह की आयु मे बढ़ा दिये है किन्तु अङ्गरेज़ों पर विजय पाने के सम्बन्ध की चर्चा मैंने नहा सुनी। केवल उसके स्वप्न की बात सुनी थी, जो कि बता चुका हूँ।

प्रश्न—क्या तुम ने महल मे कभी यह सुना था, कि पलासी की लड़ाई के १०० वर्ष बाद अङ्गरेज़ों की हुकूमत मिट जायगी ?

उत्तर—कभी नहीं।

प्रश्न—क्या तुम्हे मालूम था कि ग़दर के पूर्व कम्पनी की सेनाएँ कम्पनी से क्यों नाख़ुश थीं ?

उत्तर—मुझे किले में आते-जाते समय इसका थोड़ा सा भान हुआ था। लेकिन ग़दर के २०–२५ दिन पहले सैनिको मे अम्बाला के मकान जला डालने की चर्चा होती थी और चरबी वाले कारतूसों की बातें करते और उन्हे प्रयोग न करने का प्रण करते थे।

प्रश्न—क्या सिपाहियो के नाखुश होने के विषय में क़िले में भी चर्चा होती थी।

उत्तर—जी हाँ, सैनिकों की नाराज़गी, चरबी के कारतूसों के प्रयोग न करने तथा अम्बाला के मकान जलाने की चरचा साधारण रीति से किले मे होती थी। किन्तु बादशाह के मुँह से या उनके सामने मैंने नहीं सुना। ग़दर के कुछ दिन पहले किले के फाटक वाले सिपाहियों से यह सुना था कि अगर मेरठ के सिपाहियों को चरबी के कारतूस प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया तो यह निश्चय किया गया है, कि वे देहली की सेनाओं में आकर मिल जावेगी और इस षड्यन्त्र का कार्य एक हिन्दुस्तानी अफ़सर के द्वारा होगा जो कोर्ट मारशल ड्यूटी पर मेरठ जायगा।

प्रश्न—क्या तुम ने यह बात किसी से प्रगट की थी या किसी से रिपोर्ट की ?

उत्तर—नहीं, यह फौजी मामला था। मेरी रिपोर्टों का काम बादशाह के व्यक्तिगत कार्यो तक परिमित था, इसलिए भी मुझे कोई रिपोर्ट नही करनी थी।

प्रश्न—जब मेरठ की विद्रोही सेनाएँ यहाँ आई तो तुम यहीं मौजूद थे ?

उत्तर—उस समय मै अपने शहर के मकान मे था। मैंने सुना कि मेरठ के कुछ सिपाहियों ने सलीमगढ़ के पुल पर महसूल वसूल करने वालो को मार डाला है और चुङ्गी का दफ़्तर जला डाला है। मैंने इन समाचारों पर विश्वास नहीं किया और अपनी

ख़बरो की रिपोर्ट लिखता रहा। इसके बाद मै किले मे आया। वहॉ मालूम हुआ कि कप्तान डगलस, मि० फ्रेज़र, मि० हचिन्सन मैजिस्ट्रेट और मि० निक्सन हेडक्लर्क कमिश्नर ऑफिस कलकत्ता दरवाज़े पर बाग़ियो को रोकने के लिए गये है, मै भी उन के पीछे वहॉ गया। वहॉ जाकर देखा कि कलकत्ता दरवाज़ा (किश्ती के पुल के पास एक दरवाज़ा था) पर पहुॅच गये है। जब ये लोग वहाँ प्रबन्ध कर रहे थे किसी ने आकर ख़बर दी कि विद्रोही "जीनतुल मसजिद" के रास्ते से शहर मे आ गये है और दरियागञ्ज पहुँच गये हैं। विद्रोही बङ्गलो पर गोलियॉ चला रहे है। धुऑ बहुत ऊँचा उठ रहा था, यह ८ बजे सवेरे की बात है। इसके थोड़ी देर बाद तीन सवार दरियागञ्ज की ओर से एक अङ्गरेज़ का पीछा करते चले आ रहे थे। एक सवार ने अङ्गरेज़ पर पिस्तौल चलाई लेकिन गोली चूक गई और अङ्गरेज मेगज़ीन के रास्ते से भाग गया। उस वक़्त मि० फ्रेज़र ने दरवाज़े के एक सन्तरी की बन्दूक़ लेकर एक सवार को गोली मार दी। दूसरे सवारो ने मि० फ्रेज़र के घोड़े को घायल कर दिया। मि० फ्रेज़र अपनी बग्घी पर सवार हो गये। उनके साथ कप्तान डगलस, मि० हचिन्सन पैदल चल दिये। ये सभी क़िले की ओर बढ़े। इतने में मि० हचिन्सन के कन्धे पर, कुहनी से कुछ ऊपर एक बाग़ी ने पिस्तौल की गोली मारी। मि० फ्रेज़र के क़िले की ओर जाते समय कुछ सवार और आगये और उनमें से एक ने पीछे से उन पर पिस्तौल का फ़ायर किया मगर मि० फ्रेज़र बाल-बाल बच गये। उस समय

कप्तान डगलस का चपरासी बख़्तावर मि० फ्रेज़र की बग्घी के पीछे बैठा हुआ था। कप्तान डगलस ने जब अपने को सवारो से घिरा हुआ देखा तो शहर के गड्ढे मे कूद पड़े। नोकीले पत्थरों के लगने से उनके गहरी चोट आई। उस समय सवार अङ्गरेजों को ढूँढ़ते घूम रहे थे।

इसी बीच बख़्तावर और कई नौकरो ने मिलकर कप्तान डगलस को गड्ढे से निकाला। उस समय वह बेहोश थे। तब उन्हे किले के दरवाज़े वाले उनके कमरे मे पहुँचा दिया गया। जब उन्हे कुछ होश आया तो उन्होंने लोगो से कहा कि मि० हचिन्सन को यहाँ उठा लाओ, उनके गहरी चोट आई है। उनकी आज्ञा का पालन किया गया। मि० फ्रेज़र किले के लाहौरी दरवाज़े के गुप्त मार्ग से, कलकत्ते से उसी रोज़ आए एक अङ्गरेज़ के साथ जा रहे थे। उन्होने बादशाह के पास एक दूत को तोपे लाने भेजा और स्वय भी गुप्त मार्ग के निकास पर गये। उन्हे देखकर एक बड़ी भीड़ उन पर टूट पड़ी जिसमे आदमी और बच्चे थे और पास जाकर उन पर छीटेबाजी करने लगे। मिस्टर फ्रेज़र ने लोगो के ढङ्ग से अनुमान कर लिया और परेशान होकर कप्तान डगलस के मकान की ओर लौटे। वह सीढ़यों तक भी नहीं पहुँचने पाये थे, कि हाजी लोहार ने उन्हे मारने के लिए तलवार खींच ली। मि० फ्रेज़र की तलवार म्यान मे थी वह उसे ऊँची उठाकर जल्दी से लौटे और हवलदार से कहा—यह क्या है ? इस पर हवलदार ने दिखाने के लिए भीड़ को भङ्ग कर दिया। मगर ज्योंही

मि० फ़्रेज़र ने पीठ फेरी, उसने झुक कर लोहार से कुछ कहा उस का अर्थ यह था कि मि० फ़्रेज़र पर वार करना चाहिये। लोहार की हिम्मत बँध गई और उसने बढ़कर सीधी ओर से मि० फ़्रेज़र की गरदन पर गहरा और घातक हमला किया। मि० फ़्रेज़र तुरन्त गिर पड़े। उनके गिरते ही ख़ालिक दाद, एक पठान मुग़ल बेग का मुग़लजान और शेख़ दीन मुहम्मद—तीन आदमी—जो ड्योढ़ी में छिपे हुए थे, दौड़े और मि० फ़्रेज़र के सर, मुँह और छाती पर लगातार कई वार किये। मि० फ़्रेज़र की मृत्यु हो गई। शेख़ दीन मुहम्मद एक हथियारबन्द व्यक्ति था, जिसे बादशाह से तनख़्वाह मिलती थी और मुग़ल बेग तथा ख़ालिक़दाद बादशाह के प्रधान मन्त्री महबूब अली ख़ाँ के हथियारबन्द सिपाही थे। इन तीनों ने मि० फ़्रेज़र की हत्या करके कप्तान डगलस के मकान का रास्ता लिया और एक बड़ी भीड़ के साथ सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। जब यह लोग सीढ़ियाँ चढ़ चुके थे तो कप्तान डगलस के अरदली माखन ने अन्दर जाकर विद्रोहियों के ऊपर आ जाने की सूचना दी। दरवाज़ा बन्द कर देने की आज्ञा दी गई। जब अन्दर से दरवाज़ा बन्द कर दिया गया तो दक्षिणी ओर से सैकड़ों आदमी दौड़ कर सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर चढ़ गए और उधर से अन्दर पहुँच गये और जिस दरवाज़े को माखन ने बन्द कर दिया था, उसे उन तीनों हत्यारों तथा भीड़ ने खोल दिया। इसके बाद एक-एक करके कप्तान डगलस मि० हचिन्सन, रेवरेण्ड मि० जैनिङ्ग्स, मिस जैनिङ्ग्स, मिस क्लीफर्ड और जो कोई

भी कप्तान साहब के मकान मे मिले, मार डाले गये। जो अङ्गरेज़ उसी रोज़ कलकत्ते से आया था वह भाग निकला और क़िले के हाते के बाहर निकलने की युक्ति करने लगा। वह इसी खोज में क़िले के देहली दरवाज़े के समीप मिरज़ा कोचक के मकान पर पहुँचा। किसी ने उस पर गोली चलाई जो कि उसके कन्धे में लगी। वह तुरन्त लौटा और कप्तान डगलस के मकान के दक्षिणी भाग तक पहुँचते-पहुँचते वह दो टुकड़े कर डाला गया। इस हत्या में केवल १५ मिनट का ही समय लगा होगा। मैंने यह हाल माखन, बख़्तावर, प्राण और कृष्ण के बयानों से जान पाया है। लेकिन मि० फ़्रेज़र की हत्या तक के समाचार मेरी आँखों देखे हैं। इतने में चार बजे, और अदालत शुक्रवार ता० ५ फ़रवरी के लिए स्थगित कर दी गई।

आठवें दिन की कार्यवाही

शुक्रवार, ता० ५ फ़रवरी, १८५८ ई०

अदालत क़िले के दीवान-ख़ास मे बैठी। अध्यक्ष, सदस्य, अनुवादक, सरकारी बकील आये। अभियुक्त और उनके क़ानूनी सलाहकार को बुलाया गया। गवाह जाटमल फिर बुलाया गया और उसे पिछले बयान की याद दिलाई गई। सरकारी वकील ने पूछा।

प्रश्न—जब कप्तान डगलस के मकान मे अङ्गरेज़ मार डाले गये तो सैनिकों और जनता ने क्या किया?

उत्तर—इनके मारे जाने के बाद मैं अपने शहर वाले मकान में आ गया और कई दिन तक क़िले मे न गया।

प्रश्न—बादशाह ने राज्य-भार कब लिया था? क्या उस समय तोपों की सलामी हुई थी?

उत्तर—मेरठ से आने वाली सेना के तीन-चार दिन बाद उन्होंने तमाम सरकारी माल और बारूद, जो शहर के बाहर था, तथा हथियारों पर अधिकार कर लिया था और एक सप्ताह बाद विभिन्न महकमों को आज्ञा-पत्र निकाले कि सरकारी कार-बार के लिए प्रार्थना पत्र भेजें। ११ मई की रात को २४ तोपों की सलामी दी गई थी किन्तु मुझे यह नहीं मालूम, कि सलामी

क्यों दी गई थी, कुछ लोगों का कहना है कि मेरठ से सेना आने की ख़ुशी में तोपें दाग़ी गई थीं। कुछ का कहना यह था, कि अभियुक्त सलीमगढ़ गए थे उनकी सलामी मे तोपे दाग़ी गई थीं।

प्रश्न—मिरज़ा मुग़ल कब 'कमाण्डर-इन-चीफ़' बनाए गए ?

उत्तर—ग़दर के ७-८ दिन बाद देशी सिपाहियों से वह सम्मति लेने गए थे और उनके आज्ञा-पत्र भी निकलने लगे थे लेकिन नियमित रूप से उनकी नियुक्ति की घोषणा एक मास बाद की गई और उन्हे 'ख़िलअत' दी गई। साथ ही बादशाह के दूसरे बेटे और पोते जनरल और कर्नल बनाए गए थे और प्रत्येक को 'ख़िलअत' मिली।

प्रश्न—हसन अस्करी ग़दर के दिनो में क्या करता रहा ? क्या वह बादशाह का मन्त्री था ?

उत्तर—वह बादशाह से पूर्ववत् मिलता रहा। कोई ख़ास मशहूर काम नहीं किया। बादशाद की एक लड़की उसकी चेली थी। किन्तु लोगों का कहना था कि उनमें अनुचित सम्बन्ध था।

प्रश्न—तुम्हें मालूम है कि मेगज़ीन पर छापा मारने के लिए क़िले से सीढ़ियाँ गई थीं ?

उत्तर—मैंने सुना था कि छापा में सीढ़ियाँ लगाई गई थीं किन्तु वह कहाँ से गई थीं, यह मैं नहीं जानता।

प्रश्न—क्या तुम्हें मालूम है कि ग़दर से कुछ मास पूर्व देहात में रोटियाँ बाँटी गई थीं, यदि यह सच है तो रोटियाँ बाँटने का क्या अर्थ था ?

उत्तर—मैंने सुना था, कुछ लोगो को कहना था कि तकलीफ़ों से बचने के लिए खुदा की नज़र मानी गई थी, कुछ का ख़याल था कि सरकार की ओर से बाँटी गई हैं और इसका मतलब यह है कि सभी आदमी ईसाइयों की भाँति खाना खाने के लिए लाचार हो जाँय और इस प्रकार उनका धर्म नष्ट हो जाय। कुछ लोगो ने कहा कि सरकार ने रोटियाँ बटवा कर धर्म बिगाड़ने और ईसाई-धर्म फैलाने का विचार किया था फिर सुना गया, कि लोगों को इससे रक्षा पाने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रश्न—जब देहात के हिन्दू और मुसलमानों में इस प्रकार से चीज़ें भेजने का रिवाज है तो बग़ैर सोचे और बिला वजह इसका यही अर्थ हो सकता है?

उत्तर—यह रिवाज नहीं है। मेरी ५० साल की उम्र हुई, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना।

प्रश्न—क्या कभी सुना कि रोटियों के साथ कोई समाचार भेजा गया?

उत्तर—नहीं, मैंने कभी नहीं सुना।

प्रश्न—क्या यह चपातियाँ किसी ख़ास हिन्दू या मुसलमान ने बटवाई थीं?

उत्तर—यह रोटियाँ बिना धर्म के विचार के दोनों को दी गई थीं।

प्रश्न—११ मई के बाद फिर क़िले में तुम कब गए?

उत्तर—जब मैंने शहर में सुना कि अङ्गरेज़ों की हत्या की जाने

वाली है। मुझे तारीख़ याद नहीं, किन्तु विद्रोह के प्रथम दिन के सात-आठ दिन बाद मैं भीड़ के साथ क़िले में गया था। उस समय सवेरे के ८ बजे थे। जब मैं आँगन में पहुँचा तो हौज़ के किनारे अङ्गरेज़ों को एक लाइन में बैठे हुए देखा उनके हाथ पीछे करके कमर से बँधे हुए थे। कुछ मर्द, स्त्रियाँ और बच्चे थे। मेरे पहुँचते ही मेरठ के एक सवार सैनिक ने उन पर पिस्तौल चलाई। निशाना चूक गया और गोली बादशाह के एक नौकर के जा कर लगी, जो कि कैदियों के पीछे खड़ा था, वह मर गया। इस दुर्घटना के कारण सब ने यह तय किया कि अङ्गरेज़ों को तलवार से क़त्ल किया जावे। बादशाह के नौकरों और कुछ बाग़ियों ने इसी इरादे से तलवारें खींची। मुझ में इतनी हिम्मत न थी, कि वहाँ ठहरता और उनकी निर्दयतापूर्ण हत्या देखता। मैं मकान लौट आया। बाद को सुना कि बादशाह के नौकरों और विद्रोहियों ने उन्हें मार डाला।

प्रश्न—इस घटना के समय, खुशी में क्या कोई तोप दाग़ी गई थी?

उत्तर—नहीं, मैंने नहीं सुनीं।

प्रश्न—क्या बादशाह ने इन कैदियों की हत्या के लिए राय दी थी?

उत्तर—पहिले दिन बादशाह ने सैनिकों की यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की, कि क़ैदी मार डाले जाएँ। किन्तु कहा जाता है कि दूसरे दिन बसन्त अली खाँ, जो कि बादशाह का विश्वस्त सलाह-

कार था और बड़ा ही निर्दय और बर्बर था, सिपाहियो के पास गया और क़त्ल करने पर ज़ोर देने लगा। अन्त मे बादशाह ने भी हुक्म दे दिया कि क़ैदी विद्रोहियों को दे दिये जाएँ। बाद को वह सैनिकों द्वारा मार डाले गए। यह सब मैंने अपने मकान पर ही सुना था। दूसरे दिन सवेरे दीवान-ख़ास के दरवाज़े पर खड़े होकर बसन्त अली ख़ाँ ने ज़ोर से कहा कि बादशाह ने अङ्गरेज़ों को मार डालने की आज्ञा देदी है और अभियुक्त के हथियारबन्द सिपाहियो को इस हत्या मे भाग लेने के लिए कहा गया।

प्रश्न—क्या तुम्हारा ख़याल है कि यदि बादशाह चाहते तो अङ्गरेजो और विशेष कर स्त्री, बच्चो को हत्या से बचा सकते थे ?

उत्तर—मैंने शहर मे सुना था कि बादशाह अङ्गरेज़ो और विशेष कर उनके स्त्री-बच्चो को बचाना चाहते थे, परन्तु सिपाहियों के क्रोध का विरोध करने का उनमें साहस न था।

प्रश्न—क्या बादशाह के जनानख़ाने में इतना काफ़ी स्थान न था, जहाँ यह लोग छिपाये जा सकते ?

उत्तर—ज़रूर था। वहाँ तो ५०० आदमी तक छिपाये जा सकते थे और उनका पता न लग सकता था, क्योंकि कई गुप्त मार्ग और तहख़ाने थे, जहाँ से स्त्रियाँ इज़्ज़त बचाकर विद्रोहियो के पञ्जे से भाग सकती थीं।

प्रश्न—जब अङ्गरेज़ी सेना ने नगर घेरा तब तुम देहली में थे ?

उत्तर—मैं ग़दर के बाद ३ मास तक शहर में रहा किन्तु जब शाही नौकरो ने इस सन्देह पर लोगों की तलाशियाँ लेना आरम्भ करदीं कि वह अङ्गरेजी सरकार को ख़बरें देते हैं तो मैं यहाँ से भाग गया और देहली पर दुबारा अङ्गरेज़ी क़ब्ज़ा होने के बाद आया।

प्रश्न—क़िले मे अङ्गरेजों की हत्या के बाद भी कुछ अङ्गरेज़ मारे गये थे ?

उत्तर—उस हत्याकाण्ड के बाद कोई अङ्गरेज़ बाक़ी ही न बचा था। उसके पहले मैंने सुना था कि ४० या ४८ अङ्गरेज़ तहख़ाने में छिप गए थे लेकिन भूख से परेशान होकर बाहर आ गए और मार डाले गए।

प्रश्न—क्या सैनिकों के अतिरिक्त और किसी से भी चरबी के कारतूसों की शिकायत सुनी ?

उत्तर—नहीं, मैंने कभी नहीं सुना।

प्रश्न—घेरे के समय कम्पनी के राज्य के सम्बन्ध मे सैनिकों का प्रायः क्या मत था ?

उत्तर—प्रायः सरकार की शिकायत करते थे, कि वह हमारे धर्म और जाति की बेइज्ज़ती करती है। वह लोग अङ्गरेजो के मार डालने का प्रण करते थे। जो लोग घायल पड़े थे वह बड़ी प्रसन्नता से कहते कि अङ्गरेजों ने हमारे धार्मिक विचारों का जो नाश किया है, उससे तो मर जाना अच्छा है।

प्रश्न—अङ्गरेजी सरकार के विरुद्ध मुसलमान और हिन्दू भावों में कुछ अन्तर था ?

उत्तर—जी हाँ, अवश्य था। प्राय:, सभी मुसलमान अङ्गरेज़ी राज्य को उलट देने के पक्ष मे थे किन्तु हिन्दुओ के साहूकार और बड़े बड़े व्यापारियो को इस पर दु:ख था।

प्रश्न—किन्तु हिन्दू और मुसलमान, दोनों के भावों मे तो कोई अन्तर नहीं था? क्या दोनो अङ्गरेज़ी राज्य के विरुद्ध थे?

उत्तर—सेना मे तो हिन्दू और मुसलमान दोनों के भाव प्राय: एक से ही थे।

प्रश्न—तुम समझते हो कि किले में मेरठ के सिपाहियों की राह देखी जा रही थी।

उत्तर—जी हाँ, उनकी प्रतीक्षा होती थी। इतवार को मेरठ से पत्र आये थे कि ८२ सिपाहियों को बेड़ियाँ दी गई हैं और इसके परिणाम-स्वरूप स्थिति भयानक हो जावेगी। अतएव परिणाम यह हुआ, कि दरबान तक अपने भावों और विचारों को गुप्त न रख सके और खुल्लमखुल्ला कहने लगे कि मेरठ की सेनाएँ विद्रोह करके दिल्ली आवेगी।

प्रश्न—तुम्हारे पास कोई कारण है कि अभियुक्त को भी सूचना देकर सावधान कर दिया गया था?

उत्तर—नहीं, मेरे पास कोई कारण नहीं है।

प्रश्न—क्या किसी कारण से तुम यह कह सकते हो कि अभियुक्त को मेरठ से आने वाली सेना की पहले से सूचना थी?

उत्तर—मेरी सूचना में ऐसी कोई बात नहीं आई, जिससे मैं यह विचार बना सकता।

अभियुक्त की ओर से जिरह

प्रश्न—तुमने अपनी गवाही मे परसों कहा था कि मैं एक अङ्गरेज़ की जान बचाने मिरज़ा कोचक के मकान तक गया था। जहाँ उसे गोली मार दी गई। क्या उस समय मिरज़ा कोचक मकान में मौजूद थे ?

उत्तर—मैं इस प्रकार की विस्तृत घटनाएँ नहीं बता सकता।

प्रश्न—क्या आपको मालूम है कि मि० फ्रेज़र के हत्याकारियो को मैंने खड़ा किया था, या सैनिको ने उन्हें ऐसा करने की हिदायत की थी ?

उत्तर—जहाँ तक मुझे मालूम है हत्या की बादशाह को पहले से ख़बर न थी। विद्रोहियों ने सेना के भड़काने से ही हत्याएँ की थीं।

प्रश्न—क्या तुमने सुना है कि इन अङ्गरेज़ों की लाशें मैंने माँगी थीं किन्तु सैनिको ने नहीं दीं ?

उत्तर—नहीं, मुझे इसका पता नहीं।

प्रश्न—क्या तुम्हे पता है कि मैंने शस्त्रधारी अपने सलाहकारों को अङ्गरेज़ों के मारने की आज्ञा दी थी या बसन्त अली ख़ाँ ने यह ग़लत ख़बर उड़ाई थी ?

उत्तर—मैं नहीं कह सकता।

अदालत के प्रश्न

प्रश्न—जिस समय हत्या के पूर्व तुमने अङ्गरेज़ों को बँधा देखा था, बादशाह के विश्वस्त नौकर और अफ़सर मौजूद थे ?

उत्तर—नहीं, आँगन में किसी को नहीं देखा। हाँ, बादशाह के लड़के मिरज़ा मुग़ल अपने मकान की छत पर खड़े आँगन की ओर देख रहे थे और बादशाह के दूसरे लड़के और पोते भी अपनी अपनी छतों से तमाशा देख रहे थे। इससे स्पष्ट है कि यह सब वध का ही दृश्य देखने को खड़े थे।

प्रश्न—क्या उनमे से किसी ने स्त्री और बच्चों को बचाने का प्रयत्न किया अथवा इसका उलटा किया ?

उत्तर—जी नही, वे खड़े तमाशा ही देखते रहे, यह तय हो चुका था कि अङ्गरेज़ मारे जाएँगे। वह लोग केवल तमाशा ही देख रहे थे।

गवाह चला गया और कप्तान फॉरेस्ट, असिस्टेएट कमिश्नर ऑफ आर्डिनेन्स गवाही के लिए आये। उन्हे क़सम दी गई। जज एडवोकेट ने बयान लेना आरम्भ किया।

प्रश्न—क्या गत मई की ११ तारीख़ को तुम देहली मे थे ?

उत्तर—जी, था।

प्रश्न—क्या उस समय मेरठ से आई विद्रोही सेना को तुम ने देखा था ?

उत्तर—मैंने देखा था। पहिले शायद एक रेजिमेएट आई, उसके बाद ११ वीं और १२ वीं पैदल सेना ने भी मेरठ से आकर पुल पार किया। सैनिक ढङ्ग से इनकी लाइनें बनी थी, सङ्गीनें झुकाये हुए थे। इससे पहिले मैंने उन्हे नहीं देखा था, सुना जरूर था कि सवेरे ७ बजे सवारों का एक जत्था पुल से

होकर दिल्ली आया है। जिस समय यह लोग पुल पार कर रहे थे, मैं मेगज़ीन में था। उनके आने के कुछ समय पूर्व सर थ्यूफ़िल्स मेटकॉफ ने मुझसे कहा था कि मेरठ से विद्रोही सेनायें आने की अफ़वाह है। दो तोपे बाहर निकलवानी चाही थीं जिससे पुल तोड़ दिया जावे और बाग़ी नदी पार न कर सकें। किन्तु उस समय तोपें निकालने के लिए जानवर और चलानें वाले गोलन्दाज़ नहीं थे, तब मिस्टर विल्फ़ वाई की सलाह ले कर मैं ने यह तय किया कि मेगज़ीन के दरवाज़े बन्द कर दिये जावे और अपनी शक्ति भर उसकी रक्षा की जावे। मैंने समझा था कि यदि संध्या तक हम लोग रक्षा कर सके, तो संध्या को मेरठ से अङ्गरेज़ी सेनाएँ आ जावेंगी। ९ और १० बजे के बीच ३८ वीं रेजिमेण्ट देशी पैदल के सूबेदार ने, जो कि मेगज़ीन के दरबानों का अफ़सर था और बाहर रहा करता था, खिड़की से मुझे ख़बर दी कि मेगज़ीन पर क़ब्ज़ा करने के लिए एक फौजी गारद भेजा गया है और अङ्गरेज़ों को महल में बुलाया है और यदि वह आने से इनकार करें तो मेगज़ीन के बाहर न जाने पावें। उस समय कोई गारद नहीं थी, केवल एक दूत खड़ा था, जो सूरत में भला मानुस मुसलमान मालूम होता था। हमने सूबेदार को जवाब दिया कि वह किसी की ख़बर पर विश्वास न करे और जब तक मैं या मि० विल्फ़ स्वय न कहें, तब तक कोई जवाब किसी को न दे। हमने उस दूत को, जो कि समाचार लाया था, कोई उत्तर न दिया। इसके

थोड़ी देर बाद देशी सिपाहियों के एक जत्थे को लिए अच्छी वरदियाँ पहिने हुए एक देशी अफ़सर वहाँ आया और सूबेदार और नॉन कमिशण्ड अफसर से कहा कि बादशाह ने तुम्हारी मदद को हम सब को भेजा है। मैंने उसी समय सूबेदार से कहा था कि किसी का विश्वास न करो। देशी अफ़सर ने मेगज़ीन के हर एक दरवाज़े पर १२-१२ सिपाही और एक-एक नायक खड़े कर दिये। इन लोगों ने सैनिक नियमानुसार अपनी सङ्गीने ज़मीन मे गाड़ दीं और खड़े हो गये। उन्होने बिल्कुल सैनिक ढङ्ग से आज्ञा का पालन किया। यह १० और ११ बजे के बीच की घटना है। उसके एक घण्टे बाद दरबान ने कहा कि या तो मैं या लेफ्टिनेण्ट विल्फ बाई आकर बात कर जाएँ। हम दोनों गए तो उसने कहा कि बादशाह ने कई आदमियो को गवर्नमेण्ट का तमाम सामान निकाल ले जाने की आज्ञा दी है और हम लोग रोकने मे असमर्थ है। हम दोनों मे से किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया और झाँक कर देखा तो बात ठीक थी, मजदूर लोग सामान ढो रहे थे और शाही सैनिकों का एक दल उनसे काम ले रहा था। यह दल पूरी वरदी में था। थोड़ी देर बाद हमारे दरबानों के सूबेदार ने मुझे बुला कर कहा कि बादशाह के यहाँ से अभी एक व्यक्ति यह ख़बर लाया है, कि यदि शीघ्र ही दरवाज़े न खोले गए, तो तुरन्त ही आक्रमण करने और दीवारो पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भेजी जाएँगी। कुछ देर बाद सीढ़ियाँ आ गईं और दक्षिणी-पश्चिमी कोने में लगाई गईं। मेगज़ीन के

हिन्दुस्तानी सिपाही एक ढालू गोदाम से सीढ़ियों पर चढ़ गए और बाहर भाग गए। विद्रोहियों ने भी बिना विलम्ब किए ऊपर चढ़ना शुरू किया और छोटे बुर्ज मे घुसने का मार्ग बना लिया। वहाँ से हम पर आक्रमण किया। उन्होने संध्या के ३॥ बजे तक घेरा रक्खा और अन्दर उतरने की कोशिश करते रहे। हमने भी उन पर गोलियाँ बरसाना शुरू किया। मै और मि० वकली—दो ही आदमी गोलियाँ चलाते थे। दो बन्दूके भरी रखते थे और दो से फायर करते थे। दो तोपे मेगज़ीन के दूसरे दरवाज़े पर रखवा दी थीं जिन पर सबकण्डक्टर क्राओ और सॉरजएट एडवर्ड नियुक्त थे। उनके हाथों मे पलीते जल रहे थे। मि० विल्फ का यह हुक्म था कि जब तक बाग़ी दरवाज़े पर हमला न करे, बत्ती न दिखलाई जावे। यह दोनो मेगज़ीन मे मे मारे गए। एक तोप का मुँह नदी की ओर था जिस पर कण्डक्टर क्राओ नियुक्त थे; वह अन्त मे काश्मीरी दरवाजा के रक्षको की शरण में भागे। फिर नम्बर ५४ देशी रेजिमेण्ट के पैदल सिपाही की गोली से मारे गए। कप्तान विल्फ और हम दोनों सावधान थे। एक पहरे से दूसरे तक जाते, आवश्यक आज्ञा देते और विद्रोही भीड़ हटाने का प्रयत्न करते। इस सम्बन्ध मे हम दोनों कई बार दरवाज़े तक गए। और मैंने जब कभी भी पूछा, कि आक्रमण कौन कर रहा है तो हमेशा यही उत्तर मिलता, कि बादशाह का बेटा और पोता। और जितने सिपाही हैं वह ११ वीं और २० वीं रेजिमेण्ट के सिपाही हैं।

एक बजे यह ख़बर आई थी जो मै कहना भूल गया था, कि यदि अङ्गरेज़ आत्म-समर्पण न करेंगे, तो मै दीवार का वह हिस्सा, जो कि कमज़ोर है, गिरा कर क़ब्ज़ा कर लूँगा।

४ बज गये और अदालत दूसरे दिन के लिए उठ गई।

नवें दिन की कार्यवाही

शुक्रवार, ता० ६ फरवरी, सन् १८५८ ई०

क़िले के दीवान-ख़ास मे आज फिर अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, सदस्य, दुभाषिया और सरकारी वकील सब मौजूद थे अभियुक्त और उनके मुख़्तार भी लाये गये। कप्तान फॉरेस्ट, असिस्टेण्ट कमिश्नर ऑफ आर्डिनेन्स बुलाये गये। कल के बयान की उन्हें याद दिलाई गई। जज एडवोकेट ने बयान लिये।

प्रश्न—साढ़े तीन बजे तक जो कुछ हुआ वह तो तुम बता चुके, इसके आगे क्या हुआ ?

उत्तर—उस समय तक मेगज़ीन बचाने के लिए हम लोग काफ़ी बारूद गोली ख़र्च कर चुके थे लेकिन सामान तो विभिन्न स्थानो मे रक्खा हुआ था और कप्तान बकले के कन्धे में घाव हो गया था, मेरे भी हाथ में दो चोटें आ चुकी थीं। लेफ़्टिनेण्ट विल्फ़ बाई जो ३॥ बजे तक मेगज़ीन उड़ाने के विरुद्ध थे अन्त में सहमत हुए और ३॥ बजे इशारा तय किया गया, कि मि० बकले अपनी टोपी उतारें और मि० शाक्ली तुरन्त आग लगादें। यही हुआ। एक सेकेण्ड में मेगज़ीन भड़क उठी और आस-पास के हज़ारों हिन्दुस्तानी जल कर मर गये। दीवारों के टुकड़े उड़-उड़ कर आध मील तक गये। कई अङ्गरेज़ स्त्री

और बच्चे जो कि शरण के लिए आए थे बुरी तरह घायल हुए। सारजण्ट सकले स्वय भी चोट खा गया। उसके बचने की कोई भी आशा न थी। मुँह और हाथ झुलस कर कोयला हो गए थे। मुझे कहना यह है, कि देशी सिपाहियों में कोई भी मेगज़ीन मे न ठहरा (बङ्गाली इतिहास लेखक ने भी यह स्वीकार किया है) अवसर मिलते ही वह हथियार लेकर भाग गए और हम लोग मेगज़ीन की रक्षा के लिए अकेले रह गए। मेगज़ीन उड़ाने के बाद मैं और लेफ्टिनेण्ट वुल्फ वाई कश्मीरी दरवाज़े के रक्षकों की ओर भागे। लेफ्टिनेण्ट रेज़ और मि० बकले दूसरे रास्ते से भागे और अन्त मे मेरठ पहुँच गए। शेष सभी या तो मेगज़ीन में जल गए, या भागते हुए मारे गए। दो तीन दिन बाद मि० वुल्फ वाई भी मेरठ के रास्ते में मार डाले गए।

प्रश्न—जो सीढ़ी दीवार मे लगाने के लिए लाई गई थी, वह पुरानी थी या इसी काम के लिए बनवाई गई थी ?

उत्तर—मैं सीढ़ी के केवल उसी भाग को देख सकता था, जो दीवार से ऊँचा था और वह सिर्फ एक फुट का था, इस लिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

प्रश्न—हिन्दुस्तानी नौकरों की पोशाक या बात-चीत मे उस दिन कुछ अन्तर था ? अथवा ग़दर से पहले कुछ ऐसे ढङ्ग मालूम होते थे, जिनसे यह जाना जा सके, कि इन घटनाओं की उन्हें पहिले से ख़बर थी ?

उत्तर—पोशाक में तो कोई अन्तर न था किन्तु व्यवहार में हम लोगों ने अन्तर अनुभव किया। वह हम लोगों की बेइज्जती करते और कभी-कभी हमे धमका देते। मुसलमान नौकरों में यह बात विशेष रूप से पाई जाती थी। मि० बकले ने भी इस ओर ध्यान दिया था, हम दोनो इस पर बाते किया करते थे। ११ मई को जब मै मेगज़ीन गया तो देखा कि हिन्दुस्तानी नौकर बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहिने है, जैसा कि मैंने पहिले कभी नहीं देखा था। मज़दूर भी साधारण कपड़े नही पहिने थे। मैंने मि० वुल्फ वाई का भी इस ओर ध्यान दिलाया। उन्होने कहा कि मुझे इस सम्बन्ध में बड़ी आशङ्का है।

प्रश्न—क्या तुम्हारे पास कोई गवाही है कि मेगज़ीन के हिन्दुस्तानी नौकरों ने सेना के सैनिकों से कारतूस के सम्बन्ध मे कुछ कहा हो?

उत्तर—जब तक मै दिल्ली में रहा मुझे ऐसा कोई सन्देह नहीं था। किन्तु जब १९ मई को मेरठ पहुँचा तो घायल होने के कारण अस्पताल मे दाख़िल हुआ। वहाँ तोपख़ाना-अस्पताल के सारजण्ट ने मुझ से पूछा कि दिल्ली मेगज़ीन मे कोई हिन्दुस्तानी होशियार शख़्स भी नौकर था? मैंने कहा हॉ और करीम बख़्श का नाम बताया। वह बड़ा अक़्लमन्द और पढ़ा-लिखा था। फारसी बहुत अच्छी लिख-पढ़ सकता था। उस सारजण्ट ने मुझे बताया कि सवेरे एक हिन्दुस्तानी ने मुझसे कहा है कि दिल्ली मेगज़ीन के किसी शख़्स ने तमाम रेजिमेण्टों में यह सूचना भेजी है कि इस

मेगज़ीन में जो कारतूस बने हैं उन पर चरबी लगी हुई है और अङ्गरेज़ अफ़सर इस सम्बन्ध मे अगर कुछ कहे तो वे लोग विश्वास न करे। जिस समय विद्रोहियो ने मेगज़ीन पर आक्रमण किया उस समय करीम बख़्श बड़ी उत्सुकता से लोगो को डटे रहने की उत्तेजना दे रहा था। उसका रङ्ग-ढङ्ग बदला देख कर मि० वुल्फ़ बाई ने उसे दरवाज़े से बाहर कर देने की आज्ञा दी थी और मुझसे कहा था कि यदि यह ऐसा रङ्ग-ढङ्ग रक्खेगा तो मै गोली मार दूँगा।

अभियुक्त की ओर से जिरह

प्रश्न—जो लोग मेगज़ीन पर कब्ज़ा करने गये थे, जिन्हे मेरा सिपाही बताते हो, कैसी वरदी पहिने हुए थे?

उत्तर—पोशाक नीली थी, टोपी पहिने थे। पोशाक पर एक डाब थी जिस मे बन्दूके लगी थीं। यह वही वरदी थी जिसे आप के तोपख़ाने वालो को ३० वर्ष से पहिने देखता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि वह सब कौन हैं? तो सब ने एक स्वर से उत्तर दिया—बादशाह के नौकर।

अदालत की ओर से जिरह

प्रश्न—तुमने कभी ग़ौर किया कि सीढ़ियाँ कहाँ से लाई गई थीं?

उत्तर—नहीं, मैंने ग़ौर नहीं किया।

गवाह चला गया और कप्तान डगलस का चोपदार माखन बुलाया गया और कसम दी गई, जज एडवोकेट ने प्रश्न किया—गत ११ मई को तुम कप्तान डगलस के पास मौजूद थे ?

उत्तर—हाँ, मै उस दिन सवेरे से लेकर उनके मारे जाने तक कमरे में मौजूद रहा।

प्रश्न—उस समय तुमने क्या देखा ?

उत्तर—सवेरे ७ बजे एक सवार किले के लाहौरी दरवाज़े के पास आया और अन्दर जाने लगा, दरबान ने रोका लेकिन उसने ज़िद की। कप्तान डगलस को ख़बर दी गई। वह नीचे आये। उन्होंने सवार से पूछा कि वह क्या चाहता है ? सवार ने कहा कि मैं मेरठ से विद्रोह कर के आ रहा हूँ और दिल्ली के दरवाज़े की रक्षा करूँगा। कप्तान डगलस ने उसकी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया, लेकिन वह भाग गया। कप्तान साहब दरवाज़े से लौटे आ रहे थे कि बादशाह का चपरासी मिला और कहा कि बहुत से सवार आ रहे हैं और नीचे जमा हो रहे हैं। कप्तान साहब यह सुनकर महल की ओर लौटे और दरबारी कमरे में घुस कर बरामदे मे आये। वहाँ से सवारो से पूछा कि तुम्हारी क्या मन्शा है ? उन सवारों मे से एक ने कहा कि हमने मेरठ में विद्रोह किया है और यहाँ न्याय के लिए आये हैं। कप्तान डगलस ने कहा कि फीरोजशाह के पुराने किले को जाओ, वहाँ तुम्हें न्याय मिल जावेगा। इसके बाद कप्तान साहब लाहौरी दरवाज़े आए और वहाँ सुना कि कोतवाल के साथ मि० फ्रेजर कलकत्ता

दरवाज़ा की ओर प्रबन्ध करने गये हैं । डगलस साहब ने मकान पर पहरा लगाया और स्वयं भी मि० फ्रेज़र के पीछे-पीछे चले। कलकत्ता दरवाज़ा पर मि० फ्रेज़र, मि० हचिन्सन और दो साहब मौजूद थे, जिनके नाम मै नहीं जानता। मि० फ्रेज़र ने कोतवाल को हुक्म दिया कि दो सवार लेकर जाओ और प्रबंध मे कोई गड़बड़ी न होने दो। जब वह उधर चले गए तो ४-५ सवार महल की ओर से नङ्गी तलवारे लिये हुए आते दिखाई दिये। उनमे से एक ने मि० फ्रेज़र पर पिस्तौल से गोली चलाई। वह बग्घी से कूद पड़े और उनके नौकर बख़्तावर ने एक सिपाही से बन्दूक छीन कर अपने मालिक को दी, बन्दूक भरी थी। मि० फ्रेज़र ने फायर किया और वह सवार वहीं मर गया। दूसरे सवार उत्तेजित हो गए और मि० हिचिन्सन को घायल कर दिया इतने मे भीड़ जमा हो गई और कप्तान डगलस घबरा कर क़िले के गढ़े मे कूद पड़े जिससे उनकी पीठ और पैरो मे चोट आ गई। मि० फ्रेज़र बग्घी पर बैठ कर लाहौरी दरवाज़े आए और मि० डगलस गढ़े के रास्ते ही वहाँ पहुँचे। इसी बीच मि० हचिन्सन और मि० जेनिङ्गस् भी वहाँ पहुँच गये थे। दरवाज़े पर पहुँच कर कप्तान डगलस को बाहर निकाला गया। चोट के कारण उनकी दशा बुरी थी। उन्होंने कहा कि "कुलियातख़ाना" नाम के कमरे मे पहुँचा दो। वह वहीं पहुँचाए गये। मि० फ्रेज़र वहीं रह गये। इतने में देखा कि हाजी लोहार ने उन्हें तलवार से काट डाला और बादशाह के नौकरों ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया यहाँ तक कि वह मर गये। मैं

ज़ीने के ऊपर था और यह हत्या नीचे हुई थी। इस हत्या में एक हब्शी भी शामिल था। इसके बाद वह लोग ऊपर चढ़ने लगे और कमरे के अन्दर घुसना ही चाहते थे, कि मैंने अन्दर से दरवाज़ा बन्द कर दिया। भीड़ ने दक्षिणी भाग से घुसने का अवसर देखा और भीतर आकर सभी दरवाज़े खोल दिये जिससे और भी आदमी अन्दर आ गये। इन लोगो ने मि० हचिन्सन, मि० डगलस और दो युवतियो को, जो वहाँ मौजूद थी, मार डाला। मै नीचे भागा, नीचे पहुॅचने भी न पाया था कि बादशाह का नौकर महमूद मिला और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगा। 'फौरन बताओ कप्तान डगलस कहाँ है ? तुम लोगो ने उन्हें छिपा दिया है।' वह जबरदस्ती मुझे ऊपर खींच ले गया। मैंने जवाब दिया कि तुम लोगो ने स्वयं ही तमाम अङ्गरेजों को मार डाला है। मि० डगलस के कमरे मे पहुँच कर देखा कि अभी वह मरे नहीं हैं। महमूद ने यह देखकर उनके सरपर कई लाठियाँ मारीं जिससे वह मर गए। मैंने वहाँ मारे गए लोगों की लाशे देखीं। मि० हचिन्सन की लाश एक कमरे में थी, दूसरे कमरे मे मि० डगलस, मि० जैनिङ्ग्स और दोनों स्त्रियों की लाशे थीं लेकिन मि० डगलस बिस्तरे पर पड़े थे और यह सभी फर्श पर। एक नवयुवक अङ्गरेज़, जो उसी दिन प्रातः कलकत्ते से आया था, भागने के प्रयत्न मे लाहौरी दरवाज़े के पास मारा गया। मि० फ्रेज़र की मौत के सवा घण्टा बाद तक भीड़ माल-असबाब लूटती रही। उनकी हत्या ९ व १० बजे के बीच हुई

थी। मै प्राणों के डर से मकान भाग गया और जब तक दिल्ली मे दुबारा अङ्गरेजी राज्य न हो गया, घर के बाहर न निकला।

प्रश्न—जिस वक्त कप्तान डगलस दीवान-ख़ास गये थे, तुम साथ में थे? क्या उन्होंने अभियुक्त से भेंट या बाते की थी?

उत्तर—मै कप्तान साहब से दो कदम पीछे था। वह न तो अभियुक्त से मिले और न बात की। अपने घर लौट आये।

प्रश्न—क्या तुम्हे पूरा विश्वास है कि ११ मई को सवेरे से लेकर मरने तक उन्होंने बादशाह से भेंट नहीं की?

उत्तर—मुझे पक्का विश्वास है कि वह उस दिन बादशाह से न मिले और न बात-चीत की।

प्रश्न—दीवान-ख़ास मे जाते समय तुम्हारे सिवा और कोई भी था?

उत्तर—बख़्तावर सिंह और किशनसिंह दूत थे।

अभियुक्त की ओर से जिरह

प्रश्न—क्या तुम्हारे सामने कप्तान साहब ने बाग़ियों से बात करने के लिए अभियुक्त से बैठक का दरवाज़ा खुलवा देने के लिए कहा था?

उत्तर—जी हाँ, उन्होंने विद्रोहियो के पास जाने के लिए कहा था। लेकिन मैंने मना किया था।

प्रश्न—जब कप्तान डगलस बरामदे में गये थे तो क्या बादशाह अपने इबादत (पूजा) के कमरे मे नहीं थे और क्या इसके पहिले कप्तान साहब ने उन्हें प्रथानुसार कोरनिश नहीं की थी?

उत्तर—हाँ, बादशाह वहाँ थे। कप्तान साहब कोरनिश कर के दूर से ही चले गए। बात नहीं की।

प्रश्न—बादशाह से कप्तान डगलस कितनी दूरी पर थे?

उत्तर—पन्द्रह कदम की दूरी पर।

प्रश्न—जब बादशाह ने कप्तान डगलस को विद्रोहियों के पास जाने से रोका था, तुमने कुछ बात-चीत सुनी थी।

उत्तर—नहीं, मैंने नहीं सुनी।

प्रश्न—क्या उस दिन कप्तान डगलस और हकीम एहसन-उल्ला ख़ाँ मे कोई बातचीत हुई थी?

उत्तर—हाँ, कप्तान डगलस को, जब कि वह चोट लगने के बाद कमरे मे आ गये, तो हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ उनके पास गये थे, मै उस समय मौजूद नहीं था। मै नही कह सकता कि उनमे क्या बात-चीत हुई थी।

प्रश्न—क्या तुम जानते हो कि हकीम साहब अपनी इच्छा से गए थे या बुलाए गए थे?

उत्तर—नहीं जानता।

प्रश्न—जब कप्तान डगलस किले मे आए तो मुझ से और हकीम जी से या किसी और शाही नौकर से बात हुई थी?

उत्तर—मेरा ख़याल है कि नहीं। लेकिन मैंने पास से नहीं देखा था।

गवाह चला गया। ४ बजने के कारण अदालत ८ तारीख़ को ११ बजे तक के लिए बर्ख़ास्त हो गई।

दसवें दिन की कार्यवाही

सोमवार, ता० ८ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

क़िले के दीवान-ख़ास मे ११ बजे अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, सदस्य, दुभाषिया, सरकारी वकील, एडवोकेट-जनरल मौजूद थे। अभियुक्त और मुख़्तार ग़ुलाम अब्बास आये। गवाही के लिए सर थ्यूफिल्स मेटकॉफ आये। उन्हें क़सम दी गई। जज-एडवोकेट ने बयान लेना आरम्भ किया।

प्रश्न—ग़दर के कुछ दिन पहिले जामा मस्जिद मे कोई नोटिस चपका था जिसे शाह-ईरान की घोषणा कहा गया हो?

उत्तर—जी हाँ, मैले से काग़ज़ का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस के दाहिनी और बाईं ओर तलवार और ढाल की शक्ल बनी थी। उसमे लिखा था कि शाह-ईरान जल्द यहाँ आने वाले थे और उन्होंने मुहम्मद के पैरो तमाम दीनदारों को सङ्गठित होकर काफिर अङ्गरेज़ों को वध करने का निमंत्रण दिया था। जो लोग इसमें सम्मलित होंगे, उन्हे बड़ा पुण्य होगा। कहते हैं उसे देख कर ५०० मुसलमानो ने 'जिहाद' वादा किया था।

प्रश्न—क्या उसमे ऐसा भी कुछ लिखा था कि शिया और सुन्नी का विचार छोड़ कर अङ्गरेज़ों से "जिहाद" करो?

उत्तर—जी नहीं, मुझे ख़याल नही कि उसमे ऐसा कुछ था।

प्रश्न—क्या उक्त नोटिस, जिसे ईरान के बादशाह ने भेजा कहा जाता है, बनावटी था ?

उत्तर—जी हाँ, मै भी ऐसा ही समझता हूँ।

प्रश्न—यह जामा मसजिद की दीवार पर कब तक चपका रहा ?

उत्तर—मुझे तारीख़ याद नहीं किन्तु ग़दर के छः हफ़्ते पहिले की बात है। रात को चपकाया गया था, सवेरे वहाँ भीड़ लग गई। कोई ३ घण्टे बाद मै वहाँ गया और उसे उतार डाला। वह ३ घण्टे ही चपका रहा।

प्रश्न—जहाँ तक तुम्हे पता है, दिल्ली के लोग उसे पढ़ने के बहुत उत्सुक थे और प्रायः इसकी चरचा करते थे ?

उत्तर—जी नहीं।

प्रश्न—क्या यह पता लगाने की कोशिश की गई कि यह कहाँ से आया ?

उत्तर—बिल्कुल नहीं ? क्योंकि ख़याल था कि किसी बदमाश ने लगा दिया है, इसकी जाँच व्यर्थ है।

प्रश्न—क्या और किसी कारण से तुम कह सकते हो कि दिल्ली की जनता में अङ्गरेज़ों के विरुद्ध विचार थे ?

उत्तर—नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता तो सेना मे अङ्गरेज़ों की सहायता देने की आवश्यकता अनुभव करती थी। प्रायः इस विषय पर बहसें होती थीं। किन्तु ग़दर के लगभग १५ दिन पूर्व ठीक तरीक़े से ख़बर मिली, कि मैजिस्ट्रेट के नाम

एक गुमनाम पत्र भेजा गया है कि नगर का विशेष सुरक्षित स्थान होने तथा छावनी का राजमार्ग होने के कारण काश्मीरी दरवाजा अङ्गरेजो से छीन लिया जावेगा। जब कभी शहर मे विद्रोह होगा तो सब से पहिले इसी पर कब्ज़ा किया जायगा। इस बात से उनके विचारो का पता मिलता है किन्तु वह लोग बहकाये गए थे, उनके विचारो को भड़काने का यह एक सबूत और भी है कि बादशाह के शीरीं नाम के नौकर ने नम्बर १४ की अनियमित सवार-रेजिमेण्ट के रिसालदार से गुप्त रूप से कहा था कि वह अङ्गरेज़ो की नौकरी छोड़कर बादशाह की नौकरी कर ले और उसे उत्साहित करने के लिए कहा था कि जाड़े के दिनो में रूसी लोग हिन्दुस्तान आवेगे और अङ्गरेज़ी राज्य नष्ट हो जायगा। रिसालदार अङ्गरेज़ी बोल सकता था, वह एङ्गलोइण्डियन था और उसका नाम एवरेट था। उसने यह भी कहा कि बादशाह ने छः मास पूर्व रूस को अपना दूत भेजा था। वह रिसालदार अब भी बिलासपुर मे है।

प्रश्न—क्या चपातियों के सम्बन्ध मे, जो कुछ दिन पूर्व गाँव गाँव में बँटी थीं, उनके बँटने का कारण बता सकते हो ?

उत्तर—उनके सम्बन्ध मे केवल विचार ही विचार है। लेकिन हिन्दोस्तानियों मे पहिला ख़याल जो था वह यह कि वह बीमारी या कष्ट के सम्बन्ध मे भेजी गई थीं, किन्तु यह भ्रम था। जब मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि अङ्गरेज़ी राज्य के गाँवों मे ही भेजी गई थीं, किसी रियासत मे नहीं। दिल्ली के आस-पास

चार-पाँच गाँवो मे ही बँटी थीं कि जिम्मेदार अफ़सरों ने रोक दिया। मैंने बुलन्दशहर ज़िले में रोटी बाँटने वालो को अपने सामने बुलाया तो उन्होने बताया कि यह सरकार की ओर से बँटी हैं और उन्हें भी यही कह कर दी गई थी। मुझे मालूम है कि दिल्ली की हद मे चपातियो का मतलब नही समझा गया था। क्योंकि वस्तुतः यह उन लोगों के लिए थीं जो एक साथ बैठ कर खा लेते हो और जो लोग एक साथ नहीं खाते या विरोध रखते है उन्हे मिलाने के लिए थीं। मेरा ख़याल है कि यह लखनऊ से निकलीं और निस्सन्देह इन का अभिप्राय आपस में जोश फैलाना और अवसर पर एक दूसरे को सहायता देना तथा आने वाले ख़तरे से सावधान करना था।

प्रश्न—क्या तुम ने हिन्दुस्तानियों में यह चरचा सुनी है, कि ईरानी हिरात की ओर बढ़ रहे हैं?

उत्तर—प्रायः, और प्रायः रूसियो के भी हमला करने की अफवाह थी। हर एक अख़बार का प्रतिनिधि कानपुर में रहता था और वहाँ से रूस तथा उत्तरीय समाचार भेजता था। प्रत्येक अख़बार मे यह समाचार रहते थे।

प्रश्न—क्या तुम बता सकते हो कि वह शीरीं इन दिनों कहाँ है, जिसने मि०एवरेट को बहकाने की कोशिश की थी?

उत्तर—वह अरब सराय मे मार डाला गया।

प्रश्न—क्या तुम बता सकते हो कि सिपाही या देशी जनता में इस प्रकार और कोई विचार भी फैला हुआ था?

उत्तर—जी हाँ, ग़दर के ५-६ सप्ताह पूर्व सिपाहियों की लाइनो मे यह ख़बर थी कि १० लाख रूसी हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर के कम्पनी के राज्य को मिटा देंगे। रूस के आने की अफवाह सर्वसाधारण मे बहुत थी।

प्रश्न—क्या तुम्हे मालूम है कि ग़दर के पूर्व बादशाह या उनके रिश्तेदार या विश्वस्त नौकर सेना से गुप्त पत्र-व्यवहार करते थे ?

उत्तर—जी नही, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता।

प्रश्न—क्या तुम्हे मालूम है कि बादशाह ने गुप्त रूप से अपना दूत और पत्र ईरान के बादशाह के पास भेजे थे ?

उत्तर—मैंने सुना है कि उन्होंने दूत भेजा था किन्तु विश्वस्त रूप से नहीं कह सकता।

अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। गवाह चला गया और पीरज़ादा हसन अस्करी अदालत मे आए और क़सम ली। जज एडवोकेट ने प्रश्न किया—क्या ग़दर के दिनों में तुम दिल्ली मे थे। और यदि थे तो क्या करते थे ?

उत्तर—मै दिल्ली मे था। मेरा पेशा झाड़-फूॅक करना है। एक बार बादशाह बीमार हुए, कई पीर (मुसलमान ओझा) दुआ करने आए थे, मै भी बुलाया गया था। मैंने दुआएँ कीं और बादशाह अच्छे हो गए। तब वह बार-बार बुलाने लगे। बार-बार आने से परेशान होकर मैंने बादशाह से कह दिया कि मुझे अधिक न बुलाया करें। बादशाह ने क़सम खाकर वचन दिया कि वह आगे से तभी बुलावेंगे, जब सख्त बीमार होंगे।

प्रश्न—क्या शीरीं कब्ज़ को, जो शाही नौकर था, तुम उसे पहिचानते हो ?

उत्तर—मैंने बादशाह के सशस्त्र हब्शी नौकरों को प्रायः देखा था। किन्तु नाम से नहीं जानता। दो-तीन के नाम भी जानता हूँ जिनमे शीरीं क़ब्ज़ नहीं है।

प्रश्न—अदालत मे गवाही हुई है कि तुमने शीरीं को बादशाह का ख़त देकर ईरान के शाह के पास भेजा है। इस सम्बन्ध मे तुम क्या कहते हो ?

उत्तर—मै इस मामले मे कुछ नही जानता।

प्रश्न—अदालत में गवाही हुई है और स्वयं बादशाह ने भी स्वीकार किया है कि तुम भविष्यवाणी करते हो और स्वप्न विचार बताते हो। आसमान से तुम्हे ईश्वरीय आज्ञाएँ मिलती है। इस प्रकार के ढोंगों का तुम्हे दावा है ? इन बातो का तुम क्या जवाब रखते हो ?

उत्तर—मै ख़ुदा को गवाह करके कहता हूँ कि मैंने कभी भी इस प्रकार का छल-प्रपञ्च नहीं किया।

प्रश्न—तुम्हारे ही कहने के अनुसार तुमने बादशाह पर दम किया था। क्या तुम्हारी साँस मे निरोग करने का असर है ?

उत्तर—हमारी किताब मे लिखा है कि जब एक शख़्स दूसरे के लिए दुआ करके दम करता है तो निश्चय लाभ होता है।

प्रश्न—तुमने कभी बादशाह से कहा था कि स्वप्न में पश्चिम से आँधी चली या हिन्दुस्तान पर कोई आफत आने वाली दिखाई

दी, फिर बाढ़ ने आकर उसे रौंद डाला या अङ्गरेजों का नाश होगा और बादशाह गद्दी पर बैठेंगे ?

उत्तर—खुदा जानता है कि मुझे कोई ऐसा स्वप्न नहीं हुआ और न बादशाह से ऐसा कहा।

प्रश्न—तुम ने दिल्ली कब छोड़ा ? तुम्हारे छिपने का क्या कारण था, यहाँ तक कि अन्त मे पुलिस ने तुम्हे खोज डाला ?

उत्तर—जब शहर मे यह अफवाह फैली कि लोगो का कत्ले-आम होगा और लोग भागने लगे तो मै भी भाग गया। मै ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह मे जाकर रहा। जब वहाँ से चले जाने के लिए कहा गया तो कुतुब साहब को चला गया, वहाँ से गढ़ी हरसरू पहुँचा। वहाँ बीमार हुआ और कई स्थानों में घूमते लखनौती आया। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि गङ्गोह मे मेरी खोज हो रही है, मै ने अपनी मरज़ी से वहाँ जाने की ठानी और चला गया। वहाँ जाने पर मेरे भाइयो को मेरी ख़बर पहुँची। जब मै इमाम साहब की दरगाह मे औराद (एक प्रकार की मुसलमानी प्रार्थना) पढ़ रहा था सिपाहियो ने पकड़ लिया।

अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। गवाह के जाने पर बख़्तावर सिंह चपरासी आया और उसे सच कहने के लिए क़सम दी गई। जज एडवोकेट ने पूछा—क्या गत ११ मई को तुम दिल्ली में थे ?

उत्तर—जी, मैं था।

प्रश्न—उस अवसर पर जो देखा हो, बयान करो ?

उत्तर—मै नौकरी पर था। खन्दक साफ करा रहा था। हिसाब की किताब लेकर कप्तान डगलस को दिखाने ले जा रहा था। मैं रास्ते मे ही था, कि कलकत्ता दरवाज़े की ओर से एक सवार घोड़ा भगाता हुआ आया और जहाँ कप्तान डगलस खड़े थे, गया। मैंने कप्तान साहब को उससे बाते करते देखा, फिर उसने घोड़ा फेरा और भगाता हुआ चला गया। कप्तान डगलस ने मुझे कमरे मे ठहरने के लिए कहा और कहा, "मै क़िले जाता हूँ तब तक तुम यहीं ठहरो। मै अभी आता हूँ।" कप्तान साहब चले गये और मै दरवाज़े पर खड़ा रहा। माखन, किशन सिह और दूसरे लोग उनके पीछे चले गये। इसके बाद मि० फ्रेज़र बग्घी पर बैठकर आये और कप्तान साहब के सम्बन्ध मे पूछने लगे। वह बग्घी से उतर कर थोड़ी दूर चले फिर कहने लगे कि मि० डगलस के आने पर कहना कि मै कलकत्ता दरवाज़े गया हूँ। उनके जाने के बाद मै भी बादशाह के कमरे की ओर गया। रास्ते में कप्तान साहब मिले, वह घबड़ाए हुए थे। मैंने मि० फ्रेज़र का सन्देशा कहा। कप्तान साहब लाहौरी दरवाज़े पर गये और देशी गारद को दरवाज़ा बन्द कर देने के लिए कहा, जो कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि किले जाने वाले पुल पर भीड़ न होने पावे। उसी समय बादशाह का अफ़सर जो कि वहाँ कप्तान था, दिल्ली सड़क से आता दिखाई दिया। दरवाज़ा बन्द था और डगलस साहब की बग्घी भीतर थी। उन्होने देशी अफ़सर की बग्घी कलकत्ता दरवाज़े तक के लिए माँग लाने का हुक्म दिया।

कप्तान साहब उस मे बैठे,मै पीछे बैठ गया। कलकत्ता दरवाज़े पर मि० फ़्रेज़र, मि० नेक्सन हेडक्लर्क और ५-४ अङ्गरेज़ थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बन्द कर दिया गया। कप्तान साहब और मि० फ़्रेज़र एक ही बग्घी पर सवार हुए और दूसरे अङ्गरेज़ घोड़ो पर बैठे और सभी क़िले के लिए चले। थोड़ी दूर भी न जा सके थे, कि ४-५ सवार, जो तालाब की ओर से आ रहे थे नज़दीक आए और मि०फ़्रेज़र पर पिस्तौल दाग़ी। दूसरे सवारों ने भी फ़ायर किये लेकिन निशाने ख़ाली गये। कप्तान डगलस और मि० फ़्रेज़र बग्घी से उतर कर विद्रोहियो के सामने से हट गए और फाटक के रक्षको के पास जा कर खड़े हो गए। इस समय दो अङ्गरेज़ और इनके पास आ गए। मि० फ़्रेज़र ने एक सिपाही की बन्दूक़ लेकर एक सवार के ताक कर गोली मारी। उसके गिरते ही विद्रोही भाग गए। लेकिन फिर भीड़ बढ़ गई और कप्तान डगलस और एक दूसरे अङ्गरेज़ एक ख़न्दक में कूद पड़े और उसी के अन्दर अन्दर क़िले के दरवाज़े तक चले गए। मि० फ़्रेज़र और दूसरे अङ्गरेज़ सड़क के रास्ते वहीं पहुँचे। उस समय सभी घबराए थे। चोटों के कारण कप्तान डगलस बेहोश-से थे। मैंने उन्हें ले जाकर 'कुल्लियात ख़ाना' में बिस्तर पर लिटा दिया। ले जाने के पहिले मुझसे पादरी जैनिङ्ग्स ने कमरे में ले जाने को कहा था। बाद को मुझे शाही हकीम को लाने का हुक्म मिला। अक़ुल्ला चपरासी फ़ौरन बुला लाया। हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ के जाने के बाद बादशाह के ४-५ नौकर दीन-दीन की आवाज़ लगाते हुए आए

उसी समय मि० फ्रेज़र ऊपर चढ़ना चाहते थे, जिन पर लोगों ने हमला किया और तलवारो से काट डाला। यह काण्ड उत्तरी ज़ीने पर हुआ था। उसी समय दक्षिणी ओर से हथियारों और लाठियो से दुरुस्त एक भीड़ ने पहुँच कर तमाम कमरो पर क़ब्ज़ा कर लिया, नीचे वाले भी उनसे आकर मिल गये। प्रत्येक अपने बचने की फ़िक्र कर रहा था। मैंने भी वही किया। उस दिन से मै किले मे नहीं गया। मै दिल्ली छोड़ कर जबू के कटरा को चला गया। आक्रमणकारियो का नेता ३८ वीं पैदल रेजिमेण्ट का मुसलमान हवलदार था; वह क़िले के लाहौरी दरवाज़े की गारद मे तैनात था। इसके सिवा मै कुछ नहीं जानता।

अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। गवाह हट गया और किशनसिंह चपरासी गवाही देने आया। उसे क़सम दी गई। जज एडवोकेट ने बयान लिए—क्या ११ मई को तुम दिल्ली मे थे?

उत्तर—जी हाँ, मै कप्तान डगलस की अरदली में था।

प्रश्न—कप्तान डगलस बादशाह के कमरे के बरामदे के नीचे खड़े होकर विद्रोहियो से बात करने गए थे? और यदि ऐसा था तो क्या उन्होंने बादशाह से भी बात-चीत की थी? क्या तुम उनके साथ थे?

उत्तर—जी हाँ, मै मौजूद था। बादशाह से और कप्तान साहब से थोड़ी देर बात-चीत होती रही थी। बादशाह ने उन्हें मना किया था कि बाग़ियों के पास न जाएँ। जब कप्तान साहब नहीं माने तो बादशाह ने दरवाज़ा बन्द करा दिया।

प्रश्न—जब यह कहा गया तो कप्तान डगलस कितनी दूर पर थे ?

उत्तर—वह रास्ता चलते-चलते बात करते जाते थे। दो-चार क़दम जाने पर बादशाह इबादत-ख़ाने (पूजा-गृह) के दरवाज़े पर आकर खड़े हो गये।

अभियुक्त की ओर से जिरह

प्रश्न—लौटती समय कप्तान डगलस दीवाने-ख़ास के मार्ग से गए थे या किसी और राह से ?

उत्तर—वह इबादत-ख़ाने (पूजा-गृह) के दूसरे रास्ते से गए थे।

प्रश्न—क्या अभियुक्त ने यह नही प्रगट किया कि अङ्गरेज़ी राज्य मे उन्हे बड़ा सुख है ?

उत्तर—जी नहीं, अङ्गरेज़ी राज्य के सम्बन्ध मे कुछ नहीं कहा। हाँ यह अवश्य कहा था कि कप्तान डगलस उन पर बड़ा दयालु है।

प्रश्न—क्या कप्तान डगलस ने अभियुक्त के बरामदे से नीचे जाने की प्रार्थना नहीं की थी ? और यदि नहीं की थी तो अभियुक्त को कैसे मालूम हुआ कि वह नीचे जाना चाहते है ?

उत्तर—उस घटना को ९ मास हो गये, मुझे याद नहीं है। कप्तान साहब ने नीचे का दरवाज़ा खुलवाना चाहा था।

४ बज गये और अदालत दूसरे दिन के ११ बजे के लिए स्थगित हो गई।

ग्यारहवें दिन की कार्यवाही

मङ्गलवार, ता० ६ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

क़िले के दीवाने-ख़ास में आज फिर अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, सदस्य, अनुवादक, सरकारी वकील सब आये। अभियुक्त और उन के मुख्तार ग़ुलाम अब्बास भी मौजूद थे। गवाही के लिए चुन्नी, पब्लिक अख़बार-नवीस बुलाया गया, उसे सच बोलने के लिए क़सम दी गई। सरकारी वकील ने बयान लेना शुरू किया।

प्रश्न—क्या गत ११ मई को तुम दिल्ली मे मौजूद थे?

उतर—जी हाँ, मै मकान पर मौजूद था।

प्रश्न—क्या तुमने मेरठ से सैनिको को आते देखा था? यदि देखा हो तो तत्सम्बन्धी सारी बाते बताओ?

उत्तर—नही, मैने सैनिकों को आते नहीं देखा। लेकिन फाटक बन्द हो जाने का समाचार पाकर जब घर से बाहर आया तो देखा कि चाँदनी चौक मे कोतवाल दूकाने बन्द करवा रहे हैं। उन्हीं से पता लगा कि सर थ्यूफिल्स मेटकॉफ भी प्रबन्ध मे जुटे हैं। मै एक भीड़ के साथ कलकत्ता दरवाज़े की ओर गया, वहाँ देखा कि मि० फ़्रेज़र और ४-५अङ्गरेज़ वहाँ मौजूद हैं। मि० फ़्रेज़र के साथ झज्झर के सवार थे। मि० फ़्रेज़र,

शहर कोतवाल मि० शरीफुलहक, और सब्जी मण्डी थाने के अफसर दोयम के साथ दरवाज़े पर चढ़े और लाइन बना कर झज्झर के सवारो को खड़े रहने की आज्ञा दी, स्वयं भी वहाँ खड़े हो गये। दरबान सिपाही भी लाइन से खड़े थे, उन्हे तलवारें नङ्गी करने की आज्ञा हुई। उधर दरियागञ्ज की ओर से छः आदमी ऊँटों पर चढ़े आ रहे थे। उन्होंने एक मौके पर खड़े होकर अङ्गरेज़ों पर गोलियाँ चलाई जिससे भीड़ छट गई और मैं भी मकान चला आया। आने के पहिले मैंने इतना देखा कि झज्झर के सिपाहियों ने ऊँट सवारों की रोक-टोक नहीं की, बल्कि उन्हे अकेला छोड़ कर भाग गये। उसके बाद मै मकान से नहीं निकला। अन्य घटनाओ से मेरी जानकारी नहीं है।

प्रश्न—जब तुम कलकत्ता दरवाज़े पर गए थे तो भीड़ बहुत अधिक जमा हो गई थी ?

उत्तर—अङ्गूरी बाग़ के छोटे से स्थान मे ४-५ सौ आदमी मौजूद थे।

प्रश्न—ऐसा कब हुआ था ?

उत्तर—क़रीब ९ बजे के ; किन्तु ठीक समय नहीं बता सकता।

प्रश्न—जब वह आम रास्ता नहीं था, तो इतनी भीड़ क्यों हो गई थी ?

उत्तर—असाधारण बात यह थी कि फाटक बन्द करा दिया गया था। दूसरे स्नान करने वाले जल्दी से आ गये थे जिसमें फाटक बन्द होने के पहिले निकल जाएँ।

प्रश्न—तुम अपने को अख़बार-नवीस कहते हो। जो घटनायें हुईं उन्हे विस्तृत रूप से कहो। क्या जो काण्ड ११ मई को होने वाला था, उसकी चरचा २-३ दिन पहिले से न थी ?

उत्तर—११ मई को जो हुआ उसकी मुझे कुछ भी ख़बर न थी। किन्तु शहर मे उत्तेजना पहिले से फैली थी। शाह-ईरान की घोषणा, अम्बाला के बङ्गले जलना, चरबी के कारतूसों से असन्तोष की अफवाहे, प्रायः थीं।

प्रश्न—क्या तुमने कोई ख़ास अख़बार निकाला था ? यदि निकाला था तो उसका क्या नाम था ?

उत्तर—उसका कोई नाम नहीं था। उसमें दिल्ली सम्बन्धी लेख होने के कारण लोग दिल्ली अख़बार कहते थे। मैं उसमें रोज़ लेख लिखता और ग्राहको को पढ़ कर सुना देता।

प्रश्न—क्या फ़ाइल में तुम उसकी नकल रखते थे और रखते थे तो क्या अब भी तुम्हारे पास मौजूद है ?

उत्तर—मैंने ग़दर के पहिले और बाद की प्रतियाँ जमा कीं और उन्हें फ़ाइल कर दिया। ११ मई से कई दिन बाद तक की प्रतियाँ नहीं थीं। किन्तु नन्दकिशोर की सहायता से दिल्ली में पुनः अधिकार हो जाने के बाद वह भी जमा करलीं और कर्नल ब्रन, मिलिटरी गवर्नर दिल्ली को देदीं। जिन्होंने उनका अनुवाद कर लिया।

प्रश्न—११ मई को मि० फ़्रेज़र के साथ झज्झर के कितने सवार थे ?

उत्तर—गारद मे अफ़सरो सहित २२-२३ आदमी थे। जब हमला हुआ तब सभी मि० फ़्रेज़र के साथ थे।

प्रश्न—तुमने कहा कि सभी नियमित रूप से क्रम पूर्वक खड़े थे। किन्तु वह ६ सवार देख कर भाग खड़े हुए थे। क्या तुम्हे विश्वास है कि इन लोगो को तमाम बातों का पहिले से पता था ?

उत्तर—मेरा ख़याल है कि पहिले से पता नहीं था। लेकिन बाग़ी "दीन-दीन" चिल्लाते आ रहे थे, इसी से ये लोग भी मि० फ़्रेज़र का साथ छोड़ कर उनसे मिल गए।

प्रश्न—तुमने पहिले नहीं बताया कि लोग "दीन-दीन" चिल्ला रहे थे। इसे क्यो भुला दिया ?

उत्तर—८ मास पूर्व की बाते थी। अब छोटी-छोटी बातें भी याद आती जाती हैं। जब मै लौट रहा था, तो बाग़ी सवार 'दीन-दीन' पुकार रहे थे और इधर-उधर खड़ी भीड़ से कह रहे थे कि वह हिन्दुस्तानियो को न सताएँगे, न हाथ लगाएँगे।

प्रश्न—११ मई के पूर्व तुम अपने अख़बार में कैसे लेख लिखते थे ? क्या हिन्दुस्तानी सेना के सम्बन्ध में भी कोई लेख लिखा था अथवा उनके असन्तोष का ज़िक्र किया था ?

उत्तर—मेरे अख़बार मे सभी प्रकार के लेख तथा दूसरे छपे हुए अख़बारों के सभ्य मज़ाक़ के लेख रहते थे। कारतूस की समस्या और तत्सम्बन्धी भावों पर भी प्रकाश डाला गया था।

प्रश्न—क्या तुमने ईरानियों के हिरात की ओर बढ़ने के बारे में कोई लेख या समाचार दिया था ?

उत्तर—मुझे याद नहीं। निश्चय ही ऐसा किया होगा। किन्तु प्राय: ईरान सम्बन्धी खबरे मै शहर के फारसी अखबारो से उद्धृत कर लेता था।

प्रश्न—जब तुम स्वयं ग्राहको को अखबार सुना दिया करते थे तो तुम्हे पता होगा कि उनको किस विषय से विशेष प्रेम था। क्या सिपाहियो मे असन्तोष फैलने के समाचार दिलचस्पी से सुने जाते थे ?

उत्तर—हिन्दुओ में तो कोई विशेष उत्तेजना नही फैली किन्तु मुसलमान ईरानी समाचारो से बड़े उत्सुक होते थे। प्रसन्न होते और शेखी बघारते। ईरानी आवेंगे तो यह करेंगे, वह करेंगे। सिपाहियों मे असन्तोष के समाचारो को उत्साह से सुनते थे। उनमें उत्तेजना फैल रही थी।

प्रश्न—ईरानियों के आने की खबर के साथ क्या रूसियों के आने की भी कोई अफवाह थी ?

उत्तर—जी हाँ, दोनो की चरचा थी। किन्तु ईरानियों की अधिक।

प्रश्न—क्या दिल्ली से ऐसा कोई खास अखबार निकलता था, जिसका उद्देश्य अङ्गरेजों का विरोध था ?

उत्तर—एक साप्ताहिक पत्र था, जिसका नाम "सादिकुल अखबार" था। उसे जमालुद्दीन निकलवाते थे। उसमे ऐसे लेख निकलते थे जिससे अङ्गरेज़ी सरकार से शत्रुता प्रगट होती थी।

प्रश्न—क्या यह अख़बार छप कर निकाला जाता था और अधिक संख्या में ?

उत्तर—इसकी शहर और बाहर २०० प्रतियाँ जाती थी और यह लीथो प्रेस मे छपता था।

प्रश्न—क्या यह पत्र साप्ताहिक ही निकलता था अथवा समाचारों की अधिकता से विशेष अङ्क भी निकलते थे ?

उत्तर—कोई विशेष ख़बर मिलने पर विशेष अङ्क भी निकलता था।

प्रश्न—किन लोगों के बीच इसका अधिक प्रचार था ?

उत्तर—हर एक जाति मे इसकी खपत बढ़ती जाती थी।

प्रश्न—इतने बड़े शहर के लिए २०० प्रतियाँ तो बहुत कम हैं। क्या हिन्दुस्तानियो मे यह रिवाज है कि एक प्रति कई लोगो या कई परिवार के लिये ख़रीद कर सुना देने के लिए काफ़ी समझा जाता है।

उत्तर—जी हाँ, ख़रीदार स्वयं पढ़ कर अपने मित्रो और सम्बन्धियो को दे देता है।

प्रश्न—क्या दिल्ली मे "सादिकुल अख़बार" प्रतिष्ठित अख़बार माना जाता था और उसका प्रचार दूसरे अख़बारों से अधिक था ?

उत्तर—जी हाँ, यह प्रतिष्ठित अख़बार समझा जाता था। इसके लेख अच्छे और अङ्गरेजी अख़बारों के आलोचनात्मक ढङ्ग के होते थे। मुसलमानों में बड़ी क़द्र थी। दूसरे अख़बारों के

सम्बन्ध में तो नहीं कह सकता, किन्तु हिन्दुस्तानी अख़बारों मे कोई भी इतना अधिक प्रकाशित न होता था।

प्रश्न—तुमने बताया है कि वह अङ्गरेज़ी सरकार का विरोधी था। क्या तुम्हे उसका ऐसा कोई लेख याद है?

उत्तर—मैं ऐसा कोई लेख याद नहीं रख सका जिस मे विद्रोही विचार हों। लेकिन ईरान व रूस के सम्बन्ध मे जो कुछ लिखा गया था उसमे अङ्गरेज़ो के प्रति कड़े शब्द प्रयोग किए गए थे।

प्रश्न—क्या तुमने किसी ऐसे गुप्त पत्र की बाबत सुना है जिसमें मैजिस्ट्रेट के नाम कश्मीरी दरवाज़ा छीन लेने को लिखा गया था?

उत्तर—मुझे याद नहीं है कि ऐसी कोई ख़बर सुनी हो।

प्रश्न—क्या तुमने यह सुना, कि २१ मई या उसके लगभग बड़े ज़ोर का दङ्गा होगा?

उत्तर—नहीं, मैंने ऐसी कोई ख़बर नहीं सुनी।

प्रश्न—क्या तुम्हे चपातियों का हाल मालूम है जो गाँव-गाँव मे बाँटी गई थी?

उत्तर—जी हाँ, ग़दर के पूर्व सुना था।

प्रश्न—क्या हिन्दुस्तानी अख़बारो में इसकी आलोचना होती थी और यदि होती थी, तो क्या धारणा की गई थी?

उत्तर—जी हाँ, उस पर विचार होता था। समझा यह जाता था कि वह किसी भविष्य के गुप्त कार्य के लिए देहात के सङ्गठन करने का ढङ्ग है, जिसका भेद बाद को खुलेगा।

प्रश्न—तुम जानते हो यह रोटियाँ सब से पहिले कहाँ से बँटनी शुरू हुईं। सर्वसाधारण हिन्दुस्तानियों का क्या विचार है ?

उत्तर—मुझे इसके सम्बन्ध मे कुछ पता नहीं, किन्तु प्रायः लोगो का ख़याल है कि यह पानीपत करनाल से निकलीं।

प्रश्न—क्या तुम्हे पता है कि किले के लोगों के पास भी "सादिकुल अख़बार" की एक प्रति भेजी जाती थी ?

उत्तर—एक क्या कई अङ्क किले में जाते थे। किन्तु उन्हे कौन ख़रीदता था, यह मुझे पता नहीं।

प्रश्न—क्या विद्रोह के दिनो मे अभियुक्त की आज्ञा से फौजी अख़बार भी निकला था ?

उत्तर—जी हाँ, वह 'शाहीलेथूग्राफ' प्रेस मे छपता था। उसका नाम था 'सिराजुल अख़बार'। उसमे बादशाह और क़िले के समाचार निकलते थे। कभी कभी अन्य बातों की भी चरचा होती थी।

प्रश्न—जब अङ्गरेज़ो को मारा गया, तब तुम क़िले में थे ?

उत्तर—मै था, ग़दर के ५-६ दिन बाद मैंने मकान मे सुना कि क़िले मे दङ्गा हो रहा है। मैं तुरन्त ही दिल्ली दरवाज़े के रास्ते नए किले मे गया। वहाँ मैंने बादशाह के कुछ सशस्त्र सिपाहियों और बाग़ियो को अङ्गरेज़ो की हत्या करते देखा। उस समय ९।।-१० बजे थे। मुझसे बादशाह के भीखा नाम के नौकर ने कहा कि तुम अङ्गरेज़ो के लिए बहुत ख़बरे

जमा करते हो। यदि अब भी ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारी भी यही गति होगी। यह भीखा, अभियुक्त के लड़के मिरज़ा अकुल्ला का नौकर था।

प्रश्न—ये अङ्गरेज़ कहाँ से गिरफ़ार किए गए थे?

उत्तर—यह मैं नहीं जानता। किन्तु सुना था कि बादशाह के रसोई ख़ाना से निकाल कर लाए गए थे।

प्रश्न—यह रसोई ख़ाना उसी आँगन में था, जिसमें बादशाह का कमरा था?

उत्तर—बादशाह का कमरा उसके सामने था और आँगन बीच में था। दूसरी ओर रसोई ख़ाना था, जिसमें अङ्गरेज़ क़ैद थे। आँगन में ही दीवाने-ख़ास और दीवाने-आम है। बादशाह के कमरे से रसोई घर २-२॥ सौ ग़ज दूर है।

प्रश्न—जहाँ अङ्गरेज़ स्त्री और बच्चे रक्खे गए थे वहाँ किस हैसियत के लोग रहते थे?

उत्तर—उस हिस्से में बादशाह के मुफ़्ती (धार्मिक-न्यायाधीश) का दफ़्र था।

प्रश्न—क्या तुम्हारे कहने का यह अर्थ है कि जहाँ ये सब क़ैद थे, वहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति रक्खे जा सकते थे?

उत्तर—जी नहीं, उसमें कदाचित कोई नहीं रहता था।

प्रश्न—फिर उस इमारत से क्या काम निकाला जाता था?

उत्तर—वह पुराने समय मे हवालात थी। अब माल गोदाम का काम लिया जाता था।

प्रश्न—क्या वहाँ स्त्रियो और बच्चो को अधिक आराम मिल सकता था या यह विचार था कि कोई बदमाश उन्हें छेड़ न सके?

उत्तर—वह अँधेरी कोठरी थी। खुली हुई इमारत थी और परदा वग़ैरः कुछ नहीं था।

प्रश्न—क्या छोटा हिन्दुस्तानी भी वहाँ रहना अपनी बेइज्ज़ती न समझेगा?

उत्तर—जी, जो वहाँ रक्खा जावे वह इसमे अपनी बड़ी बेइज्ज़ती समझेगा।

प्रश्न—क्या क़िले मे वही एक स्थान रह गया था जिसमें लेडियो और बच्चो को कैद किया जा सके?

उत्तर—जहाँ कैदियों को आराम मिल सकता, ऐसी इमारतों की वहाँ कमी न थी।

प्रश्न—किस के हुक्म से यह अङ्गरेज़ मारे गए?

उत्तर—बादशाह के हुक्म से। और ऐसा हुक्म कौन दे सकता था।

प्रश्न—तुमने बादशाह के किसी लड़के को वधस्थल का दृश्य देखते देखा—?

उत्तर—वहाँ बड़ी भीड़ थी। मैं किसी को देख न सका। हाँ, मिरज़ा मुग़ल के मकान की छत पर लोग खड़े थे और सुना था कि स्वयं शाहज़ादा भी झरोकों से देख रहे हैं।

प्रश्न—क्या मारे जाने के पहिले अङ्गरेज़ों को रस्सियों से बाँधा गया था?

उत्तर—मैंने ख़याल नहीं किया।

प्रश्न—क्या हत्या के पूर्व उन्हे एक लाइन में बिठाया गया था ?

उत्तर—मै भीड़ के कारण वहाँ जा नहीं सका। जब हत्याएँ हो गईं तो भीड़ छटी और बादशाह की आज्ञा आई कि लाशों को फेक दिया जाए। फिर उन्हें गाड़ियों पर लादा जा रहा था तो मैंने उन मेहतरों से जाकर पूछा, जो कि लाशें लाद रहे थे तो मालूम हुआ कि ५२ व्यक्तियो को क़त्ल किया गया। उस समय लाशे वृत्ताकार फैली हुई थी।

प्रश्न—इनमे मरदों की कितनी लाशे थीं ?

उत्तर—सिर्फ ५ या ६। शेष सभी स्त्री और बच्चो की थीं।

प्रश्न—तुम जानते हो लाशो का क्या किया गया ?

उत्तर—अभियुक्त की आज्ञा से सलीमगढ़ की ओर नदी मे डाल दी गईं।

प्रश्न—क्या हत्या के बाद प्रसन्नता प्रगट करने के लिये तोपें दाग़ी गई थी ?

उत्तर—मैंने तोपों की आवाज़ नहीं सुनीं और न किसी से यही सुना कि तोपे दाग़ी गई थीं।

चार बज गये और अदालत दूसरे दिन ग्यारह बजे के लिए स्थगित हो गई।

बारहवें दिन की कार्यवाही

बुधवार, ता० १० फ़रवरी, १८५८ ई०

रोज़ की भाँति आज भी क़िले के दीवाने-ख़ास में अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, सदस्य, अनुवादक, सरकारी वकील सब मौजूद थे। अभियुक्त और उनके मुख़्तार ग़ुलाम अब्बास लाए गए। गवाह चुन्नी अख़बार-नवीस को दुबारा बुलाया गया। कल के बयान के आगे सरकारी वकील ने बयान लेने शुरू किए।

प्रश्न—क्या तुम बता सकते हो कि दिल्ली के किसी और स्थान पर भी अङ्गरेज़ मारे गए ?

उत्तर—मैंने पूर्व बताये हुए अङ्गरेजों के और किसी का वध नहीं देखा। सुना ज़रूर है कि राजा किशनगढ़ के मकान में २५ अङ्गरेज़ शरण लेने गये थे। उनके पास जब तक गोली-बारूद रही तो लड़ कर जान बचाते रहे, बाद में उन्हे तहख़ाने से बाहर निकाल बर बाग़ी सैनिकों के कुछ साथी मुसलमानो ने मार डाला।

प्रश्न—क्या कभी दिल्ली में बादशाह की हुकूमत की घोषणा की गई थी, और यदि की गई थी, तो कब ?

उत्तर—१२ मई को बादशाह की ओर से दूकान खोलने की मुनादी की गई। दो रोज़ बाद बादशाह हाथी पर बैठ कर शहर में

निकले। एक पैदल रेजिमेण्ट, कुछ तोपे, बैण्ड बाजा और विशेष सशस्त्र शरीर रक्षक थे। वे दूकानें खुलवाने के मतलब से निकले थे। और शहर मे जहाँ तक मकानो का सिलसिला है, वहाँ तक गये। फिर अपने जलूस के साथ किले मे लौट गये। क़िले से निकलते समय २१ तोपों की सलामी दी गई थी; और लौटने पर भी वैसी ही सलामी हुई।

अभियुक्त की ओर से जिरह

प्रश्न—कभी तुम ने यह भी सुना, कि मेरठ से आई हुई विद्रोही फौजो ने बादशाह के कहने से ऐसा किया था अपनी इच्छा से ज़बरदस्ती यह सब किया ?

उत्तर—मुझे इस सम्बन्ध मे कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह हुआ होगा या उस तरह।

प्रश्न—कल तुमने कहा था कि अङ्गरेज़ स्त्री और बच्चों को ऐसे स्थान पर रक्खा गया था जहाँ शाही मुफ़्ती (न्याय करने वाले) रहते थे, बाद को कहा, कि यदि वहाँ कोई देशी अफ़सर रक्खा जाता तो उस मे वह अपनी बेइज्ज़ती समझता। क्या यह दोनों बाते परस्पर विरोधी नहीं हैं ?

उत्तर—वह स्थान मुफ़्ती के रहने का नहीं था, बल्कि दफ़्तर था। दफ़्तर होने के कारण वहाँ भले और बुरे, प्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित, सभी व्यक्ति आते थे; अतः साफ है वह प्रतिष्ठित व्यक्ति के रखने का स्थान नहीं हो सकता।

गवाह हट गया। चुन्नीलाल बिसाती अदालत मे आया, उसे क़सम दी गई।

सरकारी वकील ने प्रश्न किया—क्या गत ११ व १२ मई को तुम दिल्ली मे थे ?

उत्तर—जी हाँ, दोनो तारीख़ों को यहीं था।

प्रश्न—क्या इन दो तारीख़ो मे से किसी दिन बादशाह के राज्य लेने की मुनादी द्वारा घोषणा हुई थी ?

उत्तर—११ मई की आधी रात को २० तोपे किले मे दाग़ी गई थीं जिनकी आवाज़ मैंने मकान से सुनी थी। दूसरे दिन दोपहर को शहर मे मुनादी हुई कि मुल्क पर बादशाह का फिर अधिकार हो गया।

प्रश्न—क्या तुमने ऐसा कोई जुलूस निकलते देखा, जिसमें बादशाह हाथी पर सवार थे ?

उत्तर—ग़दर के चन्द दिनों बाद मैंने क़िले जाना छोड़ दिया। बादशाह का कोई जलूस नहीं देखा। मिर्ज़ा मुग़ल का जुलूस जरूर निकला था, जो कि उनके कमाण्डर-इन-चीफ़ होने की खुशी में था।

अभियुक्त ने जिरह करने से इनकार किया। गुलाब दूत (चिट्ठी लाने वाला) अदालत में लाया गया। क़सम देने के बाद सरकारी वकील ने प्रश्नों द्वारा बयान लेना आरम्भ किया।

प्रश्न—गत मई में जब किले में अङ्गरेज लेडी और बच्चे क़त्ल किये गये, तुम मौजूद थे ?

उत्तर—मै था, मैंने उन्हे कत्ल होते हुए देखा।

प्रश्न—तुमने सबसे पहिले कब सुना कि वह क़त्ल किये जाएँगे?

उत्तर—मैंने वध के दो दिन पूर्व सुना था कि दो दिन के भीतर अङ्गरेज़ मार डाले जाएँगे। लेकिन मुझे वह दिन याद नहीं है। वध के दिन सर्वसाधारण जन-समुदाय के दल के दल १० बजे के वक़्त क़िले मे जा रहे थे। उनमे मै भी सम्मिलित था। जब मै आँगन में पहुॅचा तो देखा कि सभी अङ्गरेज़ एक लाइन मे खड़े किये गये हैं और बादशाही-सशस्त्र जिन्हे बॉडी गार्ड कहते है चारों ओर से उन्हे घेरे खड़े है, उन्ही के साथ कुछ विद्रोही सिपाही भी थे। मैंने किसी को कोई इशारा करते या हुक्म देते नहीं सुना, बल्कि उन लोगो ने एक दम से तलवारें खींच लीं और एक बार ही सब ने क़ैदियों पर हमला किया और तब तक उन पर तलवारे चलाते रहे जब तक उनके टुकड़े-टुकड़े न हो गए। कम से कम १००-१५० आदमी इस काम को कर रहे थे।

प्रश्न—क्या किसी ने उनको बचाने का प्रयत्न नहीं किया अथवा बादशाह से किसी ने सिफारिश की?

उत्तर—न तो किसी ने बचाने की कोशिश की और न बादशाह से ही सिफारिश की?

प्रश्न—तुमने बताया है कि अङ्गरेजों के कत्ल होने की ख़बर दो दिन पहले से ही थी, क्या तुम्हे यह भी बताया गया था कि किस के हुक्म से कत्ल किए जाएँगे?

उत्तर—मै नहीं जानता कि किसके हुक्म से मारे गए, किन्तु बगैर हुक्म के ऐसा नहीं हो सकता था।

प्रश्न—क्या आम तौर पर यह मशहूर है, कि बादशाह ने कत्ल का हुक्म दिया था?

उत्तर—उस समय यह कुछ नही मालूम हुआ। लोग यही कहते थे कि कैदी परसो मारे जाएँगे?

प्रश्न—क्या दिल्ली मे बादशाह की बराबरी का ऐसा और भी कोई था, जो ऐसी आज्ञा देता?

उत्तर—बादशाह या उनके पुत्र मिर्जा मुगल। यही दो ऐसे व्यक्ति थे जहाँ से आज्ञा सम्भव थी।

प्रश्न—तुम्हारे ख़याल मे कितने कैदी मारे गये। क्या मारने के पहिले वह आपस में जकड़ दिये गये थे?

उत्तर—मैं सख्या नही बता सकता, क्योंकि हत्यारे उन्हें घेरे थे। उनमे अधिक बच्चे थे जो जकड़े नहीं थे।

प्रश्न—तुम जानते हो लाशो का क्या किया गया?

उत्तर—नहीं, कत्ल के बाद सिपाहियो ने सब को क़िले के बाहर कर दिया। मैंने बाद को कुछ नहीं सुना।

प्रश्न—बैङ्क मे किसी को क़त्ल होते देखा था?

उत्तर—हाँ, मिस्टर ब्रेसफर्ड और उनके कुटुम्ब की हत्या होते समय मै देख रहा था। जब विद्रोहियो और बलवाइयों ने बैङ्क पर हमला किया तो मिं० ब्रेसफ़र्ड और उनका कुटुम्ब बाहरी दफ़्तर में छिपने चले गये। जब आक्रमणकारियों ने उन्हें

खोजा तो वे छत पर थे। उस समय मि० ब्रेसफर्ड के पास तलवार थी और उनकी स्त्री के पास भाला। पहले तो विद्रोही डरे, किन्तु बाद को हमला किया और मार डाला। मैं नहीं कह सकता कि कितने व्यक्ति मारे गये; लेकिन अनुमान से कई एक थे। यह घटना ग़दर के दिन दोपहर समय की है।

प्रश्न—किसी लेडी को जीवित पकड़ कर ले गये या सब को मार डाला?

उत्तर—सब को तुरन्त मार डाला।

प्रश्न—क्या बादशाह के सशस्त्र सलाहकारो मे भी कोई बैङ्क मे था?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—क्या ग़दर होते ही बादशाह शासक घोषित कर दिये गए थे?

उत्तर—जी हाँ, ग़दर के दिन ही ३ बजे यह मुनादी हुई कि बादशाह का राज्य हो गया। अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। तब अदालत ने पूछा—तुम जानते हो कि क़ैदियों को इतने दिन क्यो कैद रक्खा गया और वध के लिए कोई विशेष दिन क्यो नियत किया?

उत्तर—मुझे दो में से किसी बात की जानकारी नहीं।

हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ फिर बुलाये गए और क़सम देने बाद जज एडवोकेट ने बयान लिये।

प्रश्न—क्या ग़दर के दिनों मे कोई सरकारी रोज़नामचा था?

उत्तर—ग़दर के बहुत पहिले से ही सरकारी रोज़नामचा रक्खा जाता था, कोई नया नहीं बना।

प्रश्न—इस पन्ने को देख कर बताओ कि यह किसका लिखा है, पहिचानते हो ?

उत्तर—यह लिखावट रोज़नामचा लिखने वाले की है और यह पन्ना भी उसी रोज़नामचे का है।

तारीख़ १६ मई, सन् १८५७ के सरकारी रोज़नामचे का अनुवाद

"बादशाह ने दीवान-ख़ास में दरबार किया। ४९ अङ्गरेज़ क़ैद थे। सेना ने उनके मारने की माँग पेश की। बादशाह ने, सेना जैसा चाहे करे, कह कर क़ैदियों को उनके सिपुर्द कर दिया। अन्त में वे क़ैदी क़त्ल किये गये। दरबारी अधिक संख्या में मौजूद थे। रईस, शरीफ़, अफ़सर आदि सभी दरबारी उपस्थित थे और सभों ने बादशाह की आज्ञा मानने का गौरव प्राप्त किया।"

प्रश्न—क्या ११ मई को तुम दिल्ली में मौजूद थे ?

उत्तर—जी हाँ, मौजूद था।

प्रश्न—उस समय तुम ने जो कुछ देखा हो, बयान करो ?

उत्तर—रमज़ान की १६ वीं (११ मई) को सवेरे ७ बजे देशी पैदल रेजिमेण्ट नं० ३८ का एक हिन्दू सिपाही क़िले में आया और कई दरबानों से, जो वहाँ मौजूद थे, कहा कि मेरठ में देशी सेना ने अङ्गरेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है और अब

दिल्ली मे आना चाहते है। और वे तथा उनके दूसरे साथी अब कम्पनी की नौकरी न करेंगे, बल्कि धर्म के लिए युद्ध करेंगे। मेरा मकान किले के दीवान-ख़ास के समीप ही था। दरबानो ने तुरन्त आकर उस सिपाही की सभी बातें कहीं। मैने यह सूचना पाई ही थी कि बादशाह ने मुझे बुलवाया मै वहाँ गया तो बादशाह ने कहा कि देखो सवार झरोखा के नीचे (मालूम होता है कि महल के झरोखों के नीचे को झरोखा के नाम से पुकारते थे) से आ रहे है। मै ने देखा कि १५० गज़ की दूरी पर १५-२० सवार हैं। उनमे कुछ वर्दी पहिने थे और कुछ हिन्दुस्तानी कपड़े पहिने थे। मैने दरवाज़ा बन्द कर देने को कहा जिसके द्वारा वे झरोखा के नीचे से हो कर किले मे आ सकते थे। वह बड़ी कठिनाई से बन्द हुआ था, कि ५-६ सवार समन-बुर्ज के दरवाज़े पर पहुँच गये, जहाँ बादशाह के निजी कमरे और उनकी बेगमों के निजी कमरे थे। सिपाहियों ने चिल्लाना शुरू किया "दुहाई है बादशाह साहब की। हम अपनी धर्म की लड़ाई के लिए सहायता चाहते हैं।" बादशाह ने सुनकर कुछ जवाब नहीं दिया और न नीचे वालो को अपना चेहरा ही दिखाया, बल्कि ग़ुलाम अब्बास शमशीर उद्दौला को, जो कि उस समय वहाँ पर थे, कप्तान डगलस के पास भेज दिया कि वह उन्हे सिपाहियों के आने और प्रबन्ध करने की बात कह दे। फिर बादशाह भीतर के कमरे मे चले गये और मैं दीवाने-ख़ास मे चला गया। इसी समय ग़ुलाम अब्बास कप्तान डगलस को साथ लिए आये और जैसा कि पहिले कहा जा

चुका है, कि झरोखे के नीचे झाँकने लगे, जहाँ पर कि सवार अब तक मौजूद थे। उनसे कहा गया कि यह बादशाह का महल है, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से बादशाह नाराज़ होंगे। इस पर सवार राजघाट की ओर चले गये जहाँ से शहर का मार्ग पास ही है। बादशाह कप्तान डगलस के आने की ख़बर सुनकर बाहर आये और दीवाने-ख़ास तथा कमरा-ख़ास के बीच मे उनसे मिले। कप्तान डगलस ने बादशाह से कहा कि आप घबराएँ नहीं इस दङ्गे को मै बहुत शीघ्र शान्त कर दूँगा। मै दङ्गाइयों को अभी जाकर गिरफ़्तार करता हूँ। यह कह कर वह जाने लगे और कहा कि समन-बुर्ज का दरवाज़ा बन्द कर दिया गया है वह खोल दिया जावे तो मै इन लोगो के सामने होकर कुछ बातें कर लूँ। बादशाह ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास कोई हथियार नही है और न सिपाही ही साथ हैं ऐसी सूरत मे दुश्मनो के बीच मे जाना भूल है। यह सुन कर कप्तान डगलस अपने स्थान को लौट गये और इस के थोड़ी देर बाद कप्तान डगलस का नौकर प्रान, जमादार आया और बोला कि कप्तान डगलस ने मुझे और गुलाम अब्बास को बुलाया है। जब हम लोग गये तो कप्तान साहब ने कहा कि मेरे पैर मे बड़ी चोट आई है, उस समय उनके साथ एक और साहब थे, जिन्हें मै नहीं पहचानता। उनके कन्धे पर गहरा घाव था और वह एक कोच पर लेटे थे। फिर उन्होने दो पाल्की कहारों सहित माँगी जिस मे लेडियाँ भेजी जा सकें। उसी समय कमिश्नर फ्रेज़र आए

और बोले कि बादशाह के यहाँ से दो तोपें माँगो जो कि दरवाज़े पर रक्खी जा सकें। फिर मि० फ्रेज़र मुझे और ग़ुलाम अब्बास को लेकर नीच आये, वह तो दरवाज़े की ओर चले गये और हम दोनों बादशाह के पास को चले। बादशाह की आज्ञा से पाल्की और तोपे भेज दी गई, इसी के बाद ख़बर मिली कि सवार लाहौरी दरवाज़े से किले मे घुस आये हैं, जहाँ पर कि मि० फ्रेज़र तोप लगाना चाहते थे। हमे यह भी बताया गया, कि मि० फ्रेज़र मार डाले गये है और डगलस साहब को मारने गये हैं। पाल्की के कहारो ने लौट कर इस समाचार का अनुमोदन किया कि वह आँखों देख आये है कि मि० फ्रेज़र की लाश फाटक पर पड़ी है और सवार फाटक के ऊपर रहने वालों को मारने गये हैं। बादशाह ने सब दरवाज़े बन्द करने का हुक्म दिया लेकिन जवाब मिला कि नं० ३८ पैदल सेना के सिपाही (जो कि दरवाज़े की गारद पर नौकरी देते थे) ऐसा नहीं करने देते। इसके बाद ५० सिपाही दीवाने-ख़ास तक आ गये और पाईं-बाग़ मे घोड़ो को बाँध दिया। पैदल रेजिमेण्ट के भी सिपाहियों ने आकर दीवाने-ख़ास और आम मे जहाँ चाहा अपना बिस्तर लगा दिया। यह कौन सी रेजीमेण्ट के सिपाही थे, मुझे मालूम नहीं लेकिन ख़याल है कि दिल्ली की ३ रेजिमेण्टें थीं। मेरठ की रेजिमेण्ट २ बजे के पहले न आ सकी थी और वह सब एक साथ नहीं आये थे, बल्कि गिरोह बना कर दिल्ली रेजिमेण्ट से आकर मिल गये थे, और जहाँ चाहा बिस्तरा लगा

दिया था। उस दिन कोई दरबार नहीं हुआ। बादशाह ३-४ बार दीवाने-ख़ास में आये, वहाँ हर तरफ बाग़ी पड़े हुए थे। दिन और रात भर बाग़ियों के दल आते रहे। शाम को ५४ नम्बर पैदल रेजिमेण्ट आई और सलेमगढ़ क़िले पर अधिकार करने चली गई। दूसरे दिन मेगजीन से तोपे लाकर मेरठ से अङ्गरेज़ी सेना के आने का रास्ता रोक दिया गया। ३ दिन तक अङ्गरेजों के आने का बड़ा डर रहा। ज़रा बिगुल की आवाज़ आई कि बाग़ी चौकन्ने हो गये। ११ मई को बादशाह के तीन लड़के—मिरज़ा मुग़ल, मिरज़ा ख़ैर सुलतान, जवाँबख्त—और पोते मिरज़ा अबू बकर ने सेना के अफ़सर बन जाने की बादशाह से प्रार्थना की। मैंने बादशाह को सलाह दी कि ये लोग अनुभवहीन लड़के हैं, अच्छा होगा कि आप इन्हें ऐसी ज़िम्मेदारी के पद न दें। इस पर वह सब बहुत नाखुश हुए और मिरज़ा मेंढू, मिरज़ा बख़्तावर शाह और मिरज़ा अकुल्ला तथा सेना के दूसरे अफ़सरों को फुसला कर दो दिन बाद जबरदस्ती सेना-ध्यक्ष बन बैठे।

प्रश्न—तुमने कहा कि बादशाह से दो पाल्की कप्तान साहब के यहाँ भेजने की प्रार्थना की गई थी। जब उन्हें मि० फ्रेज़र और कप्तान डगलस की हत्या की ख़बर मिली तो हत्यारों की गिरफ़्तारी का कोई प्रयत्न किया गया?

उत्तर—वहाँ ऐसी गड़बड़ी थी कि कुछ किया न जा सका।

प्रश्न—यह साफ है कि बादशाह के ख़ास नौकरों ने मि० फ्रेज़र आदि अङ्गरेजों को मारा था। क्या ये लोग पहिले

ही की भाँति अपनी जगह पर काम करते और तनख्वाह पाते रहे ?

उत्तर—मैंने यह कभी नहीं सुना कि बादशाह के नौकरो ने हत्या की। लेकिन यह ठीक है कि कोई नौकर इस जुर्म मे नौकरी से अलग नहीं किया गया।

प्रश्न—क्या तुम्हारा यह मतलब है कि यह ठीक रीति से प्रकट नहीं हुआ, कि हत्यारे कौन थे ?

उत्तर—जी हाँ, सर्वसाधारण रीति से यह बात अप्रगट है। मैंने नही सुना कि किसने हत्या की।

प्रश्न—क्या इस की कभी जाँच भी की गई थी ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—ग़दर से पहिले बादशाह के पास कितने सशस्त्र नौकर थे ?

उत्तर—लगभग १२ सौ के।

प्रश्न—क्या यह सेना के विभिन्न अङ्गो मे—पैदल, सवार, तोपख़ाना आदि मे—बँटे थे ?

उत्तर—जी हाँ, इन मे पैदल, सवार, तोपख़ाना—सभी सम्मिलित थे।

प्रश्न—बादशाह के पास कितनी तोपे थीं ?

उत्तर—काम मे आ सकने वाली तो ६ थीं। कितनी बेकार थी, यह नहीं मालूम।

प्रश्न—११ मई को, ग़दर के दिन इस फौज से क्या काम लिया गया था ?

उत्तर—यह किले के ख़ास दरवाजो और अफ़सरो के घरो की रक्षा पर रक्खे गये थे। कुछ लोग रुपयो पर नौकर थे जो बहुत कम हाज़िर रहते थे लेकिन तनख़्वाह घर बैठे उन्हे मिल जाया करती थी।

प्रश्न—इतने अङ्गरेज़ बच्चे और स्त्रियॉ क्यों किले मे लाये गये और कैद किये गये ?

उत्तर—बाग़ियो ने उन्हे शहर और आस-पास गिरफ़्तार किया था और खुद किले मे ठहरे थे इसलिए उन्हें भी वही लाये।

प्रश्न—क्या तुम्हारा मतलब यह है, कि जिस सिपाही ने जिस स्त्री या बच्चे को पकड़ा, अलग अलग कैद रक्खा ?

उत्तर—नही, बल्कि उन्होने गिरफ़्तार करने के बाद क़ैदख़ाना के रक्षक को सूचना दी जहाँ से हुक्म मिला कि हर एक अङ्गरेज़ को रसोई घर मे कैद किया जावे।

प्रश्न—रसोई घर को क़ैदख़ाना किसने बनाया था ?

उत्तर—बादशाह ने, यह समझ कर, कि यह बड़ी इमारत है। बाग़ियो से कह दिया गया था कि कैदियों को वही रक्खे।

प्रश्न—ग़दर के पहिले बादशाह का बॉडी गार्ड (शरीर रक्षकों) का अफ़सर कौन था ?

उत्तर—महबूब अली ख़ाँ।

प्रश्न—क्या उनमें से किसी ने ११ मई को मेगज़ीन पर छापा मारा था और यदि हाँ, तो किसकी आज्ञा से ?

उत्तर—मैंने नहीं सुना कि उनमें से किसी ने किस की आज्ञा

से छापा मारा और न यह ही सुना कि किसी ने छापा मारा और यदि हमला हुआ भी होगा तो शहर के बाहर वालों ने ऐसा किया होगा।

प्रश्न—क्या तुम जानते हो कि इन दिनो बादशाह का कोई दूत शाह-ईरान के यहाँ है, या हाल मे गया है?

उत्तर—नहीं, वर्त्तमान समय की बात नहीं जानता किन्तु २-३ साल पहिले मुहम्मद बाकर के अखबार मे पढ़ा था, कि बादशाह के भाई मिरज़ा नजफ़ ईरान गये थे और शाह के दरबार मे उनका बहुत शान से स्वागत हुआ था।

प्रश्न—क्या वह दिल्ली से भेजे गये थे?

उत्तर—यह नही जानता। इतना मालूम है कि वे दो बरस पहिले काग़जात के साथ सरकार के पास कलकत्ता भेजे गये थे।

प्रश्न—क्या हसन अस्करी के शीरीं कब्ज के भेजने की बात तुम नहीं बता सकते? यह अच्छी तरह से प्रगट है कि तुम विश्वासपात्र समझे जाते थे और जैसा कि कहा गया है कि तुम इससे पूरे जानकार थे।

उत्तर—मै शपथ पूर्वक कह सकता हूँ कि मैंने अदालत से कोई बात नही छिपाई। यह ठीक है कि मैं विश्वासपात्र था, किन्तु फिर भी नौकर था। बहुत से भेद मुझ से छिपे थे जैसे कि बादशाह ने अपनी बेगम ताजमहल (जो मुसलमानों मे नीच जाति की डोमनी थी जिससे बाद मे बादशाह से शादी हो गई थी) की शादी की बात मुझे नहीं मालूम थी और न मुझसे राय ही ली

गई। जवाँबख्त के राज्यारोहण के षड़यन्त्र का मुझे पता नही था। ऐसी ही बहुत सी बाते मुझे नही मालूम है। अतएव मै अभियुक्त हसन अस्करी और शीरी कब्ज की बात नही जानता।

प्रश्न—क्या तुम जानते हो कि बादशाह ने अपने दोस्तो के द्वारा कम्पनी की देशी सेना के अफ़सरो से पत्र-व्यवहार रक्खा था?

उत्तर—नही, सम्भव है कि पत्र-व्यवहार हुआ हो, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास नही होता।

४ बज जाने के कारण अदालत दूसरे दिन ११ बजे तक को स्थगित हो गई।

तेरहवें दिन की कार्यवाही

गुरुवार, ११ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

नित्य नियमानुसार अदालत दीवाने-ख़ास मे बैठी। प्रेज़िडेण्ट, मेम्बर, अनुवादक, जज एडवोकेट जनरल सब मौजूद थे। अभियुक्त अदालत मे लाये गये। हकीम एहसन उल्ला खाँ भी गवाही के लिए बुलाए गए और उन्हें कल के बयान की याद दिलाई गई। सरकारी वकील ने प्रश्न किया—क्या तुम्हे मालूम है कि ग़दर के पूर्व अभियुक्त "सादिकुल अख़बार" बहुत पढ़ते थे ?

उत्तर—नियमित रूप से नहीं पढ़ते थे। कभी कभी कोई शाहज़ादा किसी लेख को बता देता था।

प्रश्न—ईरान सम्बन्धी समाचार शाहज़ादे प्रायः पढ़ते थे। क्या यह बताया जाता था कि ईरानियो ने अङ्गरेज़ों को हराया ?

उत्तर—मैंने स्वयं अख़बार नहीं पढ़ा और न जानता हूँ। लेकिन यह आम ख़बर थी कि ईरानी अङ्गरेज़ो को हरा रहे है। इस समाचार को ज़रूरी समझ कर शाहज़ादे पढ़ते और विश्वास करते थे।

प्रश्न—ग़दर के पहले क्या लोगों को यह विश्वास था कि अङ्गरेज़ी राज्य समाप्त हो जाएगा और क्या शाहज़ादे भी इस मत से सहमत थे ?

उत्तर—जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना।

अभियुक्त की ओर से जिरह

प्रश्न—तुम ने बतलाया है कि बादशाह के १२०० नौकर थे और सेना ३ भागो मे विभक्त थी। उन भागो की कैसी वर्दियाँ थी और किस-किस नाम से वह मशहूर थी?

उत्तर—दो पैदल रेजिमेण्टें थी। प्रत्येक मे ५०० सिपाही थे। इनकी वर्दी का रङ्ग गहरा काला और मटमीला था, कमर का पट्टा और साफा लाल था। वर्दियो पर कोई चिन्ह या तमग़े न थे जिन से विभिन्न टुकड़ियाँ अलग पहिचानी जा सकतीं। तोपख़ानो मे ४० सिपाही थे। उनकी वर्दी गहरी पीली और कमरबन्द व साफा लाल थे। इनकी वर्दी पर भी कोई चिन्ह या तमग़ा न था। बॉडी गार्ड लाल कोट पहिनता था और साफा तथा कमरबन्द का रङ्ग गहरा नीला था।

गवाह चला गया और मि० आल्डवेल अलेक्ज़ेंडर की स्त्री श्रीमती आल्डवेल सरकारी पेंशनयाफ़्ता गवाही के लिए आई। उन्हे क़सम दी गई। जज एडवोकेट ने बयान लेना आरम्भ किया।

प्रश्न—क्या ११ मई सन् १८५७ को तुम दिल्ली मे मौजूद थीं?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—तुम कहाँ रहती थीं और किस समय सुना कि दिल्ली में मेरठ से सेना आई है?

उत्तर—मैं दरियागञ्ज में रहती थी। मैंने ११ मई को ८-९ बजे सवेरे के बीच सेना आने की बात सुनी।

प्रश्न—उस रोज़ तुमने जो कुछ देखा हो बयान करो।

उत्तर—मेरे एक साईस ने आकर ख़बर दी कि सेना मेरठ से बग़ावत करके और अङ्गरेजों की हत्या करते हुए यहाँ आ गई है और यहाँ भी अङ्गरेज़ो की हत्या करेगी इसलिए गाड़ी तैयार करके भाग चलना चाहिए। मै बाते कर ही रही थी कि मेरे दरवाज़े के पड़ोसी मिस्टर नोलन ने आकर अनुमोदन किया और मिस्टर आल्डवेल को पूछने लगे जिस से उन से कुछ सलाह कर सके। वह मिस्टर आल्डवेल के पास चले गए और बड़ी देर तक सलाह करते रहे और अन्त मे तय हुआ कि आस-पास के सभी अङ्गरेज़ मेरे मकान मे आ जाएँ (मेरा मकान बड़ा लम्बा-चौड़ा था) और जब तक दम रहे, अपनी इज्ज़त बचावें। इस के बाद वे दोनो पास के अस्पताल गारद के देसी सिपाहियो के पास गये और कहा कि वे सब हमारी सहायता करे, इस के बदले अङ्गरेज़ उन्हे काफी धन देंगे। सिपाहियों ने उत्तर दिया—"जाओ, अपना काम करो, हम अपना काम करते है।" इस समय सवेरे के आठ बज चुके थे। इस समय तक मेरठ के सिपाहियो ने पुल तक नहीं पार कर पाया था जिस से यह कहा जा सके, कि उन्होंने सिपाहियो को बहका दिया होगा। इसके बाद हमारे घर में जमा होने वाले अङ्गरेज़ो ने दरवाज़े की नाकाबन्दी की, औरतो और बच्चो को छत पर चढ़ा दिया। मेरी समझ मे स्त्री-बच्चो सहित कुल ३० होगे। क़रीब ९ बजे बाग़ियों को पुल पार करते देखा। उनमे सवारों की

अच्छी संख्या थी और कुछ पैदल थे। बागियों का यह दल मेरे घर की दीवार के नीचे से जा रहा था। यह स्थान नदी के किनारे था। उनमें से किसी ने छत पर के एक साहब पर फायर किया। यह दल जेल की ओर गया। हम लोगो ने समझ लिया कि यह क़ैदियों को छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद सुना कि वे लोग शहर मे घुस आये है और अङ्गरेज़ो को वध करते घूमते है। उसी समय एक मुसलमान रङ्गरेज़ ख़ून भरी तलवार लिये और कलमे पढ़ता हुआ मेरे मकान के पास आया और चिल्ला कर कहने लगा "अङ्गरेज़ कहाँ है।" मि० नोलन ने उससे पूछा "वह कौन है और कहाँ से आया है।" उस के उत्तर न देने पर मि० नोलन ने उसे गोली मार दी। और वह मर गया। उस वक्त तक वही एक व्यक्ति मेरे यहाँ तक पहुँच सका था। इसके बाद पचासो दिल्ली के ही रहने वाले मेरे मकान के सामने जमा हो गये। ११ बजे के क़रीब मिसेज़ फाउलन को एक मुसलमान ने मेरे घर मे पहुँचाया जिन्हे शहर वालो ने ही घायल कर दिया था। उनके सर मे गहरी चोट थी। उनका माल-असबाब लुट गया था। ३ बजे तक कोई घटना नहीं हुई। ३ बजे मेगज़ीन उड़ा दी गई। मैंने मिस्टर आल्डवेल से विनय की कि मुझे और मेरे ३ बच्चो को घर से निकाल दें, ताकि मै रक्षा का स्थान ढूँढ़ लूँ क्योंकि मैंने नौकरो से सुना था कि बाग़ी तोपे लगाने आ रहे हैं। अन्त में मैंने और तीनों बच्चों ने हिन्दुस्तानियों के कपड़े पहने और डोली पर बैठकर घर से निकली और बादशाह के पोते मिरज़ा अकुल्ला के घर गई। उनकी बहन

और बेगम ने मेरी बड़ी ख़ातिर की,क्योकि मि० आल्डवेल को और मुझे बहुत दिनों से जानते थे। रात के ८ बजे तक हम लोग वहीं रहे। मिरज़ा अकुल्ला ने कहा कि वह हम सभो को यहाँ से अधिक सुरक्षित स्थान, अपनी सास के यहाँ पहुँचा देगे। और उसी समय वहाँ पहुँचा दिया किन्तु मेरा कुछ सामान अपने यहाँ रख छोड़ा और कहा कि रास्ते मे एक दम इतना सामान ले चलना इन दिनों बुरा है। तुम अपने मुशी को भेजना उसके हाथ सामान भेज दूँगा। मैने दूसरे दिन अपने मुशी को भेजा कि वह मिरज़ा अकुल्ला के यहाँ से २००) और चाँदी की तश्तरियाँ ले आवे। लेकिन मिरज़ा ने इनकार कर दिया कि उसके पास कुछ नहीं है। साथ ही यह भी कहला भेजा कि यदि फौरन् ही मेरी सास का मकान न ख़ाली कर देगी तो मै उनके मारने के लिए लोगों को भेज दूँगा। ६ बजे शाम को उसने अपने चाचा और दूसरे लोगा को भेजा कि देखो यदि मकान न ख़ाली किया हो तो कत्ल कर दो। मैने उसके चाचा को तो नहीं देखा, लेकिन नौकरों को देखा जिन के हाथ मे नङ्गी तलवारे थीं। मेरे मुशी की माँ उन्हे शरमिन्दा करने लगी कि मिरज़ा की यह कैसी मेहमानदारी है। ऐसा ही विचार था तो हमे मकान मे क्यो घुसने दिया था। रक्षा करने के वचन का अर्थ क्या हत्या करना ही था? उसने यह भी कहा कि अगर तुम्हे मारना ही है तो पहिले मुझे मारो। मैने अङ्गरेज़ों का नमक खाया है और अपने सामने इन की हत्या नहीं देख सकती। फिर यह कहा कि मुझे मारने से

तुम्हे बड़ा पुण्य होगा क्योंकि मै सैदानी और शिया हूँ। यह बादशाह के ख़ानदान के लिए सङ्केत था, जो कि सुन्नी थे और सुन्नियो ने सच मुच नबी के बच्चो या सैयदो को शहीद किया था।* लोगो ने उत्तर दिया कि यदि वह ऐसा करेंगे तो निश्चय ही काफ़िर हो जाएँगे। उन्होने ईसाईयो के कत्ल करने का बीड़ा उठाया है। फिर कहा कि या तो वह स्वय घर छोड़ कर चली जावे या हम लोगो को बाहर कर दे, जिसमे वह सड़क पर क़त्ल कर सके। अन्त में बड़ी मुश्किल से सबेरे तक मकान ख़ाली कर देने का समय मिला। रात को मुशी मेरे दर्ज़ी को बुला लाया और मैंने उस से ऐसा स्थान बताने को कहा, जहाँ हम लोग भाग सके। उसने उत्तर दिया कि सुना है कि नवाब अहमद अली ख़ाँ अङ्गरेजो को शरण दे रहे हैं, वहीं चलना चाहिए। फिर वह सवारी लेने नवाब के यहाँ गया। वहाँ से निराश लौटा और कहा कि बाग़ियों को मालूम हो गया है कि अङ्गरेज़ नवाब साहब के यहाँ छिपे है और वह उनके मकान पर तोपे लगाने जा रहे हैं। इसलिए दर्ज़ी अपने मकान मे हम लोगो को ले गया और हम लोग वहीं रहने लगे। एक रोज़ उसने कहा कि ईसाइयों को बादशाह के पास हाज़िर किया गया था; यद्यपि उनको बादशाह ने हिरासत में ही रक्खा है, तो भी मारे न जाने का वचन दिया है और हमे भी वहीं

---

* मेडम को शायद मालूम नहीं था कि सुन्नियों ने सैयदों को शहीद नहीं किया था। ख़्वा० ह० नि०

जाने के लिए कहा। बुध के दिन, रात को ७-८ बजे दर्ज़ी एक बाग़ी सवार कादिर दाद ख़ाँ को ले आया जिसने हमे किले मे भेज दिया। यद्यपि बाग़ियो ने अङ्गरेज़ो के मारने की कसम खा ली थी लेकिन वह सवार किसी कारण से दर्ज़ी का एहसानमन्द था और उसने पक्का वादा कर दिया था, कि वह हम सब की जान बचा देगा और भूल कर भी बेईमानी न करेगा। क़िले के लाहौरी दरवाज़े तक उसने हमको पहुँचाया। वहाँ की गारद हम को क़ैदी बना कर मिरज़ा मुग़ल के सामने ले गई। उन्होने दूसरे कैदियो के साथ रखने का हुक्म दिया। १३ मई की, बुध की, रात हम लोग कैद हुए। मेरा ख़याल है कि कुल स्त्री-बच्चों सहित ४६ या ५० कैदी थे। उनके नाम जहाँ तक मुझे और मेरे बच्चो को याद रहे, इस प्रकार है:—मिसेज़ अस्कली और ३ बच्चे, मिसेज़ गिलन, मिसेज़ एडवर्डस और २ बच्चे, मिसेज़ मोलानी और २ बच्चे, मिसेज़ शेहन और १ बच्चा, मिसेज़ कारेट और उनकी लड़की, मिसेज़ स्टेन्स, मिसेज़ कारचरीन, मिस स्टेन्स, मास्टर चार्डशा, मिस एम हण्ट, मिस ई० ब्रेसफर्ड, मिस एल रायली, मिस एलाईशा, मिस इन्निशा, मिस्टर रॉबर्टस और एक लड़का, मिस्टर क्रॉड, मिस्टर स्मिथ, कोई एक और था, जिसका नाम याद नहीं। बाक़ी स्त्रियाँ और बच्चे थे, जिनके नाम याद नहीं रहे। हम एक अँधेरी कोठरी मे बन्द कर दिये गये जिसमें एक खिड़की के सिवा दूसरा छेद न था। वह स्थान आदमी के रहने योग्य न था और मेरे लिए तो बिल्कुल

नही। उसमे ज़बरदस्ती ठूँसा गया था। हर व्यक्ति हवा लेने के लिए खिड़की के पास खड़ा रहता था। वह खिड़की भी हमे बन्द करनी पड़ी क्योकि सिपाही बन्दूके भरके और घोड़े चढ़ा कर आते और बच्चो को धमकाते। कभी कभी पूछते कि यदि बादशाह उन्हें जीवन दान दे दे तो मुसलमान होकर लौंडी बनने को तैयार है ? लेकिन बादशाह के ख़ास सशस्त्र बॉडी गार्ड, जो हमारी निगरानी पर तैनात थे, वे सिपाहियो से कहते कि जीवन-दान की आशा कभी न दिलाओ। वे कहते कि "टुकड़े-टुकड़े करके इनका माँस चील-कौवो को खिलाएँगे।" हमको साधारण भोजन मिलता था। हाँ, दो बार अवश्य बादशाह ने बड़ा अच्छा खाना भेजा था। गुरुवार को कुछ सिपाही आये और बोले कि हमने अङ्गरेज़ो के मारने का प्रण किया है और वे हमे मार डालेगे। शुक्रवार को दोपहर तक कुछ नही हुआ। केवल बादशाह के एक ख़ास नौकर ने किसी लेडी (मेरे ख़याल में मिसेज़ स्टेन्स) से कहा था कि यदि अङ्गरेज़ों का फिर राज्य हो जाए तो हमारे साथ कैसा व्यवहार करो ? लेडी साहबा ने उत्तर दिया—"जिस तरह तुमने हमारे पति और बच्चों के साथ किया है।" १६ मई, गुरुवार को मुझे और मेरे बच्चों तथा ईसाइयो को खाना देने वाली मुसलमान औरत को छोड़ कर बाक़ी सभी अङ्गरेज़ मर्द, स्त्री और बच्चों को बाहर निकाल कर मार डाला गया।

प्रश्न—तुमने यह कैसे जाना कि बाक़ी सब लोग मार डाले गए और तुम को तथा तुम्हारे बच्चों को उन लोगों ने क्यों छोड़ दिया ?

उत्तर—दर्ज़ी के मकान से जाने के पहले मैंने यह दरख़्वास्त लिख रक्खी थी और मेरा इरादा था कि इसको मै स्वयं बादशाह के सामने पेश करूँगी। उसमे मैंने लिखा था कि मैं और मेरे बच्चे काश्मीरी मुसलमान है। जब मैं क़िले ले जाई गई तो सिपाहियो ने मेरे तमाम सामान के साथ उसे भी छीन लिया। इसी कारण क़ैद में मुझे व बच्चो को मुसलमानी ढङ्ग से अलग खाना मिलता था। बादशाह के ख़ास नौकर भी मुझे मुसलमान समझते थे और उन्होंने कई बार मेरे साथ खाना खाया। ग़दर के शुरू मे ही मैंने मुसलमानी मज़हब की कुछ बाते और शब्द याद कर लिए थे और बच्चों को भी याद करा दिए थे। हम लोग बड़े मजे से उन्हे पढ़ सकते थे, मुसलमान बने रहने से हमारी जाने बच गई। १६ मई को सबेरे बादशाह के ख़ास नौकर कुछ पैदल सिपाहियो के साथ वहाँ आये और हम लोगो से कहा कि ईसाई मकान से बाहर आ जाएँ। बच्चे और औरतें रोने-चिल्लाने लगीं तो उन लोगो मे से हिन्दुओं ने जमुना की क़सम और मुसलमानो ने कुरान की क़सम खा कर कहा कि वे लोग मारे नहीं जाएँगे, बल्कि दूसरी जगह आराम से रक्खे जाएँगे, यहाँ पर मेगज़ीन बनेगी। इस तरह उन्हें फुसला कर बाहर निकाला गया और गिनती की गई। बाद को एक रस्सा उनके चारों ओर घेरा गया जैसा कि कैदियों को ले जाते वक़्त घेरते हैं। मुझे उनकी संख्या याद नहीं। हम ५ प्राणी उसमें रह गए। थोड़ी देर बाद वे सब मेरी आँखों से ओझल हो गये। मैंने बाद में सुना कि

वे लोग आँगन मे छोटे हौज़ के पास पीपल के पेड़ के नीचे ले जाए गए। सैनिको मे से किसी ने भी उनकी हत्या मे भाग नही लिया। केवल बादशाह के खास नौकरो ने ही तलवार से उन्हे मारा। उन्ही को कैदियो के मारने का अधिकार मिला था, क्योकि उनके सिद्धान्त के अनुसार काफिरो को मारने से स्वर्ग मिलता है और वह उन लोगो को मिलेगा। मैने एक मेहतरानी से इस सिद्धान्त की बात सुनी थी और ग़दर की तमाम घटनाओ से इसका प्रमाण मिलता है। हत्या के बाद ही दो तोपे दाग़ी गई। जिनके सम्बन्ध मे सुना कि यह प्रसन्नता सूचक हैं। क़त्ल के एक घण्टे बाद एक बुड्ढे मुसलमान आए। जिन को लोगों ने बताया कि वह मुफ़्ती (धार्मिक न्यायाधीश) है। उन्होने मेरे रक्षकों से कहा कि वह हम लोगों को, जो कि बचा दिए गए है, देखना चाहते है। उन्होने जीवन-दान की आज्ञा सुनाई और रक्षकों से कहा कि इन्हे सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दो लेकिन दिन मे नहीं क्योकि लोग मार डालेगें। (कुछ लोगो को मेरे ईसाई होने का सन्देह था) शाम को हमे दर्ज़ी के यहाँ पहुँचा दिया गया। दूसरे मङ्गल को चीफ पुलिस अफ़्सर ने हम को गिरफ़्तार किया और हम कैदी के रूप मे मिरज़ा मुग़ल के सामने पेश किए गए। उन्होंने मेरे क़त्ल करने का हुक्म दिया। लेकिन ३८ वे रेजिमेण्ट के सैनिकों ने मुझे स्वतन्त्र कर दिया। जब सिपाही हार कर लौटे और खुल्लमखुल्ला कहने लगे कि हम में अङ्गरेज़ों के विरुद्ध रहने की शक्ति नहीं है। विशेष कर मुसलमान सिपाहियों को

हिन्दुओ ने शरमिन्दा किया कि अङ्गरेजो के पहिले ही मोरचे में तुम हार गये, इसी साहस पर धर्म-युद्ध का दम भरते थे वह स्वयं भी दुख प्रगट करते थे कि अङ्गरेजों को मुँह दिखाने योग्य नहीं रहे। वह मुसलमानों को धर्म की आड़ मे धोखा देने के लिए शरमिन्दा करते रहे। वह सदैव इसी दुविधा में रहे, कि अङ्गरेजी सरकार उनके धर्म में हस्तक्षेप करती थी अथवा नहीं। हिन्दुओं की अधिक संख्या यह कहने लगी, कि यदि जान बच जाने का पूरा विश्वास दिलाया जावे तो वह फिर अङ्गरेजों की नौकरी कर लेगे। लेकिन मुसलमान सदैव इसके विरुद्ध कहते कि अङ्गरेजी नौकरी से लाख गुना अच्छा है कि किसी देशी राजा या नवाब की नौकरी हो। वह बादशाह की सहायता करेंगे और अवश्य सफल होगे

प्रश्न—गदर के दिनों मे जब तुम दिल्ली मे थीं, तो हिन्दू और मुसलमानी बाग़ी सिपाहियो के क्या भाव थे ?

उत्तर—गदर के जमाने मे मुसलमानो को सदा प्रसन्न देखा। मुहर्रम मे मुसलमान स्त्रियाँ अपने बच्चो को यह दुआ करना सिखाती थी कि धर्म की जय हो और उसमे अङ्गरेजों के नाश की कामना थी।

प्रश्न—जब ग़दर मे हिन्दू और मुसलमान एक मत थे, तो इसका कोई दृश्य दिखाई दिया था ?

उत्तर—मुझे ध्यान है कि मेरठ से पहिले-पहल सेनाएँ आईं तो हिन्दुओं ने बादशाह से वचन ले लिया कि शहर में गाये न

काटी जाएँ। यह वादा पूरा भी किया गया। इसी कारण ग़दर के दिनों में एक भी गाय नहीं काटी गई। बकरीद के दिनो में भी, जब कि गौकुशी ज़रूरी समझी जाती है, एक बेचैनी फैल गई थी मगर गाये नहीं काटी गईं। ९ वीं सितम्बर को प्रातःकाल मैं हिन्दुस्तानी कपड़े पहन कर मेरठ भाग गई। मेरे साथ बच्चे और दो नौकर थे। अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया।

अदालत ने प्रश्न किए—क्या तुम जानती हो कि अङ्गरेज़ स्त्रियों की बाग़ियों और नगर-निवासियो ने बेइज्ज़ती भी की थी?

उत्तर—जी हाँ।

गवाह चली गई। ४ बजे के कारण अदालत दूसरे दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

चौदहवें दिन की कार्यवाही

शुक्रवार, १२ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

नियमानुसार ११ बजे दीवाने-ख़ास मे अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, सदस्य, अनुवादक, जज एडवोकेट आदि सभी मौजूद थे। अभियुक्त लाए गये। मिस्टर सी० बी० सॉण्डर्स अस्थायी कमिश्नर तथा लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर के एजण्ट गवाही के लिए आये। जज एडवोकेट ने प्रश्न किए।

प्रश्न—क्या तुम बता सकते हो कि दिल्ली के बादशाह किस कारण से अङ्गरेज़ी रिआया और पेन्शन पाने वाले हैं ?

उत्तर—शाहआलम बादशाह की आँखे निकल जाने और गुलाम कादिर के हाथो बहुत कष्ट उठाने के बाद सन् १७८८ ई० में मरहठों के हाथों पड़ गए। उस समय, यद्यपि वह दिल्ली के बादशाह थे तो भी उनका जीवन दिल्ली मे क़ैदी सा था। सन् १८०३ तक वह मरहठों के आधीन रहे। जब जनरल लेक ने अलीगढ़ पर क़ब्ज़ा कर लिया और दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली से छः मील की दूरी पर मरहठी सेना ने सामना किया किन्तु वे लोग हारे और शहर और किला अङ्गरेजों के हाथ आ गया तो शाहशाह शाहआलम ने अङ्गरेज़ी राज्य की छत्र-छाया मे रहना स्वीकार किया। वह दिन १४ सितम्बर, १८५७ ई० से बहुत अधिक

महत्वपूर्ण दिन था (इस दिन गदर के बाद दिल्ली पर अङ्गरेज़ों का अधिकार हुआ) दिल्ली के शाहशाह अङ्गरेजी सरकार की रिआया और पेन्शन पाने वाले हो गये। सरकार ने उन्हे मरहठों की कैद से छुड़ा कर आराम से रक्खा। १८३७ ई० मे अभियुक्त ने दिल्ली के नाम मात्र के राज्य का अधिकार पाया। इनका प्रभाव किले के नौकरो पर भी पूरा नही था। हॉ, अपने नौकरो को उपाधि और खिलअत देने का हक़ था तथा इनके कुटुम्बी स्थानीय अदालत से बरी थे, किन्तु ब्रिटिश राज्य के आधीन थे।

प्रश्न—क्या सरकार ने इनके सशस्त्र सिपाहियों की कोई सख्या नियत कर दी थी ?

उत्तर—अभियुक्त ने लॉर्ड ऑकलैण्ड से प्रार्थना की थी कि वह जितने नौकर रखना चाहे, रखने की आज्ञा दे दी जावे। गवर्नर जनरल ने आज्ञा दे दी कि अपनी पेन्शन से वह जितने नौकर चाहे रख सकते हैं।

प्रश्न—सरकार की ओर से अभियुक्त की क्या पेन्शन बाँधी गई थी ?

उत्तर—एक लाख रुपया मासिक था। इसमे ९९ हज़ार दिल्ली में और एक हज़ार लखनऊ मे इनके कुटुम्बियो को मिलता था। इसके सिवा सरकारी ज़मीन से डेढ़ लाख रुपया सालाना वसूल कर लेने का अधिकार था, तथा दिल्ली के मकानों का किराया और ज़मीन का किराया भी वे ले सकते थे।

अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। गवाह चले गये। नं०

५४ पैदल के मेजर पेटरसन अदालत मे गवाही के लिए बुलाए गए और गवाही देने लगे। जज एडवोकेट ने प्रश्न किए।

प्रश्न—क्या गत ११ मई को तुम दिल्ली मे मौजूद थे?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—उस समय तुमने जो देखा हो, बयान करो।

उत्तर—११ मई को नियमानुसार परेड हुई। आवश्यक हुक्म जो सुनाने थे, सुनाए गए। उस समय तक विद्रोह की कोई आशङ्का न थी। ९ बजे रेजिमेण्टों को तुरन्त ही जमुना के पुल पर जाने का हुक्म मिला। जिसमे मेरठ से विद्रोह करके आने वाला रिसाला नं० ३ नदी न पार करने पावे। कर्नल रेवले ने मुझे परेड के मैदान मे हुक्म दिया कि अपनी कम्पनी ग्रीनाडेर्स और नम्बर १ दोनो तोपें ले कर पुल पर जाऊँ। वहाँ पुल की रक्षा करूँ। जाते समय मै रास्ते मे कप्तान डेटीजर्स के मकान पर हो कर और जो कुछ आज्ञा वह दें सुनता जाऊँ। कप्तान डेटीजर्स ने मुझे कम्पनी सहित बाज़ार मे ठहरने का हुक्म दिया और कहा, तोपो के आने पर आगे जाना लेकिन पौन घण्टे तक तोपे न आईं तो मैने अपने मातहत लेफ्टिनेण्ट बबर्ट को कारण जानने के लिए भेजा। और यह सोच कर, कि मुझे तोपें रास्ते मे मिल जाएँगी और समय भी बच जायगा मैने अपने आधीन सिपाहियों को मार्च का हुक्म दे दिया। मैं पुल की ओर चला। आधा रास्ता पार करने के बाद मुझे मि० बबर्ट मिले और उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तानी तोप वाले

मेगज़ीन छोड़ रहे हैं लेकिन तोपें शीघ्र ही पहुँचा दी जावेंगी। पुल १।। मील दूर रहा होगा कि तोपे आ गईं। कश्मीरी दरवाज़े से १०० गज आगे जाने पर कप्तान बॉल्स मिल गए। वह इस सप्ताह फील्ड ऑफिसर थे। उन्होने मुझ से कहा कि जितनी जल्दी सम्भव हो, पुल पर पहुँचूँ क्योंकि बागी पुल पर आ गए हैं और नं० ५४ पैदल पर गोली छोड़ रहे है। मैंने सैनिको को बन्दूके भरने का हुक्म दे दिया। इस के बाद कर्नल रपली कश्मीरी दरवाजा से निकलते दिखाई दिए। वे कई जगह घायल थे और मेजर फायफ उन्हे सँभाले थे। मै फिर बाग़ियों को दबाने के लिए बढ़ा लेकिन रास्ते मे कोई न मिला। नं० ५४ की आठवीं कम्पनी के पैदल सिपाही जो कि मोरचा रोकने कर्नल रपली के साथ भेजे गए थे, ग़ायब थे। केवल नं० ३८ के ५० देसी सिपाही, जो कि लेफटिनेण्ट प्रॉक्टर की रक्षा मे बतौर गार्ड के थे, वह वहाँ मौजूद थे। कप्तान वालिस ने मुझ से कहा कि न० ३८ के सिपाहियो ने अपने से कुछ गज़ की दूरी पर ही कर्नल रपली को बाग़ियो के हाथों पिटते देखा। मैंने उन्हे बचाने के लिए बार-बार हुक्म दिया लेकिन वह चुप खड़े रहे। नं० ५४ के भी सिपाहियों ने ऐसा ही लज्जा-जनक व्यवहार किया। गिरजा के पश्चिमी मैदान में मैंने कप्तान स्मिथ, कप्तान वरोज, लेफ्टेनेण्ट एडवार्ड्स, ले०वॉटरफील्ड और मेजर सर्जेण्ट को मरा हुआ पाया। ये सब देसी पैदल नं० ५४ के अफ़सर थे। तोपो को विभिन्न स्थानों पर लगा कर और सन्तरियों को यथा स्थान खड़ा करके मैंने

लेफटेनेण्ट बबर्ट से राय ली कि मृतकों की लाश उठा लाएँ। लेकिन सिपाहियों ने मुझे रोका कि अभी बाग़ी लोग सिपाहियों की खोज मे घूम रहे हैं। उन्होने यह भी कहा, कि वे स्वयं उन लाशों को उठा लावेंगे। थोड़ी देर बाद एडजूटेण्ड लेफ्टिनेण्ट ऑसबर्न और लेफ्टिनेण्ट बटलर हम लोगो से आकर मिले। ये सभी शहर वालों के हाथों घायल हो गए थे। इनसाइन ऐंग्लों भी हमारे पास चले आए उस समय कश्मीरी दरवाज़े के आस-पास पूरी शक्ति थी। १२ बजे लाइट कम्पनी का एक सिपाही मुझ से आ कर कहने लगा कि हवलदार-मेजर ने मुझ से पूछा है कि रेजिमेण्ट कहाँ जाये। मैंने उनसे पूछा कि वह कहाँ हैं? उसने उत्तर दिया कि सवारों के अफ़सरो पर गोलियाँ चलाने से ये लोग भाग निकले और सब्ज़ी मण्डी मे आकर इकट्ठे हुए है। मैंने उसे हुक्म दिया कि कश्मीरी दरवाज़ा पर बुला लावे। वह सब बग़ैर किसी अङ्गरेज़ अफ़सर के वहाँ आ गये और कहने लगे कि रास्ता भर विद्रोही सैनिको ने पीछा किया है और बग़ावत मे सम्मिलित हो जाने के लिए कहा है। इसके बाद सिपाहियो की सहायता से हमने अङ्गरेज़ अफ़सरों की लाशे उठवाईं। इसी बीच नं० ७४ के सिपाही मेजर एब्बाट की अध्यक्षता मे हम में मिल गए थे। और कप्तान डीटियर्स की दो तोपें भी हमारे साथ थीं। उस समय मेरी समझ में २ बजे थे। तब हमे मेगज़ीन की ओर बड़ा शोर-ग़ुल सुनाई दिया। गोला-बारी भी सुनाई दी और यह दशा ३॥ बजे तक रही। मैं यह

कहना भूल गया कि जब मै कश्मीरी दरवाज़े पर था तो ख़ज़ाने की गारद बढ़ाने के लिए मि० गेलवे ने हम से कहा था। मैंने कुछ सिपाही वहाँ भेज दिए। मि० उल्फ वाई मेगज़ीन से भाग कर हमारे पास आये और बतलाया कि उन्होंने अब तक चन्द अङ्गरेजो की सहायता से कैसे मेगज़ीन को बचाये रक्खा। बादशाह का मेगज़ीन पर सेना और सीढी आदि भेजने की बाते बताई। हम ५ बजे तक कश्मीरी दरवाजे पर रहे। मै खड़ा था कि एक दम एक बाढ़ दाग़ी गई, जो मेरे सामने से निकल गई। इससे नं० ७४ के कप्तान गार्डन और लेफ्टिनेएट रेवली की मृत्यु हुई तथा नं० ५४ के लेफटिनेएट ऑस्बार्न घायल हुए। फिर लाइट कम्पनी के एक सिपाही ने मेरे कन्धे पर हाथ रख कर कहा कि यह उचित होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, नही तो गोली मार दी जावेगी। नं० ५४ के सिपाहियों को अपने अधिकार मे न पा कर मैंने वहाँ रहना उचित न समझा और नं० ७४ के एक अफ़सर के पास चला गया। मैं बड़ी सड़क से जा रहा था कि लाइट कम्पनी के उसी सिपाही ने, जो मेरे पास खड़ा था, मुझसे गलियों में चलने के लिए कहा क्योंकि बड़ी सड़क सुरक्षित नहीं थी। हम इसी सलाह को मान कर गलियो से बिगिडियर ग्यूज़ के मकान पर गये और तमाम सूचना दी। वहाँ देसी पैदल नं० ३८ के ३०० सिपाही और २ तोपे मौजूद थीं; वह अभी तक बड़ी ईमानदारी से सरकार-भक्त थी। १५ मिनट मैं वहाँ रुका। उन लोगों ने वचन दिया कि वे सदैव

हमारे साथ रहेंगी और आज्ञा पालन करेंगी। उनको साथ ले कर पहाड़ी से उतरा और छावनी की सड़क पर चलने लगा। जब हम लाइनो पर पहुँचे, तो वे लोग एक-एक दो-दो करके अपनी झोपड़ियों में चले गये। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पानी पी कर लौटे आते हैं। लेकिन वह हथियार भी ले गये थे इसलिए मै अपने ख़ास मकान की गारद मे चला गया उस समय ७॥ बजे थे। मैंने गारद वालो से साथ चलने को कहा और आध घण्टे तक उनकी खुशामद करता रहा। बड़ी मुश्किल से २ सिपाही और हवलदार मेजर तैयार हुआ। हम लोग चले, लेकिन अँधेरे में रास्ता भूल गए और सवेरा हुआ तो देखा कि दिल्ली से ४ मील दूर पड़े है। ३ दिन तक बर्फ के खत्तो एवं खेतो मे इधर उधर छिपा रहा जो कि दिल्ली से ३ मील दूर है। एक सिपाही और हवलदार मेजर ने पहले ही दिन साथ छोड़ दिया, उन्होने खाना लाने का बहाना किया था। दूसरे सिपाही ने दूसरे दिन साथ छोड़ दिया। अन्त मे मै एक फकीर की सहायता से कर्नाल भाग गया।

प्रश्न—क्या तुम्हे अपनी रेजिमेण्ट मे ऐसा ढङ्ग मालूम हुआ था कि मेरठ से सिपाही आने की उन्हे पहिले से ख़बर थी?

उत्तर—११ मई तक मै यह अनुभव नहीं कर सका, लेकिन अब मुझे उनके ढङ्ग याद करने से विश्वास होता है, कि उन्हे पहले से ख़बर थी। दङ्गे के पहले हमें उड़ती अफवाहे मिलती थीं किन्तु उनकी धारणा न थी। लेफ़्टिनेण्ट बबर्ट ने गत सितम्बर मे मुझ से

कहा था, कि सूबेदार मेजर करीमबख़्श ने कप्तान रसल को ११ मई से २ मास पूर्व यह ख़बर दी थी कि लोग बैरिको मे आते है और बग़ावत के लिए उभारते हैं। गत ८ जून को कप्तान रसल बावली की सराय मे मार डाले गये। वह सूबेदार मेजर मेरठ मे मौजूद है। अब मुझे विश्वास है कि कप्तान रसल को जो ख़बरे इस सम्बन्ध मे मिलीं, वे ठीक थीं। अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। गवाह के जाने पर बादशाह का सेक्रेट्री मुकुन्द लाल गवाही देने आया। जज एडवोकेट ने प्रश्न किये।

प्रश्न—पिछले विद्रोह के असली कारण और देसी सिपाहियो के सम्बन्ध मे कुछ जानते हो ?

उत्तर—दो साल पूर्व से दिल्ली के बादशाह अङ्गरेज़ों से रञ्जिश रखते थे और उन्होने तय कर लिया था, कि वह अङ्गरेजो की इज़्ज़त न करेगे। विवरण यह है कि लखनऊ के मिरज़ा सुलेमान शिकोह के लड़के मिरज़ा ख़ानबख़्श थे उनके दो लड़के—मिरज़ा हैदर शिकोह और मिरज़ा फरीद—जब दिल्ली आये तो बादशाह को हसन अस्करी ने राय दी कि वह ईरान के बादशाह के पास पत्र भेजे। उन्होंने कहा कि पत्र मे लिखना चाहिए कि अङ्गरेज़ो ने दिल्ली के बादशाह के शाही अधिकार दबा लिये हैं, युवराज बनाने के अधिकार छीन लिए हैं और कैदी बना रक्खा है। इसलिए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे यह दशा बदले। ऐसा भी ढङ्ग निकालना चाहिए जिससे पत्र-व्यवहार होता रहे और मुलाक़ात भी हो सके। इसलिए महबूब अली ख़ाँ के हाथो

शीरीं क़ब्ज़ को १००) राह-ख़र्च दे कर ईरान भेजा गया; वही पत्र ले गया इसके बाद मिरज़ा हैदर अपने भाई के साथ लखनऊ लौट गये। वहाँ से बादशाह के एक दूर के रिश्तेदार मिरज़ा नजफ को मिरज़ा बुलाकी (जो मिरज़ा आग़ा ख़ॉ के पोते थे) के साथ ईरान भेजा। तीन साल हुए कि जमादार हमीदख़ाँ और कुछ सिपाही मिरज़ा अली (जो कि बादशाह के सामने दरख़्वास्तें पेश करता था) के द्वारा बादशाह के शिष्य हुए। बादशाह ने प्रत्येक शिष्य को एक-एक वंशावली, जिसमे उनका भी नाम लिखा था और एक-एक रङ्गीन रूमाल, जिसमे लाल निशान था, दिये। लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के एजण्ट ने यह सुन कर इसकी जाँच की और सिपाहियों का शिष्य होना बन्द करा दिया। उसी दिन से बादशाह की देशी सिपाहियों से रब्त-ज़ब्त बढ़ गई थी। ग़दर के २० दिन पहले ही यह ख़बर मिल गई थी कि मेरठ की सेना विद्रोह करेगी किन्तु उसके दिल्ली आने की ख़बर न थी। जब सवार यहाॅ आये तो बादशाह के महल की खिड़कियों के नीचे से बादशाह से कहने लगे कि उन्होंने मेरठ के तमाम अङ्गरेज़ों को मार डाला है और दिल्ली के भी अङ्गरेज़ों की हत्या करेंगे तथा उन्हे अपना बादशाह बनाएँगे। फिर कहने लगे कि हिन्दुस्तान भर में एक भी अङ्गरेज़ न बचेगा तथा सेनाएँ बादशाह की आज्ञा पालन करेंगी। बादशाह ने कहा कि अगर यही बात है, तो अन्त तक साथ देना होगा। वे इस पर राज़ी हो तो आवें और प्रबन्ध अपने हाथ में लें। जब उन्होंने सहमति

प्रगट की तो बादशाह ने आज्ञा दी और वे शहर मे आगये। सशस्त्र बॉडी-गार्ड ने उनका साथ दिया। कादिर दाद ख़ॉ ने रेज़िडेण्ट मि० फ़्रेज़र की हत्या की। उसी समय कुछ सशस्त्र बॉडी-गार्ड सिपाहियो के साथ किलेदार के मकान मे घुस गए और उन्हे कत्ल कर दिया। इसके बाद जहाँ अङ्गरेज़ मिले, मारे गये। उसी रोज़ शहर मे मुनादी की गई कि खुदा दुनियाँ का बादशाह है और बहादुरशाह इस तख़्त के मालिक है और उन्हे पूरे अधिकार प्राप्त है। दूसरे दिन जब मेरठ की सेनाएँ आकर दिल्ली की सेनाओ से मिल गई तो बादशाह गद्दी पर बैठे और तोपों की सलामी दी गई और अफ़सरो को उनके पदानुसार इनाम भी मिले। दीवाने-ख़ास मे चॉदी का एक तख़्त बहुत अरसे से रक्खा था जिस पर बादशाह लोग ऐसे अवसरो पर बैठते थे। सन् १८४२ ई० में लेफ़्टिनेण्ट गवरनर ने जब बादशाह को नज़रे आदि लेना बन्द कर दिया था तो इस तख़्त को भी बैठक के तहख़ाने मे बन्द करा दिया था। तब से १२ मई तक यह तख़्त बेकार रहा। उस रोज़ तख़्त निकाला गया और बादशाह उस पर बैठने लगे।

प्रश्न—क्या ११ मई से पूर्व सिपाहियों ने बादशाह से अपने विचार प्रगट किये थे?

उत्तर—मुझे मालूम नहीं, सम्भव है बाहर ही बाहर अभियुक्त को कोई सूचना मिली हो। बादशाह के दोस्त व नौकर अपने निजी कमरों में बैठ कर चर्चा किया करते थे कि

फौज विद्रोह करने वाली है और जब वह क़िले मे आवेगी तो फिर शाही शासन हो जायगा और नौकरों के पद व तनख्वाह मे उन्नति होगी तथा इनाम मिलेंगे।

चार बज गये और अदालत दूसरे दिन ग्यारह बजे के लिए उठ गई।

पन्द्रहवें दिन की कार्यवाही

शनीश्चर, १३ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

दीवाने-ख़ास मे अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, मेम्बर, अनुवादक, जज एडवोकेट आदि सभी मौजूद थे। अभियुक्त और उनके मुख्तार ग़ुलाम अब्बास लाये गये। बादशाह का भूतपूर्व सेक्रेट्री मुकुन्द लाल गवाही के लिए बुलाया गया और पिछले बयान के आधार पर उस से प्रश्न किये गये।

जज एडवोकेट ने पूछा—ऐसी बाते बादशाह के कौन मुसाहिब करते थे?

उत्तर—बसन्त अली ख़ाँ और उनका सारा दल।

प्रश्न—गदर के कितने दिन पहले वे ऐसी बाते करते थे?

उत्तर—चार रोज़।

प्रश्न—तुम्हारे बयान से यह प्रगट होता है कि मिरज़ा हैदर शिकोह ने भी शाह-ईरान के पत्र-व्यवहार में भाग लिया था किन्तु जाँच से पता लगा है, कि बादशाह ने मिरज़ा हैदर की शिकायत की थी कि उन्होंने लखनऊ मे उन्हें बदनाम कर दिया है। तुम इसका क्या जवाब रखते हो?

उत्तर—यह बनावटी थी भीतर ही भीतर दोनों मे मेल था। यह इस लिए किया गया था, कि यदि कहीं भण्डा फूट जाये तो यह सिद्ध न हो सके क्योंकि प्रगट रूप से दोनों में लड़ाई रहेगी।

प्रश्न—लेडियाँ और बच्चे जो क़िले में क़ैद थे किसके हुक्म से क़त्ल किये गये ?

उत्तर—तीन दिन तक अङ्गरेज़ स्त्री-बच्चे जमा किये जाते रहे, चौथे दिन बाग़ी सिपाही मिरज़ा मुग़ल के साथ बादशाह से क़त्ल की आज्ञा लेने गये। बादशाह अपने ख़ास कमरे मे थे। बसन्त अली ख़ाँ और मिरज़ा मुग़ल अन्दर चले गये, सिपाही बाहर खड़े रहे। २० मिनट बाद बसन्त अली ख़ाँ ने बाहर निकल कर ज़ोर से कहा कि बादशाह ने वध की आज्ञा दे दी है। अन्त मे बादशाह के सशस्त्र सिपाहियो ने, जिन की निगरानी मे कैदी थे, उनको वध-स्थल तक पहुँचाया गया वहाँ विद्रोही सैनिकों के सहयोग से बेचारे क़ैदी मार डाले गए।

प्रश्न—तुम और कुछ जानते हो ?

उत्तर—युद्ध आरम्भ होने के बाद जो व्यक्ति किसी अङ्गरेज सिपाही या अफ़सर का सर लाता था, उसे २) इनाम मिलता था।

प्रश्न—क्या कभी कोई सिपाही या अफ़सर क़ैद करके जीवित भी लाया गया ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—ग़दर के पूर्व क्या मुसलमानों ने कभी षड़यन्त्र किया था ? अथवा बलवा करने के लिए मेल किया था ?

उत्तर—ज्योंही बाग़ी आये, मुसलमान उनसे मिल गए इससे प्रगट है कि उनमें पहिले से ही मेल-जोल था। किन्तु ऊँचे

ख़ानदान के मुसलमान नहीं मिले, नीचे दर्जे के मुसलमान उनसे मिल गए थे।

प्रश्न—क्या ऊँचे दरजे के किसी मुसलमान का नाम बता सकते हो, जो गवर्नमेण्ट ब्रिटानिया के विरुद्ध षडयन्त्र मे न सम्मिलित हुआ हो ?

उत्तर—मै इसका जवाब नही दे सकता।

प्रश्न—वह कौन लोग थे, जो बादशाह के गुप्त दल मे सम्मिलित होते रहते थे ?

उत्तर—बादशाह के प्रधान मन्त्री महबूब अली ख़ाँ, ख्वाजा सरा, पीरज़ादा हसन अस्करी, मलका ज़ीनत महल, उनकी लड़की नाफ़ी बेगम, दूसरी लड़की आक़ा बेगम, बादशाह की स्त्री अशरफुन्निसाँ और बादशाह—इन लोगो की गुप्त समिति थी। और जब लिखने का काम होता तो बादशाह के ख़ास दफ़्र के द्वारा होता, जिसका काम हकीम एहसन उल्ला के आधीन था। दफ़्र में एक आदमी और था जोकि क़ौम का कायस्थ था। और मेरा हम-नाम था यानी कि उसका भी नाम मुकुन्द लाल था।

प्रश्न—नत्थी २,३,४ जो कि हत्या के सम्बन्ध मे फ़ारसी में लिखे थे, क्रमशः दिखाकर पूछा गया, यह किसके लिखे है ?

उत्तर—मैं नहीं जानता। सूबेदार बख़्त ख़ाँ की निगरानी में एक नया दफ़्र स्थापित किया गया था जिसमे एक मौलवी साहब काम करते थे। वह काग़ज़ लिखकर मोहर लगाने के लिए लाते थे।

प्रश्न—क्या तुम्हें कभी गुप्त समिति मे नहीं सम्मिलित किया गया ?

उत्तर—नहीं, कभी नहीं।

प्रश्न—फिर तुम्हें ईरान, पत्र और आदमी भेजने की बात कैसे मालूम हुई ?

उत्तर—मै नौकर तो बादशाह का था लेकिन महबूब अली ख़ाँ की अरदली मे रहता था उनसे कभी कभी भेद की बात प्रगट हो जाती थी।

प्रश्न—क्या किले में यह बात मशहूर थी, कि बादशाह पर हसन अस्करी का बड़ा प्रभाव है ?

उत्तर—केवल क़िले मे ही नहीं, शहर भर को मालूम था कि महबूब अली ख़ाँ और हसन अस्करी का उन पर असर है।

प्रश्न—क्या बादशाह की कोई लड़की हसन अस्करी की शिष्या थी ? और यदि थी तो उन दो मे से तो कोई नहीं है, जिनकी गुप्त समिति के सिलसिले में चरचा आई है ?

उत्तर—बादशाह की लड़की, जिसका ब्याह मिरज़ा जमाँ शाह से हुआ था, वह—नवाब बेगम—पीरज़ादा हसन अस्करी की शिष्या थी। डेढ़ बरस हुआ उनकी मृत्यु हो गई है। यह दोनों खुले तरीक़े से शिष्या तो न थीं, लेकिन उनकी बुद्धि की प्रशंसिका थीं।

प्रश्न—क्या कभी बादशाह सिपाहियों को अङ्गरेज़ों के विरुद्ध लड़ाने के लिए क़िले से निकले थे ?

उत्तर—जी हाँ, उपद्रव के २ दिन बाद—१६ सितम्बर को—सिपाहियो का दिल बढ़ाने के लिए सवारी पर मेगज़ीन की ओर गए और वहाँ से २०० गज दूर पर ठहर गए। वहाँ एक घण्टा ठहर कर किले लौट आए।

प्रश्न—तुम जानते हो कि बादशाह के इतनी दूर चल कर ठहर जाने से उनका क्या इरादा प्रगट होता है ?

उत्तर—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अङ्गरेज़ी फौज निकालने और सिपाहियो का साहस बढ़ाने गए थे।

प्रश्न—क्या बादशाह "सादिकुल अख़बार" सदैव पढ़ा करते थे ?

उत्तर—मैं पढ़ने, न पढ़ने की बाबत नहीं जानता। लेकिन यह तथा दूसरे अख़बार उनके पास आते थे।

प्रश्न—क्या ग़दर के कुछ मास पूर्व दिल्ली के मुसलमानो में अङ्गरेज़ी राज्य के प्रति घृणा थी ?

उत्तर—मै नहीं जानता।

प्रश्न—क्या तुमने कभी 'सादिकुल अख़बार' पढ़ा है ?

उत्तर—जी नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ा।

अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। तब अदालत ने प्रश्न किये।

प्रश्न—क्या मुकुन्द लाल कायस्थ के अतिरिक्त और कोई भी हिन्दू गुप्त समिति मे था ?

उत्तर—नहीं, और किसी हिन्दू पर इतना विश्वास नहीं किया जाता था।

प्रश्न—क्या तुम्हे मालूम है कि कोई दूत ग़दर के बाद उन देसी रेजिमेण्टों को विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए भड़काने भेजा गया था जो कि अभी तक ब्रिटिश राज्य-भक्त थीं ?

उत्तर—मै नहीं जानता।

गवाह गया और ३८ वीं पैदल रेजिमेण्ट के कप्तान हिटलर गवाही के लिए बुलाए गए। जज एडवोकेट ने बयान लेना आरम्भ किया।

प्रश्न—क्या गत ११ मई को तुम दिल्ली मे थे ?

उत्तर—जी हाँ।

प्रश्न—क्या तुमने अपनी लाइन मे किसी गाड़ी को आते देखा या सुना ? जो जानते हो वह विवरण सहित कहो।

उत्तर—१० मई, इतवार को ३ बजे मैंने बिगुल की आवाज़ सुनी और अपने दरवाज़े पर गाड़ी की आवाज़ सुनी। मेरे दरवाज़े से गाड़ी का निकलना असाधारण बात थी। इस लिए मैंने नौकर को दौड़ कर देखने के लिए कहा। और कहा कि यदि मेरा कोई मेहमान हो तो ले आओ। उसने लौट कर कहा कि एक हिन्दुस्तानी गाड़ी लाइन की ओर जा रही है। मेरा मकान सिरे पर था और लाइनो की ओर जाने वाले तीन तरफ के रास्ते उसी हाते मे से निकलते थे। मैंने समझा कि जो सूबेदार-मेजर और रेजिमेण्ट के अफसर मेरठ कोर्ट-मार्शल ड्यूटी पर गए थे वे आये होंगे। मैंने उसी नौकर को लाइनो की ओर भेजा और कहा कि सूबेदार-मेजर को मेरा सलाम दो और मुझ से मिलने के लिए

कहो। उसने लौट कर कहा, वहाँ कोई अफ़सर नहीं आया है, बल्कि मेरठ के सिपाही आये हैं। मैं समझ गया कि वह किसी दूसरे रेजिमेण्ट के सिपाहियों की बात कह रहा है।

प्रश्न—११ मई को तुमने क्या देखा, बयान करो ?

उत्तर—११ मई को सवेरे ९ बजे मेरे एक नौकर ने दौड़ कर मुझ से कहा कि लेफ्टिनेण्ट हॉलैण्ड ने ख़बर भेजी है कि बाग़ी सेनाएँ दिल्ली आ रही है। मैंने अपनी वर्दी पहिनी और उनसे मिलने गया। फिर हम दोनों एडजूटेण्ट-लेफ्टिनेण्ट गेम्बर के यहाँ गए। जहाँ कमाण्डिङ्ग रेजिमेण्ट कर्नल नावट, कप्तान गॉडनर और ब्रिगिडियर मेजर कप्तान नकोल मिले। उन्होने बताया कि बाग़ी मेरठ से आ रहे हैं। उन्होंने मुझे लाइन में जा कर कप्तान गॉडनर और अपनी कम्पनी ले कर मार्च करने का हुक्म दिया। कहा गया, कि २०० आदमियो को बारूद वग़ैरः देकर शहर के बाहर नदी किनारे और नये मेगज़ीन के पास के मकान मे जाने का हुक्म दिया, कि कोई बाग़ी नदी पार न करने पाए। हम और मि० गॉडनर लाइन मे पहुँचे तो सिपाहियों के तेवर बदले हुए देखे। थोड़े प्रयत्न के बाद दोनों कम्पनियों से १००-१०० अदमी चुने। जब मेगज़ीन पहुॅचे तो बारूद आदि लेने में सिपाहियों को बहुत देर लग गई और हम बाहर खड़े रहे। जब देर का कारण जानने के लिए हम अन्दर गये तो ख़लासियों ने कहा कि सिपाही कारतूस और टोपियाँ अधिक सख्या में माँगने के लिए झगड़ा कर

रहे हैं। हम बिना गिने कारतूस नहीं दे सकते। ख़ैर, किसी प्रकार मैंने बारूद व कारतूस आदि बँटवाये। तब देखा कि सिपाही कारतूसो के बण्डल और भी उठा रहे हैं। मुझे जल्दी के कारण घबराहट थी। मैंने उन लोगो के नाम याद किये, जिन्होंने कारतूस आदि अधिक ले लिए थे जिसमे बाद को उन्हें सज़ा दी जा सके। कप्तान गॉडनर ने भी यही शिकायत की कि उनके सिपाही भी सामान अधिक संख्या मे ले रहे हैं। जब दोनो कम्पनियो ने कूँच की तो सिपाहियो के व्यवहार मे कुछ अन्तर अनुभव हुआ। वह चिल्लाते थे और रास्ते भर शोर करते रहे। हम लोग उन्हे रोक न सके। यहाँ पर एक बात कहना भूल गया, कि उस दिन ब्रिगेड परेड थी और वहाँ जनरल कोर्ट मार्शल के बाद ईश्वरी पाण्डेय नाम के एक देशी अफ़सर को सज़ा बोली जाने वाली थी। तमाम रेजिमेण्ट भर मे इससे क्रोध व क्षोभ था। यह बात कुछ सिकेण्ड तक ही रही, लेकिन हम लोगों पर इसका बहुत असर पड़ा। क्योंकि यह अनोखी बात थी और ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब हम मेगज़ीन के समीप वाले मकान मे पहुँचे तो विभिन्न स्थानों पर सन्तरी बिठा दिये। बाक़ी सिपाहियों ने अपने हथियार ज़मीन पर खड़े कर दिये और मकान के अन्दर चले गये। गरमी बहुत थी, कुछ लोग अपने साथ मिठाई व तरबूज़ लाये थे। कप्तान गाडनर और हमने उसमे हिस्सा लिया। हम खा रहे थे कि सिपाहियों ने बाहर बुलाया कि देखो शहर मे बन्दूक़ की आवाज़ें आ रही

है। थोड़ी देर बाद तोप की भी गरज सुनाई दी। हम तो कुछ न समझ पाये लेकिन कप्तान गॉडनर ने कहा कि यह देखो सारी सेनाये बिगड़ गई हैं लेकिन बड़ी ख़ुशी की बात है कि हमारे सिपाही अभी तक राज्य-भक्त हैं। हमे कुछ-कुछ विश्वास था कि शहर मे शायद वैसा ही उपद्रव है, जैसा कि अम्बाला वग़ैरह में था। हमने देखा कि हमारे सिपाही छोटी-छोटी टुकड़ी बना कर कुछ सलाह कर रहे हैं। मैंने उन्हे धूप से हट कर अन्दर, मकान में, आ जाने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि हमे धूप मे रहना पसन्द है। हमने फिर ताकीद की लेकिन वह टाल गये। फिर मै एक टोली मे गया तो वहाँ एक सिपाही को साथियो से कहते सुना कि तमाम ताकत और राज्य निश्चित समय तक के लिए ही होता है। सम्भव है अङ्गरेजों का भी समय समाप्त हो गया हो। इस विप्लवी के कैद करने का विचार करने के पूर्व ही शहर का मेगज़ीन उड़ गया और दोनों कम्पनियों के सिपाहियो ने "महाराज पृथ्वीराज की जय हो" कह कर अपने शस्त्र उठा लिए और शहर की ओर चल दिये।

प्रश्न—क्या १० मई के पूर्व तुमने कोई ऐसी बात देखी जिससे कहा जा सके कि तुम्हारी रेजिमेण्ट सरकार से नाराज़ है?

उत्तर—नहीं देखी।

प्रश्न—क्या तुमने ऐसी और कोई बात देखी, जिससे पता लगे कि दिल्ली के दङ्गे के पूर्व दङ्गा होने की आशङ्का थी?

उत्तर—जी हाँ, मेरे यहाँ २६ बर्ष पुराना एक नौकर

था। वह छुट्टी जाने लगा तो मैंने कहा कि लौट आना, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ जगह रहेगी। उसने जवाब दिया—बहुत अच्छा यदि आप का चूल्हा ऐसा ही सुलगता रहा। अर्थात् तुम्हारा ख़ानदान नौकरी देने को जीवित बना रहा। यह बात ग़दर के १० दिन पूर्व की है। वह गया और अब तक नहीं आया।

अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। गवाह गया और दिल्ली बाज़ार के भूतपूर्व सार्जेण्ट फ्लीमेंग बुलाये गये। जज एडवोकेट ने पूछा—क्या गदर के पहले तुम्हारा लड़का अभियुक्त के बेटे जवाँबख़्त के घोड़े फिराने व दौड़ाने पर नौकर था?

उत्तर—जी हाँ, पाँच साल तक उसने यह काम किया।

प्रश्न—तुम्हारे लड़के की क्या आयु थी?

उत्तर—लगभग १९ बर्ष की।

प्रश्न—गदर के कुछ दिन पूर्व क्या उसने अभियुक्त के लड़के जवाँबख़्त के बदकलामी करने की शिकायत की थी?

उत्तर—अप्रैल, सन् १८५७ के अन्त में एक दिन वह मि० फ़्रेज़र के यहाँ से आया। वह उनके दफ़्तर में लिखा-पढ़ी का काम करता था। उसने मुझसे कहा कि वह प्रधान मन्त्री के मकान पर गया था जहाँ जवाँबख़्त उसे मिले थे और कहा था कि अब इस तरफ़ कदम न रक्खे। हम नौकर नहीं रखना चाहते। काफ़िरों की शक्ल देखना उचित नहीं। थोड़े दिनो बाद सब काफिर पैरों से मीसे जायेगे और इसके बाद जवाँबख़्त ने उसके ऊपर थूक दिया। मि० फ़्रेज़र से भी मेरे लड़के ने कहा, लेकिन उन्होंने झिड़क

दिया कि वह ऐसी व्यर्थ की बातें नहीं सुनना चाहते। २ मई को प्रधान मन्त्री ने तनख्वाह देने को बुलाया तब भी जवाँबख़्त ने गालियाँ दीं और कहा कि कुछ दिनों बाद इसका सिर उतारा जाएगा। इसी स्थान पर ग़दर मे मेरा लड़का मारा गया।

अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। गवाह गया। ३॥ बज गए थे। मुकदमा २४ फरवरी मङ्गल के लिए स्थगित हो गया जिस मे और गवाह हाज़िर हो सकें और अनुवादक आवश्यक काग़ज़ो का अनुवाद कर सके।

सोलहवें दिन की कार्यवाही

मङ्गलवार, ता० २४ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

दीवाने-ख़ास मे अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, सदस्य, अनुवादक, डिप्टीजज, एडवोकेट जनरल सब हाज़िर थे। अभियुक्त अपने मुख़्तार सहित आये। देसी पैदल नम्बर १० के कप्तान मारटेन्यू गवाही देने आये। जज एडवोकेट ने पूछना शुरू किया।

प्रश्न—क्या मई, सन् १८५७ ई० मे तुम अम्बाला छावनी में बन्दूक़ चलाना सिखाते थे ?

उत्तर—जी हाँ।

प्रश्न—क्या हिन्दुस्तानी पैदल का प्रत्येक सिपाही तुम से सीखने आता था ?

उत्तर—प्रत्येक देशी पैदल तो नहीं, लेकिन रेजिमेण्ट नम्बर ४४ के ४ सिपाही आते थे।

प्रश्न—क्या उनसे तुम्हारी चपातियो के सम्बन्ध मे कोई बात-चीत हुई थी, जो कि देहात मे बँटी थी ?

उत्तर—हाँ, कई सिपाहियों से कई बार इसकी चर्चा हुई। सभों ने यही कहा कि वह बिस्कुट के तरीक़े की थीं और उनको सरकार के हुक्म से बँटवाया गया था। सरकार ने अपने नौकरों को इस नीयत से बँटवाया था कि उन्हे ज़बरदस्ती यही खाना

पड़ेगा और सब को ईसाई बनना पड़ेगा। इस पर इन्होने एक कहावत बनाई थी—एक खाना और एक धर्म होगा ?

प्रश्न—तुम्हे जहाँ तक मालूम है तमाम सिपाहियो मे यही विचार फैला हुआ था ?

उत्तर—अम्बाला में जितने सिपाही थे, सब मे यही विचार भरा पाया।

प्रश्न—क्या वहाँ कोई ऐसी भी ख़बर थी, कि सरकार ने आटे में पिसी हड्डी मिला दी है जिस से लोग बे-धर्म हो जावें ?

उत्तर—मैं ने मार्च में ऐसा सुना था कि तमाम गोदाम के आटे मे हड्डी मिली है, जिससे सिपाही बेधर्म हो जावें।

प्रश्न—क्या तुम जानते हो कि सिपाहियों मे इस का पूर्ण विश्वास था ?

उत्तर—मैंने कई सिपाहियो के पत्र देखे जिन को उन लोगो ने स्वयं मुझे दिखाया था। उनमे साफ ऐसा ही लिखा हुआ था और लिखने वाले को अपनी बात पर पूर्ण विश्वास था।

प्रश्न—क्या सिपाही ऐसी और भी कोई बात बताते थे, जिस से उन्हें कष्ट हुआ हो ?

उत्तर—वह यही कारण बताते थे, कि सरकार उनका धर्म लेना चाहती है।

प्रश्न—क्या सरकार पर कभी यह भी आक्षेप किया गया, कि वह क्यों हिन्दू विधवाओ के पुनर्विवाह पर ज़ोर देती है ?

उत्तर—जी हाँ, वह कहते थे कि सरकार हमारे सामाजिक अधिकारों में हस्तक्षेप करती है।

प्रश्न—क्या अवध के अधिकार में लाने के समय किसी ने कुछ कहा था कि सरकार देशी राज्यों को हड़पना चाहती है?

उत्तर—अम्बाला में तो शायद ही कभी ऐसा सुना हो, क्योंकि इस विषय में उनका प्रेम न था। हाँ, ग़दर के एक सप्ताह बाद करनाल नं० ३ के कुछ सवार इस की चर्चा करते थे। जब मैंने उनके साथियों से विद्रोह की बात छेड़ी तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हिन्दुस्तान जीत लिया है, अब उसकी प्रत्येक वस्तु पर हाथ बढ़ाना चाहते हो, तुम ने धर्म पर भी हाथ डालना शुरू कर दिया है। मैं उन दिनों करनाल में कमसरियट अफ़सर था। यह नं० ३ के सवार वे थे, जो बाग़ी नहीं हुए थे।

प्रश्न—क्या कभी सिपाहियों ने ईसाई बनाने वाले मिश्नरियों की भी शिकायत की थी?

उत्तर—कभी नहीं, अपनी उम्र भर में नहीं सुना। उनमें एक भी ऐसा व्यक्ति न था, जिसका ध्यान उस ओर होता। उनमें ऐसा भाव ही नहीं उत्पन्न होता था।

प्रश्न—अम्बाला में सिपाहियों के काम के लिए जो कारतूसें थीं, क्या उन में सचमुच चरबी थी?

उत्तर—बिल्कुल नहीं, अगर चरबी होती तो उन्हें हाथ न लगाने दिया जाता। उन्होंने कारतूसों में खुद घी मला था, जो गरम किया हुआ मक्खन होता था और आसानी से मिल जाता था।

प्रश्न—क्या हिन्दू और मुसलमानो के भावों मे कोई ज़ाहिरी अन्तर था ?

उत्तर—कारतूस के मामले मे मुसलमान चुप थे और हिन्दुओ की शिकायत थी कि उन का धर्म नष्ट किया जा रहा है। मगर अवध पर अधिकार करने से जिन को रञ्ज था, उनके सम्बन्ध मे मुझे नहीं मालूम, कि वे हिन्दू थे या मुसलमान।

अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। अदालत ने बयान लेना आरम्भ किया।

प्रश्न—क्या तुम ने अपने आधीन सिपाहियों मे ग़दर के पहिले से लक्षण देखे थे या नही ? जो होने वाला था उसकी कुछ ख़बर थी ?

उत्तर—जी हाँ, उन्हो ने मुझ से साफ कह दिया था कि एक दिन ग़दर होगा। इसका आरम्भ बँगलो मे आग लगने से हुआ। हमने १७ अप्रैल से इन्फील्ड कारतूस इस्तेमाल करने शुरू किये थे; उसी दिन से बँगलो मे आग लगनी शुरू हुई। सरकार ने बलवाइयों का पता लगाने के लिए भारी इनाम घोषित किए तो भी किसी ने खोज करने का काम नहीं किया। १० मई तक लगातार आग लगती रही। मैंने खुले रूप से फौजी मुख्य केन्द्र अम्बाला को इसकी सूचना दी थी और कप्तान सीप्टेम्स बेकर असिस्टेण्ट एडजूटेण्ट जनरल ऑफ दी आर्मी को भी इसकी सूचना दी थी।

गवाह गया और मिसेज़ फ्लीमेङ्ग जो कि सार्जेण्ट फ्लीमेङ्ग की स्त्री हैं, गवाही के लिए आईं। जज एडवोकेट ने प्रश्न किए।

प्रश्न—गत अन्तिम अप्रैल में क्या तुम अभियुक्त की बेगम ज़ीनत-महल के यहाँ थीं ? और वहाँ अभियुक्त के बेटे जवाँबख़्त को देखा था ?

उत्तर—जी हाँ।

प्रश्न—उस समय की घटना का बयान करो ?

उत्तर—मै उसकी साली के पास बैठी थी और जवाँबख़्त अपनी बीबी के साथ खड़ा था। मेरे साथ मेरी लड़की मिसेज़ एस्कली भी थी। जब मै जवाँबख़्त की साली से बात कर रही थी, तो मेरी लड़की ने कहा—"माँ तुम सुनती हो यह क्या कह रहा है ? कहता है कि थोड़े दिनो में फिर जवाँबख़्त तमाम अङ्गरेज़ो को पैरो से रौंदेगा और इसके बाद हिन्दुओ को क़त्ल करेगा। मै यह सुन कर जवाँबख़्त की ओर बढ़ी और उससे पूछा—तुमने क्या कहा ? उसने कहा कि मै मज़ाक कर रहा हूँ। मैंने कहा जैसा तुम कह रहे हो, अगर यही होना है, तो पहले तुम्हारा सर उतारा जायगा। फिर वह कहने लगा कि ईरानी दिल्ली आ रहे हैं और वह अङ्गरेज़ो को क़त्ल करेंगे तो मै तुम्हें व तुम्हारी लड़की को बचा लूँगा और बाद को छोड़ दूँगा। मेरा ख़्याल है यह घटना अप्रैल के मध्य की है। अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। गवाह चली गई।

उसके बाद अख़बारों की नकल का अनुवाद-जो कि चुन्नीलाल अख़बार-नवीस के यहाँ से बरामद हुआ और बाद में ज़ब्त किया गया। (ये अख़बार ११ मई से २० मई तक के थे) इस प्रकार हैं:—

चुन्नीलाल अख़बार-नवीस के हाथों से लिखी गई ११ से २० मई तक की घटनाएँ—डायरी के रूप में।

१० मई, सन् १८५७ई० की रात को मि० फ़्रेज़र के पास मेरठ से पत्र आया, जिसमें पैदल व सवारों के विद्रोह करने की सूचना थी। रात को वह कुछ प्रबन्ध न कर सके। सवेरे ख़बर मिली कि सवारो के रिसाला नं० ३ और २ पैदल रेजिमेण्टों ने कारतूस के मामले में उपद्रव कर दिया है और दिल्ली आ रही हैं। मि० फ़्रेज़र ने अपने सवार-अरदली को जो हर वक्त हाज़िर रहता था, नवाब झझ्झर के एजण्ट को बुलाने के लिए भेजा। सर थ्यूफिल्स मेटकॉफ भी उसी समय शहर मे आए और चीफ पुलिस ऑफिसर को दरवाज़ों के बन्द करने तथा गारद नियत करने की आज्ञा दी। अफ़सर ने तुरन्त आज्ञा पालन की। मि० फ़्रेज़र भी बग्घी पर बैठ कर और झझ्झर के सवारों तथा अपने ख़ास सिपाहियो को लेकर शहर आये। उस समय यह पता लग चुका था, कि बाग़ी पुल पर आ गये है और महसूल वसूल करने वाले को मार कर उसका घर जला दिया है। फिर एक सिपाही ने किलेदार से गुस्ताख़ी की और गोली चलाई, गोली चूक गई। सिपाही किले की खिड़कियों के नीचे जमा हो गये और बादशाह से चिल्ला कर कहने लगे, कि हम लोग धर्म के लिए लड़ते है इस लिए हमारे लिए दरवाज़े खुलवाये जावें। बादशाह ने तुरन्त किलेदार को ख़बर भेजी कि कुछ बाग़ी मेरठ से आये है और उपद्रव कर रहे हैं। यह सुनते ही कप्तान डगलस तुरन्त बादशाह के पास आये और

सवारो से कहा—तुम क्यों परेशान कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। बाग़ियो ने उत्तर दिया—हम 'कप्तान को देख लेंगे।' मि० फ्रेज़र घूमते हुए काश्मीरी दरवाज़े पहुँचे और गारद से बातें करते रहे। बात-चीत में उन्होंने कहा कि तुम लोग ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा युद्ध शिक्षा पाई है इस लिए तुमसे मदद चाहता हूँ। मैं तुम्हे सूचित करता हूँ कि कुछ बाग़ी सिपाही मेरठ से आये हैं और उपद्रव करने पर उतारू हैं। मुझे विश्वास है कि तुम सन्तोषजनक प्रबन्ध करोगे। लेकिन उन लोगों ने साफ जवाब दे दिया और उत्तर दिया कि अगर कोई बाहरी शत्रु तुम पर आक्रमण करता, तो हम लोग निस्सन्देह उससे युद्ध करते। मि० फ्रेज़र कुछ और साथियों के साथ वहाँ से कलकत्ता-दरवाज़े को चले गये और आवश्यक प्रबन्ध करने लगे। मिस्टर फ्रेज़र के अरदली जमादार ज्वाला सिह ने उनसे कहा कि शहर छोड़ दीजिए क्योंकि मुसलमान विद्रोह करने पर तुले हैं। मि० फ्रेज़र ने कहा कि मै ऐसा नहीं कर सकता, चाहे जान ही क्यो न चली जावे। शहर की तमाम दूकाने बन्द हो चुकी थीं और यह ख़बर बिजली की तरह फैल चुकी थी। रेवरेण्ड मि० जिनिङ्गस और दूसरे लोग किलेदार साहब के मकान के दरीचे में खड़े हुए मेरठ से आने वाले सवारों को दूरबीन से देख रहे थे। कप्तान डगलस भी बग्घी पर सवार हो कर मि० फ्रेज़र के पास कलकत्ता-दरवाज़े पहुँचे और उन्हे एक पत्र पढ़ने को दिया। मि० फ्रेज़र ने अपने अरदली-सवारों

को होशियार रहने के लिए हुक्म दिया। मुसलमान थम्बी बाज़ार और राजघाट पर पहुँचे और बाग़ियों से कुछ शर्तें तय कर के अन्दर आने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। बाग़ियो ने शहर में घुसते ही मकानो मे आग लगानी और अङ्गरेज़ो को कत्ल करना शुरू कर दिया। दरियागञ्ज के सभी मकानों मे आग लगा दी गई और अङ्गरेज़ों को मार डाला गया। उसके बाद डॉक्टर चिम्मन लाल को, जो कि अस्पताल के सामने खड़े थे, कत्ल कर दिया। फिर शहर के मुसलमानों ने सवारो को ख़बर दी कि मि० फ्रेज़र कलकत्ता-दरवाज़े पर है। वह तुरन्त वहाँ पहुँचे और पिस्तौल से गोली चलाने लगे। वहाँ दो अङ्गरेज़ मौजूद थे, वे घायल हो कर गिर पड़े। मि० फ्रेज़र के अरदली-सवारो ने उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया क्योंकि वे भी मुसलमान थे। मगर मि० फ्रेज़र ने अपने गारद के सिपाही की ज़बरदस्ती बन्दूक छीनी और एक बाग़ी को मार दिया। कप्तान डगलस और मि० फ्रेज़र बग्घी पर चढ़ कर किले की ओर चले। कप्तान साहब ऊपर चढ़ गये, मि० फ्रेज़र ऊपर चढ़ने ही वाले थे, कि बाग़ी सवारो और बादशाह के सशस्त्र सिपाहियों ने दूसरी सीढ़ी पर उन्हे मार डाला। फिर ऊपर चढ़ गये और कप्तान डगलस, रेवरेण्ड मि० जैनिङ्गस, उनकी लड़की तथा एक और अङ्गरेज़ का वध किया। शहर और किले के मुसलमान तमाम कमरों में घुस गए और माल-असबाब लूटने लगे। सर थ्यूफिल्स मेटकॉफ नङ्गी तलवार

लिए घोड़े पर चढ़े चाँदनी चौक बाज़ार की ओर जा रहे थे। उनके पीछे कई बाग़ी सवार लग गये। वह अजमेरी दरवाज़ के बाहर निकल गये थे, जहाँ मोची रहते थे। वे साहब को भागते देख कर लाठियाँ लेकर उन पर टूट पड़े। दिल्ली की तीनों पैदल रेजिमेण्टें बाग़ियो से मिल गई और अपने बहुत से अफ़सरो को क़त्ल कर के शहर मे घुस गईं। फिर बाग़ियो ने दरियागञ्ज और मेजर एस्केज़ के मकान की ओर, जिस किसी अङ्गरेज़ को पाया, कत्ल कर दिया। इसके बाद शहर के हिन्दू और मुसलमानो ने मिल कर शहर के बड़े थाने और बारह छोटे थानो पर अधिकार कर लिया। तमाम सड़को की लालटेने तोड़ डालीं। चीफ़ पुलिस अफ़सर भाग गये। असिस्टेण्ट अफ़सर घायल हुए और फिर ग़ायब हो गए। बागियों ने जिस वक्त बैङ्क पर धावा किया तो २ अङ्गरेज़, ३ लेडियाँ और २ बच्चे छत पर चढ़ गये। एक दङ्गाई पेड़ पर चढ़ा तो एक अङ्गरेज़ ने गोली मार दी। यह देख कर बाग़ी जल गये और गुस्से में बैङ्क में आग लगा दी और मुसलमानों ने लाठियों से उन साहब और लेडियों को कुचल-कुचल कर मार डाला। फिर तमाम शहर मे विजयोल्लास मनाते रहे। राजा बल्लभगढ़ एक रेलवे अफ़सर से मिलने गये थे और १० बजे लौटे। तीनों रेजिमेण्टों ने ख़ज़ाना लूट लिया और आपस मे बाँट लिया। जुडीशल कोर्ट और कॉलेज को लूट लिया और इमारतों में आग लगा दी। सवारो का रिसाला छावनी पहुँचा और वहाँ भी आग लगा दी। इसके बाद मेरठ

से आए हुए सवार और दिल्ली की तीनो पैदल रेजिमेण्टे बादशाह के यहाँ पहुँची और उनकी सहायता तथा सरक्षता की प्रार्थना की और बादशाह को राज्य दिलाने का वचन दिया। बादशाह ने कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा यही है और उन पर दया प्रदर्शित की। फिर सलेमगढ़ मे ठहरने की आज्ञा दी और कहा कि तुम्हारी वजह से तमाम बाज़ार और दूकाने बन्द हो गई हैं इस लिए लूट मार बन्द कर दो। जब बागियो ने सुना, कि कुछ अङ्गरेज़ स्त्री-पुरुष मेगज़ीन मे चले गये है तो दरियागञ्ज से दो तोपे ले आये और उनमें पत्थर भर के मेगज़ीन के दरवाज़ो पर फ़ायर किये। अन्दर से अङ्गरेज़ भी गोली चलाते और लड़ते रहे। एकाएक मेगज़ीन जल उठी और शहर के बहुत से आदमी मर गये। आस-पास के सैकड़ों मकान गिर गये। मेगज़ीन से अङ्गरेज स्त्री-पुरुष निकल कर नदी की ओर भागे, जिन्हे सवारों ने दौड़ कर क़त्ल कर दिया। ३ सार्जेण्ट और २ मेमे जीवित गिरफ़्तार की गई और वे बादशाह के सामने पेश किये गये। उनमें से एक सार्जेण्ट ने बादशाह से अपनी और अपने साथियो की शरण चाही, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बाग़ी उन्हें मार डालेगे। बादशाह ने उन्हे पूजा-गृह मे रखने का हुक्म दिया। सूरज डूबने के एक घण्टा पूर्व राजा नहरसिंह अपनी स्त्री, साले और मिस्टर मुनरो को, जो भेष बदले हुए थे, बल्लभगढ़ ले गये। पैदल सेना ने सालिगराम ख़ज़ाञ्ची के घर पर धावा किया, लेकिन मकान के दरवाज़े बहुत मज़बूत थे इसलिए आधी रात तक, न तोड़

सके। आधी रात बीत गयी। बड़ी कठिनता से अन्दर जाने का रास्ता निकाला और शहर के मुसलमानो के साथ घर मे घुसे और माल-धन लूट कर चल दिये। कुछ सार्जेण्ट छावनी से तोपें लिए जा रहे थे। उन्हें बाग़ी सवारों ने छीन लिया और फिर जहाँ की थी वही रख आये। किले में २१ तोपों की सलामी दी गई। रात भर शहर मे बेचैनी, मार-काट, घर जलाने का काम जारी रहा।

१२ मई, १८५७, मङ्गलवार

बादशाह दीवाने-ख़ास मे आये वहाँ रईसो व अमीरों ने उन्हें नज़रे दी। रेजिमेण्ट के सूबेदारो ने कहा कि सेना को रसद पहुँचाने के लिए कोई आदमी नियुक्त कर दिया जावे। रामसहाय मल और दीवानमल को ५००) रोज़ की रसद; मसलन् दाल, चना, आटा आदि पहुँचाने के लिए नियुक्त किया गया। ४ अङ्गरेज़ मुहम्मद इब्राहीम, वल्द अली मुहम्मद दूकानदार के मकान मे छिपे हैं। इतना सुनते ही सवार दौड़ पड़े और उन्हे क़त्ल कर दिया और दूकानदार के मकान को भी जला डाला क्योंकि उसने अङ्गरेज़ों को छिपाया था। एक अङ्गरेज़ स्त्री हिन्दुस्तानी भेष में एलन बोरफ तालाब के पास घूम रही थी, जिसे सवारों ने क़त्ल कर दिया × × × मिरज़ा ने जाकर बादशाह से कह दिया कि सिपाही चावड़ी बाज़ार लूट रहे हैं, बादशाह ने तुरन्त ही रेजिमेण्ट के सूबेदारों को हुक्म दिया कि शहर से फौजे हटा ली जावे और एक रेजिमेण्ट किले के पास और एक देहली दरवाज़े पर रहे बाक़ी एक-एक, दो-दो दल दरवाज़ों पर—अजमेरी दरवाज़ा,

लाहौरी दरवाज़ा, काश्मीरी दरवाज़ा—पर नियुक्त कर दी जावें। एक कम्पनी दरिया गञ्ज में रहे और साफ कह दिया, कि उन्हे रिआया के धन और प्राणो का नाश बरदाश्त नहीं। पैदल और सवारों ने कूचा नागरसेठ को लूटने का इरादा किया, मगर वहाँ के निवासियों ने दरवाज़े बन्द कर लिये और अन्दर से सिपाहियों पर ईंट-पत्थर फेंके जिससे सिपाही हार कर भागे। कई क्लर्क और उनकी स्त्रियों ने राजा कल्याणसिंह के यहाँ शरण पाई। सवार वहाँ पहुँचे और उन पर गोलियाँ चलाईं। अङ्गरेज़ो ने भी गोलियाँ छोड़ीं, बाग़ी क्रोधित हुए और २ तोपे लगाकर उड़ाना चाहा, लेकिन क्लार्क (अङ्गरेज़) ज़मीन के बराबर कोठरियों में छिप रहे। बादशाह ने मिरज़ा मुग़ल को हुक्म दिया कि रिआया पर अत्याचार बन्द करा दे। मिरज़ा मुगल हाथी पर बैठ कर बड़े थाने पहुँचे और घोषित किया "जो लूट मार करता पाया जावेगा उसके नाक और कान काट लिये जायेंगे और यदि दूकानदार दूकान न खोलेंगे या सिपाहियो को सामान देने से इन्कार करेंगे तो जुर्माना और क़ैद होगी।" ताजमहल (बेगम बादशाह की) छोड़ दी गईं। २ अङ्गरेज़ थाने के सामने से जाते हुए कत्ल कर दिये गये × × × हसन अली ने हकीम एहसन उल्ला खाँ के हाथो एक सुनहरी मोहर बादशाह को नज़र की और बादशाह ने उन्हे योग्य समझ कर अपने सलाहकारों मे रख लिया। मिरज़ा मुनीरुद्दीन को दिल्ली की गवर्नरी और खिलअ़त मिली और उन्होंने भेंट (नज़र) की शक्ल में ४) पेश किये।

सोलहवें दिन की कार्यवाही

बरोज़ बुध, १३ मई, सन् १८५७

बादशाह पूजा-गृह (इबादत ख़ाना) गये। नवाब महबूब अली ख़ाँ व दूसरे रईसो ने नज़रे दीं। नाज़िर हसन को मिरज़ा अमीरुद्दीन को बुलाने के लिए कहा। नाज़िर ने लौट कर कहा कि मिरज़ा बीमार है, इसलिए नहीं आ सकते। चीफ पुलिस अफ़सर मिरज़ा मुनीरुद्दीन से कहा गया कि फौज को रसद नहीं पहुँची इसलिए अब भेजने मे देर न की जावे। हसन अली ख़ाँ मौजूद थे, उनसे बादशाह ने कहा—सेना किले मे जमा हो गई है, क्या होना चाहिए? उन्होने जवाब दिया कि सिपाहियों ने अपने मालिकों की हत्या की है उस पर अधिक विश्वास न करना चाहिए। स्वर्गीय नवाब मुहम्मद ख़ाँ के लड़के बूढ़न साहब और पीरज़ादा शाह निज़ामुद्दीन को सलाहकारो के दल मे सम्मिलित किया गया। मिरज़ा मुग़ल, मिरज़ा ख़ैर सुलतान, मिरज़ा अकुब्रा आदि पैदल रेजिमेण्टों के कर्नल नियुक्त किए गए और उन में से हर एक को २-२ तोपे देकर कश्मीरी दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़े की रक्षा के हेतु भेज दिया गया। शाह निज़ामुद्दीन ने कहा कि नवाब मीर हमीद ख़ाँ को सिपाहियो ने गिरफ़्तार कर लिया है, क्योकि उनके घर मे अङ्गरेज़ों के छिपने का सन्देह है। नवाब साहब ने उनको बार बार विश्वास दिलाया, कि अगर एक भी अङ्गरेज़ उनके यहाँ निकले तो वह गिरफ़्तार कर लिये जायें इस पर बादशाह ने पैदल और सवारो के साथ शाह साहब को नवाब की तलाशी लेने भेजा। मिरज़ा अबूबकर भी उनके साथ थे।

मगर कोई अङ्गरेज़ या एङ्गलो-इण्डियन नहीं मिला। यह देख कर सवारों ने लूटा हुआ माल वापिस कर दिया और मीर साहब को छोड़ दिया। मिरज़ा अबूबकर सवारों की रेजिमेण्ट के कर्नल मुकर्रर किए गए। ख़बर पहुँची, कि किशनगढ़ के राजा कल्याणसिंह के मकान मे २९ अङ्गरेज़ मर्द, बच्चे और औरते छिपे हुए है। यह सुनते ही सवारो ने उन्हे जाकर गिरफ़ार किया और गोली से उड़ा दिया। कुछ सवार कर्नल एस्केज़ के घर में घुस गए और उनके लड़के जोज़फ एस्केज़ को गिरफ़ार कर के चीफ पुलिस अफ़सर के सामने लाकर मार डाला। कुछ लोगो के बहकाने से सवार लोग नरायनदास व रामचरनदास डिप्टी कलक्टर के मकान मे अङ्गरेज़ो को ढूँढ़ने के बहाने घुस गए और लूट कर चलते बने। दो अङ्गरेज़ बदररू दरवाज़े के पास हिन्दुस्तानी भेष में जा रहे थे उन्हे तुरन्त मार डाला गया। बादशाह ने ख़र्च के लिए हर एक रेजिमेण्ट को ४००) दिए। चीफ पुलिस अफ़सर ने मुनादी कराई कि जो नौकरी करना चाहे अपने हथियार लेकर हाज़िर हो और जो किसी अङ्गरेज़ को छिपावेगा वह मुजरिम समझा जावेगा। नवाब अहमद अली ख़ाँ व वलीदाद ख़ाँ मलागढ़ निवासी ने दरबार मे आकर कोरनिश की और उन्हे रोज़ाना दरबार मे आने का हुक्म दिया गया।

बादशाह ने ग़ल्ला के ख़ास अढ़तियों को बुलाया और उसका भाव कम करके बेचने का हुक्म दिया। मिरज़ा मुनीरुद्दीन ने दरिया-सड़क के प्रबन्ध के लिए २०० आदमियों को नियुक्त किया।

भिश्तियों ने लाल कुएँ के किसी दूकानदार का मक्खन चुरा लिया था, उन्हे गिरफ़्तार किया गया। कुली ख़ाँ व सरफराज़ ख़ाँ और उनके लीडर, जिन्होने तेली बाज़ार व सब्ज़ी मण्डी में डाके डाले थे, गिरफ़्तार किए गए।

गुरुवार—१४ मई, सन् १८५७ ई०

बादशाह अपने ख़ास कमरे से इबादत् ख़ाना मे आए। नाज़िर हसन मिरज़ा, कप्तान दिलदार अली ख़ाँ, हसन अली ख़ाँ, मिरज़ा मुनीरुद्दीन, मिरज़ा ज़ियाउद्दीन और मौलवी सदरुद्दीन हाज़िर हुए और कोरनिश की। मौलवी साहब ने एक सोने की मोहर भेट की। बादशाह ने उन्हे दीवानी व जुडीशल कोर्ट का मुन्सिफ मुकर्रर किया। मौलवी साहब ने कहा कि मुझे इस काम से माफी दी जावे। सालिगराम ख़ज़ाञ्ची को बुलाया गया। उसने हाज़िर हो कर एक अशरफी नज़र की। उससे बादशाह ने पूछा, ख़ज़ाने में कितना रुपया है? उसने जवाब दिया मुझे मालूम नहीं। बादशाह ने कहा, कि अपने नौकर से इसकी ख़बर देना। उसने 'हाँ' कहा। हुसेन अली ख़ाँ ने रहमत अली ख़ाँ को हाज़िर किया, उन्होंने एक अशरफी भेट की। बादशाह ने उनका परिचय पूछा—मालूम हुआ कि वह हुसेन अली ख़ाँ के भतीजे और नवाब फ़ैज़ मुहम्मद ख़ाँ के लड़के हैं। सालारजङ्ग के लड़के मुहम्मद अली ख़ाँ भी एक अशरफी भेट दी। बादशाह ने उनके लिए भी पूछा कि कौन हैं? जवाब दिया गया, कि बहादुरजङ्ग रईस बादरी के भतीजे।

सनूत के रईस का एजण्ट हाज़िर हुआ और उसने कहा कि उनकी तबियत ख़राब है, इसलिए वह हाज़िर न हो सके। एजण्ट ने जयपुर जाने का विचार प्रकट किया तो बादशाह के हुक्म से एक पत्र तुरन्त ही जयपुर के राजा रामसिह के नाम लिखा गया। कि वह तुरन्त अपनी सेना लेकर आवे। एजण्ट ने कहा कि वह बहुत जल्द जयपुर पहुँचेगा। इसके बाद झझ्झर के रईस अब्दुल रहमान, वादरी के बहादुरजङ्ग ख़ाँ, पाटोदी के अकबर अली ख़ाँ, बल्लभगढ़ के राजा नहरसिंह, रोज़ाना के रईस हुसेन अली ख़ाँ, फरुख़नगर के नवाब अहमद अलीख़ाँ के फौरन दरबार मे हाज़िर होने के लिए अलग-अलग हुक्मनामे लिखे गए। मिरज़ा अमीनुद्दीन खाँ व मिरज़ा ज़ियाउद्दीन ख़ाँ को झरका व गुड़गाँव का प्रबन्ध सौंपा गया। चन्द्रावल के गूजर सब्ज़ीमण्डी, तेलीवाड़ा, राजपुरा, मुँडरेसा वग़ैरह की दूकानो मे रात को डाका डालते हैं। मिरज़ा मुगल को हुक्म दिया गया कि वह उन को दण्ड दे। मिरजा अबूबकर अपनी रेजिमेण्ट लेकर उस गाँव मे गए और उसे लूट कर जला दिया। रियासत लखनऊ की आराज़ी का दारोग़ा बहादुरसिंह ने एक सोने की मोहर भेंट दी। अम्बाला से आया हुआ एक अङ्गरेज़ जासूस गिरफ़ार करके लाया गया; उसे जेलखाना में रखने का हुक्म दिया गया। कुछ पैदल सिपाही और सूबेदार जूता पहिने दरबार के फर्श पर चले आए। बादशाह ने उन्हें कोप-दृष्टि से देखा और डाँटा और मुनीरुद्दीन ख़ाँ पुलिस अफ़सर के नाम हुक्म जारी किया गया कि पैदल

रेजिमेण्ट नं० ३८ को यहाँ से हटा कर छावनी भेज दो और उनके हाथो से सब्ज़ी मण्डी और पहाड़ी दरवाज़ा की रक्षा करो। चार आदमियों ने आकर ख़बर दी कि मेरठ से अङ्गरेज़ी सेनायें आ रही हैं और यहाँ से बिल्कुल करीब हैं, यहाँ आकर तुम को सज़ा देगी। सिपाही उन से नाराज़ हुए और चारो को गिरफ़्तार कर लिया। नगबन्दा के पुलिस-अफ़्सर को हुक्म दिया गया कि मि० फ़्रेज़र और कमान डगलस की लाशे गाड़ दे और शेष अङ्गरेज़ो की लाशे नदी मे बहा दे। इसका फौरन पालन हुआ। गूजरो ने मि० फ़्रेज़र के मकान का सब फर्नीचर लूट लिया और कमिश्नरी तथा लेफ्टिनेण्ट गवर्नर की एजन्सी के काग़ज़ फाड़ डाले।

शुक्रवार—१५ मई, सन् १८५७ ई०

बादशाह ख़ास कमरे मे थे। मौलवी अब्दुल क़ादिर ने फौज की तनख्वाह की लिस्ट तैय्यार की थी। बादशाह ने उन्हे एक दुशाला दिया और नवाब महबूब अली ख़ॉ के सहायक पद पर मुकर्रर कर दिया। इसके बाद मौलवी साहब हाथी पर बैठ कर घर चले गए। समनौत के शिवसिंह ने अपने एजण्ट के द्वारा कुछ दवाएँ भेजीं। उसी एजण्ट के हाथ बादशाह ने राजा को तुरन्त दरबार मे आने का हुक्मनामा भेजा। कोला महल का दारोग़ा ग़ुलाम नबी, जो कि मीरजिया अली के साथ मि० फ़्रेज़र की अरदली में था, दर्बार मे हाज़िर हुआ और कहा कि नवाब झझ्झर ने ५० सवार भेजे हैं, वह पहुँच गये हैं। मगर नवाब साहब अपनी रियासत में विद्रोह होने के कारण नहीं आए। मौलवी अहमद

अली, वल्लभ गढ़ के राजा नाहरसिंह दूत बन कर आये और १) भेट किया और राजा का पत्र दिया जिसमे लिखा था कि गूजरो ने लूट-मार शुरू कर दी है जिसके कारण रियासत मे विद्रोह है और वह नही आ सके। रियासत के प्रबन्ध के बाद हाज़िर होंगे। राजा को हाज़िर होने का हुक्म दिया गया। ख़बर आई कि रोहतक का मैजिस्ट्रेट भाग गया और वहाँ के ख़ज़ाने को लोग लूटने वाले है और गुड़गाँव का ख़ज़ाना लुट जाने की ख़बर मिली, तो बादशाह ने कुछ सवार और एक पैदल रेजिमेण्ट रोहतक का ख़ज़ाना लाने के लिए भेजा और अब्दुल करीम को हुक्म दिया गया, कि ४०० पैदल और एक सवार रेजिमेण्ट भरती करे। सवारो को २०) और पैदल को ५) तनख़्वाह मिलेगी। २०० आदमी ज़रा देर मे मिल गये। अब्दुल क़ादिर प्रिण्टर ने कुछ काग़ज़ात बादशाह को देखने के लिए पेश किए और कहा कि वह उनका प्रबन्ध कर लेगा। सवारों के अफ़सर के नाम एक आज्ञा-पत्र निकला कि मिरज़ा अबूबकर कर्नैली से अलग कर दिये गए हैं। उनका हुक्म न मानकर, बादशाह की आज्ञा मानी जावे। काजी फैज़ुल्ला ने ५) भेट पेश की और प्रार्थना की, कि वह चीफ पुलिस अफ़सर बनाये जावे। उनकी प्रार्थना स्वीकृत हुई। एक सुनार ने दूसरे सुनार को, जिससे पुरानी शत्रुता थी, मार डाला। वह पकड़ा गया। जैसिंहपुरा के मेवातियो ने रेलवे अफ़सर के मकान पर डाका डाल कर ४०००) लूट लिया। उनको पकड़ने के लिए सवार और पैदल जाने ही वाले थे, कि जयपुर के दूत

लाला बुधासिंह ने दरख्वास्त दी कि बादशाह जयसिंह पुरा वालों को क्षमा करे। बादशाह ने सवार और पैदलो को न जाने की आज्ञा दे दी। ख़बर मिली कि पैदल और सवार शहर मे नङ्गी तलवारे लिए घूमते हैं उनके डर से दूकानें नहीं खुलतीं। हुक्म हुआ कि किले के दरवाज़े के सिवाय और कहीं नङ्गी तलवार कोई न ले। झज्झर के सवारो के अफ़सर को महताब बाग़ मे रहने का हुक्म हुआ। ख़बर मिली कि रामजी दास की १४ नावें गेहूँ आदि से लदी आई हैं। उस पर दीवानीमल को हुक्म दिया गया कि सब माल दरबार मे लावे। दो पैदलो ने २००) चुपके से रामजीदास अग्रवाल के यहाँ रख दिये थे। उन दोनो सिपाहियों मे झगड़ा हो गया और भेद खुल गया। सिपाहियो का एक दल रुपया लेने भेजा गया और साहूकार ने तुरन्त रुपया दे दिया। व्यापारियो को दरबार मे आने की आज्ञा हुई। सवारों और पैदल सिपाहियों ने षड़यन्त्र किया और बादशाह से दीवाने-ख़ास में आकर कहा कि उन्हे एलाउन्स और कपड़े ठीक तौर से नहीं मिलते, इसका प्रबन्ध कर दिया जावे। सिपाहियो से शिकायत मिली कि महबूब अली ख़ाँ व हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ अङ्गरेजों से मिल गये हैं। फिर हवेली लाल कुँआ मे जाकर पीरज़ादा निज़ामुद्दीम को इसी अपराध मे गिरफ़्तार किया कि उनके यहाँ २ अङ्गरेज़ लेडियाँ छिपी है। शाह निज़ामुद्दीन ने पूछा कि तुम्हे किससे ख़बर मिली, तो उन्होंने एक आदमी को लाकर खड़ा कर दिया, जो रामपुर का रहने वाला था। उसने कहा कि हमे

उड़ती हुई खबर मिली है। शाह साहब ने कहा कि यदि मेरे यहाँ लेडियाँ छिपी हो तो तुम्हे माल असबाब लूट लेने का अधिकार है और अगर तुम्हे बहाने करके लूटना है तो लूट लो। यह सुन कर सवार चुप हो रहे। महबूब अली ख़ाँ ने कुरान लेकर कसम खाई कि वह अङ्गरेज़ों से नहीं मिले हैं। सिपाहियों ने आग़ा मुहम्मद ख़ाँ का मकान लूट लिया।

शनिवार—१६ मई, सन् १८५७ ई०

बादशाह दीवाने-ख़ास मे आये और दरबार शुरू हुआ। हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ, आग़ा सुलतान (तनख़्वाह बाँटने वाले) कमान दिलदार अली ख़ाँ, रहमतअली ख़ाँ व दूसरे रईसो ने हाज़िर होकर कोरनिश किया। पैदल और सवार तथा उनके अफ़सर दरबार मे आये। एक ख़त पेश हुआ जिस पर नवाब महबूब अली ख़ाँ व हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ की मोहरे लगी थीं। फिर शिकायत हुई कि इस ख़त को हमने दिल्ली दरवाज़े में पकड़ा है, जहाँ से यह ख़त अङ्गरेज़ो के पास जा रहा था। इसमे लिखा था कि अङ्गरेज़ फौरन चले आवे। हम उन्हे शहर मे दाखिल करावेगे और बेगम ज़ीनत महल भी अङ्गरेज़ों से मिली हुई हैं। उनको यह लालच था कि जवाँबख़्त को गद्दी पर बैठाया जाये। उसमें यह भी लिखा था कि तमाम सेना भी तुम्हारे कब्ज़े मे करा दी जावेगी। यह ख़त नवाब साहब व हकीम साहब को भी दिखाया गया। उन्होंने देखकर कहा, कि यह बनावटी है। फिर अपनी अँगूठियाँ उतार सिपाहियों के आगे

फेंक दीं और कहा कि कागज़ उनका नहीं है और उसकी मोहरें भी बनावटी हैं। उन्होंने कसमें भी खाईं लेकिन सिपाहियो को यकीन नहीं आया। किसी ने सिपाहियों को ख़बर दी कि नहर के करीब बहुत से अङ्गरेज़ छिपे है। सुनते ही मिरज़ा अबूबकर सिपाहियो को साथ लेकर नहर के पास गये और पिस्तौल के कई फायर किये मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर पैदल और सवारों ने नङ्गी तलवारे लेकर हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ का घर घेर लिया। उन लोगों को पूरा धिश्वास था कि हकीम अङ्गरेज़ों से मिले हुए हैं और आपस मे कहने लगे कि इसी कारण वह अङ्गरेज़ों को कत्ल करने से रोकता था जिसमें जब अङ्गरेज़ आ जावे तो कैदियो को उन्हे सौंप दे और सिपाहियों को कत्ल करा दे। उनका सन्देह यहाँ तक बढ़ा, कि वह कैदख़ाने के अङ्गरेज़ो को निकाल लाये। जिनकी संख्या ५२ थी और हौज़ के पास कत्ल करने के लिए बिठा दिया। शाहज़ादा मिरज़ा मँझले ने उनको मना किया और कहा कि स्त्री और बच्चों का मारना मुसलमानी धर्म के विरुद्ध है, इस पर सिपाहियों ने उन्हे भी कत्ल करना चाहा, मिरज़ा डर कर भाग गये। उन्होंने अङ्गरेज़ो को बिठा कर पिस्तौल दाग़ी लेकिन गोली बादशाह के नौकर के जाकर लगी। इसके बाद बादशाह के सशस्त्र सलाहकारों ने आकर अङ्गरेज़ों को तलवार के घाट उतार दिया। जब यह हो रहा था, तो दो सौ मुसलमान हौज़ पर बैठे अङ्गरेज़ो को लानत कर रहे थे। क़त्ल

करते वक्त बादशाह के एक नौकर की तलवार टूट गई। कत्ल के बाद लाशो को दो गाड़ियो मे भर कर नदी पर ले गये और बहा दिया। इस खबर से हिन्दुओ को दुख हुआ और वे कहने लगे कि जिन्होने ऐसा पाप किया है उन्हे अङ्गरेज़ो से जीत न मिलेगी। फाटको की गारद बदल दी गई। किसी ने ख़बर दी कि मथुरा दास ख़ज़ाञ्ची के यहाँ अङ्गरेज़ छिपे है। वह चौधरी के कूचे में रहता है। उन्होंने जाकर तुरन्त तलाशी ली मगर कोई न मिला। इस अवसर पर उन्होने किसी को कुछ कष्ट न दिया। एक हुक्म बेदाद ख़ाँ के नाम निकला कि जमुना के पूर्वीय भाग में गूजरों ने विद्रोह मचा रक्खा है, उन्हे दबाये। लाहौरी दरवाज़े के दूकानदारों ने शिकायत की, कि उस थाने का पुलिस दारोग़ा काशीनाथ एक हज़ार रुपया रिश्वत माँगता है। और यदि न देंगे तो उन्हे गिरफ़्तार किया जायेगा। हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ ने शहर के कोतवाल क़ाज़ी फैज़ुल्ला को काशीनाथ की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया।

रविवार—१७ मई, सन् १८५७ ई०

बादशाह ख़ास कमरे मे थे। सवार और पैदल अफ़सरों ने आकर सूचना दी कि उन्होंने सलीमगढ़ को दृढ़ बना लिया है, आप चल कर देखे। बादशाह हवादार गाड़ी पर बैठ कर गए। वहाँ देखा कि तोपे कैसी लगाई गई हैं; बाद को सिपाहियों से महबूब अली ख़ाँ, जीनत महल और हकीम हसएन उल्ला ख़ाँ पर सन्देह न करके विश्वास करने के

लिए उपदेश दिया। सिपाहियो को प्रसन्न करने के लिए बोले कि वह किसी अङ्गरेज़ को पकड़ कर लावें तो वह स्वयं अपने हाथो से उसे क़त्ल करेगे। यह सुनकर सेना मे सन्तोष फैल गया। हकीम साहब के प्रति अविश्वास दूर हो गया। पुल पर एक आदमी पकड़ा गया जिसके पास मेरठ के किसी अङ्गरेज़ का पत्र निकला। सिपाहियो ने उसे तोप के मुँह पर बाँध दिया और बहुत समय तक इसी प्रकार लटकाये रक्खा। बाग़ियो ने दीवाने-ख़ास को घर सा बना रक्खा था। वहाँ से उन्हे हटाकर वहाँ क़ालीन और फानूस सजाये गए। मिरज़ा अमीनुद्दीन ख़ाँ और मिरज़ा ज़ियाउद्दीन ख़ाँ सरकारी आज्ञानुसार दरबार मे उपस्थित हुए और कोरनिश की। उन्हे रोज़ आने की आज्ञा हुई तो बीमारी का बहाना किया। जब उनसे सेना बढ़ाने के लिए कहा तो इसे स्वीकार किया। बादशाह ने कहा कि तुम्हे देश की उर्वरा भूमि दी जावेगी, यदि अच्छी तरह आज्ञा पालन करोगे। इसके बाद जहाँगीराबाद के रईस मुस्तफा ख़ाँ के भाई इरादत ख़ाँ व मीर ख़ाँ, अख़बार ख़ाँ तथा और दूसरे नामी रईस दरबार मे आये। हर एक ने दो-दो रुपए नजर दी। पैदल रेजिमेण्ट के कर्नल मुक़र्रर करने की बात पर बहस होती रही। हसरू की गढ़ी से एक सवार आया जिसने ख़बर दी कि एक कम्पनी पैदल और सवारो की रक्षा मे कई लाख रुपया गुड़गाँव से आ रहा है। मगर इसी इलाक़े के मेवाती और गूजरो ने ३०० की संख्या मे जमा हो कर उसे लूटने की कोशिश की

है और सिपाहियो से लड़ाई हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया कि मुहम्मद बकर एक रिसाला सवार और दो पैदल कम्पनी ले जाकर खजाने को ले आवे और गूजरो को दण्ड दे। मिरज़ा मुग़ल के एक मेहतर को जासूस होने के सन्देह में पकड़ लिया गया और उसे बुरी तरह घायल किया गया। फिर मिरज़ा मुग़ल के हुक्म से छोड़ा गया। एक खबर मिली कि जयसिह पुरा के मेवातियों ने, जिन्होने रेलवे अफ़सर का मकान लूटा था, घायल होकर अङ्गरेज़ो की नौकरी कर ली है। मौज़ा निधौली के ज़मीदारो ने एक-एक रुपया नज़र किया और विश्वास-पात्र होने का बचन दिया। बादशाह ने ज़मींदारो से कहा कि अपने-अपने गावों का प्रबन्ध ठीक रक्खे और यदि गड़बड़ी हुई, तो वे ही लोग ज़िम्मेदार ठहराये जाएँगे।

बादशाह के दो दूतो ने लौटकर सूचना दी कि क़रीब १ हज़ार सिपाही और कुछ अङ्गरेज़ स्त्री-बच्चों सहित सदर बाज़ार मे जमा हो रहे हैं और सूरजकुण्ड पर मोरचेबन्दी की है। और हाथियो के द्वारा तोपें ले जाकर लगवा दी हैं तथा मेरे साथ भी बुरा व्यवहार किया। बादशाह ने जमुना पुल पर दो पैदल कम्पनियाँ भेजीं। हकीम अब्दुल हक ने हाज़िर हो कर पॉच रुपए भेंट किए। रुड़की से खन्दक खोदने वालो की पॉच कम्पनियाँ मेरठ गईं। वहाँ अङ्गरेज़ों ने उनसे काम लेना चाहा मगर उन्होने इनकार किया। अङ्गरेज़ों ने उन पर आक्रमण करके कई आदमियो को वध और घायल किया। जो बाक़ी बचे

वह भाग कर दिल्ली गये। पटियाला के महाराजा नरेन्द्रसिंह, जयपुर के शासक रामसिंह, महाराजा अलवर और जोधपुर तथा कोटा, बूँदी के नाम आज्ञा-पत्र निकाले गये कि दरबार में हाज़िर हों। दो बच्चे दीवान किशनलाल के बरामदे से गिर कर मर गए। ख़बर मिली कि अम्बाला से फौजे आ रही है। इसके सिवा बाकी सब शान्ति है।

सोमवार—१८ मई, सन् १८५७ ई०

बादशाह अपने ख़ास कमरे से निकल कर दीवाने-ख़ास में आये और तख्त पर बैठे। पाँचों रेजिमेण्टो के बैण्ड बाजे आये और अङ्गरेज़ी ढङ्ग पर बजाया गया। बादशाह ने अधिकारियों को ख़िलअ़त और पद दिये। मिरज़ा मुग़ल को सेना का कमाण्डर-इन-चीफ, मिरज़ा कोचक सुलतान, मिरज़ा ख़ैर सुल्तान, मिरज़ा मेंढू व दूसरे शाहज़ादों को सेना का कर्नल बनाया गया। बादशाह के पोते मिरज़ा अबूबकर को सवारों के रेजिमेण्ट का कर्नल मुकर्रर किया गया। मिरज़ा मुग़ल ने दो अशरफी और दूसरे शहजादो ने एक-एक अशरफ़ी और एक-एक रुपया भेट दी। उन्हे रोज़ दरबार मे आने का हुक्म हुआ और उन्होंने स्वीकार किया। बादशाह ने उन्हे सेना बढ़ाने को कहा और बहुत सा इलाक़ा देने का वचन दिया। मगर उन्होंने कहा कि वह ऐसा न करेंगे, केवल हुज़ूर की सेवा करेंगे। दो सवार ख़त लेकर अलवर भेजे गए। वह लौट आये और कहने लगे कि हज़ारों गूजर जमा हैं, जो नहीं जाने देते। मज़दूरों और ख़न्दक खोदने

वालो के अफ़सर आये और उन्होने कहा कि उनकी पाँच कम्पनियाँ रुड़की से मेरठ आ रही थी। वहाँ तमाम अङ्ग्रेज़ अपनी औरतो के साथ दमदमा मे थे और कहते थे कि तुम लोग देहली न जाओ, तनख्वाह बढ़ाने का लोभ दिया। जब फिर भी मज़दूरो ने न माना तो उन पर बन्दूकों की बाढ़ करीब तीन बजे के छोड़ी जिससे लगभग दो सौ आदमी मारे गये और बाक़ी भाग कर हुज़ूर की सेवा मे हाजिर हुए है। उन्हे सलीमगढ़ मे ठहरने की आज्ञा हुई। नवाब महबूब अली ख़ाँ ने रामजी दास गोदाम वाला, रामजी दास अग्रवाल, सालिगराम ख़ज़ाञ्ची और ऐसे ही दूसरे लोगो की लिस्ट बना कर उन्हे लिखा कि चूँकि २५००) रोज़ फौज का ख़र्च है, इसलिए वह ५ लाख रुपया जमा करने का प्रबन्ध करें। इस पर सभी व्यापारी नवाब साहब के पास गए और कहा कि ग़दर मे उनका माल-असबाब लूट लिया गया है, अब वह रुपया कहाँ से लाये। रामजी दास ने कहा—'अगर महबूब अली खाँ दूसरे महाजनो से लेलेंगे तो मै भी रुपया दे दूँगा। गूजरो को हराने के लिए सवारो को लेकर मिरज़ा अबूबकर चन्द्रावल और वज़ीराबाद गए। लेकिन गूजर पहिले ही भाग गए थे।

मङ्गल—१९ मई, सन् १८५७ ई०

बादशाह ख़ास कमरे से दीवाने-ख़ास मे आए। दो सवारो ने आकर खबर दी कि पैदल और तोपख़ाना की एक फ़ौज कई लाख रुपया लेकर बरेली और मुरादाबाद से मेरठ पहुँची है।

उनसे अङ्गरेज़ों ने मेरठ की फौज के बाग़ी हो जाने और अङ्गरेज़ो के कत्ल करने की शिकायत की है। इस पर बरेली की फौज ने जवाब दिया कि अङ्गरेज़ो ने भी तीन सौ ख़न्दक खोदने वालो को मार कर अपना दिल ठण्डा कर लिया है और निश्चय है कि वह हम से भी ऐसा ही व्यवहार करे। यह सुनकर अङ्गरेज़ मोरचों पर चले गए और गोलाबारी शुरू कर दी। इस पर मुरादाबाद और बरेली की फौजों ने भी उसका जवाब दिया। खुदा की मिहरबानी से हमने एक फायर ऐसा किया, जिस से दुश्मनो के ठहरने का स्थान बिल्कुल जल गया। बादशाह सेना और सवारों की यह बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता प्रगट करने के लिए सलीमगढ़ मे पाँच तोपें दाग़ी गईं। इसके बाद ख़बर आई कि गढ़ी हर्सरू मे गुड़गॉव का मैजिस्ट्रेट भागते-भागते सत्तर हज़ार रुपया रख गया था। इसलिए एक सौ सवार और दो पैदल कम्पनियों को लाकर रुपया ख़ज़ाने मे दाख़िल करने की आज्ञा हुई। बीजा बाई का भेजा एक सवार आया उसने कहा कि मालकिन ने पूछा है कि क्या अङ्गरेज़ और उनकी औरतें कत्ल की गई हैं या नहीं? हमें उड़ती ख़बरो पर विश्वास नहीं है। तो बादशाह ने उत्तर दिया कि यहाँ के सभी अङ्गरेज़ मार डाले गये और अपने दो सौ सवार तथा शाही हुक्मनामा इस सवार के साथ ग्वालियर भेजा गया कि बाई साहब से ज़बानी भी कह दें कि सेना लेकर यहाँ आ जाएँ और विश्वास-पात्रता का परिचय दे। इसके

बाद बादशाह ने दीवाने-ख़ास मे दरबार किया और एक ख़िलअ्त, एक चाँदी की दवात तथा "वज़ीर आज़म मुमालिकमफ़तूहा" की उपाधि × × × को दी।* मिरज़ा ने इसके बाद धन्यवाद के रूप मे सोने की १० मोहरे पेश कीं। बादशाह ने ऐसी ही एक ख़िअ्अत अपने लड़के मिरज़ा बख़्तावर शाह को न० ७४ देशी पैदल का कर्नल बनाते हुए दी। मिरज़ा ने दो सोने की मोहरे और पाँच रुपये भेंट स्वरूप दिये। फिर बादशाह ने एक और कर्नल की नियुक्ति की घोषणा की। नाज़िर हसन मिरज़ा को हुक्म हुआ कि पटियाला के कुँवर अजीतसिंह को हाज़िर करें। कुँवर साहब ने हाज़िर हो कर सोने की एक मोहर पेश की। उन्हे भी एक ख़िलअ्त दी गई। इसके बाद उन्होंने ५) भेट दिए। बादशाह ने कहा कि वह कुँवर साहब को तब से जानते हैं, जब वह दिल्ली मे रहा करते थे। अहमद मिरज़ा और हकीम अब्दुलहक़ के पुत्र हाज़िर हुए और ५-५ रुपये भेंट दिए। मु० अख़बार अली ख़ाँ का भेजा हुआ रिसालदार हाज़िर हुआ और २) अपनी तरफ से हाज़िर किये। एक अर्ज़ी अख़बार अली ख़ाँ की पेश की कि वह रियासत का प्रबन्ध करके हाज़िर होगे। नत्थू दर्ज़ी के यहाँ दो अङ्गरेज़, दो बच्चे और तीन लेडियाँ छिपी थीं, जा कर क़ैद की गईं और दर्ज़ी का मकान जला दिया गया। बादशाह ने इन को सिपाहियों की निगरानी मे कर दिया। बादशाह सलीमगढ़ गए थे वहाँ

*नाम नहीं है। सम्भवतः जवाँवख़्त, जो उस समय नियुक्त हुआ था, इसी पद पर किया गया हो।

सेनाओं ने सलामी दी। न० ३० पैदल ने कहा कि मेरठ के मोरचे जल जाने की ख़बर सच नहीं मालूम होती। उनका इरादा खुद जाकर मोरचो को जला देने का है। बादशाह ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अपने अफसर मिरज़ा मुग़ल की आज्ञा मानें। उनकी इच्छा जाने बग़ैर कोई काम न करो। एक आज्ञा-पात्र शहर कोतवाल क़ाज़ी फैजुल्ला के नाम लिखा गया कि जमुना के पुल की दो नावे हट गई हैं उनकी मरम्मत के लिए सौ मज़दूर भेजे। ख़बर मिली कि धार्मिक उलेमाओं ने तमाम मुसलमानों को जमा करके कहा है कि अङ्गरेज़ो को क़त्ल कर दे। काफिरो के मारने से पुण्य होता है। हज़ारो मुसलमान उन के झण्डे के नीचे आ गये। जब बादशाह को यह सूचना मिली तो उन्होने ख़बर भेजी कि जिन्हें तुम कत्ल करना चाहते हो, वे पहले ही मार डाले गये और हुक्म दे दिया कि झण्डा रख दिया जावे। स्वयं मौलवी सदरुद्दीन जामा मस्जिद गये और उलेमाओं से बहस करते रहे और झण्डा उठाना बेकार सिद्ध किया। ग़ल्ला व नमक की कई गाड़ियाँ बाहर पकड़ी गई और शहर मे लौटा लाई गईं।

बुधवार—२० मई, सन् १८५७ ई०

बादशाह ख़ास कमरे से आकर दीवाने-ख़ास मे आये, दरबार हुआ। मुहम्मद सईद आये और उन्होने 'सलाम अलेक' कहा। बादशाह ने पूछा कि उन्हीं (मौलवी) ने अङ्गरेज़ो के कत्ल करने के लिए झण्डा उठाया था? जब वे सब मारे ही जा चुके हैं, तो

झण्डा उठाने की क्या ज़रूरत है? मौलवी साहब ने कहा कि वह हिन्दुओं के विरुद्ध जिहाद का झण्डा उठाना चाहते है। इस पर बादशाह ने कहा कि वह हिन्दू और मुसलमानो को एक निगाह से देखते हैं। वह हिन्दुओं के विरुद्ध कोई धार्मिक युद्ध नहीं करना चाहते। इसके बाद कहा कि ईसाइयों को अगर कहते हो तो वह सभी मार डाले जा चुके है। इसके बाद फौज के हिन्दू अफ़सर हाज़िर हुए और शिकायत की कि मुसलमान नागरिकों ने उनके विरुद्ध इस्लामी झण्डा उठाया है लेकिन बादशाह ने उन्हे सतोष दिलाते हुए कहा, कि उन लोगों का मतलब अङ्गरेज़ो को क़त्ल करना था। अफ़सरो ने कहा कि मेगज़ीन मे एक व्यक्ति नौकर था वह ताँबे की छोटी तोप चुरा ले गया था। वह पुल पर पकड़ा गया है। बादशाह ने उसे तोप से उड़ा देने का हुक्म दिया। मिरज़ा अमीनुद्दीन ख़ाँ, मिरज़ा ज़ियाउद्दीन ख़ाँ, हसन अली ख़ाँ और रहमत अली ख़ाँ हाज़िर हुए और मुजरा किया। बादशाह ने उन्हें एक-एक हाथ की चोब दी और उन लोगो ने धन्यवाद स्वरूप ५-५ रुपये भेट किए। मिरज़ा मुग़ल को हुक्म हुआ कि चार तोपों और चार पैदल रेजिमेण्टों के साथ मेरठ जावें और अङ्गरेज़ों के रक्षा स्थान तथा मोरचो को उड़ा दें। मिरज़ा मुग़ल ने जवाब दिया कि हमारे साथ मिरज़ा अमीनुद्दीन ख़ाँ, मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन ख़ाँ, हसन अली ख़ाँ, जिन्हों ने बड़ी-बड़ी जागीरें पाई हैं, भेजे जाएँ और अङ्गरेज़ो के कत्ल करने का मिरज़ा साहब ने वादा किया। इस को सुन कर सभी

रईस चुप हो गए, किसी ने हाँ नहीं की। यह देखकर बादशाह ने मिरज़ा अबूबकर को फौज लेकर जाने को कहा और हकीम एहसन उल्ला तथा महबूब अली ख़ाँ को ख़र्चे का प्रबन्ध कर देने का हुक्म दिया। पैदल सिपाहियो ने मेरठ से आने वाली गाड़ी पर धावा मार कर ज़ेवर लूट लिया। कुछ सिपाहियों ने मुबारक बाग में, जो छावनी के पीछे था, छिपे हुए दो अङ्गरेज़ों को क़त्ल कर दिया। सेना के अफ़सरो ने आकर कहा कि पाँच अङ्गरेज़ औरतें, जो कैद है, हमें दे दी जावें। बादशाह ने मौलवी महबूब अली ख़ाँ से पूछा कि धार्मिक रूप से क्या करना उचित है। मौलवी साहब ने धार्मिक सिद्धान्त उनके सामने रख दिया कि औरतो की हत्या अनुचित है। फिर बादशाह अपने ख़ास कमरे मे चले गए। जहाँ उनके गुप्त दल के सदस्य मुकुन्दलाल और मलका मौजूद थीं।

४ बज गए और अदालत कल ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

सत्तरहवें दिन की कार्यवाही

बुधवार—ता० २४ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

किले के दीवाने-ख़ास में अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, सदस्य, अनुवादक, डिप्टीजज एडवोकेट-जनरल सब हाज़िर थे। अभियुक्त और उनके मुख्तार ग़ुलाम अब्बास भी आये। अख़बार 'सादिकुल अख़बार' के लेख, जो कि फारसी में थे, पढ़े गए। फिर उनका अनुवाद सुनाया गया, जो निम्नाङ्कित है।

६ जुलाई, सन् १८५७

एक आज्ञा-पत्र, जिस पर शाही मोहर लगी थी, कमाण्डर-इन-चीफ के नाम लिखा गया, जिसमे फौज के रोज़ाना एलाउन्स का ज़िक्र था और हुक्म दिया गया कि तमाम फौजी बाग अपने हाथ मे ले लें।

७ जुलाई, सन् १८५७ ई०

एक पत्र काश्मीर के राजा गुलाबसिंह का आया कि उसका राज लाहौर और उसके आस-पास तक सुदृढ़ हो गया है। दोस्त मुहम्मद ख़ाँ का एक ख़त आया कि वह दरबार में हाज़िर होना चाहता है। दोनो ख़त जनरल बहादुर के पते से आये थे, जिनके जवाब भेजने का हुक्म दे दिया गया है।

६ जुलाई, सन् १८५७ ई०

ख़बर मिली कि बख़्तियार ख़ाँ ने एक सेना तैयार करके दुश्मनो से लड़ने के लिए भेजी है। वह बहादुरी के साथ लड़ रही है, दूत लगातार जीत के समाचार ला रहे हैं।

११ जुलाई, सन् १८५७ ई०

कोर्ट-ग़जट (सिराजुल अख़बार) के लेख द्वारा यह बात सर्वसाधारण को मालूम हो चुकी है कि बादशाह ने दरबार करना शुरू कर दिया है। आज रईसो और अमीरो को बुलाया गया और उन्हे दुश्मनो की गति और प्रबन्ध, युद्ध की सलाहे और शाही सेना की बहादुरी, सब पढ़ कर सुनाई गईं। ग़ुलाम नबी खाँ के नाम आज्ञा-पत्र निकला कि दरियागञ्ज का मकान, जिसका मालिक नवाब झझ्झर है, घायलों के लिए साफ़ कराके रक्खा जावे। और उसके प्रबन्ध के लिए कुछ रुपया भी दिया गया।

१२ जुलाई, सन् १८५७ ई०

बनारस के रईस सैयद अली व बकर अली की दरख़्वास्त आई कि उन्होंने बहुत से काफिरों को कत्ल कर दिया है और अब ख़िदमत मे हाज़िर होना चाहते हैं। तुरन्त ही उसका उत्तर दिया गया।

१३ जुलाई, सन् १८५७ ई०

जनरल बहादुर ने ख़बर भेजी कि ईश्वर की दया से आगरा को जीत लिया गया है। बादशाह की २१ तोपों की सलामी दी गई। बाजे वालो ने बैण्ड, अङ्गरेज़ी बाजा बजाया। सारङ्गियाँ, ढोल-शहनाई आदि बजाई गई। दो जासूस पकड़े गये, उनके पास अङ्गरेज़ी ख़त थे जो जाँच के लिए मिरज़ा मुग़ल के पास भेज दिये गए। झाँसी रेजिमेण्ट के अफ़सरों की एक

दरख़्वास्त काफिरो के क़त्ल करने के सम्बन्ध में आई, जिसका उत्तर दे दिया गया।

१५ जुलाई, सन् १८५७ ई०

हुसेन बख़्त ख़ाँ को एक सरकारी पत्र भेजा गया कि झाँसी वाली सेना से मिलें वह सवेरे अजमेरी दरवाज़े पर ठहरेगी।

१६ जुलाई, सन् १८५७ ई०

झाँसी सेना के अफ़सर हाज़िर हुए और विश्वस्त होने के सबूत में अपने हथियार ज़मीन पर डाल दिए। बादशाह ने उनकी प्रशंसा की और ख़र्चे के लिए दो हज़ार रुपए दिए।

१७ जुलाई, सन् १८५७ ई०

एक ख़बर मिली कि अम्बाला से दो पैदल रेजिमेण्टें आई हैं। मिरज़ा मुग़ल को हुक्म दिया गया कि जहाँ और सेना है, वहीं इन्हे भी ठहरा दें।

१८ जुलाई, सन् १८५७ ई०

कब्रिस्तान मे कई जासूस गिरफ़्तार किये गये।

२ अगस्त, सन् १८५७ ई०

एक अर्ज़ी गवर्नर जनरल की आई कि शत्रु हार रहा है, इस पर हुक्म हुआ कि अर्ज़ी दाख़िल दफ़्तर की जावे।

४ अगस्त, सन् १८५७ ई०

नीमच की सेना के जनरल सधारीसिंह और दूसरे अफ़सर हाज़िर हुए और कोरनिश किया और युद्ध मे काफिरों के मारने की बाते कहीं। बादशाह उनसे बड़ी देर तक बात-चीत करते रहे।

५ अगस्त, सन् १८५७ ई०

बादशाह ने दो आज्ञा-पत्र निकाले। एक नवाब वली दाद ख़ाँ के पत्र का उत्तर, जिसमे लिखा था, कि अङ्गरेज़ों को सामने से हटा देने के बाद सेना भेजी जायेगी। दूसरे मे अलवर के राजा से कर जल्दी भेजने को लिखा गया था।

६ अगस्त, सन् १८५७ ई०

बादशाह अपनी सेना की बहादुरी और साहस की बातें सुन रहे थे, इतने मे ख़बर आई कि सेना नेशत्रुओ को हरा दिया तो बादशाह ने सेना का साहस बढ़ाने के लिए सेना और सामान भेजने की आज्ञा दी।

७ अगस्त, सन् १८५७ ई०

ख़बर मिली कि शाही सेना मोरचो पर जाकर बड़ी बहादुरी के साथ शत्रु को हरा रही है। शाम को दुखःजनक समाचार मिला, कि चौड़ी वाला के मेगज़ीन मे आग लग गई जिस से सैकड़ो काम करने वाले स्त्री, पुरुष जल गए, और इमारत नष्ट हो गई। पैदल सेना तो ऐसी ख़बरो से लाभ उठाती ही थी, बिगड़ गई और सरकारी हकीम (एहसन उल्ला ख़ाँ) पर आग लगाने का झूठा जुर्म लगा कर उनके मकान का नाश कर दिया। जिसके हाथ मे जो आया ले कर चल दिया। पड़ोसियो के भी मकान लूटे गये। बादशाह यह सुन कर क्रोधित हुए और हकीम साहब को बड़ा सन्तोष दिया और घोषणा की कि हकीम साहब का जिसने जो माल लिया हो, दे दे। फिर

बादशाह ने यह दुआ पढ़ी—मेरे दुश्मन चारों तरफ़ से जमा हो कर सशक्त हो रहे हैं, या खुदा तू मुश्किल आसान करने वाला है (मदद कर) तूने मेरी मदद के लिए ग़ैबी फ़ौज दी है अतः तुझी से मै विजय व प्रतिष्ठा की दुआ माँगता हूँ।

'सिराजुल अख़बार' के लेखों को फारसी मे पढ़ा गया। फिर अनुवाद नीचे लिखा गया।

मङ्गलवार, २५ अगस्त, १८५७ ई०

ब्रह्ममहूर्त से सूर्योदय तक प्रार्थना और धार्मिक कृत्य होते रहे। शाही हकीम ने बादशाह की नब्ज़ देखी। इसके बाद बादशाह तख्त पर बैठे और दरबार के तमाम दरबारियों को बुलवाया। उन लोगों ने हाज़िर हो कर कोरनिश की। बादशाह ने दफ़्तर मे लिखे गये दो आज्ञापत्रों को देखा। एक तो बहादुर अली ख़ाँ, हसन अली ख़ाँ, दुर्गाप्रसाद, भूपसिंह पेशावर की सेना के अफ़सरों के नाम था, कि अपनी सेना लेकर तुरन्त दरबार में हाज़िर हों और अपने साथ काफ़ी ख़ज़ाना भी लेते आवे। दूसरा शाहज़ादा मिरज़ा कोचक के नाम था कि फ़ौज की तनख़्वाह बाँट दी जावे। देखने के बाद उन पर शाही मोहर लगाई गई फिर उन्हें भेजा गया। उसके बाद अर्ज़ियो पर विचार किया गया। पहिली अर्ज़ी मुस्तफ़ाबाद उर्फ़ रामपुर के मुहम्मद अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ के पुत्र तनावर अली ख़ाँ की थी, जिस मे उन्हो ने शाही विश्वस्तता का प्रमाण दिया था और दरबार में हाज़िर होने की आज्ञा माँगी थी। दूसरी बल्लभगढ़ के राजा

नहरसिंह की मीर फ़तह अली के द्वारा आई हुई दरख़ास्त थी, उसमे भी शाही शुभ चिन्तक होने की बात थी। तीसरी वारिस मुहम्मद ख़ाँ भूपाली की थी जिसमे ५६ अङ्गरेज़ों के मारने की बात लिखी थी। उस अर्ज़ी के साथ एक घोषणा-पत्र भी था, जिसमे शहर वालो को अङ्गरेज़ों के वध करने के लिए उत्तेजित किया गया था और साथ ही शाही आज्ञा भी अर्ज़ी मे माँगी गई थी। होल्कर के शासक काशीराव की चौथी अर्ज़ी थी, जिसमे शाही शुभ-चिन्तक होने तथा अङ्गरेज़ों के क़त्ल की बातें लिखी थीं और ५ अङ्गरेज़ो के सर भी साथ भेजे गए थे। पाँचवीं दोजाना के रईस अब्दुल समद खाँ के पोते मुहम्मद अमीर खाँ की अर्ज़ी थी। इन अर्ज़ियो के देखने पर बादशाह ने उन्हे यथा योग्य उत्तर देने के लिए कहा। सेना के अफ़सरों ने आकर ख़बर दी कि गवर्नर जनरल बहादुर मुहम्मद बख़्त खाँ शत्रुओं को परास्त करने के लिए गए हैं और बड़ी साहस से लड़ रहे हैं, उनके लिए और सेना भेजी जावे। तुरन्त ही एक दल भेजने की आज्ञा हो गई। इसके बाद बादशाह अपने ख़ास कमरे मे पधारे और दोपहर का खाना खाया फिर मनोरञ्जन करते रहे। फिर निमाज़ पढ़ी और उसमे दूसरी निमाज़ तक लगे रहे। दूसरी निमाज़ भी पढ़ी, शाम को शाही हकीम को नब्ज़ दिखाई और सैर करने के लिए सलीमगढ़ बाग़ गए, वहाँ से लौट कर ख़ास कमरे में गये। तेलीवाड़ा की सेना के अफ़सर आये और सहायता के लिए सेना माँगी। हज़रत ने दीवाने-ख़ास में आकर दरबार किया और

वहाँ बहुत नाराज़ होकर वापिस लौट गए। सन्ध्या समय दरबारियों को घर जाने की आज्ञा मिली।

बुधवार—२७ अगस्त, १८५७ ई०

सवेरे से सूर्योदय तक प्रार्थना की और उसके बाद नब्ज़ दिखाई फिर तख़्त पर पधारे। सेना के अफ़सरो ने आकर सूचना दी कि सेनाये शित्रुओ से लड़ रही हैं और बहादुरी दिखा रही हैं, उनकी सहायता के लिए सेना भेजी जावे। हुक्म दिया गया कि सभी पैदल व सवार लड़ाई पर जाएँ। बाद को बादशाह ने तीन आज्ञा-पत्र निकाले। जो कि दफ़्र मे लिखे गये थे, उनको मोहर लगाकर भेजा गया।

१—सेना के अफ़्सरो के नाम, कि आधी सेना नजफ़गढ़ और आधी तेलीवाड़ा भेजो।

२—मिरज़ा मुहम्मद ज़हूरुद्दीन के नाम, कि मोरचा लगा दो और सेना को कब्ज़े मे रक्खो।

३—ठाकुर चमनसिंह को अपने भाइयों सहित हाज़िर होने के लिए।

शाहज़ादा मुहम्मद अज़ीम बहादुर की अर्ज़ी मिली, जिसमे उन कठिनाइयो का ज़िक्र था, जोकि शत्रु के एकाएक छापा मारने से उपस्थित हो गई थीं और सेना व तोपख़ाना माँगा था। बादशाह ने उसका उत्तर लिख देने की आज्ञा दी और दरबार से उठ कर ख़ास कमरे में चले गये। दोपहर को आराम किया। फिर निमाज़ से छुट्टी पाकर बात-चीत करते रहे फिर अस्र

(तीसरे पहर की निमाज़) पढ़ी। सूर्य डूबतेसमय अपने मुसाहिबों के साथ सलीमगढ़ बाग़ मे गए। शाम को वापिस आये और कमरे-ख़ास मे गए।

गुरुवार, २७ अगस्त १८५७ ई०

ब्रह्ममहूर्त में उठकर धार्मिक कृत्य और प्रार्थना करने के बाद शाही हकीम को नब्ज़ दिखाई। फिर तख़्त पर आ कर बैठे और उनके शाहज़ादे तथा दूसरे दरबारियो ने आकर मुजरा किया। फिर बल्देवसिंह ने आकर कोरनिश की और नज़र पेश की तो बादशाह ने बड़े प्रेम के साथ एक दुशाला भेट किया। बल्देव सिह ने धन्यवाद के रूप मे नज़र पेश की, जिसे स्वीकार किया गया। बादशाह ने नीचे लिखे ६ हुक्मनामों को, जोकि दफ़्तर मे तैयार किए गए थे, देखा और सरकारी मोहर लगा कर उन्हें रवाना किया गया।

१—मिरज़ा ख़ैर सुलतान के नाम, कि उन्हे चन्दा वसूल करने की पूरी-पूरी इजाज़त है, कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती।

२—मिरज़ा मुगल बहादुर व मिरज़ा ख़ैर सुलतान बहादुर तथा दूसरे फौजी अफ़सरों के नाम, कि रामजीदास अग्रवाल से दो बार रुपया लिया जा चुका है अब कोई माँग न की जाए।

३—मिरज़ा अब्दुल हसन उर्फ मिरज़ा अकुल्ला के नाम, दोज़ाना के अमीर ख़ाँ की दरख़्वास्त का उत्तर दिया गया, जिसमें उसे दरबार में हाज़िर होने के लिए कहा गया था।

४—होल्कर के राजा काशीराव के नाम, दरबार में आने का निमन्त्रण था।

५—बल्लभगढ़ के राजा नहरसिंह के नाम, कि अबलक घोड़ा पहुँच गया और सेना से छेड़ से न डरो।

६—रामपुर के अकुन्ना खाँ के लड़के तनावर अली खाँ के नाम, फतह अली खाँ के द्वारा भेजा गया, जिसमे उन्हे दरबार मे हाज़िर होने की आज्ञा थी।

कुछ सवारों ने शाही सेना, विशेष कर नीमच की सेना के, कारनामे बताए और नजफ़गढ़ के किसानो के साथ देने का भी वर्णन किया। तबियत ख़राब होने के कारण शाही हकीम को बुलाया और महल मे गये। दोपहर को आराम किया, फिर निमाज़ पढ़ी और बात-चीत मे लग गये। तीसरे पहर की नमाज़ पढ़ी। शाही हकीम ने दवा तैयार की और सन्ध्या समय दरबारियो को घर जाने की आज्ञा दी।

शुक्रवार, २८ अगस्त, सन् १८५७ ई०

धार्मिक कृत्यों के बाद शाही हकीम को नब्ज़ दिखाई फिर दीवाने-ख़ास मे आये और दरबारियो ने मुजरा किया। कालपी के ख्वाजा इस्माइल खाँ आये और कोरनिश के बाद नज़र पेश की। बादशाह को कमज़ोरी के कारण मुर्छा हुई अतः उठ कर चले गए। दोपहर को आराम किया। इसके बाद नियमानुसार निमाज़ें पढ़ीं। इसके बाद हकीम साहब की बनाई दवा पी। उस रोज़ दरबार उठा। नीचे लिखे हुक्मनामें शाही

मोहर लगा कर भेजे गये।

१—मुहम्मद शफ़ी ब्रिगिडियर व दूसरे अफ़सरों के नाम, कि बादशाह उनसे नाराज़ नहीं हैं और न नीमच की सेना पर किसी प्रकार का सन्देह है।

२—मिरज़ा रहमत बहादुर के नाम, कि इमामबाड़ा का किराया अदा कर दिया जावे जोकि 'निमाज़ नज़र' की मद के ख़र्च के लिए रक्खा गया है।

३—फ़रुख़नगर के रईस अहमद अली ख़ाँ के नाम, कि कुछ तोड़ेदार बन्दूकें भेजें।

४—बहादुरजङ्ग के नाम, उनकी हद में १४ ऊँटों की चोरी होने की सूचना। खानपुर के रईस अब्दुल लतीफ़ की अर्ज़ी आई कि तबियत खराब होने के कारण नहीं आ सके। फिर हाज़िर होंगे और कई हाथी साथ लावेंगे।

अदालत १ बजे उठ गई। आगे की कारवाई २७ फ़रवरी के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई; जिसमें मि० एवरेट गवाही देने आ सकें।

अठारहवें दिन की कार्यवाही

शनिवार, २७ फ़रवरी, सन् १८५८ ई०

आज ११ बजे दिल्ली क़िले के दीवाने-ख़ास में अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, मेम्बर, अनुवादक, जज एडवोकेट जनरल सभी मौजूद थे। अभियुक्त और मुख़्तार ग़ुलाम अब्बास लाए गए। नम्बर १४ बेक़ायदा सवारा रेजिमेंण्ट के भूतपूर्व रिसालदार वर्त्तमान कॉन्स्टेब्लरी फोर्स के मि० एवरेट आये। जज एडवोकेट ने उनसे पूछा—क्या ११ मई को तुम दिल्ली मे थे ?

उत्तर—हाँ।

प्रश्न—तो तुमने ग़दर में क्या देखा, बताओ ?

उत्तर—सवेरे ९ बजे मेरठ से बाग़ियोंके आने पर चारों ओर डर फैल गया कि वह अङ्गरेज़ व ईसाइयों को क़त्ल करेंगे। आध घण्टे बाद मेगज़ीन की ओर से बन्दूक़ की आवाज़ें आने लगीं। बीमारी के कारण मैं शाम तक घर से न निकल सका लेकिन जिस मकान में मै रहता था, वह किराए का था और सुरक्षित न था। मैं ने अपने को सुरक्षित न देख कर, घर छोड़ दिया और रात की अँधेरी मे कर्नल एस्कज़ के यहाँ चला गया। वहाँ रहा। सवेरे ही मिरज़ा अज़ीम बेग के (जो बे कायदा सवारों के पेंशन पाने वाले अफ़सर थे) घर गया और दिन भर उनके मकान में रहने तथा किसी प्रकार शहर पहुँचा देने को प्रार्थना की। उन्होंने मुझे

घर में रक्खा और शहर पहुँचा देने के लिए कोशिश करने का वादा किया। मै उनके यहाँ एक दिन और एक रात रहा। दूसरे दिन वह कहने लगे कि मेरे छिपने की ख़बर पड़ोसियो को हो गई है। मि० जॉर्ज एक्सनर भी उन्हीं के यहाँ छिपे थे। मिरज़ा अज़ीम बेग, जिनके यहाँ हम छिपे थे, बादशाह से रक्षा के लिए गारद माँगने गए। एक घण्टे बाद उन्होने ख़बर भेजी कि शाही हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ उन से ईसाइयो के ठहराने के कारण बहुत नाराज़ हुए है (हकीम साहब उनके रिश्तेदार थे)। हम लोगो को तुरन्त उनके (मिरज़ा के) मकान से निकल जाना चाहिए। मै तो तुरन्त निकल गया। मि० जॉर्ज एक्सनर वहीं ज़नानख़ाने में छिपे रहे। मै सरदार बहादुर के मकान से क़रीब २०० गज़ निकल गया हूँगा, कि बाग़ी आते दिखाई दिए। मैं एक मस्जिद मे छिप गया, कि यहाँ बाग़ी न देख सकेंगे। लेकिन जब बाग़ी करीब आये तो किसी ने मुझे पहिचान कर उन्हे पुकारा कि एक ईसाई मस्जिद में छिपा है। फिर मुझे गिरफ़ार कर लिया और मिरज़ा अज़ीम बेग के घर जाकर जॉर्ज एक्सनर को भी पकड़ा। हम लोग कोतवाली जा रहे थे, कि नं० ११ लाइट केवेलरी के सवारों ने सिपाहियो से पूछा, कि तुम कौन हो जो कैदियों को लिए जा रहे हो ? क्या यह ईसाई है ? इसके जवाब मे उन्हो ने केवल 'हाँ' कहा। कुछ सवारों ने पिस्तौले निकाल लीं कि क्यो कोतवाली ले जाओगे, यहीं ख़त्म कर दो। सिपाहियों ने कहा कि कोतवाली दूर नहीं है, वहाँ जो जी आये

करना। सिपाहियों ने कोतवाली पहुँच कर रिपोर्ट दी कि दो अङ्गरेज़ पकड़ लाए गए हैं। लेकिन कोतवाल ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर एक सवार आया और जॉर्ज एक्सनर के बाल पकड़ कर कोतवाली से ५० क़दम दूर घसीट ले गया और वहाँ दीवार के सहारे बैठा कर गोली मार दी। दो सवारों ने और भी गोलियाँ मारीं। मै डरा हुआ खड़ा था, कि सवार मेरे पास भी आवेंगे लेकिन वह इसके बाद किले की ओर चले गये। कोतवाली के हवलदार ने मुझे वहाँ के दूसरे क़ैदियों के साथ बैठने का हुक्म दिया। वहाँ ४० मर्द, स्त्री और बच्चे थे। वहाँ २५ दिन कैद रहा। उसके बाद मुहम्मद इस्माईल नाम के एक मौलवी के यह कहने पर, कि यह सब मुसलमान है और यदि नहीं भी हैं तो अब हो जाएँगे, हम लोग छोड़ दिये गये। उन्होंने यह भी कहा जो राज़ी से मुसलमान होना चाहे, उन्हे कत्ल करना पाप है। छूट तो गये लेकिन शहर के बाहर निकलने न दिया गया। फिर मौजूद नाम के एक अफ़रीकी के यहाँ चला गया।

प्रश्न—क्या उससे तुम्हारी पहिले की जान पहिचान या दोस्ती थी?

उत्तर—मेरा उसका परिचय था, वह कर्नल एक्सनर का नौकर था। सन् १८४२ में नौकरी छोड़ दी थी।

प्रश्न—ग़दर के दिनो में यह अफ़रीकी किसका नौकर था?

उत्तर—उस वक़्त से बादशाह की नौकरी कर ली थी।

प्रश्न—क्या उसने कभी तुम्हें अङ्गरेजी नौकरी छोड़ कर, शाही नौकरी करने के लिए कहा था ?

उत्तर—ग़दर के तीन दिन पूर्व मै अपनी सवारी के लिए घोड़ा ख़रीद रहा था। वह मेरे पास आकर कहने लगा कि मैं अकेले मे बात करना चाहता हूँ। मुझे एक कोने मे ले गया और कहा कि कम्पनी की नौकरी छोड़ दो और बादशाह की कर लो। फिर बोला कि दोस्ती के कारण मै यह कहता हूँ। मैने कारण पूछा तो उसने कहा कि गरमी के दिनो मे तुम हर जगह रूसियों को देखोगे। मै उसकी बात पर हँस पड़ा। फिर कभी उससे मिलने न गया क्योकि मुझे बड़ा काम था। यह बात ९ मई की है। वह भी मेरे पास नहीं आया। जब कोतवाली से छूटा और उसके पास गया तो उसने कहा कि मैने तो तुमसे पहिले ही कहा था, फिर बोला कि ग़दर से २ साल पूर्व एक अफरीकी क़ब्ज मक्का का बहाना करके कुस्तुन्तुनिया गया है। वह बादशाह दिल्ली की ओर से दूत बन कर रूसियो से मदद माँगने गया है और दो साल मे लौट आने का वादा किया था।

प्रश्न—ग़दर के दिनो में जब तुम मौजूद के पास रहते थे, क्या तुम्हे कुछ ख़बरे मिलती थीं ?

उत्तर—विशेष कर ग़दर की बातें तो नहीं। लेकिन जब वह दिन भर काम करके शाम को घर आता तो दिन भर की ख़बरें सुना देता था। उसने कहा कि बादशाह ने अपने सब लड़को और रईसों को दरबार में जमा करके कहा कि जब से गाज़ीउद्दीन

नगर की लड़ाई हुई है तब से रोज़ तुम लोगों मे परस्पर झगड़ा रहता है,यह बुरी बात है। बादशाह ने फिर कहा कि "यह समय आपस का मत विरोध छोड़ कर, अङ्गरेजों को बाहर निकालने का है। यदि तुम लोग ऐसा न करोगे, तो याद रक्खो बृटिश सेना दुबारा दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेगी और तैमूर के वंश मे एक को भी न छोड़ेगी।" मौजूद १०-१२ अफरीकियों का अफ़सर और बादशाह के खास नौकरो मे से था और प्रायः उन्हीं के पास रहता था। मै समझता हूँ कि उसकी तमाम बातें सच हैं।

प्रश्न—क्या मौजूद ने रुपया या और कोई चीज़ कम्पनी की नौकरी छोड़ देने के लिए दी ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—क्या तुम जानते हो कि नौकरी छुड़वाने का आन्दोलन बादशाह या किसी किले वाले की ओर से था ?

उत्तर—मै ऐसा नहीं जानता, मैं तो इसे उसी की बेवकूफी समझता हूँ।

प्रश्न—क्या तुम्हे मालूम है, कि कम्पनी के किसी और नौकर से भी ऐसा कहा गया था ?

उत्तर—मुझे पता नहीं।

प्रश्न—क्या तुम ने ग़दर के पहिले देहात में बँटने वाली चपातियों के सिलसिले में रेजिमेण्ट में बातें करते सिपाहियों को सुना था ?

उत्तर—जी नहीं, मैं उस समय अपने गाँव में छुट्टी पर था।

जो कुछ मैंने सुना वह यही था कि गाँवों में चपातियाँ बँटी थीं और लोग उनका मतलब नहीं समझ सके।

प्रश्न—तुम ११ मई के कितने दिन पहिले दिल्ली में थे ?

उत्तर—१३ या १४ रोज़ पहिले।

प्रश्न—क्या उस समय तुमने लोगों को ऐसी बातें करते सुना, कि दिल्ली मे उपद्रव होने वाला है ?

उत्तर—मै बीमार था और शहर वालों से बहुत कम मिलता था।

प्रश्न—तुमने कहा कि मौजूद ग़दर के बाद कहता था, कि रूसी हर जगह जाएँगे तो क्या तुम जानते हो कि नगर-निवासियों का भी यही विश्वास था ?

उत्तर—जी हाँ, मुझे ख्याल है, कि जब कभी मुसलमानों से बात करने का अवसर मिला, तभी यह प्रगट हुआ कि वह गर्मी के दिनो तक रूसियो को आया ही समझते थे।

प्रश्न—क्या ग़दर के पहिले रेजिमेण्ट के देशी अफ़सरों और तुम मे नौकरी की कुछ बाते हुईं ?

उत्तर—१४ नम्बर बेक़ायदा सवारों का अफ़सर मिरज़ा मुहम्मद तक़ी कहता था, कि उसकी किताबो मे लिखा है कि अङ्गरेज़ी राज्य बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा। वह पेशावर में था लेकिन मुझे ठीक नहीं मालूम कि सन् १८५५ या १८५६ में कहाँ था ?

प्रश्न—क्या तुमने किसी शख्स को अङ्गरेजी राज्य के नष्ट

होने का समय बताते सुना है, कि रोज़ की बातों से ही मालूम होता था कि अङ्गरेज़ी राज्य शीघ्र नष्ट होगा ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—क्या तुम अन्दाज़ा लगा सकते हो कि अङ्गरेज़ों से हिन्दुओ को अधिक घृणा थी या मुसलमानो को ?

उत्तर—मुसलमानों को।

प्रश्न—क्या तुमने कभी सुना कि शाह-ईरान सेना लेकर आ रहा है ?

उत्तर—नहीं, मै इन बातो पर उनसे बहस नहीं करता था, क्योंकि मुझे अङ्गरेज़ी अख़बार से खबरें मिलती रहती थी।

प्रश्न—क्या रूसियों के आने की चरचा ग़दर से पहिले भी होती थी ?

उत्तर—मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे ऐसी बातें करने या सुनने का अवसर नहीं मिला।

अभियुक्त ने जिरह से इनकार किया। अदालत ने प्रश्न किये।

"तुम जब दिल्ली में थे, तो तुमने क्या यह सुना, कि बादशाह इच्छा विरुद्ध बाग़ियों के साथी बनें ?"

उत्तर—मै वही बता सकता हूँ, जो कि सुना। पहिले बादशाह की इच्छा न थी लेकिन जब अपने को घिरा पाया, तो सम्मिलित हो गये। अर्थात १५ दिन बाद शामिल हुए। यह अफ़वाह है। मैं इसकी सचाई का सबूत नहीं रखता।

गवाह गया। गुलाम अब्बास मुख्तार को उनके पिछले बयान की याद दिला कर जज एडवोकेट ने पूछा—इन १२ काग़ज़ो को देखो। क्या तुम्हारा विश्वास है कि ये असली हैं?

उत्तर—जिनके सिरों पर पेन्सिल से आज्ञाये लिखी हैं, वे असली हैं, क्योकि बादशाह के हाथ के लिखे हुक्म उन पर मौजूद हैं। दूसरे काग़ज़ात भी मेरी समझ में असली हैं। जिन पर बादशाह के हाथ के पेन्सिल से दस्तख़त हैं, वे भी असली हैं।

अनुवादक ने काग़ज़ात पढ़े और उनका अनुवाद लिखा गया। ४ बज गये। अदालत ३ मार्च, सन १८५८ ई० बुधवार के लिए स्थगित हुई जिसमे अनुवादक को देशी अख़बारों के लेख और दूसरे काग़ज़ों के अनुवाद का अवसर मिल सके।

उन्नीसवें दिन की कार्यवाही

बुधवार, ता० ३ मार्च, सन् १८५८ ई०

आज इजलास फिर दिल्ली किले के दीवाने-ख़ास मे हुआ। प्रेजिडेण्ट, मेम्बर, जूरी, अनुवादक, जज एडवोकेट सब हाजिर थे। अभियुक्त और उनके मुख्तार गुलाम अब्बास अदालत में लाये गये।

अठारह काग़ज़ असली अनुवादक ने पढ़े और उनका अनुवाद सुनाया।

(अख़बारों के वे लेख अलग पुस्तक रूप में हैं, इसलिए यहाँ नहीं लिखे गये)

(ख्वा० ह० निज़ामी)

बीसवें दिन की कार्यवाही

गुरुवार, ४ मार्च, सन् १८५८ ई०

कल की कार्यवाही के सम्बन्ध मे आज भी ११ बजे अदालत बैठी। प्रेज़िडेण्ट, सदस्य, अनुवादक, डिप्टीजज, एडवोकेट जनरल सब हाजिर थे। अभियुक्त अपने मुख्तार गुलाम अब्बास के साथ अदालत में आये। अभियुक्त ने अदालत मे अपना लिखित बयान पेश किया, जिसे अनुवादक ने पढ़ा। अदालत १२॥ बजे स्थगित हो गई। अगली पेशी ९ मार्च को नियत हुई, जिससे अनुवाद करने और सरकारी वकील को गवाहियों के बयान पर निगाह डालने तथा अभियुक्त के बयान का उत्तर देने का अवकाश मिल जावे।

इक्कीसवें दिन की कार्यवाही

मङ्गलवार, ९ मार्च, सन् १८५८ ई०

अदालत दीवाने-ख़ास मे बैठी। प्रेज़िडेएट, सदस्य, अनुवादक, सरकारी वकील मौजूद थे। अभियुक्त और उनके मुख्तार आये। जज एडवोकेट ने अभियुक्त के बयान को पढ़ा, जो कि निम्नाङ्कित है :—

लिखित बयान भूतपूर्व भारत-सम्राट्, बहादुरशाह दिल्ली

सत्य तो यह है, कि ग़दर के सम्बन्ध मे मुझे पहिले से ख़बर न थी। एकाएक ८ बजे बाग़ी आ गए और महल की खिड़की के नीचे शोर करने लगे। उन्होंने कहा कि वे मेरठ के अङ्गरेज़ों को कत्ल कर के आये हैं और उसका कारण यह बताया, कि उन्हे गाय और सूअर की चरबी मिले कारतूसो को दाँत से काटने के लिए कहा गया था; जो कि हिन्दू और मुसलमान धर्म, दोनों को नाश करने वाली बात है। मैंने यह सुनकर तुरन्त क़िले के दरवाज़े बन्द करा दिए और किलेदार को ख़बर कर दी। वे फौरन् ही मेरे पास आये और जहाँ बाग़ी जमा थे वहाँ जाना चाहा और दरवाज़े खोल देने के लिए कहा। मैंने उन्हें मना किया और जब मैंने दरवाज़ा न खुलने दिया, तो वे ऊपर गए और बरामदे में खड़े होकर सिपाहियों से कुछ कहा

जिसे सुन कर वे लोग चले गए। फिर उपद्रव बन्द करने का प्रबन्ध करने की बात कह कर वे चले गए। इसके बाद मि० फ्रेज़र ने दो तोपों के लिए और क़िलेदार ने दो पाल्कियो के लिए ख़बर भेजी। उन्होने कहा उनके पास दो लेडियाँ ठहरी हैं और वह चाहते हैं कि उन्हे शाही महल मे पहुँचा दिया जावे। मैंने दो पाल्की भेज दीं और तोपें भेजने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मैंने सुना कि पाल्कियाँ पहुँचने भी नहीं पाईं थीं कि मि० फ्रेज़र, किलेदार और वह लेडियाँ सब मार डाली गईं। इसके थोड़ी ही देर बाद बाग़ी सिपाही दीवाने-ख़ास मे घुस आये। पूजा गृह (इबादत ख़ाना) मे भी फैल गए और मुझे चारों ओर से घेर कर पहरा बैठा दिया। मैंने उन्हे वहाँ से चले जाने के लिए कहा और वहाँ आने का कारण पूछा। जवाब मे उन्होंने चुप बने रहने के लिए कहा। उन्होने, इसके बाद कहा, कि हमने अपना जीवन सङ्कट मे डाला है तो सारी बातें अपनी इच्छानुकूल ही करेंगे। मै मार डालने के डर से कुछ न बोला और अपने कमरे को लौट गया। शाम के समय वे कई अङ्गरेज़ स्त्री, पुरुषों को मेग़ज़ीन से गिरफ़्तार कर के लाये और उन्हे दो बार क़त्ल करने का इरादा किया। मैंने उन्हे बचाने का प्रयत्न किया और सफल हो गया और वे अङ्गरेज़ बच गये। अन्तिम समय मैंने उपद्रवकारियों को बहुत कुछ रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात न सुनी और उन बेचारों को क़त्ल करने बाहर ले गए। मैंने क़त्ल के लिए हुक्म नहीं दिया। मिरज़ा

सत्य तो यह है, कि ग़दर के सम्बन्ध मे मुझे पहिले से ख़बर न थी। एकाएक ८ बजे बाग़ी आ गए और महल की खिड़की के नीचे शोर करने लगे। उन्होंने कहा कि वे मेरठ के अङ्गरेज़ों को कत्ल कर के आये है और उसका कारण यह बताया, कि उन्हे गाय और सूअर की चरबी मिले कारतूसो को दाँत से काटने के लिए कहा गया था; जो कि हिन्दू और मुसलमान धर्म, दोनों को नाश करने वाली बात है। मैंने यह सुनकर तुरन्त क़िले के दरवाज़े बन्द करा दिए और किलेदार को ख़बर कर दी। वे फौरन् ही मेरे पास आये और जहाँ बागी जमा थे वहाँ जाना चाहा और दरवाज़े खोल देने के लिए कहा। मैंने उन्हें मना किया और जब मैंने दरवाज़ा न खुलने दिया, तो वे ऊपर गए और बरामदे में खड़े होकर सिपाहियों से कुछ कहा

जिसे सुन कर वे लोग चले गए। फिर उपद्रव बन्द करने का प्रबन्ध करने की बात कह कर वे चले गए। इसके बाद मि० फ्रेज़र ने दो तोपों के लिए और क़िलेदार ने दो पाल्कियों के लिए ख़बर भेजी। उन्होंने कहा उनके पास दो लेडियाँ ठहरी हैं और वह चाहते हैं कि उन्हे शाही महल मे पहुँचा दिया जावे। मैंने दो पाल्की भेज दीं और तोपे भेजने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मैंने सुना कि पाल्कियाँ पहुँचने भी नहीं पाईं थीं कि मि० फ्रेज़र, क़िलेदार और वह लेडियाँ सब मार डाली गईं। इसके थोड़ी ही देर बाद बाग़ी सिपाही दीवाने-ख़ास मे घुस आये। पूजा गृह (इबादत ख़ाना) में भी फैल गए और मुझे चारों ओर से घेर कर पहरा बैठा दिया। मैंने उन्हे वहाँ से चले जाने के लिए कहा और वहाँ आने का कारण पूछा। जवाब मे उन्होंने चुप बने रहने के लिए कहा। उन्होंने, इसके बाद कहा, कि हमने अपना जीवन सङ्कट में डाला है तो सारी बातें अपनी इच्छानुकूल ही करेंगे। मै मार डालने के डर से कुछ न बोला और अपने कमरे को लौट गया। शाम के समय वे कई अङ्गरेज़ स्त्री, पुरुषों को मेग़ज़ीन से गिरफ़्तार कर के लाये और उन्हे दो बार क़त्ल करने का इरादा किया। मैंने उन्हे बचाने का प्रयत्न किया और सफल हो गया और वे अङ्गरेज़ बच गये। अन्तिम समय मैंने उपद्रवकारियों को बहुत कुछ रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात न सुनी और उन बेचारों को कत्ल करने बाहर ले गए। मैंने क़त्ल के लिए हुक्म नहीं दिया। मिरज़ा

मुग़ल, मिरज़ा ख़ैर सुलतान, मिरज़ा अबू बकर और मेरा एक ख़ास मुसाहिब बसन्त सिपाहियो से मिल गए थे। उन्होंने सम्भव है मेरा नाम लिया हो। मुझे पता नही है कि उन्होंने क्या कहा ; न मै यही जानता हूँ, कि मेरे ख़ास मुसाहिब विद्रोही बन कर क़त्ल मे शरीक हुए थे। यदि उन्होने ऐसा किया तो मिरज़ा मुग़ल के प्रभाव मे आकर किया होगा। क़त्ल के बाद भी मुझे किसी ने ख़बर नहीं दी। कुछ गवाह मेरे नौकरो को मि० फ्रेज़र व किलेदार का कत्ल मे सम्मिलित होना बताते है। इसका भी वही जवाब है कि मैने उन्हे ऐसा करने का कोई हुक्म नहीं दिया, यदि उन्होंने ऐसा किया भी है तो स्वेच्छा से किया होगा। मै खुदा की कसम खा कर, जो मेरा गवाह है, कहता हूँ कि मि० फ्रेज़र इत्यादि के कत्ल का हुक्म मैने नहीं दिया। मुकुन्द लाल वग़ैरः ने जो मेरा नाम लिया है, यह झूठ है। मिरज़ा मुग़ल व ख़ैर सुलतान ने हुक्म दिया हो तो ताज्जुब नहीं क्योकि वह सिपाहियो से मिल गये थे। इसके बाद सिपाहियो ने मिरज़ा मुगल, मिरज़ा ख़ैर सुलतान, मिरज़ा अबू बकर को मेरे सामने लाकर कहा कि वे इन लोगों को अपना अफ़सर बनाना चाहते हैं, मैने उनकी दरख़्वास्त नही मानी। लेकिन जब सिपाहियों ने ज़िद की और मिरज़ा मुग़ल क्रोधित होकर अपनी माँ के पास चला गया तो डर से मै चुप हो गया और इधर दोनों ओर की रज़ामन्दी से मिरज़ा मुग़ल कमाण्डर-इन-चीफ़ बनाए गये। मेरी मोहर और दस्तख़तो के सम्बन्ध मे असली बात यह है,

कि जिस रोज़ से बाग़ी आए, उन्होंने अङ्गरेज़ो को मारा और मुझे कैद कर लिया। मै उनके बस मे रहा, जैसा कि अब हूँ। जो कागज़ वह मुनासिब समझते मेरे पास लाते और मोहर लगाने पर मजबूर करते। कभी कभी हुक्मनामों के मसविदे (पाण्डु-लिपि) लाते और मेरे सेक्रेट्री से लिखवाते। कभी असली काग़ज़ लाते और उनकी नकले दफ़्र मे रखते। इस प्रकार वह एक फाइल सी बन गई है। बहुत बार उन्होने सादे लिफ़ाफों पर मोहर लगवा ली है, नहीं मालूम, उनमे कौन से काग़ज़ भेजे और कहाँ भेजे गए। अदालत मे एक अर्ज़ी पेश हुई है जो मुकुन्द लाल की ओर से किसी बेनाम व्यक्ति के नाम है। जिसमे एक दिन मे निकाले गये हुक्मनामो की सूची है। उसमें साफ लिखा है कि इतने हुक्म फलाँ के कहने से निकले हैं और इतने अमुक के कहने से। लेकिन कहीं भी मेरी आज्ञा से लिखे जाने का ज़िक्र नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मेरा बिना सम्मति लिए जब जितने चाहे गए, लिखे गये और मुझे उनकी ख़बर भी नहीं हुई। मै और मेरा सेक्रेट्री प्राणो के डर से चुप रहे। ठीक यही बात उन अर्ज़ियों की है, जिनमें मेरे हाथ की लिखावट है। जब मिरज़ा मुग़ल, मिरज़ा खैर सुलतान, मिरज़ा अबू बकर को कुछ लिखवाना होता, तो फौजी अफ़सरों को साथ लेकर आते और अर्ज़ियों पर हुक्म लिखने को मजबूर करते। वह प्राय: अपने प्रभाव में लाने के लिए मुझे सुनाकर कहते, कि जो उनकी बात न मानेगा, मार डाला जायगा। इसके सिवा मेरे नौकरों पर अङ्गरेज़ों से सम्बन्ध

रखने और उनके पास पत्र भेजने का जुर्म लगाते। विशेष कर हकीम एहसन उल्ला, महबूब अली खॉ और मलका ज़ीनत महल पर षड़यन्त्र का दोष लगाया गया और कहा जाता कि अब अगर ऐसा सुनने को मिला, तो कत्ल कर दिये जावेगे। इसी तरह एक बार हकीम साहब का मकान लूट लिया और कत्ल की नीयत से उन्हे कैद कर लिया गया। उसके बाद और नौकरों को भी गिरफ़ार किया गया। जैसे शमशीरुद्दौला, मलका ज़ीनत महल इत्यादि को। फिर यह भी कहा, कि मुझे हटा कर मिरज़ा मुग़ल को बादशाह बनावेगे। यह बात विचार के योग्य है कि मेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति थी, जो उन्हे प्रसन्न रख सकती? फौज के अफ़सर इतने सर चढ़ गये थे कि कहते थे कि ज़ीनत महल को मेरे हवाले कर दो मै उन्हे कैद करूँगा क्योकि उन्होंने अङ्गरेज़ो से षड़यन्त्र किया है। यदि मुझ मे शक्ति होती, तो मै हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ और महबूब अली ख़ाँ को कैद होने देता या हकीम साहब का मकान लुटते देखता? बाग़ी सैनिकों ने एक अदालत बनाई थी जिसमे तमाम मामले तय होते थे। जिन मामलों को तय करना होता, उन्हे इन लोगो की काऊँसिल अधिकार देती थी। मैंने कभी उसमे भाग नहीं लिया। उन्होंने मेरी मर्ज़ी के विरुद्ध मेरे नौकरों ही को केवल नहीं लूटा, बल्कि मेरे कई महलों को लूट लिया था। चोरी करना, हत्या करना, क़ैद करना उनके लिए साधारण बात थी। जो जी चाहता, करते। ज़बरदस्ती शहर के रईसों और व्यापारियों से जितना धन चाहते

वसूल करते; और यह सब अपने निजी खर्च के लिए करते थे। यह जो कुछ हुआ है वह उपद्रवी सेना का किया हुआ है। मै उनके बस मे था और क्या कर सकता था ? वह एक दम से आ गये थे और मुझे कैद कर लिया था। मै लाचार था और डर के कारण वह जो कहते, मुझे करना पड़ता। नहीं तो मैं भी मार डाला जाता। यह सभी जानते हैं कि मै जीवन से निराश हो गया था और मेरे दूसरे नौकरों की भी जान बचने की आशा नहीं थी। मैंने फकीर हो जाने का निश्चय कर लिया था और गेरुये रङ्ग की साधुओ वाली पोशाक पहिननी शुरू कर दी थी। यहाँ से कुतब साहब, वहाँ से अजमेर शरीफ और अजमेर शरीफ़ से मक्का मुअज़्ज़मा जाने का विचार था। लेकिन सेना ने मुझे आज्ञा नहीं दी। जिस सेना ने खज़ाना और मेगज़ीन लूटा, उसी ने जो चाहा किया और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और न इन लोगों मे से किसी ने लूट का माल लाकर मुझे दिया। एक रोज़ यही लोग मलका ज़ीनत महल का महल लूटने गए थे, मगर उन लोगों से दरवाज़ा न टूट सका। अब ध्यान देने योग्य है, कि यदि वे लोग मेरे अधीन होते या मैं उनके षड़यन्त्र में सम्मिलित होता, तो ये सब बातें क्यों होतीं ? और यहाँ तक कि वह लोग औरत माँगे और कहें कि "हमें दे दो हम क़ैद करेंगे"। हाजी क़ब्ज़ की बाबत मुझे यह कहना है कि उसने मक्का जाने के किए मुझसे छुट्टी माँगी थी, मैंने उसे ईरान नहीं भेजा। और न शाह-ईरान के पास कोई पत्र ही भेजा।

यह बात किसी ने ग़लत उड़ाई है। मुहम्मद दरवेश की दरख्वास्त मेरी नहीं है, जिस पर विश्वास किया जा सके। सम्भव है कि किसी मेरे या मियाँ हसन अस्करी के दुशमन ने यह भेजी हो। बाग़ी सेना के सम्बन्ध मे मै यह बताता हूँ कि उसने मुझे सलाम तक नहीं किया न मेरा किसी तरह का अदब ही रक्खा। वे दीवाने-ख़ास और आम मे बिना धड़क जूतियाँ पहिने चले आते थे। मैं उस सेना पर कैसे विश्वास करता जिसने अपने मालिकों को मार डाला हो। जिस तरह उन्होने उनका कत्ल किया उसी तरह मुझे भी कैद किया, मुझे अपनी आज्ञा मे रक्खा और मेरे नाम से लाभ उठाया, जिसमे मेरे नाम के कारण उनका काम हो। जब कि सेना ने अपने सशक्त अफ़सरों को मार डाला तब मै, जिसके पास न खज़ाना, न फौज, न तोपख़ाना! उन लोगो को कैसे रोक सकता था या उनके विरुद्ध खड़ा हो सकता था? लेकिन मैंने उनकी सहायता नही की। जब बाग़ी सेना क़िले के पास आई तो यही मेरे बस मे था कि दरवाज़े बन्द कर दिये। फिर जो कुछ हुआ बता दिया। कुछ को बाग़ियो से मिलने को रोक सका। मैने लेडियों के लिए दो पाल्की और फाटक की रक्षा के लिए दो तोपें मि० फ्रेज़र और कप्तान डगलस की प्रार्थना पर भेज दीं। इसके सिवा तेज़ ऊँट-सवार दूत के द्वारा पूरा समाचार उसी रात को आगरा के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर की सेवा में भेज दिया। मुझसे जो कुछ हो सका, किया। मैंने अपनी इच्छा से कोई हुक्म नहीं दिया, मैं सिपाहियों की क़ैद मे था और उन्होंने लाचार करके

जैसा चाहा कराया। मैंने कुछ नौकर रक्खे थे, वे बलवाइयों से डर कर, अपनी जान बचाने के लिए रक्खे थे। जब ये लोग जान के डर से भाग गये, तो मैं किले से निकल कर हुमायूँ के मक़बरे मे जाकर ठहर गया। बाग़ी सेना मुझे ले जाना चाहती थी। लेकिन मै न गया और उस जगह से अपने को सरकार से, जान न लिये जाने का बचन पाकर, सरकार के सुपुर्द कर दिया।

(जिस समय सेना के अफ़सरों ने बादशाह को साथ ले जाने की ज़िद की तब मेरे नाना मौजूद थे)

—ख्वा० ह० निज़ामी

उपर्युक्त बयान मेरा स्वयं लिखा हुआ और अत्युक्ति-रहित सत्य है। ज़रा भी झूठ नहीं है। ईश्वर मेरा गवाह है कि जो सच था और मुझे याद था वह मैंने लिखा है। शुरू मे ही मैंने कसम लेकर सत्य लिखने का वादा किया था, वैसा ही मैंने किया है।

दस्तख़त बहादुरशाह बादशाह

बयान का परिशिष्ट

मिरज़ा मुग़ल के नाम एक हुक्म, जिसमे सिपाहियों के कार्य-शैली की शिकायत और मेरे अन्तिम विचार—दरगाह साहब जाने और वहाँ से मक्का चले जाने—का ज़िक्र है, मेरा कहना यह है कि मुझे किसी ऐसे हुक्म के निकलने की याद नहीं है। हुक्म मेरे दफ्तर के नियम के विरुद्ध उर्दू में लिखा गया है। मेरे दफ्तर में सब काम फ़ारसी में लिखे जाते थे।

मै नहीं जानता कि हुक्म किसने और कहाँ तैयार किया। मेरा ख़याल है कि मिरज़ा मुग़ल ने मेरे विरक्त होने और सेना से परेशान हो जाने और फ़क़ीरी लेने के विचार से अपने दफ़्तर मे ऐसा लिखाया है। और मेरी मोहर उस पर लगा दी है। कुछ भी हो, मेरी फ़ौज से नाराज़गी और परेशान होने की बताई गई बात का इस हुक्म से अनुमोदन ही होता है। दूसरे पत्रों के सम्बन्ध मे, जैसे राजा गुलाबसिह की चिट्ठी या बख़्त ख़ाँ की अर्ज़ी पर मेरा हुक्म, मेरे हाथ के लिखे और मोहरें लगी हैं और दूसरे काग़ज़, जो कि कार्यवाही मे सम्मिलित हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे याद नही हैं, बल्कि जैसा मै कह चुका हूँ, कि बड़े अफ़सरो ने बिना दिखाये या बिना मुझे ख़बर दिये जैसा चाहा लिख कर भेज दिया और मेरी मोहर लगा दी, मेरा विश्वास है यह भी उसी प्रकार के है। बख़्त ख़ाँ की दरख़्वास्त पर अवश्य मुझे हुक्म लिखने को लाचार किया गया होगा जिस प्रकार दूसरी दरख़्वास्तों पर लिखवाये हैं।—

—दस्तख़त बहादुरशाह

जज एडवोकेट ने अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा—

महाशयो, अपनी इस बहस मे मैं कोशिश करूँगा, कि अदालत में हुई कार्यवाही को, स्पष्ट रूप में जैसा कुछ नतीजा निकलता है, आपके सामने रख दूँ। हमारी जाँच कई मास की घटनाओं के समय से आरम्भ की गई है, जब कि शहर में उपद्रव ज़ोरों पर

था और मेरा विश्वास है कि इस बीच मे होने वाली घटनाओं की जॉच बड़ी बारीकी से की गई है और हम उसमे सफल हुए हैं। निश्चय ही—हमारी उतनी मेहनत नही हुई, जितनी कि चाहिए, जिसे कि मेरी समझ मे मेरे कर्त्तव्य का असहत्वपूर्ण भाग कहना चाहिए। घटनाओं की सत्यता से वह अपराध प्रगट होते हैं, जो कि अभियुक्त पर लगाये गये हैं और उनके अपराध तथा उनका फैसला जिसके लिए आप लोग मौजूद किये गए हैं, अभियुक्त की पुरानी प्रतिष्ठा और पूर्व शासन को और भी प्रतिष्ठित कर देगा। तो भी चाहे छोड़े जाएँ और चाहे अपराध सिद्ध हो, जो कि एक बड़ी मियाद तक लोगो को उपदेश देते रहेगे, उन्हे तराज़ू पर तोलने से हल्के उतरेंगे। और निश्चय ही उन कारणों को जो कि चाहे प्रत्यक्ष हों, या अप्रत्यक्ष जिन्होंने विद्रोह को जन्म दिया और जिससे भविष्य के चक्र मे एक क्रान्ति हो गई, धर्म के नाम से एक दम से प्रगट हो गई, इतिहास के लिए नई बात है। किसी धर्म के विरुद्ध देश के हिन्दू और मुसलमानों का एक साथ मिल कर युद्ध करना बिल्कुल नया अवसर है। मुझे डर है, कि मामला तथास्तु रूप में मैं कह नहीं सका कि धार्मिक प्रभाव, जो कि आगे चल कर राजनैतिक रूप सिद्ध हुआ, को कहने में मै भूल कर रहा हूँ। जिसमे शक्ति और शासन के विरुद्ध एक भयङ्कर लड़ाई ऐसे मुल्क मे जहाँ के निवासी धर्म मे, रक्त मे, रङ्ग मे, स्वभाव में, भावों में और प्रत्येक बात में विभिन्न हैं, निश्चय ही अनोखी बात है। इस बहस पर निश्चित विचार जो कुछ भी हों,

कम से कम जितने कि मुझे कारण प्रगट हुए हैं जिनसे इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया, निरन्तर क़त्ल हुए, इसके असली विशेष तह मे कौन है ? मेरा विश्वास है कि अदालत के सदस्य भी मेरी राय से सहमत होगे कि हमारी जॉच ऐसे प्रश्नो का साफ़ उत्तर नही देती। और इसका कारण केवल यही है, कि विभिन्न स्थानो की घटनाओ से वहॉ की स्थानीय गवाहियॉ हम नहीं पहुॅचा सके। तो भी हमे आशा करनी चाहिए कि हमारी जाँच बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं सिद्ध हुई। यद्यपि हमें पूर्ण सफलता का श्रेय नहीं प्राप्त है, तो भी प्रायः उसके निकट ही पहुॅच गए हैं। मेरा विचार है कि कुछ लोग इन कार्यवाहियो को बिना इस नतीजे पर पहुॅचे हुए भी पढ़ते रहेंगे, कि षड़यन्त्र इस अदालत के द्वारा पोषित थी। प्रगट शक्तियो को देखने से यह भी मालूम हो जायगा कि फ़रज़ी (मान ली गई) बादशाही के मुखिया को धार्मिक पक्षपात और इसलामी धर्म की शान ने उभाड़ दिया था। इनसे अब तक लाखो की आशायें बँधी थीं, जिन्होंने इनको यह प्रतिष्ठा प्रदान की थी। न केवल मुसलमानों के ही यह मुखिया रहे, बल्कि दूसरे भी हज़ारो के सरताज रहे, जिन्हे धार्मिक पक्षपात के कारण एक केन्द्र पर लाना असम्भव-सा था। ऐसे मामले पर पूर्ण प्रकाश डालना एक दिन या एक महीने की बात नहीं है। समय आवेगा, जब कि उन तमाम बातों और लोगों का भण्डाफोड़ हो जायगा, जिन्होंने ऐसी कृतघ्नता और अमानुषिकता का परिचय दिया है। किन्तु इस समय हमे केवल इस मामले

के सम्बन्ध में ही कुछ कहना है और जो कि गवाहियों से प्रगट होती है। बलवाइयों के बहुत से भेद हमे प्रगट हो गये हैं किन्तु हमे उतावली न करनी चाहिए। यही हमारी जाँच का एक अंश है जिस पर दृष्टि डालना चाहता हूँ। किन्तु घटनाओ का संक्षिप्त वर्णन मुझे अपने एड्रेस के आरम्भ मे करना उचित मालूम होता है।

अतएव, मुझे कहना चाहिए कि केवेलरी नं० ३ के सवारों और नॉन कमीशण्ड अफ़सर, जिन्हे गत मई में कारतूसे इस्तेमाल करने से इनकार करने के जुर्म मे कोर्ट मार्शल की सजा दी गई थी, उनकी सख्या ८५ थी। ९ मई को सवेरे उन्हे सज़ा दी गई थी और परेड के मकान मे हथकड़ियॉ पहना दी गई थीं और १० मई की शाम को ६॥ बजे तीनो रेजिमेण्टों ने बग़ावत शुरू कर दी। सज़ा की घटना के बाद से ३६ घण्टे का समय वहाँ की फौजों को यहाँ की फौजो से बात करने को मिल गया। यहाँ से मेरठ तक सफर करने में गाड़ी के ज़रिये ६ घण्टे का समय लगेगा। बाग़ियों ने परस्पर की वार्तालाप से लाभ उठाया। इसलिए मै कप्तान टटलर की गवाही को पेश करता हूँ। उनकी गवाही से साफ है कि मेरठ से इतवार के दिन शाम को सिपाही ही आये जो पैदल रेजिमेण्ट नं० ३ में मिल गये। निश्चय ही बाग़ियों के दूत उन लोगों के आने पर उचित व्यवहार करने की ख़बर देने आये थे। और यद्यपि हमारे पास विश्वसनीय प्रमाण भी हो, तो भी यह ध्यान देने योग्य बात है, कि इतवार की शाम ही उनके षड़यन्त्र का पहिला दिन नहीं है। निस्सन्देह हमारे

पास लिखा है कि मेरठ मे सिपाहियों को कोर्ट मार्शल किये जाने के पहिले काफी उत्तेजना थी कि यदि चरबीदार कारतूसों का प्रयोग जारी रक्खा गया तो मेरठ और दिल्ली की सेनाएँ मिल कर विद्रोह करेंगी। और यह निश्चय इतना पक्का और विश्वसनीय हो चुका था कि इतवार की शाम को क़िले के फाटक के पहरेदार सिपाही भी अपने विचार न छिपा सके और बेधड़क परस्पर कहने लगे कि कल क्या होने वाला है। कुल घटना के सम्बन्ध मे गम्भीर विचार करते समय याद रखना चाहिए, कि मेरठ की तीनों रेजिमेण्टों के मेगज़ीनों मे एक भी चरबी वाला कारतूस न था और मुझे जैसी ख़बर मिली है कि दिल्ली में भी न था। ध्यान रहे, कि निम्नाङ्कित बातो में हिन्दुस्तानी सिपाही स्वय जानकार थे। चाँदमारी करने के लिए कारतूस मेगज़ीनो मे बहुत दिनो से बनते चले आये हैं और बनाने वाले उन्हीं के धर्म और भावो के व्यक्ति थे, इसलिए यह असम्भव था कि मेगज़ीन की कोई बात उनसे छिपी रह सकती और रेजिमेण्टो के ख़लासी जो कारतूस बनाते थे, यदि ऐसा कोई बात होती, वह तुरन्त ही सब को प्रगट कर देते। असल मे यह आपत्तिपूर्ण कारतूस (इस से मेरा अर्थ उन कारतूसों से है, जिन से हिन्दू मुसलमान धर्म को बाधा पहुँचे) उनकी रेजिमेण्टो में ही बनते थे। यदि कोई सन्देह की बात होती तो वे लोग तुरन्त बनाने से इनकार करते। मगर सब से बढ़ कर बात तो यह है, कि मुसलमानों की तो कोई जात ही नहीं है। वह सूअर का गोश्त छू लें तो भी उनके

धर्म को बाधा नही पहुँच सकती। मध्य-भारत के मुसलमान इसका उदाहरण हैं। हम में से ऐसा कौन है, जिसने मुसलमान ख़ानसामों को मेज़ पर से तश्तरियाँ ले जाते न देखा हो, उसमें अवश्य ही वही चीज़ होती है, जिसका कारतूस मे होना बताया जाता है। ज़रा देर के लिए हम माने लेते हैं कि कारतूसों मे गाय व सूअर की चरबी थी तो भी मुसलमानों को उनके काम में लाने से कौन सी धार्मिक बात बाधक थी ? उनके ख़ानदानी, जो ख़ानसामागिरी करते हैं, वह मेज़ पर से ऐसी तश्तरियाँ उठाने में जरा भी सङ्कोच नहीं करते। ऐसी दशा मे मुसलमान सिपाहियों की आपत्ति व्यर्थ है। यदि उनमे से कोई भी अक़्लमन्द अपनी बुद्धि से काम ले तो वह भी इसी परिणाम पर पहुँचेगा कि किस प्रकार उनके धर्म का ध्यान रक्खा गया है। ऐसे कुछ थोड़े से समझदार ज़रूर उनके साथ से अलग हो गए और उनके कार्य को ग़लत समझा। लेकिन ऐसे आदमियों के लिए जो कि अफवाह पर विश्वास कर के सबूत आदि की आवश्यकता नहीं समझते, क्या कहा जाय ? वे यही समझते हैं, कि वे ऐसे स्थान पर पहुँच गये हैं, जहाँ ग़लती की गुञ्जाइश नहीं है। मेरठ और दिल्ली के हिन्दू-मुसलमान सिपाहियो को ऐसे कारतूसों को अपने पास रखने मे कोई आपत्ति नहीं हुई, जिन्हें वह जल्दी से इस्तेमाल कर के अपने अफ़सरो की हत्या कर सकें। जैसा कि सिद्ध हो चुका है ; या अभियुक्त के साथ मिल कर, जो कि आप के सामने कटहरे में हैं, अपनी शक्ति को अपने उस स्वामी के विरुद्ध प्रयोग

करना जिस की भक्ति उनके लिए कर्तव्य थी। इन कार्यवाहियो के दौरान मे सैकड़ो काग़ज़ सामने आये हैं लेकिन अदालत को आश्चर्य होगा कि उनमें एक भी ऐसी बात नहीं है जिस से पता लग सके कि वह क्यों अङ्गरेज़ो से नाराज़ थे ? एक सौ से अधिक काग़ज़ हर सभवनीय विपय पर लिखित पेश हैं, जिनमे खच्चर की ख़रीद और घोड़े के जख्म तक के प्रत्येक काग़ज़ शाही दस्तख़त के योग्य समझा गया, इन स्वतत्र कारनामो मे जहाँ उन्होने अपने नियत किये बादशाह के सामने तमाम बातें साफ़-साफ़ कहीं, अपने भूतपूर्व स्वामियों—अङ्गरेज़ो के सम्बन्ध में भी कोई बात न छिपाई, उन्हे "काफ़िर और नारकीय" आदि कहने मे भी सङ्कोच नहीं किया, वहाँ पर नहीं मालूम उन्होने चरबी की बात का कहीं भी ज़िक्र क्यों नहीं किया ? निश्चय ही हम ने उनके अपराध को सिद्ध कर दिया है। जिस को वह इस तमाम उपद्रव का कारण बतलाते हैं। आपस मे मिल कर अङ्गरेज़ी अफ़सरों की खोज से अपने को अलग समझ कर राज्य-भक्ति और आज्ञा-पालन के विरोध को चरबी वाले कारतूसों को रख दिया है, बिल्कुल ग़लत है। उनकी इस नाराज़गी की कभी कोई बात नहीं सुनी गई। यदि कोई बात होती तो ज़रूर ही हर एक दिमाग़ मे वह बात आती। निश्चय ही वह दूर की जाती। यदि याद करे तो मालूम होगा कि उन तीन रेजिमेण्टों ने, जिन्होंने दया को दूर से सलाम कर के सब से पहिले विद्रोह का झण्डा उठाया और न केवल पुरुषों की ही, बल्कि स्त्री और बच्चों की भी

हत्या करने से नहीं हिचकिचाये, एक भी कारतूस उनकी रेजिमेण्टों में नहीं था और प्रत्येक सिपाही को इसकी सूचना थी। और यदि ख़याल करें, कि चरबी वाले कारतूस थे और इन बलवाइयों के हाथो इस्तेमाल भी कराये गये थे, तो उनसे उनके धार्मिक नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। फिर इसके सिवा, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या अङ्गरेज़ सभी जानते हैं कि शान्ति के समय यदि कोई हिन्दुस्तानी सिपाही नौकरी छोड़ना चाहे तो उसकी बात मान ली जाती है। ऐसी दशा मे इसके यथेष्ट प्रमाण हैं कि उन्होने विद्रोह किसी कारण-विशेष और असली कारण से किया या व्यर्थ और झूठी बात पर। धार्मिक पक्षपात, शरारत, बेसमझी-बूझी के स्वप्न हो, या कुछ भी हो, तो भी बलवाइयो ने जो कारण बताया है वह चरबी के कारतूस थे। उनके तरकस का यही विषपूर्ण तीर था। कितना सरल उपाय था कि नौकरी से स्तीफ़ा देते और घर चले जाते।

महाशयो, इस दुःखपूर्ण समस्या के सम्बन्ध मे आप किस परिणाम पर पहुँचेगे, मै नहीं जानता। लेकिन हर बात पर ख़याल करने से मेरा तो कहना यह है कि ध्यान देने से पता चल जाता है कि इसकी तह मे चरबी के कारतूसों के अतिरिक्त कोई इससे अधिक सशक्त बात छिपी हुई है।

एक जमाअत, जिसने प्रभावित होकर एक ही समय में हिन्दुस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक विद्रोह और हत्यायें आरम्भ कर दिया निश्चय ही यदि समझदारी नहीं, तो

मक्कारी और हद दर्जे के छल-कपट से तैयार की गई है। इस विषय पर सोचते समय हमे याद आता है कि जहाँ-जहाँ की सेनाओं ने अपने अफ़सरो को मारा और विद्रोह किया, वहाँ किसी भी स्थान पर चरबी के कारतूसो का बहाना सत्य नहीं सिद्ध हुआ; बल्कि जान-बूझ कर कि अब ग़दर करने का अच्छा अवसर है, विद्रोह किया गया। क्योकि वे सैकड़ो की संख्या में थे और अफ़सर कम। क्या यह सम्भव है कि ऐसे भयानक परिणाम जैसे कि देखने में आये, साधारण कारण से हो सकते हैं? क्या देशी सेना कारतूस का बहाना गढ़ने के पहिले प्रसन्न रहती थी? क्या कोई सोच सकता है कि पुरानी और बड़ी शत्रुता, जिसका कई अवसरों में प्रमाण मिल चुका है, क्षणिक और एकाएक भावावेश के कारण थी? घटना-क्रम से क्या यह प्रगट होता है कि यह विकट हत्याकाण्ड किसी एक बात पर उठ खड़ा हुआ? क्या कोई कह सकता है कि हिन्दू जाति अपने स्वभाव के विरुद्ध किसी ज़रा सी बात पर अपने तमाम सुख और लाभ, जो कि अङ्गरेज़ी सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं, बिना सोचे समझे तमाम पर लात मार सकती है? और भीषण हत्याकाण्ड तथा निरपराध मनुष्यों के रक्त से हाथ रँग सकती है? अथवा इससे अधिक यह विचार किया जा सकता है कि मेरठ की तीन रेजिमेण्टें दिल्ली की रेजिमेण्टों से मिलकर देश से अङ्गरेज़ी राज्य को उलट देने का ऐसे महत्वपूर्ण और भयङ्कर प्रयत्न करेंगी? महाशयो, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि षड़यन्त्र पहले से था। पर सबूत न सही,

मै जानता हूँ, कि प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करेगा और विद्रोह के घटना-क्रम ने हमें स्वयं बता दिया है, कि इसकी तह मे कुछ न कुछ ज़रूर था। ईश्वरीय और संसारी जगत मे कुछ न कुछ कारण व उपाय होते हैं। इसलिए गत वर्ष का विद्रोह, जो कि प्रलय काल तक याद रहेगा, उसे हम कारतूस का विष-वमन नहीं कह सकते। कारतूस की बात, जिसके नाम पर १० मई को मेरठ और दूसरे स्थानो पर विद्रोह हुआ, ग़लत है और धीरे-धीरे मुख्य बात प्रगट होती जा रही है। क्योंकि विद्रोह स्वयं पक्का प्रमाण जमा करता जा रहा है और बाग़ियों के पिछले जोश ख़त्म हो गये। उनकी शक्ति ने जवाब दे दिया और अस्लियत ने उसका स्थान ले लिया।

यदि हम विद्रोहियो की गति-विधि पर विचार करें, तो देखेंगे कि विद्रोह की नीव षड़यन्त्र और मक्कारी पर थी। उदाहरण के लिए, मेरठ मे जब इनके ८५ साथियों और सहायकों के हथकड़ियाँ डाल दी गईं और वे जेलख़ाने भेज दिए गए, तो उनके चेहरे से क्रोध और प्रतिकार के चिह्न नहीं प्रगट हुए। इन लोगो के दिलो में विद्रोह पहिले से भरा हुआ था और प्रगट-रूप में कोई कार्य विद्रोह का नहीं प्रगट हुआ; बल्कि किसी ने सहानुभूति तक नहीं दिखाई। प्रगट-रूप में न० ३ केवेलरी भी राज्य-भक्त ही दिखाई देती रही, जब तक कि उसके विद्रोह का निश्चित समय नहीं आ गया। इसको १२ घण्टे की क़ैद के बाद मेगज़ीन के पास जाने का शुभ अवसर मिला था

लेकिन उस समय तक दिल्ली की सेना को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला था। क्योकि मेरठ मे अवसर से पूर्व ही मामला बहुत आगे बढ़ गया था, इसलिए दिल्ली की सेना वालों से दुबारा बात करने और ११ मई, सोमवार को होने वाले नाटक की पहिले से सूचना देनी आवश्यक थी। कप्तान टटलर की गवाही से प्रगट होता है कि ऐसा हुआ था, क्योकि मेरठ से इतवार की शाम को सिपाहियो की भरी गाड़ी का आना और सीधे नं० ३८ रेजिमेण्ट में चले जाने के कोई दूसरे अर्थ हो ही नहीं सकते।

फिर हम मेरठ में ग़दर के लिए तय किये समय मे मक्कारी का दृश्य देख सकते हैं। मेरठ की छावनी ने षड्यंत्र को बहुत अधिक सहायता दी, क्योकि देशी सेना की लाइने छावनी के उस भाग मे बहुत दूर हैं, जहाँ कि अङ्गरेज़ी सेना की छावनी है। इतनी दूर, कि यदि वहाँ कोई शोर-गुल हो तो दूसरे स्थान पर ख़बर नहीं पहुँच सकती, जब तक ख़ास तरीक़े से उसकी सूचना न दी जावे। शायद अफ़सरों ने सरकारी रिपोर्ट का ख़याल करके अपने सिपाहियों के विद्रोह को दबा दिया हो। अङ्गरेज़ों को कारतूस लेने और वहाँ से दो मील पैदल पहुँचने में कुछ देर तो अवश्य ही लगेगी। १॥ घण्टे के अन्दर यह सब कर डालना आश्चर्य की बात है। लेकिन चूँकि ६॥ बजे शाम से उनका कार्य आरम्भ हुआ इसलिए अँधेरे के कारण उन्हे अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। यह था, जो कि हुआ। अङ्गरेज़ों के देशी लाइनों के पहुँचने तक अँधेरा हो गया था, कोई सिपाही

मौजूद न था और कोई यह भी नहीं बता सकता था, कि वह लोग कहाँ गये। जाँच से पता चला है, कि वे लोग विद्रोह करके सीधे दिल्ली के लिए चले। दस-दस पाँच-पाँच की टोली बना कर और सीधे रास्ते से न जाकर, उन लोगो ने सचमुच बड़ी समझदारी का परिचय दिया। किन्तु आगे भी ऐसा ही करते रहना उनकी बेवकूफी थी, क्योंकि उस समय कोई अङ्गरेज उनको रोकने वाला नहीं था। इसके बाद पूरी सेना बना कर पुल पार करते और नियमित सवारों का एक दल लेकर अग्रगामी सेना की भाँति रवाना होते हम देखते हैं। अब हम मुलज़िम को, जो आपके कटहरे मे है, इसे मेरठ से आई हुई सेना से षड़यन्त्र करते पाते हैं। यही पहिले व्यक्ति हैं, जिनकी ओर सब से पहिले विद्रोहियों ने ध्यान दिया और जिससे उन्होने प्रार्थना की। यही देहली के नकली बादशाह। यह देख कर साधारण बुद्धि वाला भी समझ सकता है कि इन लोगों का अभियुक्त से पूर्व सम्बन्ध और षड़यन्त्र था। क्या हुआ अगर अभियुक्त बाद मे सम्मिलित हुआ।

ग़दर की भीषण घटनाएँ बड़ी कठिनता से प्रगट होतीं, यदि इनके ख़ास नौकर, किले की चारदीवारी के अन्दर और लगभग उनकी आँखों के सामने हर एक अङ्गरेज़ पर खून करने के लिए टूट न पड़ते। जब हम याद करते हैं कि इन व्यक्तियों में दो नवयौवना और कोमल स्त्रियाँ भी थीं और जिन्होंने दङ्गाइयों का कुछ भी अपराध नहीं किया था, इस हत्याकाण्ड में अमानुषिकता और भयानकता का प्रत्यक्ष रूप प्रगट होता

है, जो कि मुसलमानो के स्वभाव का एक अङ्ग है। अन्यथा यह कैसे सम्भव था कि जो शिक्षा शाही परिवार के गौरव के लिए हो तथा, संतोष और शान्तिपूर्ण धार्मिक जीवन व्यतीत करने की स्वतन्त्रता हो, इस बूढ़े और सन-ऐसे सफेद बालो वाले मनुष्य को अमानुषिकता के अन्यायपूर्ण व्यवहारों से दूर न रखती ?

अब मै यह जानने के लिए रुक रहा हूँ, कि क्या अदालत मे सिद्ध हो गया है और सदैव होता रहेगा कि तैमूर वंश के अन्तिम बादशाह ने इस विद्रोह मे भाग लिया ? अब मै घटनाएँ साफ़-साफ़ कह देना चाहता हूँ कि हत्याएँ जान-बूझकर और बीसियों आदमियो के सामने हुईं और उनके छिपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई।

यह बताया जा चुका है कि अभियुक्त के ख़ास सलाहकारों ने भी कत्ल किये और क़िले के घेरे के अन्दर, जहाँ अङ्गरेज़ों के मुक़ाबिले मे बादशाह का ही अधिक प्रभाव था। मैं अभी स्वयं इस परिणाम को नहीं निकालना चाहता कि हत्याएँ अभियुक्त की आज्ञा से हुई हैं। क्योंकि बिना किसी विशेष सबूत के अदालत इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए मै गवाही पेश करना अपनी राय प्रगट करने से अधिक महत्वपूर्ण समझता हूँ। हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ अपने बयान में बता रहे हैं, कि उस समय वह और ग़ुलाम अब्बास मुख़्तार बादशाह के पास मौजूद थे। जिस समय कि सवारों ने मि० फ़्रेजर की हत्या

कर डाली थी और कप्तान डगलस को मारने के लिए ऊपर चढ़ गये और उसकी सूचना बादशाह को मिली। कहारो ने भी तुरन्त वापिस होकर कहा, कि उन्होने मि० फ्रेज़र को क़त्ल होते अपनी आखों देखा है; और उनकी लाश दरवाज़े पर पड़ी है और कप्तान डगलस के निवासस्थान पर सवार चढ़ गये हैं। बादशाह के नौकरों ने तमाम अत्याचार हम से छिपाने की क्यों कोशिश की, यह बात आसानी से समझ मे आ सकती है। हकीम साहब ने बयान के आख़िरी अंश मे यह भी कहा है कि उन्होंने नहीं सुना, कि बादशाह का कोई नौकर इस हत्या मे सम्मिलित था और आगे कहा कि आम तौर पर नहीं मालूम था कि हत्याये किसने की? बादशाह के हकीम का यह बहाना है और इस अवसर पर ऐसा करना उचित समझा गया था, कि आम तौर पर नहीं मालूम था कि हत्या किसने की। समय बीत जाने के बाद हमें उन लोगो के नाम निकालने और उनकी खोज करने में विशेष परिश्रम नहीं करना होता। क्या यह आम तौर पर नहीं मालूम था कि बादशाह के ख़ास नौकर हत्या मे सम्मिलित थे? फिर भी यह काण्ड देशी अख़बार मे किस आन-बान से प्रकाशित हुआ? इसके बाद मुझे आवश्यक नहीं समझ पड़ता, कि मैं उन लोगो की गवाहियों को दोहराऊँ, जिन्हों ने अपने बयान में कहा है कि बादशाह के नौकरों ने कत्ल किये हैं। उनकी गवाहियाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो भी अदालत के सामने मै उनके बयान की ओर सङ्केत करता हूँ।

मि० फ्रेज़र उस समय उपद्रव दबाने के लिए नीचे रह गये और जब वह अपने काम में लगे हुए थे, मैं ने देखा, कि हाजी लोहार ने उन्हे तलवार से दो टुकड़े कर दिया और उसी समय बादशाह के नौकरो ने उन पर तलवारें चलाईं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु हो गई। मि० फ्रेज़र के हत्यारो मे एक हब्शी भी था। इसके बाद उन लोगों ने ऊपर के कमरे पर हल्ला बोला और तुरन्त दौड़ा और ज़ीने का दरवाज़ा बन्द कर दिया। मै हर तरफ के दरवाज़े बन्द ही कर रहा था, कि भीड़ दक्षिणी ओर से आगई और मि० फ्रेज़र के हत्यारों को ऊपर आने के लिए दरवाज़े खोल दिये। यह लोग तुरन्त अन्दर आ गये और जहाँ कप्तान साहब मि० हचिन्सन, मि० जैंग्स और दो नवयौवना लेडियाँ थीं। उन सबों पर आक्रमण किया और मार डाला। यह देख कर मै ज़ीने के नीचे भागा। ज्यों ही मै नीचे पहुँचा, मुझे महमूद नाम के बादशाह के दूत ने पकड़ लिया और पूछने लगा कि बताओ कप्तान डगलस कहाँ हैं? तुम लोगों ने उन्हे छिपा दिया है। वह मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ऊपर ले गया। मैंने कहा कि तुम ने स्वयं तमाम साहबों को मारा है। मैंने देखा, कि कप्तान डगलस अधमरे थे। महमदू ने भी देखा और उनके सिर मे लकड़ियाँ मार-मार कर मार डाला। यह सिद्ध करके, कि स्त्रियों के हत्यारे बादशाह के नौकर थे हम फिर हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ की गवाही की ओर लौटते हैं। अभियुक्त को सूचना मिलने के बाद उसने जो प्रबन्ध किया वह क़िले के दरवाज़े बन्द करना था। स्वाभाविक

रूप से हमारा प्रश्न यह होता है कि क्या हत्यारों को भागने से रोकने के लिए दरवाज़े बन्द कराए गए थे? गवाही से स्पष्ट प्रगट है, कि ऐसा नहीं था। फिर हकीम साहब का बयान लिया गया जहाँ उन्हे स्वीकार करना पड़ा कि बादशाह ने कोई जाँच नहीं की और अपराधियो के खोजने तथा दण्ड देने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसा क्यो नहीं किया? इसका कारण इस समय की हलचल और क्रान्तिपूर्ण परिस्थिति बतलाते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि बादशाह का अपने नौकरों पर कुछ भी प्रभाव न रहा हो, तो भी अपराधियों का तुरन्त पता लगा कर उन्हें शासन मे कर लेना सम्भव था। हमे बताया गया है, कि बादशाह ने ऐसा नहीं किया और हम अनुमान से यह जानते हैं, कि यद्यपि नौकरो ने बादशाह की आज्ञा इन तमाम बातो मे नही प्राप्त की, तो भी यह कार्य बादशाह की सम्मत्यानुसार थे। आगे चल कर हम यह देखते हैं कि कोई भी नौकर इन अपराधों के कारण नौकरी से अलग नहीं किया गया और न कभी कुछ जाँच-पड़ताल ही की गई। गवाह से प्रश्न किया गया था, जिसके उत्तर में उसने कहा, कि बादशाह ने हत्याकारियों की तनख्वाह बराबर जारी रक्खी, जैसा कि उस दिन के अख़बार से भी प्रगट होता है। क्या इन तमाम बातों के बाद भी यह प्रश्न रह जाता है, कि बादशाह ने जान-बूझ कर यह तमाम कृत्य किये या कराये? मुझे यह बताना आवश्यक नहीं है, कि इस अपराध पर कौन सा क़ानून लगाया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा क़ानून

है जो कि अपराधी ठहरा सकता है और निरपराध कह के छोड़ भी सकता है। वह क़ानून है अन्तःकरण और बुद्धि—यह वह क़ानून है जिसकी हर एक कल्पना कर सकता है और जो क़ानूनी कोड या फौजी अधिकार के फैसले से बढ़ कर अधिक भयावना फैसला अपने पक्ष मे कर सकता है। यह वह कानून है जिस पर कौसिल अथवा मज़हबी उन्माद का कोई प्रभाव नहीं। यह वह कानून है जिसे ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण मे बना दिया है। क्या यह कानून इस अवसर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है?

अब समय है कि हम अपने विचारो को मेगज़ीन मे होने वाली घटनाओं की ओर ले जावे। कप्तान फॉरिस्ट ने बताया है कि सवेरे ९ बजे मेरठ की देशी सेनाएँ अपनी सङ्गीने तिरछी किये सैनिक ढङ्ग से पुल को पार कर रही थीं। उनके आगे-आगे रिसाला था और पीछे पैदल। इसके लगभग १ घण्टे बाद नं० ३८ देशी सेना के सूबेदार ने कप्तान फॉरिस्ट को जाकर सूचना दी कि बादशाह ने मेगज़ीन पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी है और तमाम अङ्गरेजों को किले में जाने की आज्ञा दी है और यदि वह आना स्वीकार न करें तो मेगज़ीन के बाहर न निकलने पावें। कप्तान फॉरिस्ट का कहना है कि उन्होंने कोई सैनिक दल तो नहीं देखा, किन्तु जो व्यक्ति यह समाचार लाया था वह खड़ा था। यह व्यक्ति एक सभ्य मुसलमान था। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि थोड़ी देर बाद बादशाह का एक देशी अफ़सर एक ज़बरदस्त गारद ले कर आया, जिसमें शाही नौकर थे। वे वर्दियाँ पहिने हुए थे।

उस अफ़सर ने सूबेदार आदि से कहा कि वह बादशाह की ओर से तुम्हारी सहायता के लिए भेजा गया है—फिर हम देखते हैं कि मेगज़ीन की समस्या किस तेज़ी और चालाकी से पूरी की जाती है। अब क्या यह विश्वास कर लिया जाए, कि यह तैयारी बादशाह की ओर से थी अथवा आकस्मिक प्रभाव के कारण सैनिकों की ? सैनिको को इस घटना के साथ सीधा सम्बन्ध करने के अर्थ यह होंगे, कि वे लोग बहुत होशियार थे। घटना-क्रम इस बात को स्पष्ट और ज़ोरदार शब्दो मे कह रहा है कि यह तैयारी कई व्यक्तियो के गम्भीर विचार के बाद पहिले से ही निश्चय की हुई थी। यह समझ लेना बहुत कठिन है कि कोई व्यक्ति जो समय से पूर्व किसी बात से जानकार न हो और अवसर आने पर उसे ठीक ढङ्ग से कर ले। आप अकाट्य प्रमाणों और कारणो की ओर ध्यान दीजिये कि बेसमझदार लोगों के द्वारा ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उन विद्रोहियों ने बादशाह को अपने साथ आने का निमन्त्रण दिया। कोई सब्ज़-बाग़ ऐसा अवश्य था, जिसके कारण बादशाह ने अपने व अपने तमाम परिवार को भयानक ख़तरे में डाल देने मे पसोपेश न किया। और वह लालच था ताज का; जिसमे उन्हे धोखा हुआ और राजसी-छत्र उनके मस्तक पर होकर निकल गया। इन घटनाओ पर ध्यान करने से क्या यह परिणाम नहीं निकलता, कि इस बूढ़े मनुष्य ने तृष्णा में पड़कर, अवसर पा कर अपनी इच्छापूर्ण करनी चाही

और जल्दी ही मेगज़ीन पर अधिकार करने के लिए सेना भेज दी ? यह कार्य यदि पहिले से सोचा गया और षड़यन्त्र के द्वारा उनकी नीव पर नहीं था, तो क्या इसे बुढ़ापे से बादशाह का सठियापन कहा जा सकता है ?

अदालत ने एक स्वप्न की बात सुनी है कि पश्चिम से एक भयानक आँधी उठी और पानी की बाढ़ मे सभी स्थान नष्ट हो गये किन्तु बादशाह का परिवार सुरक्षित रहा।

यह स्वप्न पीरज़ादा हसन अस्करी का था जिसका अभिप्राय यह था, कि शाह-ईरान के हाथो अङ्गरेज़ काफिरो का नाश होने वाला है जोकि बादशाह को भारत का राज्य दे देगा। क्या यह इसीलिए नहीं उड़ाया गया था जिसमे एशियाई भाग में सनसनी फैल जावे ? मै जानता हूँ कि पूर्वीय देशो के अतिरिक्त और कहीं भी ऐसी व्यर्थ की बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। आश्चर्य से देखा जाता है कि सैनिक-विद्रोह मे भी यह भाव थे। मेगज़ीन पर किया गया आक्रमण सिपाहियों की क्षणिक उत्तेजना को नहीं प्रगट करता, बल्कि उससे पता लगता है कि उसकी तह में दूसरी ही शक्ति काम कर रही थी। सैनिक ढङ्ग से सिपाहियो का जाना, उनमें शान्ति होना, किसी ओर शोर-गुल न होना सभी इसके प्रमाण हैं कि उस की सञ्चालन-शक्ति बड़ी नियमित रूप से थी। लूट-मार की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई। नॉन कमीशण्ड अफ़सर विभिन्न दरवाज़ों पर थे, मज़दूरों का एक दल मेगज़ीन की चीज़ें बाहर निकाल रहा था। और ज़रा देर में

उन सब का विचार एक दम पलट जाना, क्या अपने आप और क्षणिक आवेश मे हो गया ?

क्या बादशाह और उनके देशी अफसरो ने यह सभी कार्य-क्रम पहिले से नहीं बना लिया था ? क्या यह सम्भव है कि सैनिक अपने बल पर ऐसे बड़े कार्य मे हाथ डालने का साहस कर सकते थे ? यद्यपि मैं स्वयं बादशाह की आज्ञा देने का पता नही लगा सका हूँ, तो भी मुझे विश्वास है और शाहजादा जवाँबख्त का ढङ्ग प्रत्यक्ष प्रगट करता है, कि ११ मई की घटनाओ की जानकारी क़िले वालो को अवश्य थी। जवाँबख्त को अङ्गरेजो के पतन की इतनी प्रसन्नता थी कि वह अपने भाव नही छिपा सका। मेरा मतलब उन बातो को प्रगट करना है, जिनको मैं ठीक समझता हूँ कि यह षड्यन्त्र केवल सैनिको तक ही परिमित नही था, बल्कि उनकी शाखाये शहर और जिले में भी थीं। क्या यह हत्याये किसी के दृढ़ निश्चय को नहीं प्रगट करतीं ? हमारे पास प्रमाण है, कि ११वीं और २० वीं पैदल रेजिमेण्ट के सिपाही मेगजीन पर आक्रमण करते और उसके उड़ने के पूर्व सीढ़ियों का प्रयोग करते है और उसी समय अङ्गरेजो के विरोधियों में जो लोग दिखाई देते हैं उनमे एक बादशाह भी है। वह विद्रोह-नद मे बेधड़क घुसते और पार करने का श्रम करते हैं। वह राज्य की आशा में तैरते फिरते हैं। घटनाक्रम की लहरें उन्हे इधर-उधर पटक देती हैं और तब वह रेत पर ही खड़े होकर आशा लगाते हैं। मैं लेफ्टिनेण्ट डल्फ

बाई की ओर ध्यान देता हूँ। उनके ऐसा वीर पुरुष, जिसने इतनी बडी सेना के विरुद्ध अपनी थोड़ी शक्ति को अन्त तक डटाये रख कर मेगज़ीन की रक्षा की और समय मे वीरता और धैर्य के साथ मेगज़ीन के उड़ने का त्यागपूर्ण स्वागत किया। इस साहस को ऐतिहास लेखक न्याय की दृष्टि से देखे। मैं उस पर थोडा बहुत प्रकाश डाल सकता था, क्योकि दूसरी बातों पर मुझे बहस करनी है जिनका वर्त्तमान कार्यवाहियो से बहुत गहरा सम्बन्ध है। देहली की मेगज़ीन उड़ते ही विद्रोह की बाढ़ का रोकना दुष्कर हो गया, अङ्गरेजों की दशा शोचनीय हो गई और प्रत्येक को अपने प्राण बचाना कर्तव्य जान पड़ा। दिल्ली बदमाशों के हाथ मे आ गई और जिन्होने २४ घण्टो में ही इतने अत्याचार किये, कि संसार के अनेको काले कारनामे जिनके सामने हेच सिद्ध होते हैं। हम देखते है कि बादशाह स्वयं भी उस ड्रामा का एक ऐक्टर है, जिसके ड्यूक इङ्गलैण्ड और योरोप के जन समाज से भी अधिक है। उस ड्रामा को सभ्यता और शीलता के विरोधियों ने अपने चाव से देखा। गवाही से प्रगट है कि ११ मई को तीसरे पहर बादशाह दीवाने-ख़ास मे आ विराजते हैं और विद्रोही सैनिक उनसे सहायता की याचना कर रहे हैं। बादशाह उनकी बात मान लेते हैं और फिर प्रत्येक के मन में जो आता है, कहकर विदा होता है। गवाह ग़ुलाम अब्बास मुख़्तार का कहना है, कि बादशाह को सिपाहियों के सर पर हाथ रखने का यह अर्थ है, कि वह

उनकी सेवाओ को स्वीकार करते हैं। आगे चल कर गवाह कहता है, कि बादशाह के शासन ग्रहण करने की मुनादी की उन्हे खबर नहीं है, सम्भव है उन्हे बिना सूचना दिये ऐसा किया गया हो। हाँ, बादशाह का शासन ग़दर के दिन से ही आरम्भ हो गया था और उसी रात २१ तोपो की सलामी दी गई थी।

यह घटनाएँ बादशाह पर अपराध सिद्ध करती हैं और कदाचित अब और आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुहम्मद बहादुरशाह भूतपूर्व बादशाह दिल्ली पर पहिला अभियोग यह है कि उन्होने १० मई से १ अक्टूबर, सन् १८५७ तक, गवर्नमेण्ट के पेन्शन-भोगी होने पर भी, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नौकरों, सिपाहियों को मुहम्मद बख्तखाँ सूबेदार रेजिमेण्ट तोपखाना और देशी कमीशण्ड अफ़सरो को राज्य के विरुद्ध विद्रोह *

* (१) अभियुक्त और मुहम्मद बख़्त ख़ाँ के सम्बन्ध की गवाही जो कि जुर्म सिद्ध करने को यथेष्ट हैं, अभियुक्त का पत्र देखिये।

अभियुक्त का पत्र

बनाम ग़ुलाम ख़ास लॉर्ड गवर्नर मुम्मद बख्त ख़ाँ सूबेदार—ईश्वर कल्याण करे। तुम जानो कि नीमच की सेना अलापुर पहुँच गई है और उनका सामान वहीं रह गया है। तुम्हें ताकीद की जाती है कि दो सौ पैदल और सवारों के ४-७ दल देकर उक्त सामान गाड़ियों पर लदवा कर अलापुर पहुँचा दो। इसके आगे तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि काफ़िरों को आगे न बढ़ने देना। वे ईदगाह के पास खड़े हैं। ध्यान रहे कि यदि सेना बिना विजय पाये और बिना सामान लूटे आई,

करने के लिए भड़काया। मै गवाहियों का बार बार ज़िक्र करके अदालत को परेशान नहीं करना चाहता। स्थनापन्न कमिश्नर और लेफ्टिनेएट गवर्नर के एजेएट मि० सॉएडर्स ने प्रगट कर दिया है कि अभियुक्त किस प्रकार से पेन्शन भोगी हुए। अर्थात् अभियुक्त के बाबा शाहआलम मरहठो की कैद में थे। सन् १८०३ मे जब अङ्गरेजों ने मरहठो को हराया तो शाहआलम ने ब्रिटिश सरकार की संरक्षकता मे आने की प्रार्थना की। सरकार ने उसे मन्ज़ूर किया और उसी समय से दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह अङ्गरेज़ो की रिआया हुए। फिर जहाँ तक इस कुटुम्ब का सम्पर्क है, किसी को कोई कष्ट नही था। एक बात ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त के बाबा शाहआलम ने अपने राज्य के साथ ही अपनी दोनो आँखें भी खो दी थीं। और ऐसे ही बहुत से अत्याचार उन्होंने भोगे थे। वह क़ैद मे रक्खे गये थे, जहाँ से लॉर्ड लेक ने उन्हे छुड़ाया और उनकी दशा पर दया करके उदारता पूर्वक पेन्शन नियत की, जिसे न सिर्फ शाहआलम को ही, बल्कि उनकी सन्तान के लिए भी जारी रक्खा। परिणाम मे इस साँप ने उन्हीं पर दाँत लगाये जिन्होंने उसके साथ एहसान किये और प्राण रक्षा की थी।

मामला बड़ा ख़राब और भयानक परिणाम होगा। तुम्हें सूचना दी जाती है कि इन हुक्मों को ज़रूरी समझो। इस पत्र में कोई तारीख़ नहीं पड़ी है तो भी निस्सन्देह यह उसी समय का लिखा हुआ है जिसके कारण पहिला अभियोग लगाया गया है।

अभियुक्त के बयान पर अपनी राय प्रगट करने का यह अच्छा अवसर है। अभियुक्त ने भी दूसरे और लोगों की भाँति यह ढङ्ग पकड़ा है और कहा है कि गदर के पाप से वे दूर थे। वे बयान करते है कि ग़दर के पहले उन्हे किसी बात की ख़बर न थी। बाग़ी सिपाहियों ने उन्हे घेर लिया और पहरे कायम कर दिये और वे जान के डर के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ हो गये। वे अपने कमरे में चले गये और बाग़ी सेना ने पुरुष, स्त्री, बच्चों को क़ैद मे रक्खा। उन्होने अनुनय-विनय करके दो बार उनके प्राण बचाये, तीसरी बार भी उन्होंने यथाशक्ति प्रयत्न किया, किन्तु बलवाइयो ने उनकी बात पर ध्यान न दिया और उन बेचारो की 'मेरी बिना आज्ञा के' हत्या कर दी। अब मुख्य शङ्का यह है, कि यह बात सिर्फ अनुमान से ही निर्मूल नहीं सिद्ध होती, बल्कि काग़ज़ी और ज़बानी गवाहियों से भी इससे उलटी बात सिद्ध होती है। अभियुक्त का बयान सिर्फ शाब्दिक-इनकार है। अपने कृत्यों को दूसरे के सिर मढ़ने और जहाँ काग़ज़ी प्रमाण है वहाँ पर ज़बरदस्ती लिखा लेने का बहाना बताने के अतिरिक्त और कोई उपाय था ही नहीं। कहीं कहा गया कि काग़ज़ ज़बरदस्ती लिखाये गये और कहीं कहा गया कि मोहर ज़बरदस्ती लगवा ली गई। केवल एक भँवर जिससे वह अपनी रक्षा न कर सके और वह भी अपनी मर्ज़ी से हुमायूँ के मक़बरे मे चले जाना और फिर चले आना है। निस्सन्देह उन्हें कह देना चाहिए था, कि यह काम उन्होंने अपनी इच्छानुसार किया क्योंकि इसकी

सम्भावना बहुत कठिन है कि उन्हें वहाँ ज़बरदस्ती ले जाया गया हो। क्योंकि यदि सिपाही ज़बरदस्ती ले जाते, तो इनका लौट आना असम्भव था। अतएव हम उस पर अपना मत प्रगट करते है—'जब बाग़ी और विद्रोही सिपाही भागने लगे तो मै अवकाश पाकर किले के दरवाज़े से निकला और हुमायूँ के मकबरे में ठहर गया।' कोई सोचे कि जब उन्हों ने अपने को विद्रोहियों से अलग करना चाहा था तो जिस वक्त़ वह भागने लगे थे, तब यह दिल्ली ही मे कहीं ठहर जाते। चुप-चाप किले के दरवाज़े से दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत थी? मेरा अर्थ उनके बयान के शब्दों पर बहस करना नहीं है, बल्कि उस पर गम्भीरतापूर्ण दृष्टि डालना है।

मैं विश्वास करता हूँ कि अभियोग सप्रमाण है और इसके आगे की ओर बढ़ता हूँ जो कि पहले से अधिक सत्य और दृढ़ है। वह यह, कि "१० मई और १ अक्तूबर के बीच उन्होने अपने लड़के मिरज़ा मुग़ल को, जो अङ्गरेज़ी सरकार की रिआया था, व उत्तरी पश्चिमी भाग के निवासियों को, जिनके नाम मालूम नहीं हैं, और सिपाहियों को, जो कि सरकार की रिआया थे, राज्य के विरुद्ध युद्ध करने को उत्तेजित और तैयार किया। इस अभियोग के पक्ष मे जितनी काग़ज़ी और ज़बानी गवाही है वह देखते-देखते हम लोग थक जाएँगे। अख़बारो ने मिरज़ा मुग़ल के कमाण्डर-इन-चीफ नियुक्त होने, उनको खिलअ्त मिलने तथा तत्-सम्बन्धी बातो की चरचा की है। इस सम्बन्ध मे ज़बानी गवाहियाँ

भी काफी हैं और पाये गये कागज़ों से भी यह प्रगट है कि मिरज़ा मुग़ल बादशाह के लड़के और दिल्ली के विद्रोहियों के जत्था न० २ के सेनापति थे। मै उचित समझ कर नजफ़ गढ़ के पुलिस अफ़सर मौलवी मुहम्मद ज़हूर अली की अर्ज़ी का कुछ उद्धरण देता हूँ :—

"बहुज़ूर जाँपनाह बादशाह,

सविनय निवेदन है कि सरकारी आज्ञाये नजफगढ़ क़स्बे के ठाकुरो, चौधरियो, पटवारियो और कानूनगोओं को सुना दिये गये। उन्हे खूब समझा भी दिया गया और भरसक प्रबन्ध भी करा दिये गये तथा सरकारी आज्ञानुसार पैदल सिपाहियो की भर्ती भी आरम्भ कर दी गई है और उन्हे समझा दिया गया है, कि इस जिले की आमदनी वसूल होने पर उन्हें एलाउन्स दिया जावेगा। जब तक कुछ ठीक प्रबन्ध न हो जाय, इस दास को सन्तोष नहीं हो सकता। नगली, करकोली, बचाऊ, कल्लन इत्यादि गावों के निवासी इस भीषण काल में मुसाफ़िरों को लूटते रहते हैं।" मै समझता हूँ कि यह मिरज़ा मुग़ल, उनके लड़के और उत्तरी पश्चिमी निवासियों को विद्रोह के लिए तैयार करने के पर्याप्त सबूत हैं। जिस अर्ज़ी का ज़िक्र किया गया है, उसकी पीठ पर मिरज़ा मुग़ल के नाम बादशाह के हाथ का लिखा हुआ हुक्म है। जिसमें मिरज़ा मुग़ल को तुरन्त एक पैदल रेजिमेण्ट लेकर नजफ़गढ़ जाने के लिए ताकीद की गई है, जिसमें उक्त पुलिस अफ़सर की मदद हो सके तथा अङ्गरेज़ो

से लड़ने के लिए पैदल व सवार एकत्रित करने मे कठिनाई न पड़े। लेकिन एक अर्ज़ी और है, जो कि देर मे मिलने के कारण प्रमाण के काग़ज़ों के साथ नहीं पेश हो सकी, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ करना आवश्यक है। वह अर्ज़ी ख़िराजपुरा के नवाब के बेटे अमीर अली ख़ाँ के हाथ से १२ जुलाई को लिखी गई थी :—

बहुजूर बादशाह जाँपनाह,

सविनय निवेदन है कि यह सेवक श्रीमान् की सेवा मे उपस्थित हुआ है। इस दास ने श्रीमान् के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए देश-त्याग किया है। मुझे दुख है कि मैं वह समय देखने के लिए जीवित हूँ, जब कि बदमाश अङ्गरेज़ों ने शाही परिवार के महलों पर तोप लगाने का दुस्साहस किया। जब से सेवक ने होश सँभाला है, तब से सैनिक शिक्षा प्राप्त करके युद्ध करना सीखा है। मुझे प्राणो का भय नहीं है। पिलङ्ग अपना शिकार पहाड़ों की चोटी में मारते हैं; मगर-मच्छ अपना शिकार दरिया के किनारे घातो से निगल लेते हैं।

यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और मेरी युद्ध-नीति में विश्वास किया गया तो श्रीमान् की कृपा से केवल ३ दिन के भीतर इन गोरे चमड़े और काले हृदय वाले अङ्गरेज़ों का एक दम सत्यानाश कर देगा। उचित जान कर निवेदन किया (राज्य की उन्नति और राज्य विरोधियों पर फटकार)

प्रार्थी—गुलाम अमीर अली ख़ाँ, वल्द नवाब
बख़ायत ख़ाँ, रईस ख़िराजपुरा।

इस पर बादशाह के हाथ का पेंसल से लिखा हुआ हुक्म है, कि मिरज़ा जहूर उद्दीन इसकी जाँच करें और प्रार्थी को नौकरी दी जावे।

तीसरा अभियोग यह है "कि ब्रिटिश सरकार की रिआया होने पर भी राज्य-भक्त रहने के कर्तव्य से च्युत होकर ११ मई या उसके इधर-उधर अपने को दिल्ली का शासक घोषित किया, अनुचित रीति से दिल्ली पर अधिकार किया। मिरज़ा मुग़ल और तोपख़ाना के सूबेदार मुहम्मद बख्तख़ाँ से षड़यन्त्र किया। १० मई से १ अक्टूबर तक राजविद्रोही रहे और सरकार से युद्ध करने के लिए दिल्ली में सैन्य-संग्रह किया।"

पहिला अभियोग लगाते समय यह सिद्ध कर दिया गया है, कि अभियुक्त ब्रिटिश सरकार का पेन्शन भोगी है और सरकार ने उनकी अथवा उनके कुटुम्ब के किसी की जायदाद नहीं छीनी है, बल्कि इसके विरुद्ध उन्हे अत्याचारो से त्राण देकर लाखों रुपया वज़ीफा नियत किया। ऐसी दशा मे मेरी समझ में उनका कर्तव्य था, कि वह राजभक्त रहते। मै देखता हूँ कि अभियुक्त ने इसके विरुद्ध अपने कर्तव्य का नाश करने पर कमर बाँधी। ग़दर के पहिले ही दिन तीसरे पहर दीवाने-ख़ास मे बैठकर बाग़ियो से भेटें स्वीकार की। उस दृश्य को, वैसा ही दिखाना कठिन है। एक बुड्ढा शक्तिहीन अपने हाथों में राज्य-दण्ड ग्रहण करता है, जोकि उसके निर्बल हाथों के अयोग्य है। वह कमर झुका हुआ व्यक्ति एक राज्य पर अत्याचार और हत्याओं के द्वारा

अधिकार करना चाहता है। अपनी आत्माज्ञा की हत्या करके, जो कि मनुष्यता का आवश्यक और मुख्य अङ्ग है, अपने को बाग़ी, विप्लवी और दङ्गाइयो के हाथ मे सौंप देता है।

यहाँ पर ऐसे गवाह मौजूद है जिन्होंने विभिन्न दिनो मे बादशाह के शासक होने की घोषणा का ज़िक्र किया है। निश्चय ही दिल्ली ऐसे बड़े शहर की प्रत्येक गली मे एक या दो बार की घोषणा पर्याप्त नहीं हो सकती। अभियुक्त के मुख्तार ने स्वीकार किया है कि बादशाह का राज्य ११ मई को स्थापित हुआ था। जब गुलाब नाम के दूत से प्रश्न किया गया कि "क्या ग़दर होते ही बादशाह शासक घोषित कर दिये गए थे।" तो वह उत्तर देता है कि "हाँ, ग़दर के ही दिन तीसरे पहर ३ बजे यह मुनादी कराई गई थी, कि आज से बादशाह का राज्य स्थापित हुआ।" चुन्नीलाल बिसाती नाम का दूसरा गवाह कहता है, कि "११ मई को आधी रात के समय किले में २० तोपे दाग़ी गईं। मैंने अपने मकान से आवाज़ सुनी थी। और दूसरे दिन दोपहर को मुनादी कराई गई थी कि देश पर बादशाह का शासन हो गया।" अन्तिम शब्दों से प्रगट है कि दिल्ली पर अनुचित रीति से अधिकार किया गया। इस जुर्म के सिद्ध करने मे बहस की ज़रूरत नहीं। आगे अभियोग यह है, कि अभियुक्त ने १० मई और १ अक्टूबर, सन् ५७ के बीच अपने लड़के मिरज़ा मुग़ल और सूबेदार मुहम्मद बख़्तखाँ से षड़यन्त्र किया और दूसरे न मालूम व्यक्तियो को उत्तेजित करके विप्लव

कराया। मिरज़ा मुग़ल कमाण्डर-इन-चीफ़ बनाये गये और ग़दर के कुछ दिन ही बाद उनकी नियुक्ति की घोषणा के लिए एक ख़ास जुलूस निकाला गया। यह बयान चुन्नीलाल बिसाती का है। किन्तु वह ठीक तारीख़ नहीं बता सकता, कि उसने किस दिन यह देखा था। मिरज़ा मुग़ल का सैनिक अधिकार रहा, जब तक, कि जनरल बख़्तख़ाँ न आ गया। उसके आने पर वह गवर्नर जनरल और कमाण्डर-इन-चीफ़ नियुक्त हुआ था। वह १ जुलाई को आया और इसके बाद अधिकारों के लिए परस्पर का झगड़ा देखने योग्य है। १७ जुलाई को मिरज़ा मुग़ल अपने बाप को लिखता है कि उस दिन जब वह सेना इकट्ठा करके अङ्गरेज़ों पर आक्रमण करने के लिए शहर से बाहर निकला, तो बख़्तख़ाँ ने उसका मार्ग अवरोध किया और बड़ी देर तक सेना को व्यर्थ रोके रक्खा और पूछा कि किस की आज्ञा से सेना बाहर आई है और बाद को यह कह कर सेना को लौटा दिया कि "बिना आज्ञा कहीं न जाए।" मिरज़ा मुग़ल ने आगे लिखा : "कि मेरी आज्ञा रद्द हो जाने से मेरे साथी लोगों को बड़ा दुःख हुआ। आप स्पष्ट लिखिये कि सेना पर पूर्ण अधिकार किसका है ?" इस चिट्ठी पर कोई आज्ञा नहीं हुई, जिससे पता चल सके। किन्तु परिणाम से पता चलता है कि कोई उचित प्रबन्ध कर दिया गया था, जैसा कि दूसरे दिन, १८ जुलाई को मिरज़ा मुग़ल और बख़्तख़ाँ को परस्पर सलाह करते देखते हैं। उपर्युक्त चिट्ठी से पूरी परिस्थिति का पता चल जाता है। वह पत्र १९ जुलाई का है। "कल से पूरा प्रबन्ध कर दिया

गया है, जिस से शत्रु को रात दिन हानि हो। यदि अलापुर से सहायता मिल गई तो ईश्वर इच्छा और आप के प्रताप से पूर्ण विजय हो जायगी; अतएव बरेली के जनरल को हुक्म दे दें कि वह अलापुर की ओर से आकर मदद दे। वह उस ओर से आक्रमण करे और मै इस ओर से, जिस मे दोनो सेनाये मिल कर अत्याचारी काफिरो का नाश कर दे। मुझे यह भी आशा है कि अलापुर की ओर जाने वाली सेना शत्रुओं की रसद भी रोक सकेगी। उचित जान कर निवेदन किया।" इस पर बादशाह का हुक्म हुआ, कि मिरज़ा मुग़ल जो उचित समझे, प्रबन्ध करे। मिरज़ा मुग़ल ने भी लिखा है कि एक हुक्म बरेली भेज दिया गया है। तीन व्यक्तियो का परस्पर षड़यन्त्र करना इस से सिद्ध है। तीन काग़ज़ और हैं, जिनका पेश करना आवश्यक है। वे अदालत मे पेश नहीं हो सके थे। उनमे एक तो जनरल बख़्तख़ाँ की तारीख़ १२ जुलाई की घोषणा है। जो कि "देहली उर्दू गज़ट" मे प्रकाशित हुई थी:—

"उन लोगों को, जो शहर या देहात मे रहते हैं, जैसे मालगुज़ार, ज़मीदार, पेन्शन-भोगी अथवा जागीरदार इत्यादि को ज्ञात हो, कि यदि वह धन अथवा किसी प्रकार के लोभ में अङ्गरेज़ों की रक्षा करेंगे, शरण देंगे, रसद देंगे तो उनको कभी क्षमा नहीं किया जा सकेगा। अतएव घोषणा की जाती है कि ऐसे लोगों की जो कुछ भी अङ्गरेज़ो की सहायता न करने के बदले में हानि होगी वह शान्ति के समय जाँच करके

पूरी कर दी जावेगी और यदि कोई व्यक्ति इस घोषणा के बाद भी अङ्गरेजों को ख़बर देगा अथवा किसी भी प्रकार से सहायता देगा तो उसे कठिन दण्ड दिया जावेगा। शहर के चीफ़ पुलिस अफ़सर को हुक्म दिया जाता है कि अपने इलाक़े के तमाम ज़मीदारों व रईसो के इसकी पीठ पर दस्तख़त कराके दफ़्तर को लौटा दें।" दूसरा काग़ज़ बादशाह का ६ सितम्बर, १८५७ का चीफ़ पुलिस अफ़सर के नाम हुक्मनामा है। "तुम्हे हुक्म दिया जाता है कि मुनादी के द्वारा घोषित कर दो कि यह धार्मिक युद्ध है और केवल धर्म ही के लिए लड़ा जा रहा है। इसलिए नगर अथवा देहात के रहने वाले तमाम हिन्दुस्तानी, जो कि चाहे सिक्ख हो, या पहाड़ी, नैपाली हो या पूर्वीय—हिन्दू हों अथवा मुसलमान—जो कोई भी अङ्गरेजो की नौकरी करते हो, वह छोड़ कर इस धार्मिक युद्ध मे सम्मिलित हो। हमारे राज्य मे प्रत्येक धर्म को स्वतत्रता रहेगी। जो लोग हमारे साथ सम्मिलित होगे, उन्हे अच्छा खाना मिलेगा और चाहे वह सैनिक हों या न हों, अङ्गरेजों से लूटे हुए माल मे हिस्सा मिलेगा और सरकार से इनाम अलग।" यह काग़ज़ दफ़्तर की नक़ल है, जोकि हाल ही मे चीफ पुलिस स्टेशन से मिली है। इस पर उक्त अफ़सर तथा असिस्टेण्ट पुलिस अफ़सर की शाही मोहर है। इस से प्रगट है कि यह अस्ली हुक्म की नकल है। इस से बढ़ कर अदालत को और क्या सबूत दिया जा सकता है? मेरा विचार है कि मैने तीसरा अभियोग पूर्णतः सिद्ध कर दिया है और इस

लिए और बहुत से अनावश्यक काग़ज़ो के पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

अब मै उस अभियोग की ओर बढ़ता हूँ, जिसमे कहा गया है, कि अभियुक्त ने १६ मई को ४९ अङ्गरेज़ो को, जिनमे स्त्री और बच्चो की संख्या अधिक थी, वध कराया अथवा वध करने में सहायता दी। जहाँ तक हत्या का सम्बन्ध है, मै कुछ नहीं कहना चाहता। घटना-क्रम अदालत के सामने आ चुका है। वे हत्याएँ ऐसी नहीं हैं, कि साधारण रूप से उन पर दृष्टि डाली जाये। इतनी अमानुषिकता, इतनी निर्दयता से उनकी गरदनें घोटी गईं, कि आत्मा इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकती। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, कि उन अभागे स्त्री-बच्चो की हत्या अब अधिक व्याख्या नहीं चाहती, अब बतलाना केवल यह शेष रह गया है, कि उस निर्दयकाण्ड मे अभियुक्तका कितना हाथ था। उसने वध की आज्ञा दी, उस मे भाग लिया है या नहीं? मै इस अवसर पर क़ानून की उस गति की शरण नही लेता, जिसमे किसी अपराध के लिए किये गये षड़यन्त्र मे सम्मिलित सभी व्यक्तियों को अपराधी ठहराया जाता है, चाहे उस षड़यन्त्र के कुछ व्यक्ति उस काण्ड से बे ख़बर अथवा विरोध में ही क्यों न हों। मै तो अभियुक्त का सीधा सम्बन्ध सिद्ध कर रहा हूँ, जो कि अङ्गरेज़ो की गिरफ़्तारी, कैद और गन्दे स्थान में बन्द करने की घटनाओं से प्रगट है। अङ्गरेज़ों की गिरफ़्तारी के समय ही यह ज्ञात हो गया था, कि उनका क्या भविष्य होगा। इस सम्बन्ध मे हकीम

एहसन उल्ला ख़ाँ गवाह से, जब प्रश्न किया गया, कि इतने अङ्गरेज़ो स्त्री, बच्चे किले मे लाकर क्यों कैद किए गए ? तो उन्होंने उत्तर मे कहा कि शहर मे तथा उसके आस-पास जो अङ्गरेज़ पकड़े गये, उन्हे बाग़ी अपने साथ, अपने ठहरने के स्थान मे लेते आये। आगे गवाह ने बयान किया है कि बाग़ियो ने प्रत्येक कैदी को अपने साथ नहीं रक्खा, बल्कि अभियुक्त को सूचित किया और अभियुक्त ने ही कैदियो को रसोई-घर मे बन्द करने का हुक्म दिया, क्योकि वह स्थान लम्बा-चौड़ा है। दूसरा प्रश्न करने पर गवाह ने बताया कि बादशाह ने स्वयं ही लम्बा-चौड़ा स्थान होने के कारण रसोई-घर मे रखने की आज्ञा दी थी। इससे सिद्ध है कि अभियुक्त ने जान-बूझ कर उस स्थान को इसलिए पसन्द किया था, क्योंकि वह ख़ास किले के अन्दर है। उस स्थान के सम्बन्ध में, कि वह कैसा और किन लोगो के योग्य है, अभियुक्त को पहले से पता था। गवाह हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ की गवाही के बाद मै स्वयं उस स्थान पर गया और उसे नापा, वह ४० फीट लम्बा, १२ फीट चौड़ा और १० फीट ऊँचा स्थान है। वह पुराना और गन्दा पड़ा है, अस्तरकारी बिल्कुल नही है। वह अँधेरा है; फर्श नहीं, खिड़की नहीं तथा हवा और रोशनी की वहाँ पहुँच नहीं है। उसमें एक छोटा छेद है और एक छोटा सा दरवाज़ा है। अब मै मिसेज़ ऑल्डवेल के बयान को दोहराता हूँ। "हम सब एक कमरे में कैद थे, जिसमे एक दरवाज़ा था, कोई खिड़की नहीं थी। वह मनुष्य के रहने योग्य नहीं था और विशेष कर

हमारे और इतने आदमियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। हम सब हवा लेने के लिए दरवाज़े के पास खड़े होते थे और एक-दूसरे पर गिरे पड़ते थे। इस खिड़की को भी बन्द रखना पड़ता था, क्योंकि सिपाही बन्दूकें भरे हुए बच्चों को धमकाते थे। वे सिपाही हम लोगो के पास आकर कहते, कि यदि बादशाह प्राणदान कर दे तो क्या वह मुसलमान होने और लौंडी बनने को तैयार है। लेकिन बादशाह के गारद वाले उन लोगो को रोकते कि इन लोगो की बोटी-बोटी काट कर चील-कौवो को खिला दिया जावेगा। हमें बिल्कुल ख़राब खाना मिलता था। केवल दो बार बादशाह ने अच्छा खाना भेजवाया था।" यह बदला है उस ख़ानदान का, जिसे अङ्गरेजो ने लाखो रुपया दान किया! एक गवाह ने बयान किया है कि शाही रनिवास मे इतनी काफी जगह है, कि उसमे स्त्री और बच्चे रक्खे जा सकते थे। आगे गवाह कहता है कि ऐसे तहख़ाने हैं जहाँ ५०० आदमी छिपाये जा सकते हैं और पता न लगे और रनिवास के कारण बलवाई भी वहाँ न जा सकते थे। दूसरा गवाह बताता है, कि क़िले मे ख़ाली मकान बहुत से थे, जहाँ कैदियों को बहुत आराम से रक्खा जा सकता था किन्तु अङ्गरेजों की दया पर पलने वाले ने उनके लिए रसोई-घर का एक गड्ढा ही उचित समझा—जहाँ पर उनके साथ भीषण अपराधियों से भी बुरा व्यवहार किया गया। वे लोग एक छोटे स्थान मे रक्खे गये थे, जहाँ उनसे, जिसके जी मे जो आता था, कहता था। पेन्शन और दया का यह बदला मिला! हकीम

और मिसेज़ ऑल्डवेल की गवाही से प्रगट है, कि ये कृत्य बादशाह के व्यक्तित्व से सम्पर्क रखते हैं। यह सब बातें ज़बानी ही नहीं हैं, बल्कि काग़ज़ों द्वारा भी ऐसा ही सिद्ध होता है, जैसा कि अदालत को प्रगट हो चुका है। इन सब बातो से प्रगट है, कि तमाम बातो के ज़िम्मेदार अभियुक्त ही हैं। क्या अब भी इसमें कुछ सन्देह है? गवाहों की गवाही और अभियुक्त का लिखित बयान भी यही सिद्ध करता है। हम बादशाह को इसका दोषी इस लिए भी बनाते हैं, क्योंकि कैदियों की निगरानी के लिए बादशाह के ही नौकर नियुक्त थे। उन्हे ख़राब खाना भेजवाने वाले बादशाह ही थे। उन्होंने दो बार अच्छा खाना दिया। सिपाही कैदियो से पूछते हैं, कि यदि प्राण दान कर दिये जावे तो क्या मुसलमान होने और लौंडी बनने को तैयार हैं? यह भी सबूत है। अब क्या सन्देह बाक़ी रह जाता है। क्या कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें बादशाह ने उनके साथ दया की हो? दया तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उनके साथ मनुष्यता का भी व्यवहार नहीं किया। एक मुसलमान स्त्री को भी, जब तक जॉच न कर लिया, क़ैद मे रक्खा। केवल इस कारण से कि वह ईसाइयों को भोजन आदि देती थी। क्या इससे भी बढ़कर कोई अमानुषिकता हो सकती है? बल्कि तलवार की धार से प्राण दे देना उन लोगों के लिए, उस हवालात की दशा से अधिक सुख-कर थी। उसमें उन्हें स्वतन्त्रता और आनन्द था। क्या मैं अब धैर्य पूर्वक अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करूँ। किन्तु मेरा

मतलब यह है कि किसी की बात को बग़ैर पूरे तौर पर जाँच किये न छोड़ूँ।

गुलाब चपरासी ने बयान किया है कि हत्या के दो दिन पहिले ही यह ख़बर हो चुकी थी, कि दो एक दिन मे अङ्गरेज़ मार दिये जाएँगे। हत्या के लिए निश्चित किये गये दिन मे भीड़ जमा हो गई थी। जिस किसी ने भी इस सम्बन्ध मे गवाही दी है, उसने बताया है, कि लोग प्रातः से ही इस नाटक के देखने के लिए जमा हो रहे थे। और चूँकि यह नाटक ८-९ बजे सवेरे हुआ, इस से प्रगट है, कि इसकी सूचना उन लोगों को पहिले से कर दी गई थी। यह बात कहीं भी प्रगट नहीं होती, कि प्रजा अथवा सेना मे इन हत्याओं के विरुद्ध भाव थे। बल्कि गवाह कहता है, कि बिना शाही आज्ञा के ऐसा नहीं हो सकता था। हुक्म देने वाले केवल दो व्यक्ति थे। बादशाह या मिरज़ा मुग़ल। वह फिर कहता है कि मै नहीं जानता कि किसने हुक्म दिया। वह आगे कहता है कि हत्या के समय मै मौजूद था। बादशाह के सशस्त्र शरीर-रक्षक अङ्गरेज़ों को घेरे हुए और निगरानी कर रहे थे। वह कहता है, कि मैने किसी को हुक्म देते नहीं देखा या सुना; लेकिन सिपाही एकदम से तलवार खींच कर दौड़े और जब तक कि क़ैदियो का प्राण नाश न हो गया, तलवार चलाते रहे।

दूसरे गवाह चुन्नीलाल अख़बार-नवीस से जब प्रश्न किया गया, कि हत्याएँ किस के हुक्म से हुईं? तो वह उत्तर देता है कि बादशाह के, और कौन ऐसा हुक्म दे सकता था? वह, तथा

दूसरे और गवाह इस बात मे एक-मत हैं कि हत्याकाण्ड को बादशाह का बेटा मिरज़ा मुग़ल अपनी छत पर से देख रहा था। मिरज़ा मुग़ल के उस समय होने के अर्थ हैं, स्वयं बादशाह का होना। अब भी क्या यह सिद्ध करने की जरूरत है, कि बादशाह के ख़ास शरीर-रक्षको ने ऐसा अत्याचारपूर्ण कार्य बिना बादशाह की मरज़ी के किया होगा ? यदि सन्देह हो, तो वह उन काग़ज़ों के देखने से दूर हो जाएगा, जिसको कि स्वयं अभियुक्त ने अपना लिखा स्वीकार किया है—जिसमे कि अङ्गरेजो का रक्त पीने का स्पष्ट भाव प्रगट होता है। मिरज़ा मुग़ल के मौजूद होने के सिवाय और भी सबूत हैं, कि बादशाह के हुक्म से ही स्त्री और बच्चे कत्ल किये गये। मैं बादशाह के सेक्रेट्री मुकुन्द लाल की गवाही पेश करता हूँ। उनसे पूछा गया था, कि क़ैदी स्त्री-बच्चे किसकी आज्ञा से मारे गये ? उत्तर मिलता है कि तीन दिन तक तो क़ैदी जमा किये गये, चौथे दिन पैदल व सवार मिरज़ा मुग़ल को लेकर बादशाह के पास उनका वध करने की आज्ञा प्राप्त करने गये। बादशाह अपने ख़ास कमरे मे मौजूद थे। सिपाही बाहर खड़े रहे और मिरज़ा मुग़ल तथा बसन्त अली ख़ाँ अन्दर चले गये और २० मिनट बाद लौट कर उच्च-स्वर से कहने लगे कि बादशाह ने वध करने की आज्ञा दे दी है। इसके बाद बादशाह के बॉडी-गार्ड सिपाहियों ने, जो कि कैदियों की निगरानी कर रहे थे, क़ैदियों को बाहर निकाला और कुछ विद्रोही सैनिकों की सहायता

से उन्हे क़त्ल कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि मिरज़ा मुग़ल उस समय हत्या करने के लिए तैयार हो कर आये थे। उपरोक्त बात के अतिरिक्त और कुछ कहना शायद अनावश्यक हो; लेकिन अभियुक्त की डायरी के लेख पेश कर देना तो आवश्यक ही है। हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ के उस सम्बन्ध मे यह गवाही है :—

प्रश्न—इस काग़ज़ के पन्ने को देखो और पहिचानो यह किसका लिखा है ?

उत्तर—यह उस व्यक्ति का लिखा है, जो कि डायरी लिखता था, यह काग़ज़ डायरी का पन्ना है।

१६ मई, सन् १८५७ ई० की कोर्ट-डायरी के लेख का अनुवाद यह है "बादशाह ने दीवाने-ख़ास मे दरबार किया। ४९ अङ्गरेज़ क़ैद थे उन्हे सैनिकों ने माँगा और बादशाह ने सैनिकों के सिपुर्द कर देने की आज्ञा दे दी और कहा कि सैनिक जो चाहे कर सकते हैं। उन लोगों को क़त्ल कर दिया गया। बहुत से दर्शक उपस्थित थे। अमीर, रईस और अख़बार वालों ने दरबार मे हाज़िर होकर मुजरा किया। यहाँ हमारे पास ज़बानी गवाही के अतिरिक्त, काग़ज़ी सबूत भी है और क्या अभियुक्त की लिखित स्वीकृति से बढ़ कर भी कोई सबूत हो सकता है ? मेरा कहना यह है कि अभियुक्त ने अदालत में जो बयान पेश किया है और जिस में सत्य घटनाओं को ग़लत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, वह बिल्कुल बनावटी है। मै बादशाह के उस ख़त

की ओर इशारा करता हूँ, जो कि उन्होंने अपने बेटे मिरज़ा मुग़ल को लिखा था। और जिस मे ईसाई कैदियों के वध करने को पुण्य बताया गया था। इस सबूत के बाद अब चौथे अभियोग के सम्बन्ध मे कुछ कहना व्यर्थ है। अब मैं उस अभियोग के अन्तिम अंश की ओर ध्यान देता हूँ। इसके लिए हमारे पास कच्छभोज के राव भारा, जैसलमेर के रईस रञ्जीतसिंह और जम्मू के राजा गुलाबसिंह के नाम लिखे गये पत्र मौजूद हैं। "बनाम कच्छ के राव भारा—सूचना मिली है कि तुम ने ईश्वर की कृपा से काफिरो का नाश कर दिया है और अपने इलाक़े को उनके अपवित्र शरीर से पाक बना लिया है। हम तुम्हारे इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हैं और तुम को खिताब देते हैं। तुम अपने प्रदेश में ऐसा प्रबन्ध करो कि ईश्वर के बच्चो को कष्ट न होने पावे। इस के अतिरिक्त समुद्र के मार्ग से जो काफिर तुम्हारे यहाँ पहुँचे, तुम उन्हे कत्ल कर दो। तुम्हारी यह कार्यवाही मेरी प्रसन्नता का कारण होगी।"

"जैसलमेर के रञ्जीतसिंह के नाम—मुझे विश्वास है कि तुम्हारे राज्य में काफ़िर अङ्गरेज़ो का नाम-निशान भी न रहा होगा। यदि अवकाश पा कर कोई भाग गये या छिप गये हों तो उन्हे क़त्ल कर दो। अपने राज्य का प्रबन्ध कर के अफ़सरो सहित दरबार में उपस्थित हो। तुम्हारे साथ कृपा की दृष्टि रक्खी जाएगी और प्रतिष्ठा में तुम हम लोगों से भी बढ़ जाओगे।"

"बनाम राजा गुलाब सिंह—तुम्हारे इलाक़े में रहने वाले

अङ्गरेज़ मार डाले गये, यह तुम्हारे पत्र से पता लगा। तुम्हें शाबाशी दी जाती है, तुमने वही किया है जो कि एक वीर को करना उचित था। तुम प्रसन्न और जीवित रहो। तुम शाही दरबार मे आओ और रास्ते मे जो अङ्गरेज़ मिले, मार डालो। तुम्हारी तमाम इच्छाएँ पूरी की जावेगी और तुम्हे राजा की उपाधि दी जावेगी।"

नम्बर ४ बेकायदा रेजिमेण्ट के दफादार की एक अर्ज़ी है, जिसमें वह मुज़फ्फरनगर के तमाम अङ्गरेज़ों के मार डालने की डींग मारता है और बादशाह ने उसके नौकर रखने का हुक्म अपने हाथ से लिखा है।

अभियोगो के सम्बन्ध मे अपना मत यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप लोगों के न्याय पर छोड़ता हूँ कि अभियुक्त, जो कि आपके सामने कटहरे में मौजूद हैं, वह एकान्त-वास में जाकर पुनः अपने अधिकारों के दावादार होंगे या संसार के बड़े से बड़े अभियुक्तो में उनकी गणना होगी ? आपको बताना होगा कि क्या तैमूर के शाही परिवार का यह अन्तिम शासक, जिसकी कमर बुढ़ापे के कारण नही झुक गई है, बल्कि पारिवारिक कष्टों ने जिसे इस दशा पर पहुँचाया है, आज अपने पूर्वजों के महल से अलग कर दिया जावेगा ? यह दीवाने-ख़ास, यह न्याय का आसन, आज के रोज़ एक ऐसे फैसले को प्रगट करेगा कि बादशाह अपने अपराधो के कारण कैसे पतित किये जा सकते हैं, और किस प्रकार से एक शाही परिवार अपने पापों के कारण सदैव के लिए एक दिन मे नष्ट किया जा सकता है।

अभियुक्त पर जो अभियोग लगाये और सिद्ध किये गये है, उनका बयान अब समाप्त हो गया। अब यदि मै गत विद्रोह और उसके षड़यन्त्र के कारणो का वर्णन करूँ तो अनुचित न होगा। मै अपनी बहस के आरम्भ मे बता आया हूँ कि कारतूस की समस्या ही यदि देशी सेना मे विद्रोह का कारण तैयार होती तो ऐसी भयानक परिस्थित न उपस्थित होती। निश्चिय ही वहाँ कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जो कि सब का सञ्चालन कर रही थी। जिसने कलकत्ता से लेकर पेशावर तक की सेनाओं को प्रभावित कर दिया। मै समझता हूँ कि यह बिना इन लोगो के किसी गुप्त सङ्गठन या ऐसी पूर्व निश्चित तैयारी के, जिसे षड़यन्त्र कहना ही उचित होगा; नहीं हुआ। मैं पहले कह चुका हूँ कि कारतूस की बात ही तमाम झगड़े की जड़ नहीं थी, बल्कि कारतूस की बात उस समय की बारूद में आग लगा देने की एक चिनगारी थी, जिसे पहले से ही जान-बूझ कर सुरङ्ग उड़ा देने के लिए तय कर लिया जा चुका था। षड़यन्त्र के सम्बन्ध में मै कहना नहीं चाहता, कि मैंने पूरी तौर से उसका पता लगा लिया है। तो भी जो कुछ गवाहियाँ मेरे पास है उनसे साबित है, कि १० मई से बहुत पूर्व ही विशेष कर मुसलमानों में अङ्गरेजों के प्रति घृणा के भाव विद्यमान थे। उन्होंने प्रत्येक 'अवसर से लाभ उठाया और उनमें से एक अवसर अवध की जब्ती का था। हिन्दुस्तान में मुसलमानो की एक मात्र रियासत जब्त हो जाने पर उन लोगो को बड़ी वेदना हुई और हिन्दू सिपाहियों को भी

यह बात खटकी कि देशी ताल्लुकेदारों के बदले अब अङ्गरेज़ों की आज्ञा में रहना पड़ा। गवाह जाटमल ने हिन्दू सिपाही और व्यापारियों के भावों का अच्छा वर्णन किया है। उससे पूछा गया कि क्या हिन्दू और मुसलमानों के विचारों मे कुछ अन्तर था? तो उसने उत्तर दिया कि तमाम मुसलमान-प्रजा सरकार-अङ्गरेज़ी का तख़्ता उलट देने की इच्छा करते थे, जब कि हिन्दू व्यापारी इसके विरुद्ध थे। गवाह ने आगे कहा है कि सेना मे दोनों जातियों के भाव प्रायः एक से थे; दोनों समान रूप से विरोधी थे। हमारा अपना अनुभव भी यही कहता है कि देशी सेना मे अधिकांश हिन्दू हैं। हिन्दुओं ने भी कोई अत्याचार उठा नहीं रक्खे। किन्तु सेना के अतिरिक्त विद्रोह का आधार मुसलमानी षड्यन्त्र है। और यदि पता लगाया जाय, तो मालूम होगा कि उन्होंने सच्चे और झूठे किस्से गढ़-गढ़ के विद्रोह की आग भड़काई; जिसके कारण राजभक्त सेना भी विप्लवी हो गई। इसके लिए हमें बरसों पीछे लौट कर कारणों की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं तारीख़वार न सही, वैसे ही पिछली घटनाओं की चरचा करूँ तो देखा जायगा कि देशी रेजिमेंटों ने अपने को बहुत कम विश्वासपात्र-सिद्ध किया है। इस अवसर पर एक बात सिद्ध होती है कि किसी एक अवसर पर सभी एक मत हो सकते हैं। इस बात ने हमें एक अच्छी शिक्षा दी है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है, कि उस समय से देशी सेना एक झगड़ालू दल बन गई है।

मै मानता हूँ कि उनमे बहुत से सिपाही अपने ढङ्ग से विश्वासपात्र और राज्य-भक्त रहे। अपने 'ढङ्ग' शब्द का प्रयोग मैंने इस लिए किया है, कि इनमे स्वाभाविक रीति से धैर्य और सच्चाई का अणुमात्र भी नहीं होता। इनकी वफ़ादारी जहाँ तक रहती है प्राकृतिक नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक होती है। वह मज़हबी ढङ्ग की झूठी बातों पर विश्वास करने के इच्छुक रहते हैं। इनमे कुछ लोग स्वभावतः धूर्त भी होते है। जो व्यक्ति ज़रा भी ऐशियाई स्वभाव से जानकारी रखता होगा, वह तुरन्त इस बात को मान लेगा। पर हिन्दुओ मे बहुत कम बुराई की ओर आकर्षित होते है; अधिकांश भलाई की ओर ही रहते हैं। तीन-चार लीडरों को खुल्लमखुल्ला जुर्म करने के लिए उन्हे आगे बढ़ने दीजिए, विद्रोह के गुप्त षड़यन्त्रों मे सम्मिलित होने दीजिए, शेष सब व्यक्ति यदि तुरन्त ही भयभीत न हुए, तो वह उस झगड़े को रोकना अपना कर्त्तव्य न समझेगे, यद्यपि वे स्वयं एक हद तक इससे दूर रहे किन्तु हत्या और विद्रोह तथा अन्य अनुचित कामों की रोक-थाम इनके धार्मिक और राजनैतिक विचारो का भाग नहीं है। इस कारण बड़े-बड़े अपराध उनसे होते हैं जो पैशाचिकता के गढ़े मे उन्हे गिरा देते हैं और इस प्रकार कुछ व्यक्तियों की कृतियाँ बहुतेरों के नाश का कारण हो जाती हैं। पिछले विद्रोह को बढ़ावा देने मे भी ये ही कारण कार्य कर रहे थे। यह सत्य है और इसके मानने में शायद ही किसी को सङ्कोच हो। यद्यपि हम ने अदालत में कोई ऐसे क़ागज़ नहीं

पेश किये हैं और न किसी सिपाही की गवाही ही है, तो भी हमारा विश्वास है कि ग़दर के १-२ मास पूर्व ही सिपाहियो के पास जो पत्र आते थे वे साधारण अवस्था से अधिक सख्या मे थे और यह बात उन सच्ची घटनाओ के साथ, जो हमारे सामने आ चुकी है, हमे स्पष्टत: इस परिणाम पर पहुँचाती है। अवश्य ही ऐसा प्रभाव शाली आन्दोलन उन के बीच चल रहा था जो सरकार का विरोधी था।

ऊपर जो वर्णन किया गया है वह विद्रोहियो के आन्दोलन की ओर सङ्केत मात्र है। अब सम्भवत: यह प्रश्न होगा कि यह सब काण्ड इसी अवसर पर क्यो हुआ ? इस के कुछ कारण मैं ऊपर बता चुका हूँ, जैसे अवध की ज़ब्ती आदि। दूसरा कारण धार्मिक नेताओं की मक्कारी से बनाई हुई चहार-दिवारियाँ हैं, जो कि निकृष्ट से निकृष्ट मूर्खता को अपने धार्मिक अनुयायियो में सुरक्षित रखता है और इस तरह आड़ मे राजनैतिक क्रान्ति उत्पन्न की जाती है। मै यह भी जानता हूँ कि क्रान्तिकारी समाज ने सरकार की कुछ इस समय की त्रुटियों से बेजा लाभ उठाया है और नाराज़गी और चिल्लाहट को धार्मिक अन्ध-विश्वासी जनता पर फैलाया है। मेरी मंशा हिन्दू विधवाओ के पुनर्विवाह के आन्दोलन, विभिन्न कार्यो के लिये भरती और कारतूसों की समस्या आदि से है। मेरा मतलब उन लोगो से नहीं है, जिन की आत्मा में केवल द्वेष या घृणा थी, जो अहङ्कार में चूर थे और बेवक़ूफ़ों का एक दल बनाये हुए थे और सैनिक

आज्ञा मे बड़े ही अभिमानी थे। वह सरकार को अपनी बनावटी तकलीफे बता कर उन की तदबीरे भी बता देते थे, यहाँ तक कि न० ३ लाइट केवेलरी को सज़ा देने के पूर्व भी विद्रोह के भाव थे, जो इस विद्रोह से भी बढ़ कर थे। उस समय निस्सन्देह असभ्य विद्रोह की हवा सेना मे फैल चुकी थी। कई अवसरों पर सिपाहियों को इस विचार मे पाया गया कि यदि सैनिक अवज्ञा के साथ-साथ सलाम आदि जारी रक्खा जावे तो वह कम जुर्म होगा। सिपाहियो ने अलग-अलग अपनी शिकायते करने के बदले सामूहिक रूप से सरकार के सामने रक्खी। ऐसे अवसरो पर हिन्दू और मुसलमानों मे कोई भेद नहीं रहता था। विद्रोह के लिए वे बहुत शीघ्र सङ्गठित हो जाते थे। यदि हम ऐतिहासिक छान-बीन करे, तो एशियाई जातियों के सम्बन्ध में बहुत शीघ्र जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सम्भवतः धार्मिक भावों मे पलने के ही कारण ये लोग शीघ्र ही सङ्गठित हो जाते है जो कि शिक्षा और दीक्षा से किसी प्रकार भी सम्भव नहीं। इन भावों के बिना सैनिक-शिक्षा एक भयानक शस्त्र है, जो कि अन्त मे उसी पर आक्रमण करता है, जिसने इसे तेज़ किया है। इसका सबूत यह है, कि एशिया के असङ्गठित और निशस्त्र समाज मे बहुत कम विद्रोह होते हैं—यद्यपि मुसलमानी शासन-काल मे हिन्दुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना विद्रोह के लिए बहुत काफी कारण था। ऐसे अवसर पर सङ्गठित सिपाहियों का ही आक्रमण राज्य पर होता है। पुराने

समय मे शायद धार्मिक उन्माद राजनैतिक चक्र मे किसी अश मे बाधक हुई हो लेकिन हमे याद रखना चाहिये, कि उसी धार्मिक उन्माद ने सब को एक सूत्र मे बँधने मे बड़ी सहायता दी है और किसी विशेष अवसर पर एक-मत होने की शिक्षा दी है। ऐसी दशा मे उन्हे एक मौका भर चाहिए और संसार ने देखा कि एक अवसर आया और घटना-क्रम ने दूसरा अवसर ला दिया फिर ब्राह्मण और मुसलमान सगे भाई की भाँति एक मत हो गये। सैनिक होने के कारण एक-सी पोशाक, एक-सा भोजन, एक-सा इनाम, एक-सा रहन-सहन और एक ही विचारों में पलते हैं। प्राय: एक दूसरे के त्योहार मे सम्मिलित होते थे। सरकार के एक-से व्योहार ने ही अन्त मे सरकार की जड़ हिलाने का कार्य किया!

इस बहस मे मैं तमाम घटनाओ का ज़िक्र नहीं करना चाहता; मेरा कहना यही है कि चरबी के कारतूस ही इतने बड़े विप्लव का कारण न थे और न हो सकते थे। सिपाहियो मे पहिले से तैयारी हो रही थी और उन्हे, विशेष कर मुसलमानो को, भड़काया जा रहा था। निस्सन्देह इसको 'मुसलमानी' षड़यन्त्र का ही नाम देना उचित होगा, जिसकी मंशा विद्रोह और अशान्ति फैला कर क्रान्ति करा देना था। इसका आरम्भ अभियुक्त तथा उसके सलाहकारो जैसे हसन अस्करी जैसे व्यक्तियों द्वारा हुई। कुछ भी हो, इसमे सन्देह नहीं, कि शीरीं कब्ज एलची बादशाह-ईरान के पास गया था। इन हुकूमतों से प्रार्थना की

गई थी कि एक मुसलमानी राज्य के स्थापन मे सहायता दो। यह ध्यान देने योग्य बात है कि घटनाएँ एक के बाद दूसरी उपस्थिति हो गईं। गवाहियो से प्रगट है, कि शीरीं मई सन् १८५७ से ठीक दो वर्ष पहले गया था और उसके लौटने का वादा भी ग़दर के दिनों के लिए था। इसके बाद उन भविष्य-वाणियो की ओर आता हूँ, जिनका अर्थ यह है कि पलासी की लड़ाई, १७५७ ई० के ठीक १०० साल बाद तक अंग्रेज़ों का राज्य रहेगा। अब यह बात समझ में आ जायगी कि मुसलमानों को किस प्रकार अपनी प्रतिष्ठा के प्राप्त होने का विश्वास था। मै पीरज़ादा हसन अस्करी के स्वप्न का वर्णन कर चुका हूँ; जिसका अर्थ झूठी बातें बना कर बादशाह को प्रसन्न और उत्साहित करने का था। हमे तो यह स्वप्न व्यर्थ मालूम होंगे, किन्तु उन लोगो के हृदय पर इस की गहरी छाप पड़ी थी। जिस व्यक्ति के सम्बन्ध मे यह मशहूर है कि वह सिद्ध पुरुष है, वह झूठा ही क्यों न हो. तो भी उस की बात का विश्वास किया जाता था। पीरज़ादा का स्वप्न उन भावनाओं के उत्तेजन का एक उपाय था। हमे मुहम्मद दरवेश की २७ मार्च, सन् ५७ ई० की अर्ज़ी से भी यह बात सिद्ध होती है, जिसमे उसने मि० कॉलविन लेफ्टिनेण्ट गवर्नर को लिखा था, कि हसन-अस्करी ने बादशाह दिल्ली को विश्वास दिलाया है कि ईरान का शाहज़ादा बूशहर तक आ गया है और ईसाइयों का नाश कर दिया है। किसी को छोड़ा नहीं, बहुतों को मार डाला और

कुछ को क़ैद कर लिया है और शीघ्र ही काबुल के मार्ग से भारत मे भी आ जावेगा। वह आगे लिखता है कि महल मे, और विशेष कर बादशाह के ख़ास कमरे मे, शाह-ईरान के आने की चरचा होती थी। हसन अस्करी ने बादशाह को विश्वास दिला दिया है, कि उसे ईश्वरीय सन्देश मिला है कि शाह-ईरान का देहली पर निस्सन्देह अधिकार हो जावेगा और वह राज्य बादशाह दिल्ली को दे देगा। दिल्ली का भाग्य फिर चमकेगा। वह आगे लिखता है, कि इस समाचार से क़िले में और विशेष कर बादशाह दिल्ली को, बड़ी प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता में भेंटें दी जाती है और हसन अस्करी संध्या के पहले रोज डेढ़ घण्टे तक इस के लिए जप करता है और प्रत्येक गुरुवार को बादशाह के यहाँ से उस के लिए मीठा तेल, ताँबे के पैसे और कपड़े तथा खाना भेजा जाता है।

अब हम समझ सकते हैं कि इस मामले मे कितना मज़हबी रङ्ग था और इसलामी षड्यन्त्र किस हद तक काम कर रहा था। यदि हम ग़दर के पहले की घटनाओ को देखते और पता पाते कि ईसाइयों के नाश और शाह-ईरान के आने के लिए जाप हो रहे हैं तो अवसर के पहले ही पूरी बाते हमारे सामने प्रगट हो जातीं। यदि हम उन चिट्ठियों और अर्ज़ियों को ही देखें तो हमे मुसलमानों के वे द्वेषी भाव ज्ञात हो जाएँगे, जो सिर्फ़ इस संसार से ही सम्बन्धित नहीं है, वरन् परलोक में भी हमें कष्ट में देख कर प्रसन्न होते हैं। अब प्रश्न

होता है कि मुल्क मे और भी हजारो सज्जन इन विचारों मे सम्मिलित थे या सिर्फ वे ही, जिनका विचार अङ्गरेजो के बारे मे ऐसा हुआ ? इसका उत्तर मै बिना अपना विचार प्रगट किये, उन लोगो पर ही छोड़ता हूँ, जो कि गम्भीरता पूर्वक घटना-क्रम को देख रहे हैं। मिसेज़ ऑल्डवेल हमे बताती है, कि उन्होंने मुहर्रम के दिनो मे लोगो को अपने बच्चो को यह दुआएँ माँगना सिखाते देखा है कि उनकी जाति की जीत हो और दुआये आम तौर पर अङ्गरेजों पर लानत और ताने से मिली हुई होती थीं। स्त्री और बच्चो की हत्या से भी उनके द्वेष की अग्नि शान्ति नही हुई और न दया का आविर्भाव हुआ, बल्कि स्थानीय समाचार-पत्रो से पता चलता है कि कत्ल के समय २०० मुसलमान हौज़ पर खड़े हुए कैदियो को लानत दे रहे थे। क्या यह उनके सख्त हृदय और विश्वसनीय विद्वेष का पता नहीं देता ?

दूसरी बात चपातियों के बाँटने की है। वे बिस्कुट की शकल की थी। वे चाहे सरकार के नाम से बाँटी गई हों और यह मतलब रहा हो कि लोगो को विश्वास दिला दिया जावे कि आगे चल कर एक खाना और एक धर्म होगा; या जैसा कि दूसरे लोगों का कहना है, कि उसका अर्थ लोगों को उत्साहित करके तैयार करना था और क्रमशः आने वाले समय के लिए सचेत हो जावें। कुछ भी हो, यह तदबीर भयानक थी और ऐसे लोगो में भ्रम पैदा करने वाली थी, जो कि पहले से इस भावना से

अनभिज्ञ थे। इसका प्रभाव देहातियो पर कुछ अधिक नहीं पड़ा। इसका कारण सरकार की ओर से इसकी रोक-थाम कर देना था। अब हम पता लगावे, तो इस परिणाम पर पहुँचेगे, कि आटे मे हड्डियों के सम्मिलित होने की ख़बर और चपातियो की जड़ एक ही स्थान से आरम्भ होती है। दोनो का कारण इस्लामी षड़यन्त्र कह देना ग़लत नहीं कहा जा सकता। हम देखते हैं कि हिन्दू सिपाही अपनी ग़लती पर शरमिन्दा होते हैं और मुसलमान सिपाहियों को भी लज्जित करते है, कि उन्होंने हम लोगों को बहकाया। इन काररवाईयो का दूसरा सबूत यह है, कि हमें इसलामी षडयन्त्र के सम्बन्ध मे तो कागज़ात मिले हैं, किन्तु कोई भी ऐसा काग़ज़ नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि हिन्दू भी षड़यन्त्र करके राज्य विप्लव पर उतारू थे अथवा हिन्दू पण्डितों ने भी ईसाइयो के नाश कर देने की आज्ञा दी हो। उनके पास कोई राजा गद्दी पर बैठाने के लिए नहीं था, तलवार की मदद से कोई धर्म फैलाने के लिए नहीं था। ऐसी दशा में आटे में हड्डी का मिलाना और चपातियों के बाँटने का षड़यन्त्र उनके ऊपर लगाना अन्याय होगा। इस इसलामी षड़यन्त्र में धैर्य और धूर्तता भी पाई जाती है। जब चपातियो का बाँटना जल्दी ही बन्द करा दिया गया, तो उसके स्थान पर दूसरा खेल खेला गया—आटे में हड्डियो का मिलाना क्योंकि यह चपातियों में आसानी से मिल सकती थी। अतएव अफवाह फैलाई गई—एक धर्म और एक खाना। षड़यन्त्रकारियों ने सोच लिया था, कि चपातियों

की बात का काफी प्रभाव होगा और बड़ी आसानी से उनका प्रचार होगा, इसीलिए हड्डी के आटे और चपाती की बात एक में मिला कर मशहूर की गई। फिर सिपाहियों मे यह उड़ाया गया कि ग्राण्ड ट्रङ्क रोड की दूकानो पर यही आटा मिलता है और वहाँ से कूच करते समय सिपाहियों को मजबूरन वही ख़रीदना पड़ता था। षड़यन्त्रकारियो की यही मशा थी और इसी लिए यह प्रचार किया गया, कि सरकार लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाना चाहती है। मेरा विचार है कि उन्हे अपने कार्य मे आशा से अधिक सफलता मिली। मैं ज़रूर कहूँगा कि चपातियों की बात से लेकर छोटी-छोटी बातों तक मे उनके षड़यन्त्र का भाव था और क्रान्ति-उत्तेजन की भावना थी।

क्रान्तिकारियो ने विप्लव के लिए कोई बात नहीं उठा रक्खी तथा उसकी तह मे साधारण बुद्धि नहीं काम कर रही थी, इसका सबूत उस समय के देशी समाचार-पत्रो से मिलता है।

हम देखेंगे, कि कितनी चालाकी से अपने ध्येय पर सदैव दृष्टि रक्खी गई। चपातियाँ, हड्डियों का चूरा और चरबी के कारतूस हम हिन्दुओं के लिए ही मान ले, लेकिन मुसलमानो के भड़काने के लिए कितनी सफाई के साथ कार्य किया गया—पहिला परचा "शाह ईरान की आज्ञा" से आरम्भ किया गया जो कि उसने तेहरान में सेनायें इकट्ठी करने के लिए दिया था। अख़बार आगे बयान करता है, कि विश्वसनीय सूत्र से मालूम हुआ है, कि दोस्त मुहम्मद ख़ाँ के विरुद्ध शाह-ईरान की एक चाल

है। सम्पादक का विश्वास है कि दोस्त मुहम्मद ख़ाँ के बहाने शाह-ईरान अङ्गरेज़ो से लड़ना चाहता है और तीनो शक्तियो मे सङ्गठन हो गया है जिससे उनकी विजय निश्चित है। दूसरा लेख २६ जनवरी, सन ५७ का है। सम्पादक अपनी बात को इस प्रकार आरम्भ करता है कि फ्रान्स व टर्की के बादशाह ने अभी तक अङ्गरेज़ो या ईरानियो मे से किसी का साथ देने की प्रतिज्ञा नही की है। दोनो ओर के दूत अपनी-अपनी प्रार्थना ले आते है। सम्पादक कहता है कि कुछ लोगों का विचार है कि फ़्रान्स और टर्की इस झंझट मे न पड़ेगे। लेकिन प्राय: लोगो की धारणा है कि ये राज्य ईरान की सहायता करेगे। और रूस के सम्बन्ध मे यह है, कि रूस ने अपनी तैय्यारियो को गुप्त नहीं रक्खा है, बल्कि खुले तरीक़े से ईरान की मदद करेगा और वस्तुत: रूस ही इस युद्ध का कर्ता-धर्ता है। वह ईरान की आड़ ले कर भारत से अङ्गरेज़ो को निकाल बाहर करने और स्वय अधिकार करने की इच्छा रखता है। रूस निश्चय ही भारत पर आक्रमण करेगा। केवल रूस और ईरान ही भारत की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि टर्की और फ़्रान्स भी इनकी सहायता के लिए तत्पर हैं। बेचारे अङ्गरेज़ों को काबुल के दोस्त मुहम्मद ख़ाँ तक के अफ़ग़ानों का सहारा नहीं है। सम्पादक महोदय को इस प्रकार के मित्रता-पूर्वक भीषण समाचार सुनाने दीजिए कि "सादिक़ुल अख़बार" के पाठक देखें कि भविष्य में क्या है? दूसरे लेख में हम देखते है कि शाह-ईरान ने अपने दरबारियो को वचन दिया है

कि वह उनको विभिन्न स्थानो का राज्य दान करेंगे। इनमे से किसी को कलकत्ता, किसी को बम्बई, किसी को पूना और दिल्ली पर बादशाह-हिन्द का अधिकार होगा—वह बादशाह-हिन्द, जो अभियुक्त के रूप मे हमारे सामने मौजूद है। अदालत को मालूम होगा कि 'सादिकुल अख़बार' की कई प्रतियाँ महल मे जाती थी। उनकी प्रसन्नता का अनुमान कीजिए, जो कि रूस की चार लाख सेना लेकर चढ़ाई करने के समाचार से होती थीं। देश की रक्षा के लिए ईरान को ख़बर भेजना आदि बातों पर ग़ौर कीजिए। इस ख़बर से केवल शाहज़ादा या महल के लोगो को ही प्रसन्नता न होती थी, बल्कि क़िले के सभी व्यक्तियो के चेहरे खिला देती थी।

सर थ्यूफिल्स मेटकाफ ने हमे बताया है, कि ईरानियों का हिरात तक आने की बात प्रत्येक के मुँह पर थी और अक्सर रूस के भी आक्रमण की चरचा होती थी। इस जमाने मे प्रत्येक अख़बार का प्रतिनिधि काबुल मे रहता था और विरोधी की गति-विधि का कल्पित विचार बताया करता था। वही गवाह कहता है, कि सिपापियो में ग़दर से ५-६ सप्ताह पूर्व ही यह ख़बर थी कि एक लाख रूसी उत्तरीय मार्ग से भारत आ रहे हैं, अब कम्पनी के राज्य का अन्त हो जाएगा। वस्तुतः रूस के आने की आम ख़बर थी—ऐसी झूँठी ख़बरों का विष अपना प्रभाव डाल रहा था। तो फिर एकाएक गदर का होना या चरबी के कारतूसों को ग़दर का कारण मानना हमे मूर्ख बनाना है।

"सादिकुल अख़बार" के लेख से हमे पता लगा कि दोस्त मुहम्मद अङ्गरेजो का छली दोस्त था और भीतर ही भीतर ईरानियों से मिला हुआ था। फिर यह बात बड़ी सफाई से लिखी है कि चार कारणो से शाह-ईरान अङ्गरेजो से युद्ध करना चाहते है। एक तो हिरात के लिए, जो कि किसी ज़माने मे हिन्दुस्तान का दरवाज़ा कहा जाता था; दूसरे रूसियों से छिपी हुई सहायता मिलने की आशा थी। तीसरे ईरान के बड़े लोग हिन्दोस्तान पर हमला करने के लिए तैयार हुए है और कहते है कि ईश्वर उन्हे विजय देगा, चौथे तमाम ईरान का जिहाद के लिए उठ खड़े होना। शकुन आदि भी इसलामी हृदय को आगे बढ़ाने मे सहायक होते है। अतएव 'सादिकुल अख़बार' के १५ सितम्बर, १८५७ ई० के अक मे यह है—"ज़िला हाँसी। स्थानीय समाचार हाल ही मे देहात से एक व्यक्ति आया है जिसने सम्पादक से कहा है, कि देहात मे कई स्थानों पर बे मौक़े होली जलाई गई है। इसका कारण यह है कि एक साथ ही तीन लड़कियाँ पैदा हुई हैं जो कि पैदा होते हीबोलने लगीं। एक ने कहा कि आने वाला वर्ष बड़ा कष्टदायक वर्ष होगा और बलायें समस्त जाति को कष्ट देंगी। दूसरी ने कहा कि जो ज़िन्दा रहेगा वह देखेगा। तीसरी ने कहा कि यदि हिन्दू इस अवसर पर होली जलाये तो वह कष्टों से बच सकते हैं। पर ईश्वर महान है, वह सब अच्छा करेगा। मुझे भय है कि पश्चिमीय लोग इन बातो पर विश्वास नहीं कर सकते। हिरात का ले लेना, ईरानी रईसों की युद्ध की

तैयारी और लड़कियो की बात-चीत ऐसी है, जिनकी ओर हम पश्चिमीय, निगाह भी नहीं डाल सकते। किन्तु यदि एशियाई भावो को भी हम अपनी ही निगाह से देखे, तो बड़ी भूल होगी। यदि हम सम्पादकीय विचारो पर ग़ौर करे तो देखेगे, कि वह किस प्रकार उन लोगो पर अपना प्रभाव डालते है जिनके लिए वे लिखे गये थे। उनकी भविष्यवाणी, शीरीं कब्ज़ का ईरान जाना, हसन अस्करी का स्वप्न, इस्लामी विश्वास—इन सबका परस्पर गहरा सम्बन्ध है। क्या अब भी हम नहीं समझ सकते कि किला और अख़बारी समाज से कितना सम्बन्ध था? यह सब क्या आकस्मिक थे? क्या यह सम्भव है कि एक पीरज़ादा का स्वप्न, दरबारियो के विचार और समाचार-पत्र की मन-गढ़न्त एक ही समस्या पर बहस करें? जिस चाल से हिन्दू सिपाहियों के भावो पर अधिकार किया गया है, वह हम देख चुके है। अब क्या हम नहीं पहिचान सकते कि यह बाते इस्लामी अहङ्कार और अङ्गरेजों के प्रति धार्मिक युद्ध को प्रगट करती है? क्या अङ्गरेजो के प्रति द्वेष उन लोगों के व्यक्तित्व से सम्बन्धित नही है? १९ मार्च को "सादिकुल अख़बार" मे लिखा गया कि पता लगा है कि "९०० ईरानी सिपाही अपने अफ़सरो के साथ भारत में आगये हैं और ५०० ईरानी सिपाही भेष बदले हुए दिल्ली में मौजूद हैं।" यह माना कि यह बयान सादिक नाम के एक व्यक्ति का है जो स्वयं भेष बदल कर रहता था और अपना असली नाम छिपाये था। किन्तु निस्सन्देह यह हाल भी उस

षड्यन्त्र का एक अश है और सम्पादक महोदय ने उसको छाप कर लोगों मे विद्रोह फैलाने का कर्तव्य पूरा किया है। सोचने की बात है कि शहर के मुख्य-पत्र मे एक गुप्त व्यक्ति का बयान बिना किसी सबूत के कैसे छापा जा सकता था ? मेरे ख़याल मे यह आता है, कि ईरानी षड्यन्त्र की बात तो कल्पित थी, इससे सम्पादक तथा उनके साथियो के गहरे षड्यन्त्र का भी पता लगता है। ध्यान रहे, कि जामा मसजिद मे चपकाए गये इश्तहार में भी सादिक खाँ का ही नाम था। वह मनगढ़न्त और ९०० सिपाहियों की बात परस्पर सम्बधित है, जो कि एक दूसरे की सहायक है। यदि कोई इश्तहार के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करता तो जवाब तैयार था कि इसका लाने वाला दिल्ली मे आने वाले और भेष बदले हुए ५०० ईरानियों में मौजूद होगा। यदि ईरानियों का आना विश्वसनीय न समझा जाता तो वह इश्तहार इसका सबूत था। इस बात पर जितना ही अधिक विचार किया जाता है, उतने ही अधिक स्पष्ट रूप से षड्यन्त्र पर प्रकाश पड़ता जाता है।

एलान के एक तरफ ढाल दूसरी ओर तलवार है, क्या यह कोई अर्थ नहीं रखते ? अफ़सरों का दिल्ली मे आने की बात कैसी है ? वह इश्तहार शुरू से अन्त तक ग़लत है और निश्चय है वह इस्लामी षड्यन्त्र का ही काम है। उसे दूसरी ओर सम्बन्धित करना ना मुनासिब है। फिर प्रश्न है कि एलान को कौन लाया ? किसने लिखा ? मेरी समझ मे सम्पादक महोदय इसका उत्तर दे

सकेंगे जिन्होंने इस लेख को प्रकाशित किया है। प्रगट होता है कि लेख उसकी इच्छानुसार है। उसके पास उसकी नकल है* और उसी से उस पर प्रकाश पड़ सकता है। निस्सन्देह उसे उसके लेखक का पता है।

मैं नहीं चाहता कि एक ही विषय पर अड़ा रहूँ। और समाचार-पत्रों को उद्धरण उपस्थित कर करके इस्लामी षड़यन्त्र के प्रमाण दिये जाऊँ; परन्तु इसमे ही इस्लामी षड़यन्त्र मुझे दिखाई देता है और दूसरी गवाहियों से भी इसका प्रमाणित करना मेरे लिए कठिन नहीं है। अस्तु, एक उद्धरण और है जिसे यहाँ न उपस्थित करना बहुत बड़ी भूल होगी।

१३ अप्रैल के अङ्क मे लेख है और सर थ्यू मेटकाफ की गवाही के अनुसार १५ दिन पूर्व मैजिस्ट्रेट के पास एक गुमनाम अर्जी आई थी कि शहर का कारमीरी दरवाज़ा अङ्गरेज़ो से छीन लिया जावेगा, क्योकि शहर का मज़बूत स्थान यही है जो कि शहर और छावनी को आपस मे मिलाता है। इस लिए जब कभी शहर मे दङ्गा होगा, तो सब से पहले इसी पर अधिकार किया जावेगा। सर थ्यू मेटकाफ कहते हैं, कि यद्यपि यह अर्जी कभी मिली नहीं किन्तु विश्वसनीय रीति से ज्ञात है कि लिखी अवश्य गई थी। और इस से उस समय के हिन्दुस्तानियो के विचारो का पता लगता है। अब कोई सन्देह नहीं रहा कि वह लेख भी इसी दिमाग़ से

* देखिए सादिकुल अख़बार का वह लेख, जिस में लिखा है कि मेरे दोस्त ने इस एलान की असली नक़ल ले ली है।

निकला था और इस लेख का सच्चा भाष्य था जिसे सम्पादक ने बेधड़क हो कर प्रकाशित कर दिया। यह चाल कितनी अक़्मन्दी की थी जिसमे कि भेद जानने वालो का कुछ इशारा मिल जावे। मगर जब वह सर्वसाधारण मे प्रगट कर दिया जाता है, सम्पादक लिखता है कि—"मैजिस्ट्रेट के इजलास में कई अर्ज़ियाँ आई हैं कि एक मास बाद काश्मीर पर आक्रमण हो जावेगा जिसकी दृढ़ता और सुन्दरता को किसी शायर ने ऐसे लिखा है "कि यदि एक मरी हुई चिड़िया काश्मीर पहुँच जावे तो उसके पर और डफने फिर जम आवेगे। यह पार्थिव स्वर्ग लिखने वाले के अधिकार मे आ जायगा।" प्रश्न किया जाता है कि दिल्ली के मैजिस्ट्रेट के यहाँ अर्ज़ी देने वाले काश्मीर पर कैसे अधिकार कर सकते है? यह साधारण बात है कि दिल्ली के काशमीरी दरवाज़े का नाम मुल्क काश्मीर के नाम मे छिपा दिया गया है और उसकी दृढ़ता व सुन्दरता को काश्मीर देश के नाम पर वर्णन किया गया है। मैं यहाँ पर यह ग़ौर करना नही चाहता कि मरे हुए और बाल तथा पर नष्ट हुए जानवर से उनका मतलब अभियुक्त से है या नहीं? पर इस मे सन्देह नहीं कि दरवाज़े पर अधिकार करने से नोचे हुए पर और डफ़ने पाना, यानी अपनी पिछली बड़ाई और प्रभुत्व पा लेना है। १३ अप्रैल को यह बयान करता है कि आज से एक मास बाद बड़ा विप्लव होगा। हुआ भी ऐसा ही। इसी स्थान पर अफ़सरों पर गोली चलाई गई। अतएव सिद्ध है कि "सादिकुल अख़बार" के सम्पादक को

अवश्य ही षड्यन्त्र का पता था, नहीं तो वह इतनी सच्ची भविष्यवाणी न कर सकता।

सम्पादक की उपर्युक्त समझदारी के लेख और जवॉबख़्त की बात अनुभव-रहित होते हुए भी एक दूसरे से सम्बन्ध रखते है और सचमुच आश्चर्यजनक हैं।

११ मई को हमला किया गया जिस की सूचना पहिले ही दी जा चुकी थी और उसके बाद वही हुआ जिसका कि जिक्र किया जा चुका है। अब भी क्या कोई कह सकता है कि इस विद्रोह की तह में कोई गहरी साज़िश नहीं थी?

अभियुक्त का षड्यन्त्र से गहरा सम्बन्ध है, इसका सबूत इतना ही नहीं है, बल्कि और भी है। मौजूर नाम का हब्शी, जो कि न केवल बादशाह का नौकर था, बल्कि सदैव साथ रहने वाला विश्वसनीय ख़िदमतगार था, मि० एवरेट को अलग ले जा कर कहता है, कि अपनी सेना समेत कम्पनी की नौकरी से अलग हो जाओ और बादशाह की नौकरी कर लो। क्योंकि जाड़े के दिनों में देश भर में रूसी ही रूसी दिखाई देंगे। मि० एवरेट को उसकी बेवकूफी पर हँसी आती है; लेकिन हमारे पास सबूत है कि यह कोई गहरी बात थी। अतएव उसकी दूसरी मुलाक़ात, जो कि उसके एक मास बाद हुई, जब कि ग़दर शुरू हो चुका था तब मौजूर कहता है "मैंने तुम से पहिले ही कहा था"। फिर ताकीद की और शीरींकब्ज का पूरा क़िस्सा बताया कि वह कैसे दिल्ली से चल कर क़ुस्तुन्तुनिया गया और मक्का

जाने का कैसे बहाना किया। उसकी इस व्याख्या से सिद्ध होता है कि मेरठ का दङ्गा ही ग़दर का कारण नहीं था, बल्कि यह जाल पहिले ही से फैल चुका था। अब कौन कह सकता है कि सेना और दिल्ली के निवासी मुसलमानो मे गहरा षड़यन्त्र नहीं था ? मि० एवरेट भी आख़िर ईसाई थे और उन्हे भी बाग़ियों ने अपनी ओर मिलाना चाहा। यदि उनके बदले कोई मुसलमान अफ़सर होता तो निश्चय ही वह शाही नौकरी को ही अच्छा समझता। जिस समय उनसे अङ्गरेज़ी नौकरी छोड़ देने के लिए कहा गया था उस समय मेरठ के कोर्ट मार्शल की ख़बर लोगों को मालूम नहीं थी। और उनसे कहा किसने था ? क्या एक अर्दली, चाहे वह मालिक का कितना ही विश्वासपात्र हो, बिना अपने मालिक की आज्ञा के एक रिसालदार तथा पूरी रेजिमेण्ट को गवर्नमेण्ट की नौकरी से अलग करा कर ख़ुद नौकरी दे सकता है ? इतने बड़े गिरोह को बादशाह के सिवाय और कौन नौकर रख सकता है ? मै आप लोगों से इस पर विचार करने की प्रार्थना करता हूँ, फिर देखे कि षड़यन्त्र मे अभियुक्त का सम्मिलित होना सिद्ध होता है या नहीं ? हमें मुकुन्द लाल सेक्रेटरी ने बताया है कि ३ साल पूर्व कुछ पैदल सिपाही, जो दिल्ली में रक्खे गये थे वे मुरीद (शिष्य) हुए। इस अवसर पर बादशाद ने सब को एक सूची दी जिसके अनुसार सभी एक दूसरे के शिष्य होते गये। स्वयं बादशाह भी उनमें सम्मिलित थे। उन्होंने सब को एक एक लाल रुमाल भी दिया। अब से तीन साल पूर्व शीरीं का ईरान जाना

भी सिद्ध हुआ है। मुसलमानो के षड्यन्त्र का आरम्भ भी उसी समय से हुआ। एक ही अवसर पर एक ओर भीषण विद्रोह दूसरी ओर शाही प्रतिष्ठा की बात हमे विश्वास दिलाता है कि इसके अन्दर कोई राजनैतिक चाल अवश्य थी। लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के एजण्ट ने इस चाल को खोल दिया है। गवाह कहता है, कि उस रोज़ बादशाह और सेना मे मेल बढ़ गया था। मै जानता हूँ कि जुर्म की सूची में पॉच बाते और बढ़ाई जानी मान ली गई है। पीरज़ादा का स्वप्न और उसकी भविष्यवाणी, शीरीं की कुस्तुन्तुनियाँ और ईरान की रवानगी, हिन्दुओ को विद्रोह के लिए तैयार करने का प्रयत्न; हिन्दुस्तानी अखबारो का मुसलमानो को जिहाद के लिए भड़काना और सरकारी सेना के हिन्दू सिपाहियो को राज-भक्ति से हटाने की कोशिश। क्या इन पॉचों बातो मे अभियुक्त के सम्मिलित होने का पता नहीं मिलता? इसका उत्तर 'हाँ' ही हो सकता है; तो भी एक बात शेष रह जाती है जो कि इन सब बातो से अधिक जोरदार है अर्थात् इन सब बातो में वे गुरु रहे या शिष्य? मै समझता हूँ कि सभी लोग सचमुच आन्दोलक थे—सरदार अथवा नेता रहे या अनुयायी, या केवल कठपुतली अथवा गुरु की सी चालों से धार्मिक कट्टरता की उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले। मै विश्वास करता हूँ कि कई लोग भक्ति की बात को ही मानेगे। इस्लामी कट्टरता ही सब से प्रथम कारण थी। इस विशेष धर्म की ईर्षा और कट्टरता अधिकार प्राप्त करने के लिए जोर कर रही थी। इसका साधन विद्रोही

षड़यन्त्र, इसके चतुर कार्य्यकर्ता अभियुक्त और प्रत्येक प्रकार का संभव अपराध इसका भयङ्कर परिणाम थे। देखा जाता है, धार्मिक और राजनैतिक यही दोनो बाते थी, जिन्होंने अभियुक्त को षड़यन्त्र के लिए तैयार किया। धार्मिक जोश और पक्षपात प्रत्येक स्थान पर पाया जाता है जैसा कि अर्जियाँ और कागज़ो से प्रगट है, और चमक रहा है; तथा जिसका कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके प्रभावशाली आक्रमण से छुटकारा प्राप्त करना बहुत ही कठिन देख पड़ता है। शाहज़ादा मिरज़ा अकुल्ला का अपने पुराने दोस्त को लूट लेना और बाद को अपने चाचा को क़त्ल करने के लिए आदमी भेजना इसका अत्युक्तिपूर्ण उदाहरण नहीं हैं। फिर एक मुसलमान अफ्सर मिरज़ा तकी बेग पेशावरी का, जो अङ्गरेज़ी सरकार के यहाँ एक ऊँचे पद पर नौकर थे, उन्होने एक किताब से नोट किया है कि एक क्रान्ति होगी और अङ्गरेज़ी राज्य का नाश हो जायगा। इससे भी बढ़कर दिल्ली मेगजीन के करीमबख्श की कार्यवाही थी जो कि फारसी पढ़ने का बेजा लाभ उठाकर गुप्त रूप से पत्र-व्यवहार करता है कि "मेगज़ीन मे चरबी के कारतूस बनाये गए हैं और इस सम्बन्ध मे सिपाहियों को अपने अङ्गरेज़ अफ्सरो का विश्वास न करना चाहिए।" देखा जाय कि यह शख्स कितना भयानक सिद्ध हुआ? जब बादशाह की सेना ने मेगज़ीन पर आक्रमण किया तो यह कैसा षड़यन्त्र रच रहा था? क्या उसका षड़यन्त्र में सम्मिलित होना सिद्ध नहीं है? प्रगट-रूप मे वह अङ्गरेज़ों का नौकर था और गुप्त-रूप से विप्लवियों का साथी!

अब मैं मुहम्मद दरवेश की अर्ज़ी का ज़िक्र करता हूँ, जो एक विचित्र पत्र है जिसे मिस्टर कॉलविन लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के पास भेजा गया था। वह एक मुसलमान की ओर से अङ्गरेज़ी सरकार के प्रति भक्ति थी। मुझे दुख है कि उसके साथ दूसरी अर्ज़ी को नही सम्मिलित कर सकता जो कि नबीबख्श की लिखी कही जाती है, जो बादशाह को लिखी गई थी। इसमें लिखा था "औरतो और बच्चो की हत्या नाजायज़ है। इस सम्बन्ध मे धार्मिक नेताओ की आज्ञा पूछना चाहिए।" अतएव जब से मैंने उसे अदालत में पेश किया है उस समय से मुझे उसके लिखे जाने मे सन्देह हो रहा है। सम्भव है कि दिल्ली पर अङ्गरेज़ी अधिकार हो जाने के बाद इनाम के लिए वह लिखी गई हो। उसके ऐसा ही होने का विश्वास, इसलिए होता है, कि नबीबख्श ऐसी हैसियत का व्यक्ति बादशाह को उपदेश और मत नहीं दे सकता कि सेना को पहले अपना क्रोध बादशाह पर उतारना चाहिए। नबीबख्श डीग मारता था कि उसने बादशाह को ऐसा लिखा। निस्सन्देह कुछ मिसाले ऐसी हैं, जिसमें मुसलमानो ने अङ्गरेज़ो के साथ अच्छा व्यवहार किया। वे थोड़ी ही होने के कारण मनोरञ्जक हैं। हम इससे अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि नबी (सलोवल्लेसलम) की शिक्षा का बुजुर्गों पर प्रभाव न पड़ा। और न ऐसी शिक्षा दी गई थी कि वह विद्रोह की ओर न झुकते। यहाँ तक कि यह इनका काम साधारण मनुष्यता से भी गिरा हुआ है।

अपनी इस बहस मे मैंने बहुत बार कहा है कि इस विद्रोह की तह में मुसलमानी षड़यन्त्र था और मैंने यह भी बताया है कि अभियुक्त का पद धर्म के एक अगुआ का सा है और इस षडयन्त्र में वे एक नेता के रूप मे सम्मिलित रहे हैं। मैंने यह भी बताया कि प्रेस और मुसलमानो ने मिलकर हिन्दुओं को भडकाया और विशेषकर सिपाहियो को उत्तेजित किया। नं० ३ लाइट केवेलरी के सिपाहियो का कारतूस लेने से इन्कार करना इसका सबूत है। इन ८५ सिपाहियो में अधिक मुसलमान थे जिनकी कोई जाति-पाँति न थी। इस दशा मे यदि गाय या सूअर की चरबी भी कारतूसों पर मिल गई होती तो भी धार्मिक दृष्टि से कोई आपत्ति इनके पास न थी। कप्तान मारटेन्यू कहते हैं कि अम्बाला के सैनिको मे जब कारतूस के सामले में बहस होती तो मुसलमान हँसते थे। इसी से सिद्ध होता है कि उनका मतलब खुला विद्रोह करना था। ऐसी दशा मे वह किसी प्रकार की क्षमा के अधिकारी नहीं हैं। यद्यपि इनकी शिकायतों को कोई प्रमाण नही है,तो भी यह तो ठीक ही है,कि उन्होंने हिन्दुओ को धर्म-भय दिला कर विद्रोह के लिए उत्तेजित किया। मैंने जो कहा कि 'उत्तेजित किया' इसका मेरे पास प्रमाण है। और यह ऐसी बात है जिसमें मुसलमान अपने दोस्तो की हमदर्दी न कर सके, हिन्दुओं को भी इसी चाल से उन्होंने साथ लिया। अतएव एक गवाह की बात बार-बार दुहराई जाती है कि लड़ाई के बाद तुरन्त ही हिन्दुओं ने मुसलमानो को धिक्कारा कि तुमने हमे

भड़काया। हम लोग धोखे मे पड़ गये कि क्या सचमुच अङ्गरेज़ हमारे धर्म पर आक्रमण करते है। हिन्दू सिपाहियो मे से बहुतों ने यह कहा कि यदि हमारी प्राण-रक्षा का वचन मिले तो हम लोग फिर अङ्गरेज़ी नौकरी करने को तैयार है। लेकिन इस के विरुद्ध मुसलमान सदैव यही कहते रहे कि सरकारी नौकरी से शाही नौकरी बहुत अच्छी है। मुल्क के राजा नवाब हमारी सहायता करेंगे और हम लोग अवश्य विजयी होंगे।

यदि हम समय-समय पर होने वाली घटनाओं पर दृष्टि डाले और विचार करे, तो पता लगेगा कि केवल मुसलमान ही विद्रोह के षड़यन्त्र मे थे। एक मुसलमान पीरज़ादा बनावटी स्वप्न और उसका कल्पित प्रभाव, एक मुसलमान बादशाह और उसके बुढ़ापे मे भी विद्रोह का सा भीषण दुस्साहसपूर्ण अपराध, ईरान और टर्की की सहायता प्राप्त करने के लिए एक मुसलमान दूत की रवानगी, अङ्गरेज़ी शक्ति के नाश होने की मुसलमानों द्वारा भविष्यवाणी, उसके स्थान पर मुसलमानी राज्य संस्थापन, मुसलमानो द्वारा निर्दयतापूर्ण हत्या, इस्लामी शासन के लिए जिहाद, मुसलमानी अख़बार द्वारा उत्तेजन, मुसलमान सिपाहियो का विद्रोह—इन सब बातों को देखने से मालूम होगा कि हिन्दुओं का नेतृत्व मुसलमानों ने ही किया।

इस्लामी षड़यन्त्र सिद्ध हो गया। मेरा यह अर्थ नहीं कि दूसरे षड़यन्त्र मेरी दृष्टि मे निर्दोष सिद्ध हो गये। यहाँ पर मैने केवल उन्हीं आदमियों को चुना है जो कि मेरी निगाह में सब से

अधिक जिम्मेदार सिद्ध हुए। इसके पहिले, कि बहस समाप्त करूँ, मैं कप्तान मारटीनर की गवाही से एक उत्तर सुनाना चाहता हूँ। प्रश्न हुआ कि क्या तुमने कभी सिपाहियों को यह शिकायत करते सुना कि अङ्गरेज़ पादरी हिन्दुस्तानियों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाते है ? तो उन्होंने उत्तर दिया "नही, अपनी आयु भर मे कभी नहीं। मेरा खयाल है कि उन्होंने इसका एक शतांश भी नहीं कहा।" मैं समझता हूँ कि कोई भी अफ़सर ऐसा नहीं है, जिसे सिपाहियों की थोड़ी बहुत आदत का पता न हो। कप्तान की बात से प्रगट होता है कि सिपाहियो को पादरियो की ओर से कोई भय न था। उचित रीति से ईसाई करने की नीति से सैनिक तथा जनता को कोई शिकायत नहीं होती। यदि उपदेश के द्वारा धर्म-प्रचार किया जाए तो किसी को आपत्ति नहीं है। ईसाइयों ने जो नीति पकड़ी थी उससे हिन्दुस्तानियों को कोई शिकायत न थी। और उसे यदि ठीक ढङ्ग से रक्खा जाए, तो लोगों के सामने का अँधेरा दूर हो जाएगा और पता लगेगा कि ईसाई धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। यह ऊपरी रूप जो अलग होता तो हिन्दुओं को भय की कोई बात न होती। वे देखेगे कि ईसाई धर्म का ज़बरदस्ती प्रचार असम्भव है। उनके हृदय से विद्रोह फैलाने वाला यह विचार दूर हो जाना चाहिये। यदि मैं इसी भाँति कहता चला जाऊँ तो वह राज्य की नीति पर बहस करना होगा। अतः, मैं अदालत को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं मि० मरफ़ी अनुवादक का बड़ा कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरे

कार्य को सरल बना दिया। कागज़ी और ज़बानी गवाहियो का क्रम बनाना, उनका अनुवाद करना, उनके फारसी और उर्दू की पूर्ण योग्ता का प्रमाण है। इन कागज़ों के अतिरिक्त और भी जो नोट है, जिनका अनुवाद उन्होने बिना मेरे कहे ही किया, मै उनकी इस कृपा के लिए आभारी हूँ।

दिल्ली—६ मार्च १८५८ ई०

(हस्ताक्षर) एफ़. जे. हेरियट, मेजर
डिप्टी एडवोकेट जनरल, व सरकारी वकील

अदालत जूरियों की राय के लिए उठ जाती है

*   *   *

अदालत उन गवाहियों पर एक मत है कि बादशाह उन अभियोगो के अपराधी हैं जो कि कहे गये हैं।

दिल्ली, ६ मार्च सन् १८५८ ई०।

(हस्ताक्षर) एम० डॉस
लेफ्टेनेण्ट कर्नल, प्रेज़िडेण्ट

(हस्ताक्षर) एफ़० जे० हेरियट, मेजर
डिप्टी जज एडवोकेट जनरल

मञ्जूर किया गया और निश्चित रक्खा गया।

सहारनपुर कैम्प, ६ अप्रैल १८५८ ई०।

(हस्ताक्षर) एन० पेनी, मेजर जनरल
कमाण्डिङ्ग मेरठ डिवीज़न

अदालत ३ बजे से अनिश्चत समय के लिए उठ गई।

भूतपूर्व बादशाह-दिल्ली के मुक़दमे का परिशिष्ट अंश

हकीम एहसन उल्ला ख़ाँ भूतपूर्व बादशाह-दिल्ली के शाही हकीम की गवाही

जब लॉर्ड एलनबरा गवर्नर जनरल की आज्ञा से बादशाह को भेंट स्वीकार करने की मनाही कर दी गई तो वह दुखी रहने लगे। पहले तो उन्होंने इस आज्ञा के विरुद्ध इङ्गलैण्ड को लिखा। फिर सदैव उस आज्ञा की शिकायत और विरोध करते थे। वह बहुत दुखी थे। उनकी इच्छा थी, कि छोटा लड़का जवाँबख़्त उनका युवराज हो। वास्तव मे यह अधिकार बड़े लड़के मिरज़ा फ़तेहुलमुल्क का था। उन्हो ने बादशाह की राय का विरोध किया। कुछ दिनों बाद मिरज़ा सुलेमान शिकोह के पोते मिरज़ा हैदर अपने भाई मिरज़ा मुराद के साथ लखनऊ से आये। उन्होंने बादशाह को लेफ़्टिनेण्ट गवर्नर को यह लिखने की सलाह दी, कि बादशाह ने शाहज़ादों को गवर्नमेण्ट ऑफ़िस के लिए एजण्ट बनाया है। मगर गवर्नर के एजण्ट ने उसे स्वीकार न किया, क्योंकि शाहज़ादों को ऐसे काम पर नियुक्त करने का नियम न था। जाते समय शाहज़ादे अपने साथ कुछ काग़ज़ात लखनऊ लेते गये, जिन पर शाही मोहर थी। इन शाहज़ादों का रनिवास में आना-जाना बहुत

था। लखनऊ मे मिरज़ा हैदर ने शाह अब्बास की दरगाह पर एक झण्डा बादशाह की ओर से लगवाया और दरगाह के पुजारी को शाही मोहर लगा और पेन्सिल का लिखा एक परचा दिया। इसमे लिखा था कि बादशाह ने शिया सम्प्रदाय के उसूल स्वीकार कर लिये हैं। यह ख़बर सुन्नी सम्प्रदाय के दो-तीन शाहज़ादो से मिली। कई सुन्नियों की अर्ज़ियो से भी यही बात मालूम हुई। यह अर्ज़ियाँ बादशाह को दी गई थी। उनमें से मैं निम्नलिखित लोगो को जानता हूँ। दिल्ली के अमीरुर रहमान ख़ाँ, जो कि लखनऊ मे रहने लगे थे, बादशाह का भूतपूर्व नौकर शेदीबुलाल जिसने बाद को लखनऊ मे नौकरी कर ली थी। जब यह बात दिल्ली मे मालूम हुई तो कई मुल्ला बादशाह के पास आए और प्रार्थना की कि हमे कारण बताया जावे। बादशाह ने कहा कि मिरज़ा हैदर ने अपने हाथ से कुछ कागज़ लिखकर उन पर शाही मोहर लगा ली है और बादशाह ने भी एक आज्ञा-पत्र दरगाह के पुजारी को लिखा है जिस में लिखा है कि वह शिया समुदाय से प्रेम करते हैं और जो प्रेम न करे वह मुसलमान नहीं है। बाद को बादशाह की प्रार्थना पर लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने उस आज्ञापत्र की नक़ल लखनऊ से मंगवाई। उसमे वही लिखा था, जो अर्ज़ियो मे प्रगट किया गया था। उस समय यह विश्वास कर लिया गया कि बादशाह ने दरगाह के पीर के अलावा अवध के नवाब को भी कुछ लिखा होगा, क्योकि वह शिया है और मिरज़ा हैदर ने अवश्य ही उनसे मिलकर राज्य जीतने की आशा दिलाई होगी।

एक साल बाद विश्वसनीय रीति से पता लगा, कि मिरज़ा नजफ़ ईरान गया है। वह मिरज़ा हैदर का भाई और बादशाह का भतीजा था। मौलवी बकर की बताई हुई यह बात भी समाचार-पत्रों मे प्रकाशित हुई, कि शाह-ईरान ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैने मिरज़ा नजफ के गहरे दोस्त मिरज़ा अलीबख़्त से पूछा कि मिरज़ा नजफ बादशाह का कोई पत्र शाह ईरान के पास ले गए है ? तो उसने 'हाँ' कहा। पत्र का आशय यह था, कि बादशाह ने शिया धर्म स्वीकार कर लिया है, आप सहायता दीजिये। बादशाह ने इस पत्र मे अपनी करुण दशा का वर्णन किया था और लाचारी बताई थी। अलीबख़्त ने यह भी बताया कि अब तक कोई उत्तर नही आया है। कुछ मास बाद शीरी ने हज की तैयारी की और आज्ञा माँगी। हसन अस्करी की सिफ़ारिश से आज्ञा मिल गई और राह ख़र्च भी मिला। इसके कुछ मास बाद अङ्गरेज़ी सरकार के नौकर जाटमल ने हम से पूछा कि क्या शीरीं सचमुच हज करने गया है ? उसने यह भी कहा कि मालूम होता है कि वह ईरान गया है। मैंने जबाब दिया कि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ख़्वाजा-सरा लोगो से पूछने पर पता लगा कि वास्तव मे वह ईरान गया है और पीरज़ादा अस्करी के द्वारा उसे कुछ काग़ज़ात दिये गये हैं जिसमे शाही मुहर लगी है। इससे साबित होता है कि शीरीं मिरज़ा नजफ के पास पिछले पत्र का उत्तर लाने के लिए गया है। यह तमाम बातें मुख़्बिरों से गुप्त रक्खी गई थीं। (मैं भी

उनमे सम्मिलित था) क्योंकि बादशाह का धर्म मिरज़ा हैदर ने बदलवा दिया था। बादशाह शाह-ईरान और बूशहर की सभी ख़बरें सुनने को उत्सुक रहते थे।

मिरज़ा हैदर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि बादशाह का ख़ास रिश्तेदार-भतीजा था और लखनऊ से १ हज़ार रुपया मासिक वज़ीफा पाता था। वह स्वय शिया था और उसके बाप और दादा भी शिया थे। उनके मज़हब मे यह बात बड़े पुण्य की मानी जाती है, कि दूसरे मज़हब वाले को अपने मज़हब मे मिला ले। इसके साथ ही सांसारिक लाभ यह था, कि तीन बादशाह, लखनऊ, ईरान और दिल्ली एक ही सम्प्रदाय के हो जावे। इसमे सन्देह नही कि शाह-ईरान को पत्र भेजने की सलाह मिरज़ा हैदर ने ही बताई थी। उसमे उसका अपना लाभ भी था। और यह भी खयाल था कि मिरज़ा नजफ के ईरान पहुँचने के पहिले ही बादशाह के शिया हो जाने का समाचार अख़बारो द्वारा शाह-ईरान को मालूम हो जावे जिसमे वह मिरज़ा की ख़ातिर करें। बहादुरशाह अपने राजनैतिक विचारों को गुप्त रखने की बहुत कम परवाह करते थे। साधारण नौकर भी इन पर अच्छा प्रभाव रखते थे। बादशाह अपने बेगमों को भी राजनैतिक बातो में सम्मिलित करते थे और उनसे सलाह लेते थे। ज़ीनत महल को प्रसन्न करने के लिए ही जवाँबख़्त को युवराज बनाना चाहा था। यद्यपि वह बच्चा और इस पद के योग्य न था। ख़्वाजा-सरा लोगों को भी तमाम बातों का

पता था, क्योंकि उन्हे कहीं जाने की रोक-टोक न थी। वह उनके एकान्त स्थान मे भी जा सकते थे। महबूब अली ख्वाजा-सरा उनका इस सम्बन्ध मे मुख्तार-सा था। मैंने यह कभी नहीं सुना कि शाह-ईरान वाले पत्र मे देशी सेना को भड़काने की बात लिखी गई थी। मेरा ख़याल है कि ऐसा नहीं किया गया होगा। बादशाह ने शाह-ईरान से मित्रता करने का ही इरादा किया था। मुझे ख्वाजा-सरा लोगों से मालूम हुआ कि उन पत्रो पर शाही मोहर लगा कर शीरीं को दी गई कि मिरज़ा नजफ को जाकर दे और पहले वाले पत्र का उत्तर लाये। मै समझता हूँ कि शीरीं वाले ख़त मे कोई नई बात नहीं थी, यदि होती तो ख्वाजा-सरा ज़रूर बताते। शीरी ईरान को चल दिया उसके बाद अख़बारो मे छपा कि मिरज़ा नजफ ईरान पहुँच गये। शीरीं के जाने के एक साल बाद अवध का राज्य अङ्गरेज़ी राज्य मे मिला लिया गया और शीरीं के जाने के बाद ही हनुमानगढ़ी मे उपद्रव हुआ।

बहादुरशाह सरकार की इच्छानुसार नहीं थे। सरकार का ख़याल था कि उनकी मृत्यु के बाद शाही किले को उनके परिवार से ख़ाली करा लेंगे। मिरज़ा फतेहुलमुल्क को युवराज पद मिल जाने के बाद सरकार का यह विचार प्रगट हुआ। इससे बादशाह प्रायः कहा करते कि मिरज़ा फतेहुलमुल्क (बादशाह इनके युवराज बनाने के विरोधी थे) को प्रसन्नता प्रगट करने का अवसर नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उन्हे न तो कोई अधिकार रहेगा और न क़िले में रहने पावेंगे।

ईरान की लड़ाई के समय कुछ शाहज़ादों का ख़याल था, कि यदि रूस ने ईरान की मदद की तो अङ्गरेज़ो की अवश्य पराजय होगी और ईरानी ही भारत के शासक होंगे। बादशाह का भी यही मत था। मैंने कभी नहीं सुना कि मिरज़ा नजफ ने ईरान से कोई पत्र दिल्ली पहुँचाया। यदि ख़बर भेजी भी होगी तो सीधे अपने भाई मिरज़ा हैदर के पास लखनऊ भेजी होगी। बादशाह को ईरान से सहायता मिलने की आशा थी इसीलिए उन्होंने देशी नरेशो को साथ मे लेने का प्रयत्न नहीं किया। इसका कारण यह भी था कि मिरज़ा हैदर जब से गया तब से लौट कर नहीं आया। यही व्यक्ति षड्यन्त्र का सूत्रधार था। इसी ने पहिले ईरान को पत्र भेजने की सलाह दी थी। बादशाह लॉर्ड एलनबरा के विरोधी थे क्योकि उन्होंने मिरज़ा जवाँबख़्त को युवराज न बना कर फतेहुलमुल्क को यह पद दिया। अङ्गरेज़ी राज्य अथवा किसी और सरकारी नौकर के वह दुश्मन न थे। ईसाई धर्म से अलबत्ता उन्हे घृणा थी। मुरीद बनाने के कारण बादशाह धार्मिक दृष्टि से अधिक सम्माननीय समझे जाते थे। केवल सैनिक ही नहीं, बल्कि हज़ारो आदमी उन्हे अपना नेता मानने लगे थे। यह पुरानी रिवाज है। बादशाह के पिता भी मुरीद बनाया करते थे। लाल रुमाल देना बादशाह ने स्वय शुरू किया था। दिल्ली के पीरों ने (जो कि दिल्ली के बादशाहों के आध्यात्मिक गुरू थे) लोगों को यह बताया था, कि बादशाह

आध्यात्मिक बातों में दुनिया मे आध्यात्मिक खलीफा है और उसकी शागिर्दी बिल्कुल ही उचित है।

(मेरे नाना हज़रत ख़्वाजा गुलाम हसन साहब ने एक रोज़ हकीम साहब के सामने बादशाह से कहा था कि बादशाह इसलाम के ख़लीफ़ा का दरजा रखता है। मगर यह कोई शिक्षा न थी और स्वयं बादशाह भी इस बात को जानते थे। यह इसलाम का निश्चित मत है। ख़्वाजा हसन निजामी)

इस के सिवाय इसमे एक लाभ और है कि मुरीद अपने गुरू की प्रत्येक आज्ञा—सांसारिक अथवा आध्यात्मिक—मान लेता है। सब से पहले-पहल बहादुरशाह के पिता ने ही बादशाहो को शिष्य बनाने की रिवाज डाली। उन्होंने बहुत लोगों को मुरीद बना लिया था। वह अपने शिष्यो को केवल एक क्रम मे कर लेते थे। मैंने नहीं सुना कि बादशाह के मुरीदो ने कभी उनके यहाँ नौकरी भी की हो। ग़दर के पहिले कोई मुरीद नही आया और न किसी को लाल रूमाल दिया गया। इसके बाद दिल्ली में रहने के दिनो मे ५ मास तक कोई सिपाही मुरीद होने के लिए नहीं आया, बल्कि मिरज़ा मुग़ल के ज़ब्त किये काग़ज़ों में भी किसी मुरीद की अर्ज़ी नहीं पाई गई और न उसका ज़िक्र ही पाया गया। यह काग़ज़ात मै देख चुका हूँ। कारतूस की घटना से ५ मास तक कोई मुरीद होने नहीं आया। यदि आता तो मुझे पता होता। मुसलमान ही हमेशा मुरीद हुए थे और किसी जाति का कोई मुरीद नहीं हुआ। मैंने नहीं सुना

कि बादशाह ने देशी सैनिको से कोई पत्र-व्यवहार किया हो। लेकिन जब कभी आपस मे लड़ाई होती तो बड़ी चिन्ता के साथ वहाँ का हाल पूछते और वह ब्रिटिश राज्य से नाखुश थे इसलिए उनकी हानि और हार की ख़बरे शौक से सुनते थे। उनका ख़याल था कि अङ्गरेज़ो के सिवाय जो कोई भी यहाँ राज्य करेगा वह उन्हे शाही ख़ानदान मे होने के कारण इज़्ज़त से देखेगा। लेकिन कुछ दिनो बाद उन्हे पता लग गया कि अङ्गरेज़ी राज्य के साथ उनका सौभाग्य भी चला जाएगा।

मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि पञ्जाब की जब्ती के बाद भत्ता बन्द कर देने के कारण देशी रेजिमेण्ट में जो विद्रोह हुआ था उसकी ख़बर बादशाह को पहुँची थी। मुझे वह महीना याद नहीं है, जब कि कलकत्ता रेजिमेण्ट ने सब से पहले चरबी के नये कारतूस लेने से इनकार किया था और उसकी ख़बर बादशाह को मिली। मुझे इतना याद है, कि कलकत्ता के किसी अख़बार से यह सूचना मिली थी और जब कारतूसो की स्थान-स्थान पर चरचा फैली तो यह अनुमान किया गया था कि जितनी अधिक चरचा होगी उतनी ही अधिक उत्तेजना देश के कोने कोने मे फैलेगी और देशी सेना अङ्गरेज़ों का नाश करके राज्य को उलट देगी। उस समय बादशाह ने प्रगट किया था कि उनकी दशा अच्छी होगी क्योंकि जो शक्ति राज्य का भार लेगी वह उनकी इज़्ज़त करेगी। शाही वंश के शाहज़ादा कहा करते थे कि रुपये की कमी के कारण सेना या

तो नैपाल चली जाएगी या ईरान, लेकिन बादशाह के पास न ठहरेगी।

यद्यपि नये कारतूसों का चलन होना ही बगावत का कारण माना गया है किन्तु बात यह नहीं थी। देशी सेना के बहुत से लोग विद्रोह का प्रयत्न करते थे, क्योंकि वह अङ्गरेज़ो से नाराज़ थे और कहते थे, कि उनके साथ ज़बरदस्ती का व्यवहार किया जाता है। नये कारतूसों का बहाना पाकर उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ण की। उन्हीं बाग़ियो ने अपने स्वार्थ के लिए धार्मिक बातो की ओट मे सेना को अङ्गरेज़ी राज्य के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उन लोगो का विश्वास था, कि उन्हीं के बल पर राज्य स्थापित है और सरकार उनसे नही लड़ सकती। सर्व-साधारण मुख्य कारण से अनभिज्ञ थे और सोचते थे कि सरकार ने उनके धर्म पर आघात किया है। और सचमुच यही बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कमाण्डर-इन-चीफ ने प्रण कर लिया था कि दो साल मे तमाम देश को ईसाई बना लेगे और इस कारण विद्रोहियो की चाल चल गई और प्रजा ने उस बात को सच माना।

मेरे विचार मे देशी सेना बहुत दिनों से अङ्गरेज़ो के विरुद्ध थी। नए कारतूस न भी निकलते, तो भी वह विद्रोह का दूसरा बहाना खोज निकालती। क्योंकि यदि सिपाहियो को केवल धार्मिक कारण* ही कष्ट-दायक थे, तो वह नौकरी छोड़ देते और यदि नौकरी ही करनी थी तो विद्रोह न करते।

---

* मानव विचार कभी-कभी पवित्र होते हैं। सिपाहियों को

बादशाह का ख़याल था कि सरकार धर्म में हस्तक्षेप करती है किन्तु मै समझा देता था कि वह बदमाशो की उड़ाई हुई ख़बरे है, अङ्गरेज़ बुद्धिमान् है और ऐसा कभी न करेगे जिसमे धर्म मे हस्तक्षेप हो। वह सैनिको की इज्ज़त करते हैं। उन्हे कभी दुखी न करेगे। जब मै समझाता तो बादशाह मुझसे सहमत हो जाते। मगर फिर मुसाहिबो के बहकाने मे आ जाते थे।

मेरे सामने मेरठ से कोई समाचार नहीं आया। इतवार को सवेरे लाहौरी दरवाज़े मे नियुक्त एक वालन्टियर सिपाही आया और दीवाने-ख़ास के नौकरो से कहा कि मेरठ के सिपाही विद्रोही हो गये है और शीघ्र ही दिल्ली आने वाले हैं। इसके एक घण्टा बाद ही दिल्ली की रेजिमेण्ट क़िले मे घुस आई और बाद को मेरठ की सेना भी आ गई।

मेरे सामने कभी यह चरचा नहीं हुई कि मेरठ मे कारतूस लेने से इनकार करने के कारण सिपाहियो को कोर्टमार्शल किया गया है। सम्भव है कि उसके ५-६ दिन बाद अख़बारो से मालूम हुआ हो। मुझे यह विश्वास नहीं है, कि ठीक बात की जाँच करने के लिए बादशाह की ओर से कोई आदमी मेरठ गया हो। और न मैने यह सुना कि ज़ीनत महल ने ही किसी

विश्वास था कि उनका धर्म ख़तरे में है और इसी लिए वह उठ खड़े हुए। यदि नौकरी छोड़ देते तो क्या होता? धर्म और पद उनको ऐसा करने से रोकते थे।

ख़्वा० हसन निज़ामी

को मेरठ भेजा। उस समय बादशाह को आश्चर्य हुआ, जब कि सेनाएँ एक दम से उनके पास आ गई। बिना सूचना दिये यह लोग कैसे आ गये। तो भी जब से कारतूसों की बात छिड़ी थी, तब से यह धारणा हो गई थी, कि कोई न कोई आफत अवश्य आवेगी। जिस रोज़ सेना आई थी उसी रोज़ शाम को मै ने बादशाह को समझा दिया था कि ऐसे लोगो से भलाई की आशा मूर्खता है, जिन्होने अपने मालिक से विद्रोह किया हो। उसके बाद मैंने बादशाह की ओर से लेफ्टिनेएट गवर्नर को लिख दिया था, कि सैनिकों ने अपने अफ़सरो को मार डाला है और बादशाह की लाचारी बताकर सहायता की प्रार्थना की थी। सवेरे मुझे बात करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि किले में सेनाएँ भरी पड़ी थीं। बादशाह को बागियों के आने की पहले से सूचना न थी। अतएव जब मैंने वकील ग़ुलाम अब्बास से किलेदार का सन्देशा आकर कहा तो बादशाह ने बिना बहाना किए तुरन्त ही दो पाल्की और दो तोपे भेजने का हुक्म दे दिया। कोई नहीं बता सकता कि चपातियाँ क्यों बाँटी गईं और सब से पहले किसने इनकी शुरूआत की। क़िले के आदमी भी इस सम्बन्ध मे कुछ न जानते थे। मैंने स्वयं बादशाह से इस पर बात-चीत नहीं की। लेकिन और लोग उनके सामने इसकी चर्चा करते थे और आश्चर्य करते थे कि क्या भेद है? मैं समझता हूँ कि यह अफवाह सेना में अवध के इलाक़े से आरम्भ हुई। पहले मैं बड़े आश्चर्य में था पर मेरा ख़याल

था कि यह किसी बड़े भेद से सम्पर्क रखती है। कुछ लोगो का ख़याल था कि इनका श्रीगणेश सेना से ही हुआ। कुछ का विश्वास था कि इसमे कुछ जादू है क्योंकि वह पूरे देश मे फैल गई थी और यह पता न लगा कि आरम्भ कहाँ से हुआ और किसने आरम्भ किया। कुछ का यह अनुमान था कि यह किसी धार्मिक व्यक्ति का कार्य है जिससे लोगो का धर्म सुरक्षित रहे, क्योकि सरकार धर्म बिगाड़ना चाहती थी।

मुझे सेना के अफ़सरो से पता लगा था कि उनके विद्रोह का कारण चरबी के कारतूस और हड्डी मिला आटा है। सरकार लोगों का धर्म लेना चाहती थी और इसी लिए वह लड़ने पर तैयार हुए। लेकिन मैंने हैदर हसन नाम के आदमी से बात करने पर पता पाया कि सैनिक यह कहते थे कि अगर हम लोग एक मत रहे तो अङ्गरेज़ी सेनाएँ हमे हरा न सकेगी और हम लोग एक दिन राज्याधिकारी हो जाएँगे। हैदर देशी सिपाहियों का गहरा मित्र था। मै समझता हूँ कि सिपाहियो ने राज्य के लिए विप्लव किया और धर्म की बात एक बहाना मात्र था। यदि वह धर्म के लिए लड़ते होते तो लूट न करते और विचित्र अत्याचार न करते और वह केवल अङ्गरेज़ों से ही लड़ते। विद्रोह के दिनो में सैनिक प्रायः कहते थे कि वह देश के शासक हैं और शाहज़ादो को सूबो का सूबेदार बनायेगे। नं० ३७ देशी रेजिमेण्ट ने कहा कि उन्होने गदर के पहले ही मेरठ वालों से राय ले ली थी और तमाम छावनियो को पत्र

द्वारा सूचना दे दी थी कि सब दिल्ली में आकर एकत्रित हों। उस सेना की ऐसी बातो से मेरा ख़याल हुआ कि दिल्ली के सिपाहियों के पास जो पत्र आते थे उन मे ऐसी ही बाते होती होंगी। दिल्ली की बाग़ी रेजिमेण्ट ने कई और रेजिमेण्टों को अपने साथ सम्मिलित होने के लिए लिखा था। और बादशाह ने विद्रोही सिपाहियो के कहने से नीमच, फिरोज़पुर आदि स्थानो की सेनाओ को आने के हुक्म निकाले थे। बाग़ियों के पत्रो का आशय प्रायः यही होता था कि "हम लोग यहाँ आ गये हैं क्या तुम भी अपने वादा के अनुसार यहाँ आओगे ?" बाग़ियों की प्रार्थना पर बादशाह मुशियो को हुक्म दे देते थे कि जैसा यह कहे, लिख दो। सेना के विद्रोह के सम्बन्ध में मै और कुछ नही जानता। जो पता था वह कह दिया। विद्रोह के पूर्व ही सेनाओं ने तय कर लिया था, कि अपनी-अपनी छावनी के अङ्गरेज़ पुरुष व स्त्रियो को मार डालेगे। मै उनके प्रबन्ध को व्याख्या सहित नही जानता। इतना जानता हूँ, कि उन के उपाय विद्रोह आरम्भ होने के अवसर पर ही निश्चित नहीं हुए थे।

मैंने यह नहीं सुना कि विद्रोहियों ने विद्रोह की पहले से ही तारीख तय की थी। यदि ऐसा होता तो पत्रो मे अवश्य ही इसकी चर्चा होती। पत्रों में ऐसी कोई बात न थी कि "तुम ने अमुक तारीख़ को विद्रोह करने का वचन दिया था लेकिन अब तक नहीं आये। इसलिए तुम ने अपना वचन पूरा नहीं किया।" मैंने जिस विप्लव की बात कही है वह मेरठ के लिए है। मेरा विचार

है कि विप्लव अकस्मात् नहीं हुआ, बल्कि बहुत समय पूर्व से इसका षड्यन्त्र था। मेरठ मे अकस्मात् विद्रोह हो जाने का कारण यह होगा कि उनके अङ्गरेज़ अफ़सरो के बदला लेने का भय था। अतएव केवेलरी नम्बर ३ के अफ़सर गुलाबशाह ने अकर यहाँ कहा था, कि अङ्गरेज़ो ने सेना से हथियार ले लिये है और सवारो को कैद कर लिया है। नई कारतूसो के सिवाय सिपाहियों को और भी कई शिकायते थीं जिसके कारण उनमे गवर्नमेण्ट के प्रति अश्रद्धा हो गयी थी। सिपाहियो को छुट्टी कम मिलने लगी थी, भत्ता बन्द कर दिया गया था, सेनाएँ समुद्र पार भेजी जाती थी, आदि आदि। किन्तु सब से बड़ा कारण उन्होने नये कारतूसो का जारी होना बताया है। उनकी और तकलीफो से अधिक जोश नहीं फैल सकता था, इस लिए कारतूसों के बहाने से धार्मिक जोश भड़काया गया और अनजान लोगो को यही विश्वास रहा कि यह लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। विद्रोही सरकार को बड़े भद्दे शब्दो मे पुकारते थे। उन्हे काफिर (ईसाई) आदि नामो से याद करते थे। वह प्रायः कहा करते थे कि अङ्गरेज़ किसी रईस की ज़मीन न बचने देंगे और न उनके साथ कृपापूर्ण व्यवहार करेंगे। देशी सेना मे हिन्दू और मुसलमान दोनो अङ्गरेज़ों से अप्रसन्न थे। लेकिन शहर मे हिन्दुओ की अपेक्षा मुसलमान अधिक नाराज़ थे। उसका सब से बड़ा कारण यह था, कि बकरीद के दिनो में गौकुशी पर दङ्गा हो गया था और स्थानीय हाकिमों ने मुसलमानों के विरुद्ध फैसला किया था। इसके सिवा यह भी

मशहूर था कि अङ्गरेज़ सूअर का गोश्त खिला कर हिन्दुस्तानियों को ईसाई बना रहे हैं। बाद को यह ख़बर मिली कि नम्बर ११ पैदल के सिपाहियो ने अपने कार्यों का प्रायश्चित किया और उन्होने रेजिमेण्ट से नाम कटा लिया है। मगर असल में बात यह थी, कि उन्होंने तनख़्वाह बढ़ाने के लिए प्रार्थना की थी, वह प्रार्थना अस्वीकार हुई और इस पर सब ने नौकरी छोड़ दी। किले वालो अथवा शाहज़ादों को पता नही था, कि दिल्ली वालन्टियर रेजिमेण्ट के सिपाहियो ने मेरठ की सेना से षडयन्त्र किया था। यह उस समय पता चला, जब बागी सेना के अफ़सरों ने दिल्ली मे इसकी चरचा की। मेरी समझ में विद्रोहियो और देशी रईसों मे ग़दर के पहले कुछ पत्र-व्यवहार नही हुआ। यदि ऐसा होता, तो ग़दर के बाद लिखे गये पत्रो मे उसकी चरचा होती और विद्रोह होने पर सिपाहियो के जत्थे उन रियासतो मे चले जाते। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। इस लिए मेरे विचार में सिपाहियों ने अपनी इच्छा से ही विद्रोह किया। क्योकि यदि औरों से षड्यन्त्र होता, तो या तो वही लोग आकर सम्मिलित होते, या यह, कि उन्हे अपने साथ के लिए बुलाते। देहात वालों पर सैनिक विद्रोह का कुछ भी प्रभाव न हुआ। क्योंकि यदि प्रभाव होता भी तो सैनिक उनके साथ दया का व्यवहार करते, उन पर अत्याचार न करते और न उन्हें लूटते। विद्रोह करने के पूर्व सैनिक दिल्ली के मुसलमानो से भी मिले हुए न थे, यदि मिले होते तो वह उनके साथ यह व्यवहार न करते, जैसा कि उन्होंने किया।

ग्राम-निवासियो पर विद्रोही सेनाओं का कुछ भी प्रभाव न था। अन्यथा वह उनसे बहुत नर्मी से व्यवहार करते, न कि उनके मकानो की लूट मार और उन पर अत्याचार और कठोरता का व्यवहार करते। इस विप्लव को उठाने के पहले विद्रोही लोग दिल्ली के मुसलमानो से मिले हुए नही थे। अगर मिले हुए होते, तो दिल्ली के मुसलमानो पर ऐसा जुल्म न करते, जैसा कि उन्होंने किया।

शहर के छोटे आदमियों को आन्दोलन की आवश्यकता न थी। उस समय की हलचल से ही वह सिपाहियो के साथ सम्मिलित हो गये थे। मेरा ख़याल है कि गूँजरों और सिपाहियो के बीच कोई बात-चीत नहीं हुई थी लेकिन बाद को सिपाहियो ने दिल्ली के आस-पास के गूजरो को बादशाह से दो नगाड़े दिलवाये थे। गूजर अङ्गरेज़ी सेना की रसद लूट लेते थे। बुलन्दशहर ज़िले के सिकन्दरा के नजदीक रहने वाले राव नाम के एक गूजर को भी नगाड़ा दिया गया था, जो कि यही काम करता था। विद्रोह के दिनों मे अङ्गरेज़ी राज्य को बुरा या ख़राब नहीं कहा गया। जिन लोगो ने सिपाहियों के अत्याचार देखे है, वे वह अङ्गरेज़ी राज्य को किस प्रकार बुरा कह सकते थे? केवेलरी सेना के अफ़सरो मे गुलाबशाह पैदल रेजिमेन्टो के अफ़सर ऐलेक्ज़ेण्डर रेजिमेण्ट और बादशाह के नौकरों मे शीरीं, नासिर ख़ाँ और बसन्त ख़्वाजा-सरा ने ही अङ्गरेज़ों की हत्या का आन्दोलन किया। कारण यह है, कि गुलाबशाह अपने गिरोह के साथहमात बख़्श बाग़

में ठहरा था और शाही ड्योढ़ी पर ख़्वाजा-सराओ के पास बैठा-उठा करता था। मैने इस सम्बन्ध मे बादशाह से बात-चीत की थी। उस समय ख़्वाजा-सरा मौजूद थे। उन लोगो ने गुलाब-शाह की सलाह मान कर बादशाह से अङ्गरेज़ो के क़त्ल करने की आज्ञा माँगी थी। मैने बादशाह से समझाया था, कि हमारे धर्म मे स्त्री और बच्चों का मारना पाप है। मैने यह भी कहा था कि सांसारिक लाभ की भी दृष्टिकोण से इनको छोड़ देना ही उचित है। फिर मैने यह भी कहा कि धार्मिक नेताओ की आज्ञा लेकर सैनिको को दिखाइये। और जो हवालात मे रखिये, तो उनके साथ अपने बच्चो का-सा व्यवहार करिये। और उसका परिणाम भी समझा दिया था तथा काबुल के सरदार मुहम्मद अकबर ख़ाँ की मिसाल भी बताई थी, जिन्होने लड़ाई के दिनो मे अङ्गरेज़ क़ैदियो के प्राण बचाये थे। उसी कारण दोस्तमुहम्मद ख़ाँ (अकबर ख़ाँ के पिता) को कितनी स्वतन्त्रता मिली थी। दोस्त मुहम्मद अङ्गरेज़ों के क़ैदी थे। मेरे ही कहने का प्रभाव था कि बादशाह ने हत्या की आज्ञा रद्द कर दी और दो दिन तक यही दशा रही। बाद मे लोगों ने बड़ा ज़ोर डाला और बसन्त तथा नासिर ने क़ैदियो को गुलाबशाह के हवाले कर दिया जिसने उन्हे मरवा दिया। यदि बादशाह कैदियों को महल मे रखते तथा बाग़ियों को समझा देते कि क़ैदियों के मारने के पहले मेरे स्त्री-बच्चों को मार डाले, तो वह कभी शाही रनिवास मे घुसने का साहस न करते। बादशाह ने जान-बूझ कर ऐसा कहा

और किया। वह प्रायः सिपाहियों से अपने विचार कहते थे। यदि बादशाह की स्वीकृति न होती, तो सरकारी काग़ज़ात में कभी यह न लिखा जाता कि बादशाह ने आज्ञा दी है। एलेक्ज़ेण्डर और हन्समत रेजिमेण्टो के अफ़सर अङ्गरेज़ो के बहुत विरोधी थे। यदि ग़ुलाबशाह वग़ैरह अङ्गरेजो को कत्ल न करते, तो वह स्वयं जाकर उनके वध की आज्ञा माँगते। मै नहीं जानता कि इनसे बढ़ कर भी कोई ईसाइयों का शत्रु था। ये अङ्गरेज, ग़ुलाबशाह, नासिर, अलादाद ख़ाँ विलायती के सवारो के हाथो मारे गये। अलादाद ख़ाँ बादशाह का नौकर था। सब से पहले बाक़ायदा सवार आये, फिर वालण्टियर-रेजिमेण्ट किले मे घुसी। फिर वालण्टियरो की दो कम्पनियाँ सवारों के साथ थी, जो कि क़िले के दरवाजो पर नियुक्त थी। वालण्टियर रेजिमेण्ट वालों ने चिल्ला कर कहा कि यह मेरठ से आये हुए सवार हैं। पैदल भी शीघ्र आने वाले हैं। अतएव मैंने दिल्ली रेजिमेण्ट के अफ़सरो की बात से अनुमान किया कि इनमे पहले से षड़यन्त्र था। दूसरी छावनियो को दिल्ली आने के लिए इन लोगो ने कभी पत्र नही लिखे। हाँ, उनके पत्रो मे केवल यही लिखा होता था कि "क्या तुम भी आते हो?" मेरी समझ मे निम्नाङ्कित कारण थे जिससे बाग़ियो ने दिल्ली को चुना। १—दिल्ली और मेरठ मे (जहाँ बग़ावत प्रारम्भ होने वाली थी) बहुत कम दूरी थी और दिल्ली की सेनाएँ मेरठ की सेनाओ से एक मत थी। २—दिल्ली मे पर्याप्त धन और अस्त्र थे। ३—दिल्ली

मे शहर-पनाह था, जिससे शहर सुरक्षित रह सकता था। ४—दिल्ली के बादशाह के पास सेना नहीं थी और वह कमज़ोर और लाचार थे। ५—बादशाह का ऐसा व्यक्तित्व था, कि उनकी आज्ञा पालन करना प्रत्येक हिन्दू और मुसलमान अपना कर्त्तव्य समझता था। सेनाओ ने बादशाह को अपने इरादो की कोई सूचना नहीं दी और न बादशाह को यही पता था कि वालण्टियर रेजिमेण्टो और मेरठ की सेना मे षड़यन्त्र है। मैंने कभी दिल्ली के नागरिको को इनाम मे मिली ज़मीन की ज़ब्ती की शिकायत करते नही सुना। लेकिन सिपाही यह कहा करते थे, कि अङ्गरेज़ धीरे-धीरे इनाम व पेन्शन आदि ज़ब्त कर लेंगे और किसी को अच्छी हैसियत वाला न छोड़ेंगे। अवध की ज़ब्ती की दिल्ली में बहुत चरचा हुआ करती थी लेकिन दिल्ली के मुसलमान सुन्नी थे अतः उन पर प्रभाव न पड़ता था। एक बार अवध के नवाब ने हनुमानगढ़ी मे चार-पाँच सौ सुन्नियो और मौलवी अमीर अली को तोप से उड़वा दिया था। वे लोग कहा करते थे, कि अवध के नवाब को निरपराधों की हत्या करने का दण्ड मिला है। दिल्ली के हिन्दुओ मे भी अवध की ज़ब्ती की कोई शिकायत नहीं थी। सिपाही ज़रूर कहा करते थे कि अङ्गरेज़ों ने जैसे अवध को ले डाला उसी प्रकार सारे देश पर अधिकार कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि विद्रोह के कारणों मे अवध की ज़ब्ती भी एक कारण थी। मै तो समझता हूँ कि अवध की ज़ब्ती से लोगों की कुछ हानि नहीं हुई थी, बल्कि

इसके विरुद्ध उनकी अत्याचारों से रक्षा हो गई थी। जो सिपाही दिल्ली मे थे उनमे तो विशेष रूप से ज़रा भी इससे दुख न था। यदि अवध की ज़ब्ती न भी होती, तो भी विप्लव होता। क्योंकि उनका षड़यन्त्र चल चुका था। लखनऊ की तीन या चार रेजिमेण्टों ने बादशाह को अर्ज़ी भेजी थी कि अवध पर अधिकार कर लेने के बाद वह दिल्ली आवेंगे। उन्होंने अङ्गरेज़ो को बेली गारद में घेरा था। अवध की सेनाओ की ओर से क़ुदरत-उल्ला एक सौ सवारो के साथ दिल्ली मे अर्ज़ी लेकर आये थे और जवाँबख्त के द्वारा दरबार में पहुॅचे थे। उन्होंने एक सिक्का बादशाह को भेट किया था, जो कि बादशाह के नाम से ढाला गया था। सिक्के पर यह छाप थी—"सिराजुद्दीन बहादुरशाह ग़ाज़ी।" अर्ज़ी देने वालो ने यह भी लिखा था कि फ़िलहाल वाजिद अली के बेटे को गद्दी पर बैटा दिया है और वह बहादुर-शाह के मन्त्री (सूबेदार) की भाँति रहेगे। उन्होने यह भी लिखा था कि नवाब से इसका इकरारनामा भी लिखा लिया गया है, कि जब बादशाह की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से उन्हेंगद्दी पर बैठाया जावेगा। बादशाह ने जवाँबख्त को आज्ञा दी, कि स्वीकृति और प्रबन्ध के लिए एक हुक्म लिख दो। वह अशर्फी, जिसे कुदरत उल्ला ख़ॉ ने भेंट की थी, जिस पर बादशाह की छाप थी, अभी दिल्ली के कमिश्नर के क़ब्ज़े में है। मेरी समझ मे वाजिद अलीशाह ने इन काररवाइयों में भाग नहीं लिया था। यदि उन्होंने या अली नक़ी ख़ाँ ने भाग लिया

१९

होता, तो छिपा न रहता। इसके सिवाय, यह लोग लखनऊ में थे भी नहीं। स्वयं वाजिद अली और उनके बड़े बेटे के होते हुए उनका छोटा लड़का गद्दी पर न बैठाया जाता। मेरा ख़याल है, कि अवध की सेनायें बेली गारद पर अधिकार के बाद ही दिल्ली के लिए न चल दी होंगी; बल्कि अवध के प्रबन्ध मे लग गई होंगी। मै जानता हूँ कि बाग़ियों ने जिसे लखनऊ की गद्दी पर बिठाया था, वह नाम मात्र का था। मैने यह कभी नहीं सुना कि कलकत्ते में रहने के दिनों में वाजिद अली शाह और बादशाह में कोई पत्र-व्यवहार हुआ। मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अली नक़ी खाँ से भी नही हुआ। आरम्भ मे मिरज़ा हैदर से चिट्ठी-पत्री होती रही। लेकिन जब उसने लखनऊ मे मशहूर कर दिया कि बादशाह शिया हो गये और इधर बादशाह ने इनकार किया तो फिर पत्र-व्यवहार बन्द हो गया और वह दिल्ली नहीं आये। मिरज़ा हैदर ही नवाब-अवध और बादशाह के बीच का दूत था। और वह कलकत्ता नहीं गया था अतएव फिर पत्र व्यवहार नहीं हुआ। मैने किसी सिपाही से नहीं सुना कि अवध के नवाब या उनके किसी कुटुम्बी ने विद्रोह करने के लिए उकसाया था। अवध की सेनाओं के सम्बन्ध में और अधिक नहीं जानता क्योंकि वह दिल्ली नहीं आईं। ग़दर के दिनों में मैने सुना कि मिरज़ा हैदर लखनऊ में है और दूसरे रईसों की भाँति वह भी अङ्गरेजी राज्य की रक्षा मे बेली गारद में है। विद्रोह के दिनों में बादशाह और मिरज़ा हैदर में कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ। उनके सभी

सम्बन्ध उस दिन से टूट गये, जिस दिन से उसने बादशाह को शिया हो जाने का लखनऊ मे प्रचार कर दिया। अब मै बताता हूँ कि कहां कहाँ की रेजिमेण्टों की अर्जियाँ आईं।

नीमच—नीमच की सेना ने लिखा था कि वह आगरा पहुँच गये हैं और शहर पर कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन अङ्गरेज़ क़िले मे छिप गये हैं, उनको घेर लिया गया है। आगे लिखा था कि उनके पास बड़ी तोपे नहीं हैं इसलिए वह तोपे लेने दिल्ली आवेंगे और किला जीतेगे। अर्ज़ी मे लिखा था कि उन्होंने अपने अङ्गरेज़ अफ़सरों को मार डाला है। यह अर्ज़ी मथुरा से लिखी गई थी और सूबेदार ग़ौस ख़ाँ व धीरासिंह की ओर से थी। एक ऊँट सवार उसे लाया था। बख्तखाँ ने उसे पेश किया था और नीमच की सेना की बड़ी प्रशसा की थी। बादशाह ने उन्हें दिल्ली आ जाने का हुक्म लिखवाया था।

झाँसी—दूत ने झाँसी की सेना की अर्ज़ी ला कर ख्वाजा-सराओं को दी थी, फिर उन्होने बादशाह के सामने पेश की। उसमे लिखा था कि उन्होंने अङ्गरेज़ अफ़सरों को मार डाला है और अब दिल्ली आना चाहते है। बादशाह ने जवाब लिखवा दिया कि दिल्ली आ जावें।

दानापुर—(दीनापुर)—ग़दर के २॥ मास बाद दिल्ली फौज के अफ़सर के द्वारा यह अर्ज़ी मिली कि वह दिल्ली को रवाना हो गये हैं या आना चाहते हैं। बादशाह ने आ जाने का

हुक्म लिखवा दिया। मै नहीं कह सकता कि वे सेनाये दिल्ली आई या नहीं।

इलाहाबाद—दो सिपाही मुसाफिरो के भेष मे आये और अर्ज़ी दी। यह ग़दर के १॥ मास बाद वालण्टियर रेजिमेण्ट के अफ़सर के द्वारा बादशाह के सामने पेश हुई। उन्होंने अपनी शुभकामना और दिल्ली आने की बात लिखी थी। बादशाह ने हुक्म लिखवा दिया कि आ जाएँ।

अलीगढ़—ग़दर के २॥ मास बाद दिल्ली के एक सैनिक अफ़सर के द्वारा बादशाह के सामने अर्ज़ी आई। नहीं मालूम वह दूत के द्वारा आई या डाक से। उन्होने भी दिल्ली आने की बात लिखी थी। उत्तर दिया गया कि आ जाएँ।

मथुरा—ग़दर के २० दिन बाद एक दूत अर्ज़ी लाया था, जो कि रेजिमेण्ट के अफ़सरों द्वारा बादशाह के सामने आई। उसमे लिखा था कि फ़ौजे दिल्ली आ रही हैं और उनके साथ ख़ज़ाना भी है। उन्हे जवाब दिया गया। थोड़े दिनों बाद वे सेनायें एक लाख रुपया ले कर आ गई।

बुलन्दशहर—बुलन्दशहर के रहने वाले मिरज़ा मुग़ल के एक सिपाही ने एक अर्ज़ी बादशाह के सामने पेश की कि सेनायें अपने क़ब्ज़े का तमाम ख़ज़ाना लेकर दिल्ली आ रही हैं, वह ३० हज़ार रुपया लेकर चली थीं। लेकिन बाद को हमें पता लगा कि आते-आते चौथाई रुपया उन्होंने हज़्म कर लिया।

रुड़की—मुझे विश्वास है कि रुड़की सेना का पत्र लेकर एक सिपाही मुसाफिर के भेष में आया था। जो कि रेजिमेण्ट न० ५४ के द्वारा ग़दर के १॥ मास बाद बादशाह के सामने पेश हुई। इसमें लिखा था कि हम लोग दिल्ली मे आना चाहते हैं और बादशाह की सेवा करना चाहते हैं। उन्हें आने के लिए लिखा गया। बाद को क़ादिरबख्श की देख-रेख मे ३०० खन्दक खोदने वाले आये। कादिरबख्श की मिरज़ा खैर सुलतान और बादशाह से बहुत पटती थी और प्रायः सलाह देने के लिए बुलाया जाता था। वह बख्त खाँ के साथ शहर से रुपया वसूल करने के काम में नियुक्त किया गया था।

फ़र्रुखाबाद—बख्त खाँ ने दिल्ली आते समय कुछ सेना वहाँ छोड़ दी थी। उसने ग़दर के २ मास बाद सारी सूचना दी।

हाँसी—दो सवार हाँसी से अर्ज़ी लाये, जिसमें लिखा था कि वह लोग बादशाह के लिए लड़ रहे हैं और अब धर्म के लिए दिल्ली मे लड़ने को आना चाहते हैं। मेरा खयाल है कि गदर के ६ सप्ताह बाद गुलाब शाह ने, जो मेरठ की फौजों का सेनापति था, यह अर्ज़ी पेश की थी।

सिरसा—यहाँ से तीन दरख्वास्तें आई थीं। एक तक्यूर रेजिमेण्ट के अफ़सर गौरीशङ्कर की थी। दूसरी केवेलरी के रिसालदार की ओर से, जिसका नाम याद नहीं है। तीसरी कमसरियट के शाहजादा मुहम्मद अजीम की थी। उनमें लिखा

था कि उन्होने शाही काम को भली प्रकार पूरा किया है और वसूल किया रुपया लेकर दिल्ली आ रहे है। ग़दर के दो सप्ताह बाद दो दूतों द्वारा यह अर्जियाँ आई थी। उन्हे उचित उत्तर दे दिया गया। कुछ दिन बाद ३० हज़ार रुपया, २०० बैल और ५०-६० भेड़े लेकर ये सेनाये दिल्ली आईं।

करनाल—यहाँ की सेना से कोई अर्ज़ी नही आई।

नसीराबाद—दो सिपाहियों ने आकर अर्ज़ी मिरज़ा मुग़ल के द्वारा पेश की थी, जिसमें दिल्ली आने की बात लिखी थी। उन्हें आने के लिये लिख दिया गया। २-२॥ हज़ार पैदल सिपाही कुछ तोपे लेकर दिल्ली आये थे।

सागर व जबलपुर—मेरा विश्वास है कि उक्त स्थानों से भी अर्ज़ियाँ आई थीं और उत्तर भेजे गये थे।

पञ्जाब—फ़ीरोजपुर फ़क़ीर के भेष में एक सिपाही ने आकर मिरज़ा मुग़ल के द्वारा एक अर्ज़ी बादशाह के सामने पेश की। उसे दूसरे दिन हुक्म देने को कहा गया। उसने मुझसे कहा था कि वह फ़ीरोज़पुर से आया है और वहाँ की सेनाये दिल्ली आने को तैयार हैं। उन्होंने अङ्गरेज़ी सरकार से विद्रोह किया है। मैंने अर्ज़ी अपनी आँखों से नहीं देखी और न मिरज़ा मुग़ल ने ही मुझे बताया कि फ़ीरोज़पुर से कोई अर्ज़ी आई है। बख़्त ख़ाँ के आने के पहिले, और ग़दर के ६ सप्ताह बाद, अर्ज़ी आई थी।

अम्बाला—फ़कीर के भेष में एक सिपाही अर्ज़ी लाया था।

लेकिन मै निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता कि उसे उत्तर दिया गया या नहीं।

फुलवर—मुझे ठीक याद है कि नं-२० पैदल रेजिमेएट का एक अफ़सर फुलवर रेजिमेएट की ओर से एक अर्ज़ी लाया था लेकिन उसके साथ सेना न थी। ग़दर के २ मास बाद अर्ज़ी आई। उन्होने लिखा था कि वह बादशाह की सेवा के लिए दिल्ली आवेगे। उन्हे आने के लिए लिख दिया गया। बहुत दिनों बाद २०० आदमी आये।

जालन्धर—मुसाफिरो के भेष में कुछ सिपाही न-११ पैदल वर्णसत रेजिमेएट की अर्ज़ी लेकर आये थे। अन्य अर्ज़ियों की भाँति इसमें लिखा गया था और वैसा ही उत्तर दे दिया गया।

स्यालकोट—कोई सिपाही वहाँ से नहीं आया। ग़दर के २ मास से भी अधिक दिनो के बाद बाग़ी रेजिमेएट के एक अफ़सर ने अर्ज़ी दी कि प्रार्थी दिल्ली आना चाहते है। उत्तर भेज देने का हुक्म हुआ। मैने ध्यान नही दिया, कि कोई सेना आई या नही।

झेलम—ग़दर के तीन मास बाद एक दरख्वास आई जो कि, जहाँ तक याद है सफरमैना रुड़की के अफ़सर क़ादिर-बख़्श ने पेश की थी। और अर्ज़ियो का-सा उसमें भी हाल था, वैसा ही उत्तर भी दिया गया।

रावलपिण्डी—दो सिपाही ब्राह्मणों के भेष मे आये थे। उन्होंने अर्ज़ी दी जिसमें दिल्ली आने और सेवा करने की बात

लिखी थी। मेग्रेट रेजिमेण्ट के अफ़सर ने वह अर्ज़ी बादशाह के सामने पेश की थी। इस पर भी वैसा ही उत्तर दे दिया गया। यह अर्ज़ी ग़दर के २ मास बाद आई थी।

लुधियाना—मैने सुना था कि लुधियाना से एक अर्ज़ी आई थी और मुझे ऐसा विश्वास भी है। लेकिन नही जानता कि किसके द्वारा आई। मै समझता हूँ कि उत्तर भी दे दिया गया होगा। मुझे उसका आशय याद नही रहा। इतना याद है कि वह दिल्ली आना चाहते थे। यह अर्ज़ी ग़दर के २ मास बाद आई। बनारस, अजयगढ़, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, बरेली, बदायूँ, आगरा, शाहजहाँपुर तथा ग़ाज़ीपुर की सेनाओं की ओर से अर्ज़ियाँ नही आई। अमृतसर, होशियारपुर, काँगड़ा, लाहौर, अटक, पेशावर, मुल्तान, डेराइस्माइल ख़ाँ, डेराग़ाज़ी ख़ाँ, गोगेए, शाहपुर, ख़ानगढ़, कलकत्ता, बैरेकपुर आदि पूर्वीय भाग की छावनियों तथा बम्बई और सिन्ध की सेनाओं की ओर से कोई अर्ज़ी नहीं आई। बाग़ियों ने बादशाह से कहा था कि उन्हे बम्बई की सेना ने दिल्ली आने को लिखा है, ऐसा मैने एक या दो बार सुना था। लेकिन मै निश्चय रूप से नहीं कह सकता, कि कोई अर्ज़ी आई थी। एक अर्ज़ी ग्वालियर के इलाक़े के किसी मुक़ाम से आई थी। जिसका नाम मै भूल गया कि यहाँ ५० तोपे और ५०० गाड़ियाँ भर के मेगज़ीन का सामान है, लेकिन चम्बल नदी की बाढ़ के

कारण वह उसे पार नहीं कर सकते। ग़दर के दो मास बाद यह अर्ज़ी आई थी और जवाब लिख दिया गया था, कि जब नदी की बाढ़ घट जाय, तब आवे। दिल्ली के विद्रोहियो और बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, झज्झर, अलवर, कोटा, बूँदी की सेनाओ से कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ। और न कोई अर्ज़ी ही आई। बादशाह के पास झज्झर, बल्लभगढ़, फ़रुख़नगर के रईसो और मालागढ़ (बुलन्दशहर) के वलीदाद ख़ाँ की अर्ज़ियां आई थीं। उन्होंने बादशाह से भक्ति प्रगट की थी और दरबार में आने की माफी चाही थी। यह लिखा था, कि यदि वे आयेगे तो वहाँ पर अशान्ति हो जावेगी। नवाब-झज्झर ने अपने ससुर अब्दुल समद ख़ाँ के साथ ३ सौ सवार भेजे थे। बल्लभगढ़ ने पन्द्रह सौ सवार भेजे थे। फ़रुख़नगर से कोई सेना नहीं आई। वलीदाद-ख़ॉ ने सेना और तोपे भेजने को लिखा था किन्तु बहुत दिनों तक नहीं भेजी। विद्रोह के दिनो मे वलीदाद ख़ाँ दिल्ली मे मौजूद थे। फिर उन्हे दोआबा (अन्तर्वेद) का राज्य दे दिया गया और वह दिल्ली से लौट गये।

ख़ान बहादुर ख़ाँ ने एक दूत और एक अर्ज़ी बख्त ख़ाँ के द्वारा भेजी थी। एक हाथी, एक कोतल घोड़ा, उस पर चाँदी का साज़ और सोने की सौ अशर्फ़ियां भेजी थीं। राव तुलाराम से कई बार सेना माँगी गई। रावसाहब ने ४० हज़ार रुपया भेजा जिसे बख़्त ख़ाँ ने ख़ज़ाने मे जमा किया। बाग़ियों की प्रार्थना पर निम्नाङ्कित स्थानों को सेना और सामान लेकर दिल्ली आने को

लिखा गया। झज्झर,बल्लभगढ़, फ़रुख़नगर, बरेली के ख़ाँ बहादुर ख़ाँ. जयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, ग्वालियर, बीजाबाई और जैसलमेर। बीजाबाई को २ हुक्म भेजे गये, मगर उन्होने कोई जवाब न दिया। बख़्त ख़ाँ के द्वारा पटियाला के राजा को भी एक हुक्म भेजा गया, जिसमे लिखा था, कि अब्बुलसलाम की सिफारिश से महाराज का कुसूर माफ कर दिया गया। अब वह अङ्गरेज़ों से लड़ने के लिए आवें। जम्मू के राजा के नाम एक हुक्म लिख कर बख़्त ख़ाँ को भेजने के लिए दे दिया गया। उन्होने एक अर्ज़ी (जो कि जाली समझी गई) भेजी थी। उसके सम्बन्ध में पता लगा कि राजा गुलाबसिंह ने लिखी थी। उसमे लिखा था वह एक सेना लेकर चलेंगे और पटियाला को हरावेंगे। यह भी लिखा था कि दोस्तमुहम्मद ख़ाँ जम्मू के रईस के दोस्त हैं। इस लिए वह भी बादशाह का ही साथ देंगे। जम्मू के राजा को सेना लेकर दिल्ली आने के लिए लिखा गया। झज्झर, बल्लभगढ़, फ़रुख़नगर, ख़ान बहादुरख़ाँ बरेली के उत्तर आये। लेकिन जयपुर, अलवर, जोधपुर,बीकानेर, ग्वालियर, जैसलमेर,पटियाला तथा जम्मू से कोई उत्तर न आया। क्योकि वह बादशाह के पक्षपाती न थे। जोधपुर और ग्वालियर ने अङ्गरेजो का साथ दिया। उनकी सेना विद्रोही हो गई थी लेकिन उन्होने अङ्गरेजों का साथ न छोड़ा। भरतपुर को कोई पत्र नहीं भेजा गया। क्योकि कहा गया, कि वहाँ का राजा नाबालिग़ है और अङ्गरेज़ स्वयं वहाँ का प्रबन्ध करते हैं। इन्दौर

को कोई पत्र नहीं भेजा गया। शाहाबाद के विद्रोही कुँवरसिंह को न कोई पत्र लिखा गया और न वहाँ से ही आया। बनारस, रीवाँ, बाँदा के राजाओं से न पत्र-व्यवहार हुआ और न वहाँ से कोई आया ही। नागपुर, भावलपुर, कपूरथला तथा शिमला के पहाड़ी वालो को कोई पत्र नहीं लिखा गया। नैपाल को भी न तो पत्र लिखा गया और न वहाँ से कोई आया। बाग़ी सेनाओं के दिल्ली जमा हो जाने पर उनकी सलाह से ये पत्र राजाओ को लिखे गये थे। उन्होंने नैपाल को पत्र लिखने को नहीं कहा, इस लिए नहीं लिखा गया। गुजरात, निज़ाम, ब्लोचिस्तान, दर्राख़ैबर, काबुल के राजाओ को कोई पत्र नहीं लिखा गया। जब दूसरे राजाओं के यहाँ से कोई उत्तर नहीं आया तो सैनिको ने यह अभियोग लगाया कि उन्हे पत्र लिखे ही नहीं गये, किन्तु जब उन्होने पत्र लिखे और जवाब न आया तो कहने लगे कि सब राज-भक्ति शून्य है। अङ्गरेजों के नाश के बाद इनसे बदला लेंगे। दूतो ने आकर कहा कि रियासत के राजा लोग अभी मिलते हुए डरते हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जासूसों का अफ़सर गौरीशङ्कर कहता था कि दिल्ली के सामने पहाड़ी पर पड़ी अङ्गरेजी सेना काँटे की तरह खटकती है। यह निकाल दी जाय तो काम बन जावे। सिपाही कहते थे कि वहाँ २ रेजिमेण्टे हैं, जिनमें २-३ सौ आदमी मारे जा चुके हैं, बाक़ी भी शीघ्र मारे जाएँगे। तब अँङ्गरेज़ पहाड़ी अपने आप छोड़ देंगे। भावलपुर के नवाब को न पत्र लिखा गया और न वहाँ से

आया। मेरा विचार है कि बादशाह और नवाब मे पुरानी दुश्मनी थी। जब नवाब भालव ख़ाँ दिल्ली से निकले, तो उनके लड़के को दीवाने-ख़ास मे आने से रोक दिया गया था और कहा गया था कि वह ज़ेवर और हथियार खोल कर आवे। यदि ऐसा न करेगे तो आने न पावेगे। अवध से भी कोई अर्ज़ी नहीं आई। इलाहाबाद से मौलवी लियाक़त अली की एक अर्ज़ी आई थी। उन्होने दिल्ली आने की बात लिखी थी और रास्ते के आराम के लिए एक गारद माँगा था। उन्हे उत्तर नहीं दिया गया। जब वह आये तो बख्त ख़ाँ ने उन्हे बादशाह से मिलाया। वह तुरन्त ही लखनऊ लौट गये। यह ग़दर के ३ मास बाद की बात है। नाना साहब की कोई अर्ज़ी नहीं आई लेकिन ग़दर के दो मास बाद उनका एक मरहठा एजण्ट आया था। जिसे मिरज़ा मुग़ल ने दरबार मे पेश किया था। मिरज़ा मुग़ल की प्रार्थना पर नाना को भी युद्ध मे शामिल होने का निमन्त्रण दिया गया था। उसके बाद एजण्ट लौट गया। किसी साहूकार की कोई अर्ज़ी नहीं आई। सेना की सलाह से सेठ लक्ष्मीचन्द को एक हुक्म लिखा गया था कि एक लाख रुपया क़र्ज़ दे। और कोई विश्वासी मुनीम ख़ज़ाञ्ची नियुक्त कर दें। सेठ से कहा गया कि जो आमदनी जमा होगी उससे उनका क़र्ज़ा अदा कर दिया जायेगा और सूद भी मिलेगा। मगर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जहाँ तक मुझे पता है किसी सरकारी नौकर की कोई अर्ज़ी नहीं आई। लेकिन सुना है कि एक मुसलमान, जोकि

किसी ऊँचे पद पर था, वह नौकरी छोड़ कर वलीदाद ख़ाँ से मिल गया है। मै उसका नाम नहीं जानता। सदर अमीन सदरुद्दीन, करमअली मुन्सिफ, सदर अमीन मौलवी अब्बास अली और महरौली के तहसीलदार मुहम्मद अलीबेग को भी लिखा गया था कि सरकारी नौकरी छोड़कर हम से मिल जाएँ लेकिन उन्होने मञ्जूर न किया था। जब धार्मिक मुल्लाओं को जमा करके बख़्त खाँ ने अङ्गरेजों के विरुद्ध जिहाद करने का फतवा देने को मजबूर किया तो मुफ़्ती सदरुद्दीन को मोहर लगाने पर मजबूर किया गया लेकिन मौलवी अब्बास अली ने बख़्त ख़ाँ के पहुँचने के पहले ही दिल्ली छोड़ दी। आगरा आदि से कोई पत्र नहीं आया। सदर बोर्ड के नौकर मौलवी फैज़ अहमद अपनी नौकरी छोड़ कर स्वयं आए थे और बादशाह की नौकरी कर ली थी। उन्हे अदालत का हाकिम बनाया गया था। रामपुर के नवाब को भी एक पत्र लिखा गया लेकिन उन्होने कोई उत्तर न दिया। बख़्त ख़ाँ ने बादशाह से कहा कि मै रामपुर गया था, वहाँ के नवाब निष्पक्ष रहेंगे। लोहारू के नवाब अमीनुद्दीन ख़ाँ और जियाउद्दीन खाँ, व झझ्झर के नवाब के भाई हसन अली खाँ व नवाब हमीद ख़ाँ के नाम पत्र भेजे गये थे। ये सब दिल्ली में रहते थे। महाराजा पटियाला के चाचा अजीतसिंह को भी पत्र लिखा गया था। आज्ञानुसार सभी दरबार में आये लेकिन किसी ने पत्र का उत्तर नहीं दिया। जब सेना और रुपया माँगा गया, तो किसी ने कुछ न दिया। कुछ न कुछ बहाना बता दिया।

इसलिए सैनिको ने उन्हे लूटने का इरादा किया था और एक बार लूटा भी। बादशाह के पोते मिरज़ा अबू बकर ने, जो कि बाक़ायदा केवेलरी रेजिमेण्ट के अफ़्सर थे, हमीद अली खाँ के मकान को लूटा और उन्हे गिरफ्तार करके क़िले मे लाये। ज़ियाउद्दीन खाँ और अमीनुद्दीन खाँ ने सेना की आज्ञा मंगा ली। पटोदी के रईस को भी एक पत्र भेजा गया वहाँ से कोई उत्तर न आया। अब मै बयान करता हूँ, कि मुल्क के और किन-किन स्थानों से अर्ज़ियाँ आई।

गुड़गाँव—यहाँ के ज़मींदारों ने अर्ज़ी में लिखा था कि यहाँ बड़ी अशान्ति है,कोई अफ़्सर प्रबंध के लिए भेजा जावे। अलवर से आने वाले फ़ैज़ुलहक़ ने अपने भानजे के लिए सिफ़ारिश की, क्योंकि अङ्गरेज़ी शासन की ओर से वह वहाँ पर नियुक्त था, अतएव वह ज़िले का अफ़्सर बनाया गया। मुझे पता नही कि वह गुड़गाँव गया या नहीं। इतना पता है कि उसकी नियुक्ति के १५-२० दिन बाद ही पुनः अङ्गरेज़ी राज्य हो गया था। फ़ैज़ुलहक़ ने कई तहसीलदारों को अपने भानजे के आधीन नियुक्त किया था।

रिवाड़ी—राव तुलाराम ने बख़्त खाँ की मारफ़त अपना एक एजण्ट और अर्ज़ी बादशाह के पास भेजी थी। लिखा था कि राज्य का प्रबन्ध हो रहा है। खरीफ की जो आमदनी आई थी वह सेना में खर्च हो गई। यदि वह इलाक़ा प्रार्थी को दे दिया जाये तो ४५ हजार की भेंट देगा। विद्रोह के २ मास बाद यह

पत्र आया था और अङ्गरेजी शासन के पुनः स्थापन के १० दिन पूर्व ४५,०००) रुपया भेजा गया था।

बादशाहपुर—यहाँ के ज़मीदारों ने एक तहसीलदार माँगा था। कलक्टर को तहसीलदार नियुक्त करने की आज्ञा दे दी गई।

देहली ज़िला—शहर-पनाह के बाहर से कोई पत्र नहीं आया और न कोई मुख्य घटना हुई।

रोहतक—यहाँ से कोई अर्ज़ी नहीं आई। लेकिन प्रजा ने सेना की रसद का प्रबन्ध किया था।

हिसार—जेल के नौकरों और मालगुज़ारी के अफ़सरों ने अर्ज़ियाँ भेजी थीं। लिखने वालों के नाम याद नहीं। उन्होंने लिखा था कि वह दिल्ली आने को बेचैन हैं। ग़दर के २ मास बाद यह अर्ज़ियाँ आई थीं।

करनाल व मेरठ—के ज़िलों से कोई पत्र नहीं आये।

बुलन्दशहर—वलीदाद ख़ाँ का हाल लिख चुका हूँ। उनके सिवाय, किसी की अर्ज़ी नही आई।

सहारनपुर व मुजफ़्फ़रनगर—से भी कोई अर्ज़ी नहीं आई।

बिजनौर—के जिले से प्रबन्ध करने की प्रार्थना हुई थी। सेना को प्रबन्ध करने की आज्ञा दे दी गई।

मुरादाबाद—किसी भी दल या विद्रोही की कोई अर्ज़ी नहीं आई।

बरेली—ख़ान बहादुर ख़ाँ की अर्ज़ी पर बख़्त ख़ाँ ने उन्हे गवर्नर बना दिया था। उन्होंने एक हाथी, एक घोड़ा, सौ सोने की मुहरे भेंट दी थीं। मै एजण्ट का नाम भूल गया, जो कि बादशाह के पास बख़्त ख़ाँ के द्वारा आया था। एक पत्र भेजा गया कि अपना ख़र्च निकाल कर मालगुज़ारी का रुपया भेज दो।

बदायूँ व पीलीभीत—से कोई पत्र या अर्ज़ी नहीं आई।

मथुरा ज़िला—गढ़ी के ज़मीदार डण्डी ख़ॉ ने अपने भतीजे के द्वारा अर्ज़ी दी थी कि जब्त की हुई जागीर लौटा दी जावे। जागीर अङ्गरेज़ों ने ज़ब्त की थी। ग़दर के ३ मास बाद यह अर्ज़ी आई थी। बख़्त ख़ाँ ने सिफारिश की और दूत को सेना में सम्मिलित कर के अङ्गरेज़ों पर आक्रमण किया गया। दूत घायल हुआ और एक सप्ताह में मर गया उसका नाम उमराव बहादुर था। बख़्त ख़ाँ ने उसके परिवार के लिए सहायता मञ्ज़ूर कराई लेकिन वह आज्ञा-पत्र न पहुँच सका।

आगरा ज़िला—इस ज़िले से कोई अर्ज़ी नहीं आई। मौलवी फ़ैज़ अहमद ख़ुद आये थे, जिस का मै ज़िक्र कर चुका हूँ। वज़ीर ख़ाँ सब असिस्टेण्ट सर्जन भी आये थे। बख़्त ख़ाँ की सिफारिश पर आगरा के गवर्नर बनाये गए। जब बख़्त ख़ाँ दिल्ली से भागे तो वज़ीर ख़ाँ भी उनके साथ थे।

अलीगढ़, कानपुर, फ़तेहगढ़ से कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ।

मैनपुरी—सेना माँगने के लिए वहाँ के राजा ने एक अर्ज़ी भेजी थी। मिरज़ा मुग़ल को आज्ञा दी गई कि सेना से सलाह कर के कुछ सेना मैनपुरी भेज दे। दूसरे रोज़ सैनिकों ने कहा कि वह दिल्ली छोड़ना पसन्द नहीं करती, जब तक अङ्गरेज़ों को दिल्ली से न निकाल दे। राजा को ऐसा ही उत्तर दे दिया गया। इस ज़िले से और कोई अर्ज़ी नहीं आई।

गोरखपुर, फ़तेहपुर, या कमायूँ—ज़िले से किसी अर्ज़ी के आने की मुझे याद नहीं है।

इलाहाबाद—इस ज़िले से मौलवी लियाक़त अली आये थे, जो वहाँ के गवर्नर बनाये गये और कोई अर्ज़ी नहीं आई।

राजा बाँदा—के यहाँ न कोई पत्र भेजा गया और न वहाँ से आया।

अज़ीमगढ़, शाहजहाँपुर, इटावा, ग़ाज़ीपुर, गया, बनारस से कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ।

बुन्देलखण्ड, जबलपुर, सागर, मालवा, दक्खिन—से कोई अर्ज़ी आने की याद नहीं है।

हैदराबाद, कच्छ गुजरात, कलकत्ता, पूर्वीय प्रदेश, मुङ्गेर, बैरकपुर, दानापुर—कहीं से कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ।

पटना—नवाब पटना की, न तो कोई अर्ज़ी आई, और न बादशाह ने ही पत्र भेजा।

पञ्जाब—किसी दल ने कोई पत्र नहीं भेजा। जिला के बोरी दुआबा ने भी कुछ नहीं लिखा, और न बादशाह ने ही कोई पत्र भेजा। मुझे पता नहीं है कि फौजें पञ्जाब की प्रजा को भड़का रही थी। बुन्देलो और बादशाह मे कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ। दो आदमी बख्त खाँ के द्वारा दरबार मे आये थे और कहा गया था कि यह अखोन्द से आये है। यह लोग अफ़ग़ानी थे और हसन अस्करी ने उन्हे बादशाह के सामने पेश किया था। वहाँ से एक तलवार बादशाह की भेट मे आई थी, एक चिट्ठी थी, जिस पर वहाँ की मोहर थी, जिसमे लिखा था कि यह दूत यहाँ के ख़लीफा है। इसमे लिखा था कि शहर में मुनादी करा दी जावे कि अखोन्द वाले जिहाद के लिए दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन एक सय्यद ने बादशाह से कहा कि यह अखोन्द का भेजा आदमी नही है। मै सय्यद का नाम नहीं जानता। बख्त खाँ को इसकी जाँच के लिए हुक्म दिया गया। मै नहीं जानता कि उन्होने क्या रिपोर्ट दी। यह शख्स ३ दिन दिल्ली में रहा।

बादशाह की राजनीति

फौज और शाहज़ादों को एक बार कहा गया कि वह शासन-कार्य में दख़ल न दे। न्याय मुफ़्तियों के हाथ में था। उसमे सैनिक अफ़सर और मालगुजारी वाले दख़ल न दें। लेकिन इस आज्ञा पर कार्य नहीं हुआ। सेना और शाहजादे हमेशा दख़ल देते थे। बिभिन्न जिलों में तहसीलदार नहीं नियुक्त हुए थे, बल्कि बख्त-

ख़ाँ ने होडल पलोल, शाहदरा मे तहसीलदार और गुड़गाँव मे बख़्त ख़ाॅ ने कलक्टर नियुक्त किया था। मगर कोई आमदनी नहीं जमा हुई। शाहज़ादे भी अपनी सेना मालगुज़ारी जमा करने के लिए भेजने वाले थे, किन्तु भेजा नही। आगरा के फैज़-अहमद व मिरज़ा ख़ैर सुलतान व मिरज़ा मुग़ल अदालत किया करते थे। शहर मे एक कोतवाल और कई थानेदार मुक़र्रर हुए थे। थानेदारो के नाम याद नहीं। नवाब कुदरत्तुला के लड़के मुईनुद्दीन ख़ाँ पहिले कोतवाल बनाये गए। जब उन्होंने अत्याचार किये तो हटा दिये गए। इसके बाद ख़्वाजा वाजिबुद्दीन की सिफारिश से काज़ी फैज़ुल्ला बनाये गये फिर रायपुर के सय्यद मुबारिक बनाये गये। शाहज़ादो के सिवाय बख़्तख़ाँ को भी दख़ल देने का अधिकार था। बादशाह ने कोतवाल व थानेदारो को हुक्म दिया था, कि बख़्त ख़ाँ की आज्ञा माने। सिपाही कहा करते थे कि जब मुल्क पर अधिकार हो जाएगा तो शाहज़ादों को विभिन्न प्रान्तों का सूबेदार बनायेगे। दूसरे प्रबन्धों के लिए बख़्त ख़ाँ ने आदमी नियुक्त किये थे। मेरठ के लिए कोई गवर्नर नहीं हुआ। वली-दाद ख़ाँ बुलन्दशहर के गवर्नर थे। वज़ीर ख़ाॅ अवध के सूबेदार बनाये गये लेकिन वह दिल्ली से नहीं गये। अलीगढ़ के लिए कोई मुकर्रर नहीं हुआ। रुहेलखण्ड के गवर्नर ख़ान बहादुर ख़ाँ थे। राजपूताना कोई नहीं गया। गुड़गाँव के लिए नियुक्ति हुई थी मगर कोई गया नहीं।

सेना के क्रम के सम्बन्ध मे विशेष बात नहीं जानता।

बादशाह से इस सम्बन्ध में कभी नही पूछा गया। मेरे ख़याल मे नीमच और नसीराबाद की सेनाये ही प्रायः अङ्गरेज़ो के मुकाबिले को जाती थीं। जो सेनाएँ हमला करना जानती थी, वही भेजी जाती थीं। मिरज़ा मुग़ल के मकान पर ही सलाह हुआ करती थी कि आज किस सेना की बारी है। सिपाही जिस रेजिमेण्ट मे चाहते थे, अपने मन से चले जाते थे। गौरीशङ्कर को इजाज़त दे दी गई थी कि सरकारी नौकरो को जमा करके नौकरी दे दें। लेकिन ऐसा हो नही सका, क्योंकि जो जगहे ख़ाली होतीं, उन पर किसी की नियुक्ति न होती। हर शख़्स अपना पहला स्थान चाहता था। मेरी समझ मे सेना का पूरा प्रबन्ध था। सेना ने बख़्त ख़ाॅ के गवर्नर-जनरल बनाने का विरोध किया और अर्ज़ी दी कि हम उनके मातहत न रहेगे। उन्होंने लिखा कि बख़्त ख़ाँ सिर्फ तोपख़ाना का अफ़सर है वह गवर्नर-जनरल नहीं हो सकता। न इसने खज़ाना लाकर दिया है और न मोरचा लडा है। फिर लिखा था कि मिरज़ा मुगल को इस पद पर बैठाया जावे। बादशाह ने यह अर्ज़ी बख़्त ख़ाँ को दे दी और उचित जवाब देने को कह दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि सेना को ३ भागो मे बाँटा जावे। मेरठ व दिल्ली की सेनाएँ मिला दी जावें—दूसरे जो सेनाएँ बख़्त ख़ाॅ के साथ नीमच व सिरसा से आई हैं वह एक साथ रहें, तीसरे भाग में बाक़ी सभी सेना हो। मिरज़ा मुग़ल को यह सब बादशाह ने समझा दिया। बख़्त ख़ाँ के उत्थान का कारण यह था, कि जब वह आये तो उन्होंने बादशाह को

समझाया कि अपने शाहज़ादों को अधिक अधिकार न दें। जो आज्ञा हो वह सीधे मुझे दी जाया करे जिसमें आप की इच्छानुसार कार्य हो। असल में बादशाह अपने लड़कों की अवज्ञा पर नाखुश थे और बख्त खाँ की बात उनकी इच्छानुसार थी। उसी दिन से बख्त खाँ की बात बादशाह मानने लगे।

वहाबी

ग़दर के दिनों में टोंक की ओर से वहाबियों का एक दल आया और शिकायत की कि नवाब ने कोई मदद नही की और भी कई स्थानों से वहाबी आये थे। बख्त खाँ स्वय भी वहाबी थे। रिसालदार मुहम्मद रफ़ी, रिसालदार इमाम खाँ, मौलवी अब्दुल गफ़ूर तथा सरफ़राज़ अली भी वहाबी ही थे। सरफ़राज़ अली को बख्त खाँ ने नेता नियुक्त किया था और उनका पक्ष लेते थे।

बख्त खाँ के आते ही बहुत से वहाबी सम्मिलित हो गये थे। इन वहाबियो ने एक घोषणा छपवा कर बँटवाई थी जिसमें मुसलमानों को सुसज्जित हो कर जिहाद करने को कहा गया था और कहा था कि यदि वे न आवेंगे तो नाश हो जाएँगे। यह एलान बहादुर खाँ के एलान से अधिक स्पष्ट न था।

जयपुर, भूपाल, हांसी, हिसार आदि से वहाबी आये थे और कुछ इस देश से बाहर के थे। जिन स्थानों से वहाबी आये वह मुझे सब याद नहीं हैं। मिर्ज़ा मुग़ल के दफ़्तर में उनकी सूची मौजूद है।

दिल्ली के बाहर हिन्दू भी अङ्गरेज़ी राज्य के उतने ही विरोधी थे, जितने मुसलमान; और दिल्ली में भी यही दशा थी। लेकिन जब बख़्त ख़ाँ ने धार्मिक मुल्लाओं को जमा करके जिहाद का फ़तवा लिया तो मुसलमानों में बड़ा जोश भर गया और वह अङ्गरेज़ों से लड़ने को तैयार हो गये। बुलन्दशहर, अलीगढ़, मेरठ आदि की हिन्दू प्रजा भी अङ्गरेज़ी राज्य के उतनी ही विरुद्ध थी, जितनी कि मुसलमान!